सप्तम माल, खंड 36, अंक 26, मंगलवार, 5 अप्रैल, 1983/15 चैत्र 1905 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)



(खंड 36 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

संप्तम माला, खंड 36, 11वां सत्र, 1983/1905 (शक)

अंक 26, मंगलवार, 5 अप्रैल, 1983, 15 चैत्र, 1905 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर .

*तारांकित प्रश्न संख्या : 494, 495, 497 से 499 और 502 1-20

प्रश्नों के लिखित उत्तर :

*तारांकित प्रश्न संख्या : 493, 500, 501, 503, से 505 और 507 से 513 20-30

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5605 से 5710,5712 से 5729 और 5731 से 5838 30-239

सभापटल पर रखे गये पत्र 239-240

प्राक्कलन समिति

39वां तथा 42वां प्रतिवेदन **प्रस्तुत किए गये।**
सरकारी उपक्रमो संबंधी समिति 241

55वां तथा 56वां प्रतिवेदन **प्रस्तुत किए गये।** 241-242

नवगठित ऊर्जा सलाहकार बोर्ड को धन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को आकस्मिक निधि में धनराशि निकालने के बारे में एक वक्तव्य :
श्री निहार रंजन लस्कर 243-244

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) भारतीय मुसलमानों के बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया वक्तव्य
श्री जैनुल बशर 244

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) ग्वालियर और ललितपुर में दूरदर्शन रिपोर्टर केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता
श्री माधव राव सिंधिया 244-245

(तीन) पारादीप और कटक के बीच रेलगाड़ियों से गेहूं तथा डीजल की चोरी रोकने की आवश्यकता
श्री अनादिचरण दास 245

(चार) मलेरिया अनुसंधान परियोजना क्योंझर, उड़ीसा के कर्मचारियों को अन्यत्र रोजगार देना 245-246

(पांच) अन्तर्राष्ट्रीय नेहरु स्वर्ण कप फुटबाल टुर्नामेंट के लिए भारतीय फुटबाल टीम
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर 246

(छ) विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिकों को कार्य करने की दशा
श्री हरिकेश बहादुर 247

(सात) उत्तर प्रदेश चीनी निगम लिमिटेड के बिजनौर एकक को वित्तीय सहायता
श्री मंगलराम प्रेमी 247-248

(आठ) नारायणा गांव के आसपास के क्षेत्र का विद्युतीकरण करने के लिए दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को अनापत्ति पत्र दिया जाना
श्री अटल बिहारी वाजपेयी 248

(नौ) अंतरिम सहायता तथा वेतन पुनरीक्षण के लिए दिल्ली में रेल कर्मचारियों द्वारा किया गया प्रदर्शन
प्रो० मधु दंडवते 248-249

अनुदानों की मांगें—1983-84

(1) **रक्षा मंत्रालय**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन 249-254

डा० कर्णसिंह 254-255

श्री आर० वेंकटरामन 256-280

ऊर्जा-मंत्रालय

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही 281—292

श्री नाथुराम मिर्धा 292—296

श्री दौलतसिंह जी जदेजा 296—300
श्री जैनुल बशर 300 - 302
श्री शांताराम पोटदुखे 302—304
श्री समीनुद्दीन 304—307
श्री राम प्यारे पनिका 307—311
डा० बसंत कुमार पंडित 311—314
श्री रामसिंह यादव 317—324
श्री चन्द्रपाल शैलानी 324—327
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी 327—331
श्री सी० डी० पटेल 331—335
श्री गिरधारी लाल व्यास 335 - 338

पंजाब के बारे में वक्तव्य

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी 314—317

लोक सभा

सोमवार, 5 अप्रैल, 1983 15 चैत्र, 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री हरिकेश बहादुर : नमस्कार, नमस्कार।

अध्यक्ष महोदय : नमस्कार।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : बूटा सिंह जी को इधर ले आए हैं।

अध्यक्ष महोदय : स्थानांतरण तो नहीं हो रहा।

श्री सतीश अग्रवाल : व्यक्तिगत सद्भाव।

अध्यक्ष महोदय : सद्भाव। श्री कृष्ण प्रताप सिंह - अनुपस्थित। श्री एम० एम० लारेंस।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अमरीकी कंपनी से रिग्स किराए पर लेना

*494. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अरीमका की एक कंपनी से रिग्स किराए पर लिए हैं; और

(ख) यदि हां तो किराए की दर क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) जी हां

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

वर्तमाअ में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पास यू० एस० कम्पनियों से 9 अपतटीय रिग किराये-भाड़े पर हैं तथा संविदाओं के अनुसार प्रचालन दैनिक करें निम्न प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	रिग का नाम	रिग की किस्म	प्रचालन दैनिक दरें (यू० एस०)
1	2	3	4
1.	डब्ल्यू० टी० आदमस	जैक-अप	42,500
2.	शैननदोह	—वही—	40,000
3.	ग्रिफिन अलक्जेंडर	—वही—	41,600
4.	ट्रिटोन-11	—वही—	41,500
5.	चिचेन इत्जा	—वही—	46,000
6.	बोमिटो 1	वही	28,000
7.	गैटसवर्ग	व्यघन नौका	35,000
8.	सैडको-445	डी० पी० ड्रिलशिप	*डी० पी० दर

1	2	3	4
			87,000
			**ए० एम० दर 77 000
9.	डिक्सीलीन फील्ड	सैमी-सबमर सिबल	35,000

* डी० पी० का अर्थ है डायनामिकली पोजिशनड

*ए० एम० का अर्थ एकर मोड

श्री एम० एम० लारेंस : अभी हाल ही में मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य में कहा था कि तेल के मामले में हम 1990 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद हम ऊंची दरो पर विदेशों से (रिगें) किराये पर ले रहे हैं। विवरण में इन पर खर्च की जा रही विदेशी मुद्रा की राशि की जानकारी दी गई है। सरकार तेल रिगों के देश में निर्माण के बारे में क्या कदम उठा रही है, ताकि हम इस महत्वपूर्ण मशीनरी के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़े।

ऊर्जामन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : हमारे पास जो रिगें हैं उनकी संख्या और किराए के रूप में दी गई राशि का ब्यौरा हमने विवरण में दे दिया है। मैं सदस्य महोदय के इस कथन से बिल्कुल सहमत हूं कि इस तरह से काफी मात्रा में विदेशी धन बाहर जा रहा है। लेकिन हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। हम मजागांव गोदी और विशाखापटनम में हिन्दुस्तान शिपयार्ड को भी पोतों और रिगों के निर्माण के कार्य में प्रोत्साहन दे रहे हैं। वास्तव में इस कार्य के लिए उनको कुछ कामोंदेश भी दिए जा रहे हैं। रिगों और जलयानों के निर्माण के लिए स्वदेशी उद्योग का विकास होना आवश्यक है।

श्री एम०एम० लारेंस : 14 मार्च 1983 के **इकनामिक टाइम्स**' में छपी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हम अपने देश के हितों की अनदेखी करते हुए अमरीका की 'साउथ इस्टर्न 'ड्रिलिंग कम्पनी' के साथ समझौता कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, आज ड्रिलिंग पोतों की भरमार है। लेकिन इसके बावजूद हमने उक्त कम्पनी से 'सेडको445' के लिए तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिए 87,000 डालर प्रति परिचालन दिन, डी० पी० दर से एक करार किया है। ...

श्री. पी. शिव शंकर : डी. पी. से आपका अर्थ है डाइना मिकली पोजिसन

श्री पी. एम.एम लारेंस: हाँ डी. पी. दर। इसके साथ ही इसी कम्पनी ने अमेरिका सरकार की एक एजेंसी को हमारे द्वारा सैकड़ों445 के लिए दिये गये मूल्प के आधे से भी कम दर पर एक अन्य प्रकार की रिगो अर्थात सड़को 472 देने की पेशकश की है। यह करीब 33000 डायर बैठता है और वह रिग 10,000 तकड्रिलिन कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही जो रिगमें हमारे ले रहे हैं वे केवल4,50 फीट तक ड्रिलिन कर सकती हैं। तथ्य यह है कि उसी कम्पनी एक अमरीकी एजेंन्सी को हमारे द्वारा ही गली दर की आधी से भी कम दर पर रिग दी है और वह रिग 10000 से अधिक फोट तक ड्रिलिन कर सकती है। यह सब कैसे हुआ ? इस बात को देखते हुए कि, अगर इस उद्योग में इतनी भारी दरों पर कैसे करा किया है ?

श्री पी. शिव शंकर : महोदय पहले भी मैंने तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों मे इस रिग्स के संबन्धित में स्थित को स्पष्ट किया है। मेंनें इसे ... के ध्यान में लाया था... (**व्यवधान**) महोदय जिस समय हमने इन रिग्गों के लिए करार किया था मैंने स्वयं आकड़े देखे थे हमने पाय, था कि इस कम्पनी द्वारा विरोध के लिए दी जाने वाली दरें तर्कसंगत थी। सभी देशों के टेन्डर प्राप्त करके हमने इस रिग के लिए फरार किया था उस समय विशेषज्ञों की यह

निर्णय थी कि हम तीन वर्षों के लिए समझौता करें। यह सही है कि मंदी के कारण आज इस प्रकार की रिगों काफी कम दरों पर मिल रही हैं। मैं इसको नरकार नहीं रहा हूं। लेकिन इसके साथ ही मैंने सदन को सूचित किया था कि अगर हम एक तरफ ही इस करार को खत्म कर देते हैं तो हमें इतनी ही रकम का जुर्माना देना पड़ेगा इस प्रश्न के उठने के बाद मैं कुछ चिन्तित हो नया था और यह जानते हुए कि मुझे विधि का अच्छा ज्ञान नहीं है मैंने विधि विभाग से उनका इस इस विषय पर मत जानने के लिए कहा और पाया कि मेरा अपना निर्णय था मेरी धारणा सही है। हम भी यह महसूस करते है कि हमें जुर्माना देना पड़ेगा। स्थिति यह है। मैंने यह बता दिया है जहां त इस मामले का प्रश्न है हमें स्थिति का पता है हालांकि मैं निश्चित तौर पर कर नहीं सकता लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हुं और मैंने अपने अधिकारियों को सलांह दी है कि वे पार्टी से बात चीत कर किसी समझौते पर पहूंचे उनकि हम ताकि हमें लाभ की स्थिति में रहें और बाद में भी कोई उलझन पैदा न हो इस करार की उस समय की स्थिति को भी देखना होगा जिस तारिख को हमने निविदायें अमंत्रित की थी और हमने करार किया था निश्चित ही यह एक ऐसी स्थिति है। जिसकी विशेष उस समय कल्पना नहीं कर सके।

मैंने भी कागजात देखें हैं शायद वे ऐसा तहसूस करते हैं कि अगर लम्बी अवधी के लिए समझौता न किया जाता तो, हमारे पूर्वी क्षेत्र में तेल की खोज और खुदार कार्य पर बुरा असरयहाँ तेल पड़ता। मैंने बार-बार सदन को ध्यान इस बातई ओर दिल की है कि जहां तक पूर्वी क्षेत्र का संबंध है काफी मात्रा में मिलता है और यहाँ की मिट्टी काफी जलोड़ा है जब तक कि रिगों को सक्रिय रूप से नहीं चलाया जाता हमारे लिए तेल की खोज का कार्य करना मुश्किल है। इतने लम्बे समय तक के लिए इसे रखने के लिए जोकि विशेषज्ञों की राय पर किया गया था; इस समय मैं शायद यही स्पष्टीकरण दे सकता हूं।

श्री संतोष मोहन देव : *जब कभी भी रिगर्र के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, मन्त्री महोदय, काम चलाऊ ढंग से उत्तर दे देते हैं।* हेरा-फेरी हमेशा ही होती है।

मैं 1980 में निर्वाचित हुआ था। कुछ लोग कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होंगे। मुझे दुबारा चुनाव लड़ना पड़ सकता है। जब मैं निर्वाचित हुआ था तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई हेरा-फेरी नहीं हुई।

सभा में एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते सभा में यह आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी कि इसको प्रतिस्थापित किया जा रहा है परन्तु अब तक इसको प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। मैं माननीय मन्त्री से उन शर्तों के बारे में जानना चाहूंगा जिनके अन्गर्तत रिगों को किराये पर लिया जा रहा है? यदि यह खराब हो जाये तो इसको कितनी जल्दी प्रतिस्थापित किया जायेगा? ड्रिलिंग प्राधिकारी अपने पास कौन-कौन से आवश्यक पुर्जे रखते हैं ताकि श्री लारेंस के मित्र रूस वालों की ओर देखने के बजाये उनको प्रतिस्थापित किया जा सके जैसा कि कचार रूस का रिग है। मैं कचार से निर्वाचित सदस्य हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कम से कम रिगिंग का तो कोई खतरा नहीं है।

श्री पी० शिवशंकर : मुझे खेद है कि मुझे कचार में रिग के सम्बन्ध में पूरी सूचना नहीं है। मैं उन्हें अलग से लिखूंगा। यदि आवश्यकता हुई तो मैं पूरे विवरण सभा पटल पर

रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आप इस प्रश्न में कैसे रुचि रखते हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा था। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि कितने दिनों, महीनों से या वर्षों के लिए इन रिगों की आवश्यकता है ? इनको खरीदना लाभ दायक है या सिर्फ किराये पर ले लेना लाभदायक है ? मैं समझता हूं कि किराये अधिक हैं। प्रत्येक रिग की क्या लागत है ? उन्होंने इन रिगों का निर्माण भारत में कराने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया है क्योंकि हमारा रिगिंग कार्यक्रम आगे आने वाले कई वर्षों के लिए है। मैं इन सभी बातों को विस्तार से जानना चाहता हूं।

श्री पी० शिव शंकर : मैंने विवरण में ही वे ब्यौरे दे दिए हैं। वस्तुतः आज हमारे पास छः रिग हैं कुछ समय पहले हमारे पास सात रिगें थे माननीय सदस्यों को जानकारी है कि सागर विकास अगस्त 1982 में क्षति ग्रस्त हो गया था। ज छः रिग हमारे पास हैं उनमें से पांच 'जैक-अप हैं और एक ड्रिलशिप है। भिन्न-भिन्न मौकों पर भिन्न-भिन्न कम्पनियों से ये खरीदे गए हैं।

फिलहाल नौ रिग किराए पर चल रही हैं उनके परिचालन की दरें अमरीकी डालर में अलग-अलग जहाजों तथा अलग-अलग रिगों को भिन्न-भिन्न हैं। क्योंकि माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है इस लिए मुझे सभा के ध्यान में लाना चाहिए कि...

अध्यक्ष महोदय : आप उनको सूचना उपलब्ध करा दीजिए।

श्री पी० शिव शंकर : जब रिग्स को किराए पर लिया जाता है तो इन पर विचार किया जाता है। संसाधनों का अभाव भी है। इस समय प्रश्न यह है कि क्या हमें रिग प्राप्त करने के लिए इतनी राशि खर्च करनी चाहिए फिर भी जैसाकि मैंने कहा, हमारे देश में रिगों के निर्माण का कार्यक्रम है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : कितने महीनों या कितने वर्षों के लिए उन्हें किरायों पर लिया गया है ?

श्री पी० शिव शंकर : आपका तात्पर्य उनसे है जिनको हम किराए पर ले चुके हैं ? फिर मैं आपको विवरण दे सकता हूं। डब्ल्यू० टी० आदम्स जैक अप...

अध्यक्ष महोदय : आप विवरण उनको भेज सकते हैं। विवरणों को पढ़ने में अधिक समय लगेगा।

श्री पी०शिव शंकर : ठीक है उन्होंने यही पूछा है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उनसे अपने कक्ष में मिलने के लिए कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मोटे तौर पर वह कह सकते हैं कि किराए पर लिए गए

रिगों की कितनें समय के लिए आकश्यकता है।

श्री पी० शिव शंकर : मुद्दा यह है कि एक समिति है जो इसकी जांच करती है और रिग के उपयोग की अवधि के बारे में निर्णय करती है। इस कार्य के लिए एक शक्ति प्राप्त समिति है और विशेषज्ञ कार्य स्थल पर जाते हैं और तब वे निर्णय करते हैं। इस प्रसंग में मैं यही कह सकता हूं।

गुजरात में गैस पर आधारित पेट्रो-केमिकल्स काम्प्लेक्स की स्थापना

*495. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गैस पर आधारित एक पेट्रो-केमिकल काम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए जुलाई, 1979 में आवेदन किया था ;

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा गठित की गई स्थान चयन समिति ने इस परियोजना के लिए सूरत के निकट कवल्स नामक स्थान की सिफारिश की है;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने सैद्धान्तिक रूप में गैस पर आधारित दो पेट्रो-केमिकल्स काम्प्लेक्स एक गुजरात में तथा एक महाराष्ट्र में स्थापित करने का निर्णय किया है लेकिन गुजरात काम्प्लेक्स को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है जबकि महाराष्ट्र के मालले में इस परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए एक "टास्क फोर्स" गठित कर दिया गया है ;

(घ) क्या गुजरात काम्प्लेक्स की आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए केन्द्र द्वारा गठित कार्यदल ने इस परियोजना की वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता प्रमाणित की है; और

(ड) यदि हां, तो गुजरात परियोजना को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ड) : सरकार ने सिद्धांत रूप में गैस पर आधारित दो पेट्रोरसायन उद्योग समूहों की स्थापना करने का निर्णय ले लिया है, जिसमें से एक महाराष्ट्र में तथा दूसरा गुजरात में स्थापित किया जायेगा।

गुजरात की प्रस्तावित प्रायोजना के लिए गठित किये गये कार्यकारी दल ने उत्पाद पेटर्न की पुनरीक्षा कर ली है और यह गुजरात सरकार से संशोधित सम्भाव्यता रिपोर्ट की प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहा है जिसमें परियोजना की वित्तीय तथा आर्थिक व्यवहार्यता का पता चलेगा।

श्री आर० पी० गायकवाड : महोदय, यह परियोजना न केवल राज्य के लिये महत्वपूर्ण है बल्कि समूचे राष्ट्र के लिये महत्वपूर्ण है । इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि इसमें आगे क्या प्रगति

हुई है और केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र परियोजना की भांति गुजरात की पेट्रोरसायन परियोजना को शीघ्र ही शुरू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ? (**व्यवधान**)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : प्रश्न का उत्तर देने में इतनी हिचकिचाहट है ।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : महोदय, माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र की परियोजना की तुलना में इस परियोजना के कार्य को तेज करने के बारे में प्रश्न पूछा है । वास्तव में जहां तक पैट्रोरसायन उद्योग समूह का सम्बन्ध है महाराष्ट्र परियोजना केन्द्रीव क्षे त्र में है और गुजरात पैट्रोरसायन उद्योग समूह राज्य क्षेत्र हों के अर्न्तगत आता है । इसकी वित्तीय व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए उत्पादन ढांचे की समीक्षा की जा रही है वास्तव में कुछ समय पहले 1981 में, गुजरात सरकार ने यह सुझाव दिया था कि इस पैट्रोरसायन उद्योग समूह को एक संयुक्त परियोजना के रुप में लिया जा सकता है जिसमें 40% शेयर राज्य सरकार के और 40% केन्द्र सरकार के और बाकी 20% वित्तीय संस्थाओं के हों तथा इन कठिनाईयों की वजह से तथा उत्पादन ढांचे की वजह से परिवर्तन हुआ है, इस परियोजना की वित्तीय आर्थि व्यवहार्यता के सम्बन्ध मेंव्यवहार्यता रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

हम गुजरात सरकार को इस योजना को शीघ्र ही शुरू करने के लिए जोर दे रहे हैं कुछ समय पहले उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि वे अपने आप ही शुरू करना चाहेंगे परन्तु जब तक वे हमें स्पष्ट परियोजना रिपोर्ट नहीं दे देते और यह नहीं कहते कि वे किन उत्पादों का निर्माण करने जा रहे हैं, तब तक हमारे लिए यह कहना कठिन होगा कि इस पर महाहाष्ट्र परियोजना जिसका कि मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया है, से पहले कार्य शुरू होगा या नहीं ।

श्री हीरालाल आर० परमार : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि गुजरात सरकार से रिपोर्ट माँगी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट कौन-सी तारीख को मांगी गई और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या खामिया हैं जिसकी वजह से यह अभी तक नहीं मिली है ?

श्री पी० शिव शंकर : एक्चुअली, मई 1982 में स्टेट गवर्मेन्ट ने खुद यह कहा है कि वे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ायेंगे ।

अब मेरे पास इस वक्त तो डिटेल्स नहीं है कि कौन सी तारीख को उन्होंने मांगा और हमने जवाब दिया है । इसका मैं अलग तरीके से मेम्बर को लिख कर बता सकता हूं । कुछ ही दिनों में मैं इस बारे में भी ब्यौरा भेज दूंगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में बताया है कि दो गैस आधारित पैट्रो-रसायन कारखाने बन रहे हैं, उनमें से एक महाराष्ट्र में और दूसरा गुजरात में बन रहा है । उन्होंने कहा है कि यह संयुक्त क्षेत्र में होगा । जैसाकि वह जानते है कि अनुसन्धान और विकास संगठन तथा इ० आई० एल० स्वदेशी तकनीक से गैस-आधारित पेट्रोरसायन कारखाने का निर्माण करने में सक्षम हैं । अतः मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन कारखानों का निर्माण स्वदेशी तकनीक की सहायता से किया जाएगा । मैं यह चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट उत्तर आना चाहिए कि इन्हें किसी विदेशी कम्पनी को नहीं दिया जाएगा ।

श्री पी शिव शंकर : नहीं, महोदय। मैं यह बात सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जहां भी हमारी तकनीक उपलब्ध है हमने यह सुनिश्चित किया है कि पैट्रो रसायन कारखानों की स्थापना के लिये उसे ही प्रयुक्त किया जाए । वास्तव में, जहां तक महाराष्ट्र पैट्रो-रसायन कारखाने का सम्बन्ध है, घन सम्बन्धी कठिनाईयों के कारण इसमें लिये विश्व के देशों से निविदाएं मंगाई गई थी। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां भी हम विश्व निविदाओं के आधार पर तथा न्यूनतम टैंडर प्रस्तावों के आधार पर विदेशी कम्पनियों का सहयोग लेते हैं वहां जिस क्षेत्र में सम्भव होता है, स्वदेशी प्रोद्यौगिकी का प्रयोग किया जाता है। इन मामलों में एक विशेष प्रभार की नीति नहीं अपनाई जा रहीं, बल्कि वही नीति अपनाई जाती हैं, जो राष्ट्र के लिए उचित होती है अथवा जो परियोजना के लिये उचित होती है तथा वहीं नीति अपनाई जाएगी जो हमारे राष्ट्र विकास के लिये सहायक होगी।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, केमिकल की जिस प्रकार से देश में मांग बढ़ती जा रही है और हम पेट्रो केमिकल्स काम्प्लेक्सेज की स्थापना करना चाहते हैं उस बारे में योजना बनायी है मैं जानना चाहता हूं कि इन काम्प्लेक्सेज की स्थापना के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम बनाया है और उसके मुताबिक प्रोडक्शन देने के लिये कोई कार्यक्रम तय किया है, यह जानकारी मन्त्री जी देने की कृपा करें।

श्री पी० शिव शंकर : समय-2 पर महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई जा रही हैं। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध हैं, जब हमें गैस अथवा दूसरे आधारों पर पेट्रो-रसायन कारखानों का निर्माण करना होता है। उस दशा में हमारी एक टीम होती है जो स्थिति के अनुसार अग्रिम फैसले करती है।

कोयले का उत्पादन और वितरण

*497 **श्री अमर राय प्रधान** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक क्षेत्रों में और विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में गम्भीर संकट होने का कारण यह है कि कोयला उत्पादन तथा उसकी वितरण व्यवस्था में कुप्रबंध है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, मैंने इस प्रकार के गैर इमानदारीके उत्तर "नहीं, महोदय" की आशा नहीं की थी। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि वे 1950 का लक्ष्य भी प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं अर्थात् योजना आयोग का 1390 लाख टन का अनुमानित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। वितरण पक्ष के बारे में पश्चिम

बंगाल में कोयले की कमी तथा कोयले के न मिलने के कारण अनेक परियोजनाओं को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, जैसा कि रेल मंत्री महोदय ने कहा है कि कोयले की कमी और कोयले की क्वालिटी खराब होने के कारण रेलगाड़ियों को लम्बित और रद्द करना पड़ा है। तब भी उत्तर दिया गया है, "नहीं, महोदय।" कृपया आप मेरी सहायता करें।

कोल इंडिया लिमिटेड एक मफिया गिरोह, जिसे बड़ा मजबूत राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, के साथ मिलकर देश में कोयले के वितरण के साथ-साथ कोयले का व्यापार कर रहा है। तथा कोयले को पाकिस्तान, नेपाल तथा बंगलादेश में निर्यात भी कर रहा है। "खुली बिक्री—आइये, पैसे दीजिए, माल लीजिए और ले जाइए" के नाम पर,

अनेक जाली खरीददार है,

जाली परिवहन कम्पनियां हैं,

जाली लदान व्यापार हो रहा है। कोयला वितरण पद्धति बेइमान व्यापारियों एव दादाओं के लिए पूरी तरह स्वर्ग बन गया है।

अत: मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इनके विरुद्ध क्या सक्रियात्मक कदम उठाये गये हैं :—

(क) जाली परिवहन कम्पनियों ;

(ख) जाली प्राइवेट लदान पद्धित ;

(ग) जाली खरीद-दरोद, तथा

(घ) माफिया गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी।

मैं मन्त्री महोदय से यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर नियन्त्रण के लिए क्या कदम उठाये हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसी प्रकार का एक प्रश्न संख्या 513 है।

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने कहा कि कोयले की कमी है। मैं यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि कोयले की कोई कमी नहीं है। जहां तक कोयले के उत्पादन का सम्बन्ध है, इसमें थोड़ी सी गिरावट यानि केवल 1.9 प्रतिशत गिरावट आई है।

जहां तक कोयला भेजने का सम्बन्ध है, इस्पात को छोड़कर, जहां थोड़ी सी गिरावट आई है, पिछले वर्ष अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धि सम्बन्धी प्रतिशतता निम्नलिखित है :—

क्षेत्र	प्रतिशतता
1	2
बिजली	10 प्रतिशत

1	2
सीमेंट	4 प्रतिशत
उर्वरक	20 प्रतिशत

इन क्षेत्रों में स्थिति में सुधार हुआ है ।

जहां तक लदान की बात है, हमने स्थिति में सुधार किया है तथा लादे गये बेगनों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नलिखित है :—

वर्ष	वेगनों की संख्या
1979-80	8,720
1980-81	89,15
1981-82	9,805
1982-83	10,500

हमने सभी प्रकार से स्थिति में सुधार किया है । अतः माननीय सदस्य का आरोप सही नहीं है ।

माफिया के बारे में माननीय सदस्य ने अरोप लगाये हैं । जब भी कभी कोई मामला विशेष हमारे नोटिस में आता है, हम उस पर कार्यवाही करते हैं और नाजुक क्षेत्रों में हमने सभी राज्य सरकारों से परामर्श कर अतिरिक्त प्रबन्ध भी किये हैं । ऐसे प्रश्नो से निपटने के लिए सभी स्तरों पर समन्वय समितियों बनी हुई हैं और हम ऐसे प्रश्नों को बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से सुलझा रहे हैं और हम ने जितने भी कदम उठाये हैं उनसे वांछित परिणाम भी निकले हैं । यह कोई आरोप नहीं है। यदि माननीय सदस्य के ध्यान में कोई मामला आता है तो उसे हमें भेज दें ताकि हम उस सम्बन्ध में उपयुक्त जाँच कर सके और उसके लिए उचित व्यवस्था भी करें ।

श्री अमर राय प्रधान : मैं माननीय मन्त्री के सुझाव का स्वागत करता हूं । राज्य सभा की चर्चा के दौरान यह उत्तर दिया गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड के सिंगरौली क्षेत्र के महा प्रबन्धक श्री निर्मल सिंह ने यह बताया है कि वे श्री जे० एन० सिंह को नहीं जानते थे और श्री जे० एन० सिंह ने मार्च, 1981 से कोयला नहीं लिया है ।

किन्तु दिनांक 24-6-82 के पत्र संख्या सी० ए० एल० 228/560 में श्री आई० पी० वधावन ने लिखा है कि श्री जे० एन० सिंह स्टील फेब्रीकेशन इन्टरप्राइसेस, वराणसी का भागीदार है और उन फर्मों को 500 टन कोयले का आवंटन किया जाए ।

क्या आपने इसकी जांच की है ? मुझे यह कहना है कि कोयला क्षेत्र में एक जाली परिवहन कम्पनी है । मंत्री जी ने इस बात का अन्तर नहीं दिया है । माफिया गिरोह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयले के वितरण के बारे में पहले एक प्रस्ताव था कि देश भर में 101 स्टाकयार्ड खोल जायेंगे। उसमें से केवल 31 ही बन पाये हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि शेष 70 कब चालू किये जाएंगे और इनके लिए स्थान कैसे चुना जाता है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कोयले के क्षेत्रों में निजी ठेके समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने हैं।

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि आपने देखा मुख्य प्रश्न उस प्रश्न से एक दम अलग है जो माननीय सदस्य अब पूछ रहे हैं। अब वह बिल्कुल दूसरा प्रश्न पूछ रहें हैं। ये सभी आरोप अथवा ये सभी प्रश्न विशेष मुख्य प्रश्न से उद्धृत प्रश्न नहीं हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने एक विशेष दृष्टान्त उद्धृत किया है।

श्री दलबीर सिंह . मैं मामले की जांच करूंगा। यदि कोई मामला विशेष हमारे ध्यान में लाया जाता है तो हम उसकी जांच करेंगे।

श्री के० मायातेवर : महोदय, तमिलनाडु में,...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पानी नहीं मिल रहा है।

श्री के० मायातेवर : मैं पानी की कमी के बारे में बाद में कहूंगा। अब मैं बिजली की कमी की बात कर रहा हूं। तमिलनाडु में बिजली की कमी के कारण, तापीय संयन्त्रों द्वारा बिजली उत्पादन न कर पाने के कारण सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में लगभग सभी कारखाने एवं कम्पनियां बन्द हो गई हैं और उसके परिणामस्वरूप 7 लाख गरीब कर्मचारी तथा कर्मकार बेरोजगार हो गए हैं। तमिलनाडु सरकार कहती है "हमारे पास कोयला नहीं है; हम केन्द्र सरकार से कोयला लेने का प्रयास कर रहें हैं; हम क्या कर सकते हैं? केन्द्रीय सरकार कोयला नहीं दे रही है।" आप को दोष दे रहे हैं। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने कम से कम गरीब किसानों के पम्पसेट चलाने के लिए बिजली के उत्पादन के लिए इन्नौर, तूती कोरिन तथा अन्य स्थानों पर तापीय संयन्त्रों को कोयला दिया है। यदि आपने कोयला दिया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी मात्रा में दिया है क्योंकि वह दोष आप पर लगा रहे हैं। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : महोदय, क्या यह संगत प्रश्न है?

अध्यक्ष महोदय : अप्रत्यक्ष रूप से है।

ऊर्जा मन्त्री श्री (शिव शंकर) : मैं उसके कारणों की बात नहीं करूंगा क्योंकि वह अनुचित होगा। वास्तव में, मैने इस मामले पर सम्बद्ध मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री से चर्चा की थी। मैं राज्य सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। किन्तु मैं एक तथ्य बता देना चाहता हूं कि हमें हल्दिया से कोरिन में कोयला सप्लाई करने में कुछ कठिनाई थी। उसे दूर कर दिया गया है और हल्दिया से कोयला भेजा जा रहा है और यह कोयला तूती

कोरिन पहुंच रहा है। वहां पर कोयले के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं और तापीय संयन्त्र में बिजली के उत्पादन में अब कोई कठिनाई नहीं है। नैवेली अब अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर रहा है उसे कोयले की पूर्ति कर दी गई थी। यह सत्य है कि जब कोयले की सप्लाई सिंगरौनी से की जाती थी तो राज्य द्वारा चलाये जा रहे कुछ छोटे तापीय संयन्त्रों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। दुर्भाग्य से सिंगरौनी में फिर हड़ताल आरम्भ हो गई है। यह उसकी प्रतिक्रियाएं हैं। जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र का सम्बन्ध है, नैवेली एवं टूटी कोरिन का ध्यान रखा गया है। जैसा कि मैंने कहा है, टूटीकोरिन में हल्दिया से काफी कोयले की सप्लाई हो रही है। इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

श्री के० मायातेवर : तमिलनाडु में बिजली का बिल्कुल उत्पादन नहीं हो रहा है। कोई भी पम्प नहीं चल रहा है (**व्यवधान**) बिजली नहीं बन रही। मेरे भी चार कुएं हैं। तमिलनाडु में पम्प चलाने के लिए बिजली सप्लाई नहीं की जा रही है। वहां के लोगों को निर्देश दे कर वहाँ की जनता की सुरक्षा करना आपका कर्त्तव्य है .. (**व्यवधान**) आपने क्या कार्यवाही की है? आप उनके संरक्षक हैं। (**व्यवधान**)

श्री पी० शिवशंकर : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से, बिजली मंत्री, श्री रामचन्द्रन जो आज शाम मुझसे मिलने वाले हैं, को अवगत करा दूंगा।

डा० श्री कृपा सिन्धु भोई : माननीय सदस्य द्वारा एक आधारभूत प्रश्न उठाया गया है...

अध्यक्ष महोदय : आप उसे पढ़ दीजिए।

डा० श्री कृपा सिन्धु भोई : वह इस प्रकार है :—

उन्होंने पूछा है।

क्या यह सत्य है कि अनेक क्षेत्रों में विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में गम्भीर संकट के कारण कोयला उत्पादन और उसको वितरण व्यवस्था में कुछ प्रबन्ध है।"

हम काफी कोयले का उत्पादन कर रहे हैं। यही ठीक है। रसायन उत्पादन के लिए कोयला एक आधारभूत कच्ची सामग्री है और हमें वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकों को बधाई देनी चाहिए। कि उन्होंने कोठागुडम में एक कम तापमान कार्बनीकरण संयन्त्र लगाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को इस बात का पता है कि इस संयन्त्र को कम कोयला सप्लाई के कारण यह अपनी स्थापित क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहा है, यह संयन्त्र बिल्कुल स्वदेशी है तथा विश्व में सर्वोत्तम संयन्त्रों में से है।

श्री राम विलास पासवान : प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बलबीर सिंह : मैं इस स्थिति का पता लगाऊंगा...

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न। श्री डी० एम० पुत्ते गौड।

डा० श्री कृपा सिन्धु भोई : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने पूछा था कि कोयल की कमी के कारण रसायन क्षेत्र में कितने संयन्त्र नहीं चल पा रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : उन्हें उनसे कक्ष में जाकर मिलिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 4981

राज्यों के लिए प्रेस-काउन्सिलें

* 498. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा } : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने केन्द्र और राज्य सरकारों से प्रत्येक राज्य में प्रत्येक भाषा में काम करने वाली प्रेस काउन्सिलें बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में प्रेस काउन्सिल का गठन करने के लिए सहमत हो गई हैं; और

(ग) स्वतंत्रता के अनुरक्षण और अनुचित कार्यों पर निगरानी रखने में प्रेस काउन्सिलें कहां तक सहायक सिद्ध होंगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रेस की स्वतन्त्रता का परिरक्षण करने तथा भारत के समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तरों को बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद को पर्याप्त समझा जाता है। राज्य स्तर पर प्रेस परिषद की स्थापना से किसी तद्नुरूपी लाभ के बिना केवल प्राधिकारियों का ही बाहुल्य होगा।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मैं यह जानना चाहता हूं कि भारती प्रेस परिषद जिस उद्देश्य के लिए स्थापित की गयी थी वह उसे पूरा करने में कहां तक प्रभावी रही है। यह प्रथम प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या भारतीय प्रेस परिषद पत्रकारों के लिए आचार संहिता बना रही है और क्या प्रेस परिषद को गलती करने वाले पत्रकारों को सजा देने अथवा उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का दाण्डिक अधिकार प्राप्त होगा ओर वह आदेश का पालन अथवा उसका कार्यान्वयन कैसे कराना चाहती है।

श्री एच० के० एल० भगत : जहां तक प्रेस परिषद के ढांचे का प्रभावी होने के प्रश्न का सम्बन्ध है, स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए वह जितनी अधिक प्रभावपूर्ण हो सकती थी वह रही है। महोदय, अधिकार तथा अन्य सभी बातों का उल्लेख प्रेस परिषद अधिनियम में

किया गया है और माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें उसकी एक प्रति दे सकता हूं ।

जहां तक आचार संहिता बना का सम्बन्ध है, सरकार का यही मत है कि आचार संहिता बनाई जानी चाहिए ।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की राय में समाचारपत्रों ने असम की घटनाओं का विवरण प्रकाशित करने में सही भूमिका निभायी है और यदि नही तो उन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो आग भड़काने और उस समय देश की छवि धूमिल करने के लिए सीमा से बाहर गए, जब विश्व के नेता गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के लिए राजधानी में एकत्रित हुए थे ?

श्री एच० के० एल० भगत : जहां तक किसी समाचार पत्र के विरुद्ध कार्यवाही करने का संबंध है, यह कानून के अन्तर्गत ही लिया जा सकता है । बहरहाल, यदि कोई विशिष्ट मामला हमारे ध्यान में लाया जाता है तो सरकार जो कुछ सम्भव है करेगी ।

जहां तक असम की घटनानाओं का विवरण प्रकाशित करने का संबंध है मैं इस प्रश्न का इस समय उत्तर नही दे सकता परन्तु मैं यह अनुभव करता हूं कि प्रेस को इस प्रकार की बातों से बचना चाहिए । मुझे यही कहना है कि उसे ऐसा कुछ करने से बचना चाहिए जिससे अन्ततः देश के बुनियादी हितों की हानि हो । परन्तु मैं प्रेस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता ।

श्री बी० वी० देसाई : उत्तर में परस्पर विरोधी बातें हैं । प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में वह कहते हैं, 'जी, हां ।' यहां पर प्रश्न यह हैं :

"क्या इन्डियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्टस ने केन्द्र और राज्य सरकारों से प्रत्येक राज्य में प्रत्येक भाषा में काम करने वाली प्रेस काउन्सिले बनाने का अनुरोध कियां है ।"

बाद में वह भाग (ख) और (ग) का उत्तर देते समय इसका खण्डन करते हैं :

"...राज्य स्तर पर प्रेस परिषद की स्थापना के किसी तदनुरुपी लाभ के बिना केवल प्राधिकारियों का ही बाहुल्य होगा ।"

क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि राज्य परिषदों की स्थापना से भाषायी समाचार पत्रों को लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उन्हें इससे मार्गदर्शन प्राप्त होगा ?

क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी पूछ सकता हूं कि क्या भाग (क) का उत्तर ठीक है या भाग (ख) और (ग) का उत्तर सही है ?

श्री एच० के० एल० भगत : भाग (क) तथा भाग (ख) और (ग) में दिए गए मेरे वक्तव्य में कतई विरोधाभास नहीं है । वास्तव में, मैं पूर्ण सम्मान के साथ यह कहना चाहता हूं कि कुछ भ्रांति है ।

वक्तव्य बिल्कुल ठीक है इसमें कोई विरोधाभास नहीं है । वास्तव में प्रथम प्रेस आयोगने

स्वयं यह सिफारिश की थी कि प्रेस परिषद अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित की जानी चाहिए यदि राज्यों में भी इसी प्रकार के निकाय स्थापित कर दिए गए तो उसके काम में दोहरापन आ जाएगा और प्राधिकरण की बहुल्यता हो जाएगी। जहां तक भाषायी समाचार पत्रों और अन्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, मै यह बताना चाहता हूं कि इस समय प्रेस परिषद में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है और सरकार राज्यों में प्रेस परिषदों की स्थापना आवश्यक नहीं समझती।

प्रो के० के० तिवारी : मेरे विचार में सम्पूर्ण सभा मेरे इस विचार को स्वीकार करने के लिए सहमत होगी कि सरकार ने समाचार पत्रों को देश में बहुत आजादी दी है। इस देश में प्रेस की स्वतन्त्रता को सबसे अधिक खतरा एकाधिकार गृहों के समाचार पत्रों पर स्वामित्व से है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार एकाधिकार गृहों के चंगुल से प्रेस को स्वतन्त्र कराने के लिये कुछ कदम उठाने पर विचार कर रही है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसके कारण पत्रकारों द्वारा बड़ी-बड़ी घटनाओं की, जैसी मेरे मित्र द्वारा बताई गई हैं, जानकारी में तोड़-मरोड़ की जाती है।

श्री एच० के० एल० भगत : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मेरा विश्वास है कि इस देश में प्रेस को स्तन्त्रता प्राप्त है। सरकार चाहती भी यही है कि देश में प्रेस स्वतन्त्र रहे। जहां तक मेरे मित्र द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों का सम्बन्ध है। इस समय सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : एकाधिकार ग्रहों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी ?

श्री एच० के० एल० भगत : प्रेस आयोग ने इस सम्बन्ध में एक सिफारिश की थी जो सरकार के विचाराधीन है।

प्रो० के० के० तिवारी : सिफारिशें क्या हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : उन्हें एकाधिकारी ग्रहों के चंगुल से छुड़ाने का प्रश्न है। वह विचाराधीन है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्ययक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने कहा है कि सरकार इस पक्ष में है कि प्रेस के लिए कोई आचार-संहिता बनाई जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अपने लिए भी कोई आचार-संहिता बनाई है ? क्या यह सत्य नही है कि मान्यता प्राप्त पत्रों की मान्यता मनमाने ढंग से रद्द कर दी जाती है ? क्या यह सत्य नहीं है कि समाचार पत्रों के मालिकों पर इस बात के लिए दबाव डाला जाता है कि एक व्यक्ति को सम्पादक के पद से हटाकर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करें ? क्या सरकार अपने लिए भी कोई कोड-आफ- कन्डक्ट बनाएगी ?

श्री एच० के० एल० भगत : अध्ययक्ष महोदय, श्री वाजपेयी जी को बड़े आदर से कहना चाहता हूं कि सरकार सर्दन नार्म्स के मुताबिक चलती है और चल रही है। जहां तक उनकी आबजर्वेशिन्स कि सरकार मान्यता को रद्द कर देती है या दबाव डालती है...

ये अत्यन्त सामान्य और अस्पष्ट आरोप हैं।

श्री वाजपेयी जी अपने अत्यन्त सामान्य किस्म की टिप्पणी की है। मैं आपके प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आपकी टिप्पणी सही नहीं है? महोदय, यदि माननीय सदस्य मेरे ध्यान में कोई स्पष्ट मामला लाते है तो मैं, निस्सन्देह उस पर विचार करूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, श्री खुशवन्त सिंह का क्या हुआ? श्री खुशवन्त सिंह ने स्वयं लिखा है कि मालिकों के ऊपर दबाव डालकर उन्हें हटाया गया।

अध्यक्ष महोदय : यहीं तो मसला है कि मालिकों के नीचे अखबार होने ही नही चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर मालिक के नीचे हों तो मालिक सरकार के नींचे नहीं होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई किसी के नीचे नहीं होना चाहिए। यह मोनोपाली ही गलत है

श्री एच० के० एल० भगत : श्री वाजपेयी जी का आरोप निराधार है।

प्रो० सत्यसधाधन चक्रवर्ती : महोदय, आपने अपनी राय प्रकट कर दी है...

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती प्रमिला दंडवते।

श्री प्रमिला दंडवते : *प्रश्न संख्या —499*

श्री हीरालाल आर० परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गुजरात समाचार पत्र में रिजर्वेशन के सम्बन्ध में गलत प्रचार किया था...

अध्यक्ष महोदय : प्रेस काउन्सिल को दीजिए।

बच्चों पर दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रभाव

* 499. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न दूरदर्शन कार्यक्रमों का दर्शकों पर विशेषकर बच्चों और युवा लड़कों और लड़कियों पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यक्रमों और समाज में बढ़ते हुए अपराधों, विशेषकर यौन अपराधों के बीच कोई पारस्परिक सम्बन्ध है; और

(ग) यदि हां, तो कार्यक्रमों की किस्म सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने

का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (ग) दूरदर्शन के कार्यक्रमों का आकल्पन सूचना देने और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के लिए किया जाता है। दूरदर्शन केन्द्रों से सम्बद्ध श्रोता अनुसंधान यूनिटें समय-समय पर विशिष्ट कार्यक्रमों का गुणात्मक और मात्रात्मक अध्ययन करती हैं और दर्शकों की प्रतिक्रियाओं का आकलन करती हैं। इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों का दर्शकों, विशेषकर बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों तथा समाज में अपराधों के बीच कोई पारस्परिक सम्बन्ध है। तथापि, कार्यक्रमों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार ने ख्याति प्राप्त व्यक्तियों/संचारकों का एक कार्य दल नियुक्त किया है जो चार मास की अवधि के भीतर उपयुक्त सिफारिशें करेगा।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हू कि आपने अपने डिपार्टमेंट के जरिए से दूरदर्शन के प्रोग्राम्स के क्वालिटेटिव और क्वान्टेटिव निष्कर्ष निकाले हैं उनसे मुझे ऐसा लगता है कि वे ठीक नहीं हैं। क्योंकि आज पूरे देश की माताएं इस बात से चिंतित हैं कि टेलीवीजन के प्रोग्राम्स की वजह से उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। जो बच्चे टेलीवीजन पर आपके प्रोग्राम देखते हैं वे आगे चलकर कैसे बनेंगे। वे बच्चे टेलीवीजन पर आपकी फिल्में देखकर वैसा ही करते हैं। आपके टेलीविजन पर फिल्मों के गाने चलते हैं, हीरो-हीरोइन का तमाशा चलता है। वही तमाशा आपके टेलीवीजन पर बच्चे देखते हैं। उससे बच्चों पर कितना खराब असर पड़ रहा है। अभी आपने क्वालिटेटिवली प्रोग्राम इम्प्रूव करने की कोशिश की है, मेरी आप से प्रार्थना है कि एजूकेशन और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली महिला संस्थाओं की कोई समिति आप बनाएं जिससे कि टेलीवीजन के प्रोग्राम इम्प्रूव हो सकें बच्चों के दिमाग पर दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रभाव क्या इसके बारे में कोई सर्वे करके या इन्वेस्टीगेशन कर के इस सदन को सूचित करेंगे ? इसके साथ ही क्या आप यह भी सूचित करेंगे कि आपने जो समिति बनायी है उसमें कौन-कौन लोग हैं ताकि उन लोगों के साथ बात कर के उन्हें अपने सुझाव दिये जा सकें। क्या आप महिला संस्थाओं की भी कोई समिति बनायेंगे जिससे कि ये प्रोग्राम इम्प्रूव हो सकें ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो ऐसे बोल रही थीं जैसे कि घर में ही बोल रही हों।

श्री एच० के० एल० भगत : आनरेबल मेम्बर श्रीमती प्रमिला दण्डवते जी ने जो भावना व्यक्त की, उसकी मैं कद्र करता हूं। लेकिन उनकी जो राय है कि टेलीवीजन के प्रोग्राम बहुत खराब हैं, उनका बहुत खराब असर पड़ता है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। प्रोग्राम्स में इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, यह मैं भी महसूस करता हूं। अभी आपने कमेटी बनाने के लिए भी कहा है। एक कमटी बनी हुई है। मैं अपनी और प्रमिला जी को भी निमंत्रण दूंगा कि वे जिसको भी साथ चाहें ले आयें, हम उनसे इस मामले में डिस्कशन कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि श्रीमती दंडवते को उस प्रकार प्रभावित किए जायें। मैं प्रत्येक मदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए यहां हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं नहीं चाहता कि मुझे अपनी पत्नी के नाते निमंत्रित किया जायें।

श्री एच० के० एल० भगत : जैसा मैंने कहा, अगर वे प्रोफेसर दंडवते जी को भी साथ ले आएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : आपने कमेटी के मेम्बरों के नाम नहीं बताये हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : कमेटी के मेम्बरों के नाम मैं बता सकता हूं। यह इस समिति के अध्यक्ष, आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली के डा० पी० सी० जोशी हैं। ये दिल्ली के हैं और इनके अलावा बहुत से डिस्टिंग्युस्ड परसंस हैं जिनको कि यह काम सौंपा गया है। इन से मिल कर या हम से मिल कर जो भी सुझाव आप देना चाहें वे दे सकती हैं। वे सुझाव जानने में हमें बड़ी खुशी होगी।

मैं चाहता हूं कि टी वी के प्रोग्राम को इंप्रूव किया जाए। इस बारे में इन दिनों हमने कई बैठकें की हैं। इन्फरमेशन एजूकेशन और इन्टरटेनमेंट इन सबका ज्यूडिशस कंबीनेशन अच्छी प्रकार से हो सके इसकी पूरी कोशिश की जाती है। इसमें आपके सुझावों और सहयोग से हमें सहायता मिलेगी।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैं अपना दूसरा प्रश्न बाद में पूछूंगी पहले "ए" फिल्म्स के बारे में जवाब दीजिए कि "ए" फिल्म्स टी वी पर कैसे दिखाई जाती हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं बताना चाहता हूं कि जो फिल्में "फार एडल्ट्स ओनली" हैं उनका टी वी पर स्क्रीनिंग नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शस हैं। टी वी पर आने वाले गानों के बारे में लोगों के अपने-अपने व्यूज हैं। फिल्मों के बारे में भी लोगों के अलग अलग विचार होते हैं आमतौर पर दर्शक टी वी पर अधिक फिल्में देखना पसंद करते हैं।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैं दूसरा प्रश्न पूछने से पहले मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहती हूं कि इस बारे में महिलाओं के प्रदर्शन टी वी के सामने होने वाले हैं। वे मेरे पास आती हैं और बताती हैं। मैं कोई वार्निंग नहीं दे रही हूं। मैं बता रही हूं आपने बताया कि आप उनसे मलने के लिए तैयार हैं, इससे मुझे खुशी है।

मेरा सवाल यह है कि आपके ही राज में पहले दो प्रोग्राम "इशूज विफोर दी पार्लियामेंट" और "टेलीवीजन व्यूअर्स" को बुलाकर एक प्रोग्राम होता था। इसमें दर्शकों को बुलाया जाता था। इसमें कई अच्छे सुझाव आते थे। इन दोनों कार्यक्रमों को आप क्या फिर से शुरू करवायेंगे। इसके साथ ही "क्राइम इन टी वी प्रोग्राम" के बारे में क्या आप महिलाओं को बुलाकर उनकी राय लेंगे ?

श्री एच० के० एल० भगत : माननीय सदस्या ने बताया है कि महिलाएं प्रदर्शन करने

वाली हैं। मैं प्रदर्शन के पहले ही उनसे मिलने के लिए तैयार हूं और प्रदर्शन के बाद भी मिलने के लिए तैयार वे मेरे पास आयें मैं उनकी बात सुनूंगा। इसके साथ ही जो सुझाव दिए हैं उन पर भी विचार किया जाएगा। सारी बातों पर विचार करके ही निर्णय लिया जाएगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को जो टेलीवीजन के लिए अच्छे प्रोग्राम बना सकते हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता। क्या प्रोग्राम बनाने वाले कुछ खास लोग या खास कम्पनियां हैं। जो नए लोग अच्छे प्रोग्राम भेजते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता है। कुछ खास लोगों और खास कम्पिनयों को ही टी वी पर कार्यक्रम बनाने के लिए अनुमति दी जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि दूरदर्शन के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनको तय करने के लिए क्या कोई कमेटी है। क्या इस पर किसी व्यक्ति का एकाधिकार है? कार्यक्रमों के चुनाव का क्या क्राइटेरिया है?

श्री एच० के० एल० भगत : यदि माननीय सदस्य को जानकारी है कि कुछ अच्छे प्रोग्राम बनाए जा सकता हैं या बना लिए गए हैं तो वे मुझे बताएं। कुछ प्रोग्राम सरकारी विभाग बनाते हैं और कुछ प्राइवेट लोग बनाते हैं। हम तो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम बनाए जाएं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, लोग बहुत गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। हमारे भारत की जो रिज कल्चरल हैरिटेज और डेवलपमेंट एफर्ट्स है तथा जो चीजें हमारे देश को जोड़ती है उन पर नए-नए और अच्छे प्रोग्राम बनाए जायें। सरकार के डिपार्टमेंट्स भी और जो प्राईवेट बनाने वाले हैं, वे भी प्रोग्राम वनाएं। इसमें हमारा सहयोग मिलेगा। फिर भी, आप कुछ बतायेंगे तो मैं आपकी मदद लूंगा। यह बात सही नहीं है कि वहां जबंदस्ती होती है, कुछ लोगों के प्रोग्राम होते हैं और कुछ के नहीं होते।

श्री मनीराम बागड़ी : टी.बी. एक बीमारी होती है। इसलिए, इस टी.बी. में और आपके आपके टी.वी. में क्या फर्क हैं?

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपकी अक्ल की दाद देनी पडेगी।

जोखिम भरे कार्यों में बच्चों को रोजगार

502. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दियासिलाई की फैक्टरियों जैसे जोखिम भरे कार्यों में बड़े पैमाने पर बच्चों के नियोजन की ओर दिलाया गया, जैसा दिनांक 14 फरवरी, 1983 के इन्डियन एक्सप्रेस में "फैक्ट्स एबाउट शिवकाशी चाइल्ड लेबर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार से पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास उद्योग-वार बाल-मजदूरों की संख्या संबंधी क्या अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन बच्चों को विद्यालयों के कारखानों में न पहुंचाया जाए और सम्बन्धित कारखानों में जोखिम के प्रति प्रभावी संरक्षण हो, क्या कदम

उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) सरकार को प्रेस रिपोर्ट की जानकारी है ।

(ख) 1981 की जनगणना में, श्रमिकों के उम्र-वार वर्गीकरण के बारे में, जोकि उनके कार्यकलाप के स्वरूप के अनुसार किया जाता है, आंकड़ों की प्रतिक्षा की जा रही है ।

(ग) बालक नियोजन अधिनियम, 1938 के अन्तर्गत रोजगार का विनियमन (मुख्य पत्तनों और रेलों को छोड़कर) राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । बाल श्रमिकों सम्बन्धी गुरुपदा स्वामी समिति की शिक्षा तथा स्वास्थ्य के खतरों से सम्बन्धित यथास्वीकृत सिफारिशों को राज्य सरकारों के ध्यान में कार्यान्वयन के लिए लाया गया है । उनके अनुपालन के बारे में सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री माधवराव सिंधिया : यह स्थिति आश्चर्यजनक है । मैं इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट को उद्धृत करता हूं :—

> "शिवकाशी के इर्दगिर्द दियासलाई तथा आतिशबाजी के कारखानों में कोई 45,000 से अधिक बच्चे काम कर रहे हैं।"

रिपोर्ट में यह भी कह गया है कि शिवकाशी का प्रत्येक दियासलाई तथा आतिशबाजी का कारखाना-चाहे पंजीकृत हो अथवा गैर पंजीकृत बच्चों के रोजगार पर रखता है, जिनमें से कुछ चार से पांच वर्ष तक की आयु के होते हैं। यह रोजगार व्यक्ति के 3-½ साल की आयु में ही यंत्रवत काम करने वाला बना देता है । यह स्थिति आश्चर्यजनक है । हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए । हम इसे केवल राज्यों पर ही नहीं छोड़ सकते । हमें इस बारे में कोई केन्द्रीय कानून बनाना चाहिए । 3-½ तथा चार पांच साल के बच्चों को सुबह 4,5 तथा 6 बजे उठाकर कारखानों में लाया जाता है । सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए, हमें संतोष नहीं करना चाहिए और केवल यही नहीं करना चाहिए कि हमने इसे राज्यों पर छोड़ दिया है ।

मार्च, 1981 में सरकार ने बाल जन सम्बन्धी समिति को बच्चों की रोजगार की कम से कम आयु 15 वर्ष तक बढ़ाने कि सिफारिश के इस आधार पर अस्वीकार किया था कि उस सिफारिश को स्वीकार करने के लिए उचित समय नहीं है ।

मैं जानना चाहता हूं :—

(क) क्या सरकार का दो साल बीतने के बाद की समिनि की उपरोक्त सिफारिश के बारे में वही विचार है ?

(ख) यदि हां, तो न्यूनतम आयु को 15 वर्ष तक बढ़ाने के उचित समय पर विचार न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) और यदि नहीं, तो क्या सरकार आयु के बढ़ाने सम्बन्धी एक विधेयक को संसद के

आगामी सत्र में लाने पर विचार कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने अभी किया है, उसे मेरे नोटिस में लाया गया है और मैंने भी उस रिपोर्ट को पढ़ा है, यह दैनिक समाचार पत्रों में ही नहीं, बल्कि पत्रिकाओं में भी छपी है। अतः रिपोर्ट पढ़ने के बाद, मैंने तुरन्त कार्यवाही की। मैंने अपने मंत्रालय से दो वरिष्ठ अधिकारियों को शिवकाशी तथा इसके इर्दगिर्द क्षेत्रों को भेजा तथा उन्हें रिपोर्ट देने के लिए कहा उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया और श्रम मंत्रालय को अपना प्रतिवेदन दिया। उन्होंने कई सुझाव दिए हैं। और हम कार्यवाही कर रहे हैं। हम इस बारे में तमिलनाडु सरकार को भी लिख चुके हैं।

जहां तक दियासलाई कारखाने में रोजगार के इस मामले का सम्बन्ध है। इसके लिए उचित प्राधिकरण अथवा अधिनियम के कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेवार प्राधिकरण राज्य सरकार है। **(व्यवधान)**

श्री के० मायातेवर : जब राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है तो आप क्या करने जा रहे हैं ? जब राज्य सरकार मृत है तो आप क्या करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : "मृत" न कहें, "निष्क्रीय" कहें।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, इस पर आधे घटे का डिस्कशन दे दीजिए। यह बहुत जरूरी है।

श्री के० मायातेवर : इस प्रश्न पर सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री माधव राव सिंधिया : क्या हम इस पर आधे घंटे की चर्चा करवाने जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारणों में हिन्दी का प्रयोग

*493. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान सम्मेलन की कार्यवाही के सीधे प्रसारण में हिन्दी का कोई प्रयोग नहीं हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे अंग्रेजी न जानने वाले भारत के करोड़ों लोग इस विशिष्ट कार्यक्रम से वंचित रह गये ;

(ग) क्या सरकार सर्वसाधारण के इस भाव से अवगत है कि हिन्दी को राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उचित महत्व नहीं दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दूरदर्शन पर हिन्दी की पूर्ण उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सातवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की कार्यवाहियां और विचार विमर्श शिखर सम्मेलन की चार निर्धारित अधिकृत भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, फ्रान्सीसी, स्पेनिश और अरबी में हुए थे। तदनुसार, गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन से सम्बन्धित मुख्य घटनाओं के सीधे टेलीकास्ट को अंग्रेजी में कवर किया गया था, क्योंकि कवरेज केवल दूरदर्शन के राष्ट्रीय हुक-अप पर टेलीकास्ट करने के लिए ही नहीं अपितु उपग्रह तथा रिकार्डिगों के माध्यम से बड़ी संख्या में विदेशी टेलीवीजन संगठनों के लिए भी था।

(ख) गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की कार्यवाहियों को हिन्दी के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों में तथा प्रादेशिक भाषाओं के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में उपयुक्त रूप से कवर किया गया था। दूरदर्शन ने शिखर सम्मेलन से सम्बन्धित सामयिक मामलों के कुछ कार्यक्रमों को हिन्दी में भी टेलीकास्ट किया था।

(ग) जी, नहीं। हिन्दी को दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में यथोचित महत्व दिया जाता है।

(घ) *प्रश्न नहीं उठता।*

मूल्य सूचकांक के अंकों पर मजूरी का पुनरीक्षण

***500. श्री मुहम्मद इस्माइल : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत मजूरी का पिछला पुनरीक्षण, लागत मूल्य सूचकांक के किस अंक पर किया गया था ;

(ख) क्या लागत मूल्य सूचकांक अंकों में उपरोक्त (क) के अंकों से 50 अंक की वृद्धि हो चुकी है ;

(ग) मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि को देखते हुए सरकार ने न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए हैं या उठाने पर विचार कर रही है ; और

(घ) मूल्य सूचकांक में कब से वृद्धि हुई है और न्यूनतम मजूरी में कब से वृद्धि की जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत, सम्बन्धित सरकारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी-दरों को निर्धारित/संशोधित करना पड़ता है । विभिन्न सरकारें अलग- अलग रोजगारों में विभिन्न उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के सन्दर्भ में विभिन्न अवसरों पर न्यूनतम मजदूरी-दरों को निर्धारित/संशोधित करती रहतीहैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी-दरें, जिसके संबंध में यह सम्बन्धित सरकार पिछली बार अगस्त-सितम्बर ,1982 में संशोधित की गई थीं । ऐसा 12 मास के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 432 के आधार पर किया गया था ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 432 के 12 मास के औसत सूचकांक की तुलना में, औसत सूचकांक में अभी तक 50 प्वाइंट की वृद्धि नहीं हुई है ।

(ग) और (घ) संगत अनुसूचित रोजगारों की न्यूनतम मजदूरी-दरों में संशोधन करने के लिए यथोचित समय पर कार्यवाही की जाएगी, जब ऐसा सशोधन करना अपेक्षित होगा ।

पेट्रोल और डीजल की चोरी

*501. **श्री शिव शरण वर्मा**
श्री छोटे सिंह यादव : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बड़े पैमाने पर हो रही पेट्रोल और डीजल की चोरी की घटनाओं के बारे में पता है ;

(ख) क्या इन चोरियों को रोकने के लिए कोई ठोस और प्रभावी कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तेल कंपनी प्रतिष्ठानों से तथा मार्ग में ट्रकों से पेट्रोल तथा डीजल की चोरी के मामले कभी-कभी सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ख) और (ग) ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाये गए हैं। इनमें ये शामिल हैं :—

(1) बाजार अनुशासन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का जारी किया जाना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिष्ठापनों, टैंक लारियों की जांच और निरीक्षण तथा दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की व्यवस्था है ।

(2) टैंकरों के कैलिब्रेशन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना तथा प्रतिष्ठापनों को छोड़ने से पूर्व टैंकरों का अचानक निरीक्षण करना ।

यदि किसी टैंकर को असत्य बाटमों (तली) वाला अथवा गलत डिप रोड के साथ पाया जाता है तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है ।

(3) कदाचारों में लगे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध उनके परिवहन ठेके को समाप्त किये जाने तथा परिवहन ठेकेदारों के नाम सूची से सदा के लिए हटाए जाने जैसी कठोर कार्यवाही की जाती है।

(4) स्टाक हानियों के ऊपर कठोर नियंत्रण करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना।

(5) तेल कंपनियों में आन्तरिक सतर्कता को सुदृढ़ करना तथा पेट्रोलियम खुफिया तथा सतर्कता कक्ष द्वारा बाहर की सतर्कया को सुदृढ़ किया जाना।

(6) अनधिकृत गोदामों आदि के विरुद्ध आयोजित किये गये छापों में राज्य सरकारों के साथ निकट का समन्वय स्थापित करना।

इन उपायों के परिणामस्वरूप इस स्थिति में सुधार हुआ है।

मुजफ्फरनगर के डाकघर का दर्जा बढ़ाया जाना

*503. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरनगर मुख्य डाकघर का 1980 के आंकड़ों के आधार पर आराजपत्रित से राजपत्रित दर्जा बढ़ाए जाने के आदेश दे दिए गए हैं ;

(ख) क्या मंत्रालय ने हाल ही में 4400 प्वाइंटों से नीचे वाले डाकघरों का दर्जा बढ़ाए जाने का विचार त्यागने का निर्णय लिया है ;

(ग) क्या मुजफ्फरनगर मुख्य डाकघर को 1981 के दौरान शामली मुख्य डाकघर खोल कर विभाजित कर दिया गया है ;

(घ) क्या वर्तमान मुजफ्फरनगर मुख्य डाकघर मार्च, 1981 के पश्चात् 4250 प्वाइंट से नीचे वाला हो गया है ; और

(ड.) क्या सरकार का मितव्ययता करने तथा व्यर्थ के खर्च से बचने के लिए 31 दिसम्बर, 1982 के आंकड़ों के आधार पर दर्जा बढ़ाने के सभी मामलों का पुनरीक्षण करने का विचार है ?

संचार मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) मुजफ्फरनगर मुख्य डाकघर का द्विभाजन कर 1 मार्च, 1981 को शामली में एक नया मुख्य डाकघर स्थापित कर दिया गया था।

(घ) जी नहीं।

(ड.) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

खान अधिनियम में संशोधन

*504. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री नारायण चौबे : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खानों में काम करने के दौरान विकलांग होने वाले कार्मिकों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था, करने हेतु खान अधिनियम, 1952 में संशोधन करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस विधेयक को कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है ; और

(ग) इस संशोधित अधिनियम के अधीन खानो में काम करने वाले मजदूरों को अन्य क्या सुविधाएं दिए जाने की संभावना है ।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) से (ग) सरकार के पास खान अधिनियम, 1952 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। संशोधी विधेयक के शीघ्र पेश किए जाने की संभावना है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ परिस्थितियों में वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करने का उपबन्ध होगा । इस समय विधेयक के बारे में और ब्यौरे देना संभव नहीं है ।

राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालय के बीच टेलीफोन सम्पर्क

*505. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **संचार मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन ज़िला मुख्यालयों की संख्या कितनी है जिनका अपने राज्यों की राजधानियों से सीधे टेलीफोन सम्पर्क है और इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत जिला मुख्यालयो के अपने राज्यों की राजधानियों से सीधे टेलीफोन सम्पर्क होंगे ;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम है जिनमें इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की कोई योजनाबनाने पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) (क) देश में 22 राज्यों के कुल 393 जिलों में से 375 जिले अपने राज्य की राजधानियों के साथ जुड़े हुए हैं) । (इसमें राज्यों की वे राजधानियां भी शामिल है जो जिला मुख्यालय भी हैं) । 18 जिला मुख्यालयों की सूची विवरण रूप में जो अपने सम्बन्धित राज्य की राजधानियों से नहीं जुड़े हैं, विवरण रूप में सभा-पटल पर रखी गई है ।

(ख) जी हां।

(ग) सभी राज्य।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण

ऐसे जिला मुख्यालयों के नाम जो अपने संबंधित राज्य की राजधनियां के साथ नहीं जुड़ हैं।

क्रम सं०	जिला मुख्यालय का नाम	राज्य
1.	तामेंगलांग	मणिपुर
2.	विलियमनगर	मेघालय
3.	फेक	नागालैंड
4.	जुनहोलोटो	,,
5.	मोन	,,
6.	त्यूसांग	,,
7.	पौड़ी गढ़वाल	उत्तर प्रदेश
8.	उत्तर काशी	,,
9.	ललितपुर	उत्तर प्रदेश
10.	पिथौरागढ़	,,
11.	जालौन (मुख्य)	,,
12.	टिहरी गढ़वाल	,,
13.	राजौरी	जम्मू कश्मीर
14.	पुंछ	,,
15.	कठुआ	,,
16.	केलांग	हिमाचल प्रदेश
17.	काल्पा	,,
18.	गाडचिरौली	महाराष्ट्र

टेलीविजन रिले केन्द्र, जम्मू का अवरुद्ध हो जाना

507 **श्री पी० नामग्याल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नए टेलीविजन रिले केन्द्र, जम्मू, जिसे चैनल 10 आबंटित किया

गया है, को पाकिस्तान द्वारा उसी चैनल का उपयोग कर हाल ही में चालू किए गए सियालकोट टेलीविजन केन्द्र द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा है।

(ख) क्या पाकिस्तान द्वारा मेरे हथकण्डे अपनाना अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमन्त्री तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्यमंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सीमा पार चैनल 10 पर प्रचालित ट्रांसमीटर से जम्मू स्थित अल्प शक्ति वाली दूरदर्शन संग्रहण-व-रिले पद्धति में हस्तक्षेप फरवरी, 1983 से देखा गया है।

(ख) और (ग) : रेडियो/टेलीवीजन आवृत्तियों को संचार मंत्रालय के वायरलैस प्लानिंग एण्ड कोआडिनेशन विंग द्वारा इन्टरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन, जनेवा की इन्टरनेशनल फ्रीक्वेंसी रजिस्ट्रेशन बोर्ड नामक एजेंसी के पास पंजीकृत कराया जाता है। सीमा पार पहले ही पंजीकृत आवृत्तियों को देखते हुए दूरदर्शन ने, संचार मंत्रालय के वायरलैस प्लानिंग एण्ड कोआ-डिनेशन विंग के परामर्श से जम्मू स्थित रिले ट्रांसमीटर के लिए एक वैकल्पिक चैनल 12 समन्वित किया है। आवश्यक संपरिवर्तन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जिसके शीघ्र मुकम्मल होने-की उम्मीद है।

उत्तर बिहार और बिहार के शेष भागों में बिजली की खपत

*508. **श्रीभोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मन्त्री विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और विभिन्नश्रोतों से बिजली के उत्पादन और इसकी प्रति व्यक्ति उप लब्धता के बारे में क्रमश: दिनाँक 7 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6628 और दिनांक 9 मार्च, 1982 के आतारांकित प्रश्न संख्या 2752 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के शेष भागों और समूचे देश की तुलना में उत्तर विहार को विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता में पाई गई भारी असमानता को दूर करने के लिए क्या बिशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

श्री पी० शिवशंकर ऊर्जा मन्त्री : उत्तरी विहार में विद्युत की उपलब्धता निम्नलिखत कार्यो के जरिए बढ़ाई जा रही है; (क) मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र (2x110 मेगावाट) की स्थापना करना।

(ख) बरौनी विद्युत केन्द्र में (2x110 मेगावाट) की क्षमता बढ़ाना तथा (ग) उत्तरी बिहार में पारेषण प्रणाली को सशक्त बनाना।

बिहार में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त कदम उठाये जा रहे हैं। :—

(क) पतरातू ताप विद्युत केन्द्र में (2x110 मेगावट) कीं अतिरिक्त क्षमता सृजित की जा रही है।

(ख) तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना (2x210 मेगावाट) को राज्य योजना के अन्तर्गत हाथ में लिया गया है ।

(ग) कोयलकारो जल विद्युत परियोजना (710 मेगावाट) को केन्द्रीय सेक्टर में हाथ में लिया जाना है ।

(घ) केन्द्रीय क्षेत्र के फरक्का ताप विद्युत केन्द्र तथा भूटान में चूखा जल विद्युत परियोजना से भी बिहार को विद्युत का आबंटन किया जाएगा ;

(ङ) पतरातू तथा बरौनी में विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में पाय गये तेल के उपयोग की योजनायें

509. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसी उपयुक्त एजेंसियों की स्थापना के लिये कोई अग्रिम आयोजना की है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन में पाये गये तेल का जब वाणिज्यक उपयोग आरम्भ हो तो राज्यों द्वारा उसका पूरा उपयोग किया जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन राज्यों में आधार ढांचे की स्थापना करने का है ताकि तेल तथा उसके उपोत्पादों का उपयोग उत्पादन स्थलों के निकट हो सके ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में आन्ध्र प्रदेश के लिये तैयार की गई योजनाओं के ब्यौरे क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) से (ग) : कृष्णा-गोदावरी नाले में खुदाई के फलस्वरूप, तटीय क्षेत्रों में दो कूपों में हाइड्रोकार्बनों की विद्यमानता के इन संकेतों के अतिरिक्त अपतटीय क्षेत्रों में दो कूपों में हाइड्रोकार्बनों की विद्यमानता स्थापित की गई। हाइड्रोकार्बनों के इन संकेतों से प्रोत्साहित होकर, थाले में अन्वेषी प्रयास तेज किये गये हैं। थाले की क्षमता का पूर्ण रूप से मूल्यांकन किये जाने और इसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता स्थापित किये जाने से पूर्व कई और कूपों की खुदाई की जानी होगी ?

केवल जब थाले की यह क्षमता, हाइड्रोकार्बनों का ढांचा और वाणिज्यिक व्यवहार्यता केवल स्थापित हो जायेगी तो इनके सही उपयोग के लिए अपेक्षित इन्फ्रास्ट्रक्चर की संक्षिप्त योजना तैयार करना सम्भव होगा ।

ऊर्जा संरक्षण

*510. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला, खनन उद्योगों तथा रेलवे में ऊर्जा के संरक्षण और बचत की बहुत अधिक गुंजाइश है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी संभावनाओं के ब्यौरे क्या हैं और कितनी सफलता प्राप्त की गई है तथा भावी लक्ष्य क्या है ; और

(ग) क्या उपरोक्त तीन क्षेत्रों में हमारी गतिविधियां दक्षता तथा आदानों की दृष्टि से अन्य विकसित देशों के तुलनीय हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) कोयला, खनन उद्योगों तथा रेलवे में ऊर्जा के संरक्षण के लिए गुंजाइश है।

(ख) कोयला और खनन उद्योगों के मामलों में ऊर्जा के संरक्षण के उपायो में कर्षण के लिए अकुशल स्टीम इंजिनों के स्थान पर विद्युत द्वारा प्रचालित अधिक कुशल मशीनरी का प्रतिस्थापन तथा खानों में विद्युत पारेषण तथा वितरण ढांचे में सुधार करने के उपाय शामिल हैं। जहाँ तक रेलवे का संबंध है' ऊर्जा का संरक्षण स्टीम इंजिनों को क्रमिक रूप से समाप्त करके तथा उनको डीजल/विद्युत इंजिनों में बदल करके प्राप्त किया जाना है। किए गए विभिन्न उपायों से बचायी गई ऊर्जा की मात्रा का ठीक से मूल्यांकन करना संभव नहीं है। भविष्य में ऊर्जा की ऐसी बचत के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ग) कोयला और खनन उद्योगों में ऊर्जा का उपयोग बहुत से पहलुओं पर निर्भर करता है इसमें कोयला परतों की गहराई तथा मोटाई, भूमि के नीचे खनन की तुलना में खुले भाग का अनुपात तथा यांत्रिकी की मात्रा जैसी खानों की विशेषताएं शामिल हैं। जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, ईंधन की कार्यकुशलता, प्रचालन परिस्थितियों तथा उपयोग में लाए जाने वाले ईंधन के मिश्रण जैसे पहलुओं पर निर्भर करती है। ये पहलू अलग-अलग देश में भिन्न-भिन्न होते हैं तथा उपलब्ध आँकड़ों से ऊर्जा के प्रयोग की कार्यकुशलता के संबंध में स्पष्ट रूप से तुलना नहीं की जा सकती।

कलकत्ता में पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि

*511. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने कलकत्ता में दिनाँक 16 फरवरी, 1983 से पेट्रोल के खुदरा मूल्य में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह मूल्य वृद्धि अनधिकृत और गैर-कानूनी है क्योंकि इसकी सरकार द्वारा घोषणा नहीं हुई है ;

(घ) क्या कलकत्ता में पेट्रोल डीलरों ने विरोध में राज्य में सभी पंप बन्द करने की धमकी दी है ; और

(ङ) क्या उसी समय दिल्ली में पेट्रोल के मूल्यों में कमी आई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) और (ख) : कलकत्ता में पेट्रोल के फुटकर मूल्य

में 3 पैसे की वृद्धि 15.2.1983 से परिवहन प्रभार के समायोजन के कारण हुई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) रिपोर्टें थी कि कलकत्ता में पेट्रोलियम डीलर द्वारा 9 मार्च, 1983 से हड़ताल करने की धमकी दी गई थी परन्तु उक्त हड़ताल उनके प्रतिनिधियों को मूल्य वृद्धि का औचित्य स्पष्ट किये जाने के कारणों से नहीं हुई।

(ङ) मथुरा रिफाइनरी के चालू हो जाने से मथुरा रिफाइनरी को मूल्य निर्धारण प्वांइट घोषित किये जाने के फलस्वरूप दिल्ली में पेट्रोल के मूल्य 15.2.1983 से कम हो गये हैं। जिससे कोयाली, गुजरात रिफाइनरी के बजाय, जैसी कि 15 2 1983 से पूर्व की स्थिति थी, पेट्रोल के मूल्य मथुरा से की जाने वाली सप्लाई से जोड़े गये हैं।

कोयले के लिए मूल्य फार्मूला

*512. **श्री कमला मिश्रा मधुकर** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के लिए युक्तिसंगत मूल्य फार्मूला बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) और (ख) : औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो से अनुरोध किया गया है कि वह कोयले की समुचित कीमतों के लिए सिफारिश करने की दृष्टि से कोयला उद्योग में उत्पादन की लागत का अध्ययन करे। उनकी रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।

*513 **श्री भीम सिंह**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह } : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले का उपयोग करने वाले अनेक उपक्रमों/संगठनों से कोयले की घटिया किस्म के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा की गई कर्यवाही के फलस्वरूप कोई सफलता मिली है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) (से) (ग) कोयला उपभोक्ताओं और विशेषकर ताप बिजली घरों और इस्पात संयंत्रो से समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो उन्हें घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई के सम्बन्ध में है। यह शिकायतें अन्य बातों के साथ-2 इन बातों से संबद्ध थीं— उच्चतर राख वाले कोयले की सप्लाई, सप्लाई किए गए कोयले में जरूरत से बड़े आकार के टुकड़े होना और बाहरी सामग्री होना।

कोयले की जन्म-जात किस्म में क्रमश. गिरावट आई है जिसका कारण हैं कोयले के बेहतर

किस्म के भंडारों का समाप्त होना और निम्न ग्रेड का कोयला निकालने के लिए नई खानें खुलना । कोंयले में जरूरत से बड़े आकार के टुकड़ों और बाहरी सामग्री मौजूद होने का कारण यह है कि ओपेनकास्ट खानों के लिए कोयले के खनन और लदान का व्यापक यंत्रीकरण हो गया है । कोयले की किस्म में सुधार करने के उद्देश्य से अपनाए जा रहे अल्पकालीन उपाय हैं श्रमिकों से कोयले के बड़े टुकड़ों को तुड़वाना और बाहरी सामग्री को अलग करना । दीर्घ-कालीन उपाय के रूप में, कोयला रख-रखाव संयंत्रों की स्थापना के लिए एक कार्य-क्रम आरभं किया गया है और इस कार्यक्रम में जहां जरूरत हो वहां कोयले को सही आकार देने और उसकी छनाई के लिए प्रावधानहैं । इस समय कोल इंडया लि० में उत्पादित लगभग 40% कोयलें का रख रखाव उन कोयला रख रखाव संयंत्रों द्वारा किया जा रहा है जो संस्थापित किए जा चुके हैं और यह प्रतिशत आगामी वर्षो में क्रमश: बढ़ जाएगा । इस प्रकार अपनाए गए उपायों के परिणामस्वरूप वे शिकायतें काफी कम हो गई हैं जो कोयला सप्लाई में जरूरत से बड़े आकार के टुकड़े होने और बाहरी सामग्री मौजूद रहने के संबध में होती थीं ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

5606. **श्री अजय विश्वास**
श्री नरायण चौबे] : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को शिकातें मिली हैं कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के ऐसे वितरकों के भेदभाव पूर्ण ढंग से समान सप्लाई किया जाता है जिन्हों ने फुल लाईन फोर्सिग टाई-अप डम्पिगं का विरोध किया है अथवा आयोग से सरंक्षण मागा है ; और

(ख) यदि हाँ तो व्यापार में उन देश भक्ति से प्रेरित तत्वों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विधी न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) तथा (ख) मै० हिन्दुस्तान लवीर लिमिटेड के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यपारिक व्यवहार आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतें, तथा जांच के परिणाम, प्रदर्शित करते हुये, एक विवरण पत्र संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए एल० टी० 6290/83]

पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए कार्य दल की स्थापना

श्री ०जी ०वाई कृष्णन : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए दुत कार्यक्रम तैयार करने हेतु हाल ही में दो कार्य दल बनाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) क्या इस संबंध में कुछ स्वैच्छिक संगठनों अथवा एजेन्सियों से सम्पर्क किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क): जी, हाँ ।

(ख) कार्यदलों में गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश के प्रतिनिधियां के अलावा कृषि और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक कृषि वित्त निगम और सिंचाई मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हैं । सौर तापीय ऊर्जा के कार्य दल में इन के अलावा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, राष्ट्रीय अधौगिक विकास निगम, उत्तर पूर्वी परिषद और सिंडिकेट बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल हैं ।

(ग) प्रत्येक राज्य में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय राज्य सरकारों के परामर्श से स्वैच्छिक संगठनो के संबध में भी विचार किया जाएगा ।

एस्बेस्टास के हानिकर प्रभाव

5607. **श्री पीयूष तिरकी**
प्रो० पी. जे. कुरियन : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस्बेस्टास की हैंडलिंग के लिए कोई सुरक्षा विनियम निर्धारित नहीं किए गए हैं, हालांकि इस बात की जानकारी है कि इससे फेफड़ों का रोग तथा केन्सर होता है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक सरकारी एजेंसी ने यह पता लगाया है कि एस्बेस्टास के कारखानों में सात से पचास प्रतिशत एस्बेस्टास मजदूरों पर एस्बेस्टास की धूल एवं धूएं का कुप्रभाव पड़ता है ; और

(घ) यदि हाँ, तो एस्बेस्टास मजदूरों को एस्बेस्टास के घातक प्रभावों से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुर्नवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) (क) और (ख) : कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 87 के अधीन आदर्श नियमावली की अनुसूची Xiv में एस्बेस्टास के हैंडलिंग तथा प्रोसेसिंग तथा किसी अन्य प्रक्रिया, जिसमें एस्बेस्टास का किसी कारखानों में किसी रूप में प्रयोग किया जाता है, के लिए सुरक्षा और बचाव उपायों की विस्तृत रूप से व्यवस्था की गई है । उन राज्य सरकारों ने, जहाँ एस्बेस्टास के हैंडलिंग या प्रोसेसिंग करने वाले अधिकांश कारखाने स्थित हैं, पहले से ही एस्बेस्टास श्रमिकों के बचाव, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उक्त आदर्श नियमों के समान नियम बताए हैं ।

(ग) और (घ) अहमदाबाद स्थित एस्बेस्टास कारखाने में राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, 46 प्रतिशत श्रमिक अनेक प्रकार के

श्वसन रोगों से पीड़ित हैं। तथापि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, 5 से 6 संभव रोग लक्षण हो सकते हैं और केवल उन्हीं एस्बेस्टास श्रमिकों के संबंध में जिन्हें पाँच में से कम से कम दो रोग लक्षण हो एस्बेस्टास का सुस्पष्ट मामला माना जा सकता है। राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान की रिपोर्ट में ऐस्बेस्टोसिस के ऐसे विशेष मामले निर्दिष्ट नहीं हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे प्रदूषणों की सहनता के अनुज्ञेय स्तर के बारे में नियमों में उपबंध समाविष्ट करें। ऐस्बेस्ओसिस को कारखाना अधिनियम की धारा 89 और 90 के अधीन अधिसूचित बीमारियों की अनुसूची में शामिल किया गया है।

डाक सेवाओं के विस्तार के लिए धनराशि

5608. **श्री एन० ई० होरो : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने 1982-83 के दौरान देश में डाक सेवाओं के विस्तार के लिए कुछ धनराशि अनुमोदित की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में में उपमत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) वार्षिक योजना 1982-83 के अंतर्गत डाक सेवाओं के लिए 29 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दे दी गई है। इसमें से 2.10 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं के विस्तार पर खर्च की जानी है। शेष रकम, डाक क्षेत्र की अन्य योजनाओं/परियोजनाओं जैसे डाक इमारतों पर स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण, डाक सेवाओं के मशीनीकरण/आधुनिकीकरण; प्रशिक्षण, डाक मोटर वाहन और रेल डाक वाहनो आदि पर खर्च की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित लक्ष्यों को स्वीकृति दे दी गई है :—

	योजना का नाम	वास्तविक लक्ष्य
(एक)	खोले जाने वाले ग्रामीण डाकघरों की संख्या	1000
(दो)	ग्रामीण डाक वितरण सेवाओं में सुधार लाने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की संख्या	1000
(तीन)	संस्थापित किए जाने वाले ग्रामीण लेटर बक्सों की संख्या	1000
(चार)	ग्रामीण चल डाकघरों के माध्यम से जिन ग्रामों में डाक सुविधाएं प्रदान की जानी हैं, उनकी संख्या	2000
(पांच)	नियुक्त किए जाने वाले प्लान मानीटरिंग निरीक्षकों की संख्या	10

दूर-दराज के क्षेत्रों में उचित दरों पर लोगों को दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधी योजनाएं।

*5609 **श्री के० प्रधानी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाएँ बनाई हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों विशेष उस से दूर-दराज के क्षेत्रों जनजातियों आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े क्षेत्र के लोगों को समय पर और उचित दामों पर दवाएँ उपलब्ध होती हैं

(ख) यदि हां तो क्या इस संबंध में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बल दिया गया है , और

(ग) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

रसायन उर्वरक मंत्री श्री वंसत साठे : (क) से (ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और, उपकेन्द्रों ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों उच्च श्रेणीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सहायक स्वास्थ्य केंद्रों के जाल के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों कबीला क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों सहित ग्रीमीण क्षेत्रों में मूल औषधें और दवाईयां मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना तक, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाओं के लिए रु० 28,000 प्रति वर्ष का प्रावधान था। 12.000/-रुपये प्रति वर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 2,000/- रुपये प्रति वर्ष उपकेन्द्र के लिए जो कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 8 थे।

छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान, दवाइयों के लिए अतिरिक्त प्रावधान की अनुमति दी गई है, जो निम्न प्रकार है :—

	रुपये
1. स्वास्थ्य गाइड योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी. एच. सी.) के लिए।	6000.00
2. लगभग 12 अतिरिक्त उपकेन्द्रों, जो छठी योजना के दौरान खोले जाने हैं, के लिए (74 प्रतिशत पी. एच. सी. इसके अन्तर्गत आएंगे।	24,000.00
3. स्वास्थ्य गाइडों के लिए 600 रुपये प्रति वर्ष प्रति गाईड की दर से, एक पी. एच. सी. में औसतन 80 स्वास्थ्य गाईड (सभी पी. एच. सी. में लागू।)	48,000.00
4. समाज कल्याण मंत्रालय की आई. सी. डी. एस. योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जहां योजना लागू हो।	22,500.00
	रुपये 100,500.00

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र के अन्तर्गत दवाइयों पर व्यय 28,000/- रुपये से बढ़ा कर 1,28,500/- रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मलेरिया, कोढ़, तपेदिक, प्रति-

रोधक, अंधापन, विटामिन ए, विटामिन सी और एनीमिया के विरुद्ध प्रोफाइलेक्स के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी दवाइयां उपलब्ध होती हैं। बध्याकरण और आई. यू. डी. मामलों के लिए आवश्यक औषधियां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में औषधों और भेषजों के विक्रय के लिए वितरकों, थोक विक्रेताओं, खुदा कैमिस्टों जैसे व्यापार विक्रय केन्द्रों की एक शृंखला कार्य कर रही है। औषधों और भेषजों के मूल्यों पर सरकार द्वारा औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के अन्तर्गत सांविधिक नियन्त्रण किया जाता है। मूल्य निर्धारित करते समय, सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह उचित तथा तर्कसंगत हो।

'ड्रिलिंग बिट्स' की चोरी

5610, **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के उच्च अधिकारी कई वर्षों से हो रही 'ड्रिलिंग बिट्स' की चोरी से अवगत नहीं हैं और उनकी कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है;

(ख) क्या इसमें उनके स्वयं शामिल होने या लापरवाही के कारण हानि को गुप्त रखा जा रहा है; और

(ग) तेल की पहले हुई चोरियों को देखते हुए क्या उपचारात्मक कार्यवाही सरकार के ध्यान में है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) द्वारा जब कभी ड्रिलिंग बिट्स आदि की चोरी हुई है, पुलिस के पास रिपोर्टें दर्ज कराई गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने चोरियों को रोकने के लिए गश्ती दलों की संख्या बढ़ाकर और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, बी० एस० एफ० (सीमा सुरक्षा दल) और गुजरात पुलिस द्वारा गश्त तेज करके ग्राम रक्षक दल जैसी ग्राम सुरक्षा दलों की सेवाओं का उपयोग करके, जंक्शन प्वाइंटों पर तथा तेल क्षेत्रों (नाका बंदी) को जाने वाली सड़कों पर वाहनों की जांच-पड़ताल करने के लिए एस० आर० पी० को लगाना, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करके, पश्चिम क्षेत्र में उत्पादन न करने वाले बन्द कूपों को कूप कम्पलीशन फलयूइड जो संघटन को हानि पहुंचाए बिना बन्द करने के कई औपचारिक उपाय किए गए हैं। इन उपायों के फलस्वरूप. चोरियों की संख्या कम हो गई है। आगे और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए आयोग में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल लगाने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा हेलीकाप्टर किराए पर लिया जाना

5611. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा खाड़ी के देशों की एक फर्म से हेलीकाप्टर किराये पर लिए जाने की ओर आकर्षित किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार समझती है कि आयल इण्डिया लिमिटेड की ये कार्यवाहियां लोक हित और सार्वजनिक धनराशि की रक्षा के लिए सरकार द्वारा बनाई गई व्यापक नीतियों और सार्वजनिक क्षेत्रों को दिए गए निर्देशों के अनुकूल हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रधान मन्त्री के भ्रष्टाचार विरोधी नये कार्यक्रमों के तहत समुचित कार्यवाही करने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार नये बीस-सूत्री कार्यक्रम के अधीन लोक धन को अपव्यय और संसाधनों को हानि होने से बचाने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) जी, हां। अन्य निविदाकारों के साथ-साथ मैसर्ज गल्फ हेलिकाप्टर्स के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया था परन्तु चूंकि दरें अधिक पायी गयी थीं, आयल इण्डिया लिमिटेड ने निविदाएं पुनः आमन्त्रित करने का निर्णय किया है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में कास्टिक सोडा बनाने के एक संयंत्र की स्थापना।

5612. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि एक प्रमुख जापानी फर्म के सहयोग से आंध्र प्रदेश में कास्टिक सोडा बनाने का एक संयंत्र स्थापित किया जाए, और

(ख) यदि हां, तो उक्त सहयोग की शर्तें क्या हैं और यह संभवतः कब तक चालू हो जाएगा।

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) और (ख) : मैसर्स आंध्र प्रदेश इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को 33,000 टन प्रति वर्ष कास्टिक सोडा निर्मित करने के लिए एक नये उपक्रम की स्थापना करने के लिए एक आशय-पत्र दिया गया है। निगम का कास्टिक सोडा का निर्माण 'मैम्बरेन सैल' प्रक्रिया द्वारा करने का प्रस्ताव किया है और इस प्रक्रिया के लिए प्रौद्योगिकी, मैसर्स असाही कैमिकल इन्डस्ट्रीज कम्पनी, जापान, से प्राप्त करने का प्रस्ताव है। एक मुश्त 309.375 मिलियन जापानी येन, कराधान के अन्तर्गत, भुगतानी करके जानकारी प्राप्त करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। भारतीय कम्पनी ने जापानी

कम्पनी से करार कर लिया है। मैसर्स ए० पी० आई० डी० सी० इस संयंत्र को 1984 के अन्त तक आरम्भ करने की आशा रखते हैं।

कोयले का निर्यात और उसका उत्पादन

5613 **श्री चिंतामणि जेना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1980-81, 1981-82, 1982-83 के वर्षों में कोयले के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कोयले का निर्यात किया जा रहा है, यदि हां, तो वर्ष 1982-83 के दौरान किस किस्म के कोयले का और कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(घ) क्या वर्ष 1983-84 के दौरान कोयले का निर्यात करने के लिए कोई समझौता किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) : वर्ष 1980-81 से 1982-83 के दौरान देश में कोयले का वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े मिलियन टनों में)

वर्ष	उत्पादन
1980-81	114 00
1981-82	124.90
1982-83	115.17 (फरवरी, 1983 तक)

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें यह बातें शामिल हैं—आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि, नई खानों की मंजूरी, बंगाल, बिहार कोयल क्षेत्रों में ग्रहीत बिजली उत्पादन क्षमता की स्थापना, कामगारों को मशीनरी की उत्पादकता में सुधार करना, कोयला खनन उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता करना और अनुपस्थिति की प्रवृत्ति कम करना।

(ग) और (घ) : देशों में कोयले की मांग में वृद्धि को देखते हुए पारस्परिक खरीदारों, अर्थात् बांगला देश, भूटान और नेपाल से इतर अन्य देशों को कोयले का निर्यात करने के लिए व्यापार समझौते नहीं किए जा रहे हैं। वर्ष 1982-83 (अप्रैल-जनवरी, 1983) के दौरान अकोककर कोयले के निर्यात की कुल मात्रा 1.10 लाख टन है। देश में विशेष किस्म के कम ऊष्मा वाले (एस० एल० वी०) कोयले की पर्याप्त उपलब्धता और इस प्रकार के कोयले की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि ऐसा कोयला प्रति वर्ष 5 लाख टन तक निर्यात के लिए प्रस्तुत किया जाए। इस कोयले की थोड़ी मात्रा दक्षिण कोरिया और श्री लंका को निर्यात की गई है और भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम से कहा गया है कि वे इस प्रकार के

कोयले के निर्यात में वृद्धि करने की संभाव्यता का पता लगाएं ।

अरब सागर में गैस भंडार

5614. **श्री अर्जुन सेठी : क्या ऊर्जा मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल में अरब सागर में प्राकृतिक गैस भण्डारों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में समुद्र तल में इस समय स्थित हाइड्रोकार्बन युक्त संरचनाओं के ब्यौरे क्या हैं, जिनके कारण इस नई खोज को देखते हुए तेल की खोज का महत्त्व और अधिक हो गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) बम्बई हाई के पश्चिम में स्थित डी-12 संरचना में एक कूप को खोदा गया है जिससे गैस और कन्डेन्सेट का उत्पादन आरम्भ हुआ है ।

(ख) इसलिए डी-12 के समीप दो संरचनाओं में हाइड्रोकार्बनों के मिलने की संभावना बढ़ गई है । तथापि इसी प्रवृति के कई अन्य संरचनाएं हैं जिनका अभी भूकम्पीय सर्वेक्षण द्वारा सही रूप में मान चित्रण किया जाना है ।

बम्बई हाई के लिए विश्व बैंक का ऋण

5615. **श्री नवीन राणी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भारत की दक्षिण बेसिन क्षेत्र में प्रथम बड़ी गैस विकास परियोजना, बम्बई हाई, के लिए ऋण अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो उस ऋण की राशि कितनी है;

(ग) तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ?

(घ) इस क्षेत्र से पैदा की जाने वाली गैस की मात्रा कितनी होगी; और

(ड.) इसका उपयोग करने के संबंध में सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) :

(क) जी हां ।

(ख) 222.3 मिलियन अमरीकी डालर ।

(ग) परिवर्तनशील ब्याज दरों पर, 5 वर्ष की ग्रेस अवधि सहित इस राशि का भुगतान 20 वर्ष में किया जाएगा ।

(घ) उन्मुक्त उत्पादन प्रतिदिन 5 मिलियन घन मीटर के स्तर तक पहुंचने की आशा है,

(दक्षिण बसीन गैस क्षेत्र विकास कार्यक्रम के चरण-1 के दौरान) जिसके एक भाग को विश्व बैंक द्वारा वित्त व्यवस्था की जानी है ।

(ड.) गैस को उर्वरक तथा पेट्रो रसायनों के उत्पादन के लिए भरण-सामग्री के रूप में प्रयोग करने का प्रस्ताव किया गया है ।

बहारदुगढ़ में टेलीफोन एक्सचेंज खोला जाना

5616. **स्वामी इन्द्रवेश : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि बहादुरगढ़ में टेलीफोन एक्सचेंज के निर्माण के लिए एक भूखण्ड का अधिग्रहण 7-8 वर्ष पूर्व किया गया था;

(ख) क्या नए एक्सचेंज की स्थापना के पश्चात् प्रतीक्षा सूची वाले सभी आवेदनों को टेलीफोन दे दिए जायेंगे; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) (क) जी हां ।

(ख) प्रस्तावित एक्सचेंज से अधिकांश आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाएंगे ।

(ग) एक्सचेंज के 1986 के दौरान चालू होने की संभावना है ।

बैकुंठपुर तथा विश्रामपुर कोयला खानों में कोयले के भंडार में कमी

5617 **श्री केयूर भूषण** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैकुंठपुर तथा विश्रामपुर कोयला-खानों में 17 अगस्त, 1981 को कोयले के भंडार में कितनी कमी पाई गई;

(ख) इन कोयला खानों में जुलाई, 1982 में कोयले के भंडारों में कितनी कमी पाई गई;

(ग) क्या जुलाई, 1982 में भंडार में यह कमी एक लाख टन से अधिक थी;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ड.) सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) और (ड.) अधिक रिपोर्ट करने और कोयले का स्टाक कम होने/सत्यापन करने का एक मामला जानकारी में आया है जो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के विश्रामपुर एरिया के संबंध में है । आरंभिक जांच के आधार पर सात अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है । कोयला कंपनी ने उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई शुरू कर दी है ।

(ख) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों आदि सहित गरीब लोगों को उपलब्ध कराई गई कानूनी सहायता

5618. **श्री लक्ष्मण वर्मा** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों द्वारा कानूनी सहायता तथा कानूनी परामर्श उपलब्धता कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 1980-82 के दौरान कितनी राशि मंजूर की गई और इस प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश को अब तक कितनी राशि प्रदान की गई;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हरिजनों तथा आदिवासियों को उनकी वित्तीय स्थिति को ध्यान से रखे बिना मुफ्त कानूनी सहायता और कानूनी परामर्श उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार आदिवासी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को गहन करने तथा युद्ध स्तर पर कार्यान्वित करने पर जोर देने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार आदिवासियों को प्रत्येक मामले में कुछ मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की भी है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) 1980-82 के दौरान, विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली उच्चतम न्यायालय कानूनी सहायता समिति और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधिक सहायता और सलाह बोर्डों को सहायता अनुदान देने में 8,80,983 रुपए की रकम खर्च की गई है। मध्य प्रदेश सरकार को अभी तक कोई रकम मंजूर नहीं की गई है। मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय समिति से वित्तीय सहायता प्राप्त करे।

(ख) से (घ) कानूनी सहायता स्कीमों को क्रियान्वित करने वाली केन्द्रीय समिति द्वारा तैयार की गई आदर्श स्कीम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जातियों और खानाबदोश जनजातियों को, उनकी आय और साधनों के संबंध में अधिकतम सीमा नियत किए बिना ही कानूनी सहायता प्रदान करने की योजना है। केन्द्रीय समिति पराविधिकों के विशेषतः ग्रामीण निर्धनों और आदिवासियों को प्रशिक्षण देने पर अधिक जोर दे रही है। मध्य प्रदेश में निर्धनों की कानूनी सहायता के लिए विद्यमान स्कीम के अधीन भूमिहीन कृषि श्रमिकों को और ग्रामीण शिल्पियों को कानूनी सहायता दी जाती है किन्तु अन्य लोगों को साधन संबंधी ऐसी जांच का समाधान करना होता है जिसके अनुसार कानूनी सहायता का पात्र व्यक्ति ऐसे परिवार का सदस्य हो, जिसकी मासिक आय 200 रु० से अधिक नहीं है या ऐसे परिवार के पास, आय के किसी अन्य स्रोत के न होने की दशा में सिंचाई वाली भूमि एक हैक्टेयर या असिंचित भूमि दो हैक्टेयर से अधिक नहीं हो।

महाराष्ट्र में भत्स जल परियोजना

5619. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने तथा बम्बई नगर में जल की सप्लाई को तेज करने, थाने जिले को सिंचाई का जल उपलब्ध कराने और साथ ही बिजली के उत्पादन करने आदि बातों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भत्सा जल विद्युत परियोजना के नाम से एक बहु-उद्देशीय सिंचाई योजना की रूपरेखा बनाई थी तथा उसे मंजूरी के लिए केन्द्र को भेजा था;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त तीन घटकों में से प्रत्येक का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना में कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) इस परियोजना के लिए केन्द्र से कब तक मंजूरी मिल जाने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) बम्बई महानगरीय क्षेत्र को पानी की सप्लाई में बढ़ोत्तरी करने के लिए भत्स परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इससे बम्बई महानगरीय क्षेत्र को प्रतिदिन 300 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई होगी तथा महाराष्ट्र के कोकन क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी। भत्सा जल-विद्युत परियोजना में भत्सा परियोजना से विमोचित पानी का समुपयोजन विद्युत उत्पादन के लिए करने का प्रस्ताव है। 15 मेगावाट की 1 यूनिट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाले विद्युत केन्द्र से 62.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा का वार्षिक उत्पादन होगा। परियोजना की अनुमानित लागत 1224.8 लाख रुपये है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्कीम को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

कम्पनी पंजीयक पटना के कार्यालय का दर्जा बढ़ाया जाना

5620. **श्री रामावतार शास्त्र** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी पंजीयक कार्यालयों का भिन्न-भिन्न वर्गों में वर्गीकरण करने का आधार क्या है,

(ख) क्या पटना कार्यालय का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष लम्बित है; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) कंपनी रजिस्ट्रारों के कार्यालयों का इस प्रकार के भिन्न-भिन्न वर्गों में वर्गीकरण नहीं किया गया है। तथापि, इन कार्यालयों में केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा, जिसकी संरचना चार ग्रेडों, यथा=ग्रेड—I, II, III व Iv में की गई है, के अधिकारी पदारूढ़ होते हैं। कम्पनियों की संख्या, कार्य-भार तथा

कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की प्रकृति युक्त आधार पर, केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा के समुचित ग्रेड के अधिकारियों को इन कार्यालयों का कार्य-भार संभालने के लिए, स्थित किया जाता है।

(ख) तथा (ग) : वर्तमान में कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ग्रेड "डी" के स्टेनोग्राफरों को ग्रेड 'सी' स्टेनोग्राफरों के रूप में पदोन्नति

5621. **श्री उत्तम राठौर: क्या संचारमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या फरवरी, 1982 में गृह मंत्रालय ने सभी मन्त्रालयों को ये निर्देश जारी किये थे कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वर्ष 1974 बैच से सम्बद्ध ग्रेड 'डी' के स्टेनोग्राफरों को दीर्घावधि/नियमित आधार पर ग्रेड 'सी' स्टेनोग्राफरों के रूप में पदोन्नत कर दिया जाए;

(ख) यदि हां तो, क्या निर्देश का पूर्णत: कार्यान्वयन हो गया है तथा कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपरोक्त आदेशों के कार्यान्वयन में हो रहे विलम्ब के क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नियमित प्रोन्नति के क्षेत्र में इस मंत्रालय ने केवल 2 ग्रेड 'घ' आशुलिपिक आए। इनमें से एक को नियमित आधार पर प्रोन्नत कर लिया गया है और दूसरे की प्रोन्नति के मामले पर कार्रवाई हो रही है।

इस मंत्रालय के 27 कर्मचारियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ग' में लम्बी अवधि की प्रोन्नति के क्षेत्र में शामिल किया गया। क्योंकि फरवरी 1982 में लम्बी अवधि के रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं थे अत: सम्बन्धित कर्मचारियों से उनकी अन्य मन्त्रालयों/विभागों में उपलब्ध लम्बी अवधि के रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए विकल्प मांगा गया था। केवल एक कर्मचारी ने ही दूसरे संवर्ग में नामजदगी के लिए अपना विकल्प दिया और उनका सेवा विवरण कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को भेज दिया है। उपर्युक्त 27 कर्मचारियों में से अब तक 22 कर्मचारी ग्रेड 'ग' आशुलिपिक के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर तदर्थ आधार पर प्रोन्नत कर दिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में शाखा डाकघर खोलना

5622. **प्रो० नारायणचन्द्र पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में (जिलेवार) उन पंचायतों के नाम क्या हैं जिनके क्षेत्राधिकार में 1 जनवरी, 1983 तक एक भी डाकघर नहीं रहा।

(ख) क्या डाक अधिकारियों ने उनमें से प्रत्येक के कम से कम एक शाखा डाकघर उप-

लब्ध कराने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है : और

(ग) यदि हां तो सभी पंचायतों को इस प्रकार कबतक डाकघर प्रदान करा दिए जाएंगे कि ऐसी कोई पंचायत न रहे जिसके पास कम से कम एक डाकघर न हो ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल : (क) 1-1-1983 को हिमाचल प्रदेश में ऐसे 398 ग्राम पंचायतें थीं जिनके कार्यक्षेत्र में कोई डाकघर नहीं था । जिलेवार जानकारी अनुबंध में दे दी गई है ।

ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी.···(6291/83)

(ख) सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 और पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 1000 की न्यूनतम आबादी वाले ग्रामों जहां 3 किलोमीटर की दूरीके भीतर कोई डाकघर नहीं है, मैं डाकघर खोलने के सम्बन्ध में विचार किया जाता है, बशर्ते कि सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में लागत के कम से कम 25 प्रतिशत और पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 10 प्रतिशत की संभावित आमदनी हो। ऐसे ग्रामों, जो ग्राम पंचायत के मुख्यालय हैं, पर आबादीवाली शर्त लागू नहीं होती है । इन मानदंडों के आधार पर और निधि उपलब्ध होने पर प्रत्येक वार्षिक योजना के अन्तर्गत चरणवद्धरूप से ग्रामीण डाकघर खोले जा रहे हैं । इस बात की विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गई है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक डाकघर होना चाहिए । यह इस बात पर निर्भर करता है कि निर्धारित मानदण्ड प्रत्येक मामले में कहां तक पूरे होते हैं ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को मद्दे नजर देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश की ग्रेफाइट खानों में कार्य कर रहे श्रमिकों की संख्या

5623. **श्री ए० के० राय : क्या श्रम व पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1983 को देश की ग्रेफाइट खानों में कुल कितने श्रमिक कार्यरत थे : तथा तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या उनके लिए कोई मजूरी बोर्ड बना हुआ है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या और उनके लिए न्यूनतम कितनी मजूरी नियत है ।

(ग) क्या यह सच है कि ऐसी अधिकांश खानें बिहार के पलामाऊ जिले में हैं और इनके श्रमिक आदिवासी लोग हैं।

(घ) क्या यह सच है कि इन खानों के मालिकों के लिए कोई स्थाई आदेश नहीं दिए गए और उनके यदि कोई स्थायी रजिस्टर श्रमिकों के नामों की सूची और मजूरी के रिकार्ड की शीटें नहीं है : और

(ङ) क्या सरकार ने देश में विशेषत: पलामाऊ में ग्रेफाइट खानों के श्रमिकों की दशा के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है, यदि हाँ, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ड़) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने वाले अन्य उद्योगों की स्थापना करना

5624. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्यरत टेलीफोन का निर्माण करनेवाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक एकक में प्रतिवर्ष कितने टेलीफोनों का निर्माण होता है ;

(ख) देश में टेलीफोन उपकरणों की वार्षिक मांग क्या है ?

(ग) क्या यह सच है कि टेलीफोन उपकरणों का देश में टेलीफोन की मांग को पूरा करने के लिए आयात किया जा रहा है : और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितने टेलीफोन का आयात किया गया ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) इन दिनों मैसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के तीन एककों द्वारा टेलीफोन उपकरण बनाए जा रहे हैं ये एकक बंगलौर (कर्नाटक) नैनी (उ० प्र०) और श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) में है मेसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के उपर्युक्त तीन एक्कों द्वारा वर्ष 1981-82 में तैयार टेलीफोन उपकरणों का ब्यौरा नीचे दिया है ।

एक / बंगलौर एकक	—	2.85 लाख
दो / नैनी एकक	—	1.72 लाख
तीन / श्रीनगर एकक	=	0.245 लाख
	कुल	4.815 लाख

इसके अलावा मैसर्स गुजरात कम्यूनिकेशन्स एण्ड इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बड़ौदा को प्रति वर्ष 2 लाख टेलीफोन उपकरण बनाने के लिए एक औद्योगिक अनुज्ञप्ति जारी की गई है। परीक्षण के तौर पर उत्पादन शुरू हो गया है। मैसर्स केरल राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम त्रिवेन्द्रम, मैसर्स इलेक्ट्रानिक निगम तमिलनाडु, मद्रास और मैसर्स कर्नाटक इलैक्ट्रानिक विकास निगम, बगलौर प्रत्येक को प्रतिवर्ष 2 लाख टेलीफोन उपकरण बनाने के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं।

(क) छठी योजना अवधि के अंतिम 3 वर्षों में टेलीफोन उपकरणों की वार्षिक जरूरत नीचे दिखाई गई है :—

(लाख रुपयों में)

	डाकतार विभाग	डाकतार विभाग के अलावा	कुल
1982-83	5.81	0.87	6.68
1983-84	7.12	1.07	8.19
1984-85	8.38	1.25	9.63

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में केवल एक वर्ष अर्थात् 1980-81 में सीमित संख्या में टेलीफोन उपकरणों का अयात किया गया था और कुल 60,000 (साठ हजार टेलीफोन उपकरण आयात किए गए।

वाराणसी में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के बारे में हुई प्रगति

5625 **श्री जैनुल बशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाराणसी में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस केन्द्र से कार्यक्रमों का प्रसारण कब से आरम्भ होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) स्थान का अधिग्रहण कर लिया गया है और भवन के नक्शों को अंतिम रूप दे दिया गया है। टावर लगाने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गई है। उपकरणों के लिए आर्डर दे दिया गया है। माईक्रोवेव लिंक के लिए मांग डाक तार विभाग को भेज दी गई है।

(ख) वाराणसी में दूरदर्शन रिले केन्द्र के 1984-8 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

बंद पड़ी कुछ कोयला खानों का पुनः चालू किया जाना

5626 **श्री शिबु सोरन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एच० सी० एल० के अंतर्गत कोयले के पर्याप्त भंडार वाली कोयला खानें अर्थात (1) तराबाद (2) पलाशस्थली ग्रुप की 10 कोयला खानें (3) वारेगों (4) चिलागो (5) आर्मो (6) चतकाम (7) चूड़ी जिलवारी (8) जयन्ती ग्रुप की 4 कोयला खानें राष्ट्रीयकरण के बाद भी बंद पड़ी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि इन कोयला खानों को चालु किया जाए तो लाखो स्थानीय बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा ;

(ग) यदि हां, तो तो सरकार का उन्हें कब तक पुनः चालू करने का विचार है, और

(घ) यदि सरकार इन कोयला खानों को पुनः चालू नहीं कर रही है. तो उसकें क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में दूरसंचार टेलीफोन सेवा का विस्तार

श्री मातड सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में दूरसंचार (टेलीफोन) के विस्तार कार्य में अपेक्षित सुधार करना

संभव नहीं हो सका है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) जी हाँ। देश में उपस्कार कैबिल और टेलिफोन के अन्य साज समान की कमी के कारण दूरसंचार सेवाओं का पर्याप्त विकास संभव नहीं हो सका है। प्रत्येक राज्य में, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, टेलीफोन के लिए आवेदकों की लंबी प्रतीक्षा सूची है। इस दशक के अंत तक मांग पेश करते ही टेलीफोन प्रदान करने के उद्देश्य को सामने रखकर इलैक्ट्रोनिक स्विचन उपस्कर के विनिर्माण के लिए दो फैक्टरियां भूमिगत केबिल के विनिर्माण के लिए एक फैक्टरी स्थापित करने तथा टेलीफोन के अन्य साज समान के विनिर्माण में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

विदेशों/दूरदर्शन स्थापनाओं द्वारा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का प्रसारण

5628. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी बाहरी देश दूरदर्शन स्थापनाओं ने गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के कार्यक्रमों का प्रयोग करने अथवा प्रसारण करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एजेंसियों की सेवा के स्वरूप का ब्यौरा क्या है और इस हेतु उनसे कितना शुल्क प्राप्त हुआ ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी हाँ।

(ख) 37 देशों ने उपग्रह के माध्यम से टेलीकास्ट करने के लिए कार्यक्रम प्राप्त किए थे। 31 देशों ने वीडियो टेपों पर कार्यक्रमों की प्रतियां ली थी।

उपग्रह प्रेषणा 73 घंटे 28 मिनिट की अवधि का था तथा इस सेवा का शुल्क 46,100 अमरीकी डायर था। टेप की हुई प्रतियों का शुल्क 30,150 अमरीकी डालर था।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत "मस्टर रोल" कर्मचारियों को मुआवजा

5629. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत अपनी ड्यूटी करते समय आई चोटों अथवा मृत्यु के लिए "मस्टर रोल" कर्मचारी और उसके परिवार मुआवजे के भुगतान के हकदार हैं ;

(ख) : यदि हां, तो ड्यूटी करते समय आई चोटों अथवा मृत्यु के लिए "मस्टर रोल"

कर्मचारियों को किस प्रकार का मुआवजा दिया जाता है ;

(ग) : इस अधिनियम में दिए गए उपबन्धों का उल्लंघन करने पर क्या दंड दिया जाता है ;

(घ) : क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर मंत्रालयो/विभागों में अधिनियम के इन उपबन्धों का उल्लंघन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों को उदाहरणार्थ दंड देने का है ; यदि हां तो सक्षम प्राधिकरण का नाम क्या है और उनके मंत्रालय में इस मामले में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से प्रत्येक पर पिछले एक वर्ष के दौरान क्या कार्यवाही की गई ; और

(ड.) : यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके कारण क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की अनुसूची II में निर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजक के व्यापार या व्यवसाय के संबंध में नियोजित मस्टर रोल कर्मचारी नियोजन के दौरान लगी चोट के परिणाम स्वरूप हुंई नि:शक्तता या मृत्यु की सूरत में मुआवजे के हकदार होते हैं।

(ख) इस अधिनियम में अस्थायी नि:शक्तता के लिए 30/-रुपये से 175/-रु० तक अर्द्ध-मासिक अदायगी और स्थायी नि:शक्ता के लिए 10,080/-रु० से 42,000/-रु० तक की एक मुस्त अदायगी तथा मृत्यु होने पर 7-200/- रु० से 30,000/-रु० तक की राशि की अदायगी कों व्यवस्था है जो कर्मकार की औसत मासिक मजदूरी पर निर्भर है।

(ग) अधिनियम की धारा 4- क में यह व्यवस्था है कि यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन देय मुआवजे की राशि का भुगतान नही करता, तो उसें देय राशि पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का और साथ ही यदि आयुक्त की यह राय हो कि विलम्ब के लिए कोई न्यायोचित्य नहीं है, तो ऐसी रकम के पचास प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त राशि का दंड के रूप में भुगतान करना होगा। इस अधिनियम में निर्धारित रजिस्टर/विवरणों को न रखने न भेजने के लिए 500/-रुपये तक के जुर्माने की भी व्यवस्था मौजूद है।

(घ) और (ड.) : अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। अत. अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के बारे में सभी शिकायतों को संबंधित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त कार्यवाही के लिए भेजा जाता है।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3[3) के उपबन्धों का कार्यान्वयन

5630. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनके मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबन्धों का पालन होता है, यदि हां, तो पिछले एक साल में कितने सामान्य आदेश निर्गत किए गए और उनमें से

कितने (हिन्दी और अंग्रेजी) दोनों में किए गए,

(ख) पिछले एक साल में कुल कितने हिन्दी पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने पत्रों का जबाव हिन्दी में दिया गया,

(ग) मंत्रालय द्वारा कितने प्रकाशन/पत्रिकाएं निकाली गई और उनमें से कितने दोनों भाषाओं में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनो में प्रकाशित किए गए,

(घ) वर्ष 1968 के बाद कितने कार्यालय/संगठन स्थापित किए गए हैं और इनमें से कितनों को शुरू से ही भारतीय नाम दिए गए थे, और

(ड.) क्या सरकार ने राजभाषा अधिनियम, की धारा 3[3] का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां। गत एक वर्ष के दौरान 497 सामान्य आदेश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए थे।

(ख) गत एक वर्ष के दौरान हिन्दी में प्राप्त 188 पत्रों में से 109 पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया गया है और शेष पत्र या तो सूचनार्थ थे अथवा उत्तर देना अपेक्षित नहीं था।

(ग) यह मंत्रालय कोई प्रकाशन नहीं निकालता।

(घ) 1968 के पश्चात मंत्रालय ने 10 कार्यालय/संगठन स्थापित किए हैं, उनमें से 9 कार्यालयों/उपक्रमों के नाम हिन्दी/भारतीय हैं। स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि० नामक एक उपक्रम एक पुरानी कंपनी थी जो आई डी. एण्ड आर अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा 1978 में अधिग्रहित की गई थी। उसके उत्पादों की साख को बनाये रखने के लिए मामुली से परिवर्तन के साथ पुराने नाम को ही बनाये रखा गया।

(ड) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय कोयला खान बचाव समिति धनबाद के अधिकारियों द्वारा सरकोरी धन का दुर्विनियोग

5631. **श्री डी. पी. यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 28 जुलाई, 1981 के दैनिक "चुनौति" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय कोयला खान बचाव समिति धनबाद के अधिकारियों ने भवनों के निर्माण में सरकारी धन का दुर्विनियोग किया है ;

(ख) : यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है ;

(ग) : यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) : इस प्रकार दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

नई उल्हासनगर टेलीफोन एक्सचेंज परियोजना को शुरू करना

5632. **श्री जे० एस० पोटिल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई उल्हासनगर टेलीफोन एक्सचेंज परियोजना का वर्तमान दर्जा क्या है ; और

(ख) इस योजना के कब शुरू किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) नए उल्हासनगर एक्सचेंज की इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है ऐसी संभावना है कि जापान से आयात किया गया 7000 लाइनों का क्रासबार उपस्कर चालू वर्ष के मध्य तक पहुंच जाएगा ।

(ख) एक्सचेंज के 1985 के प्रारम्भ में चालू होने की संभावना है ।

तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारी ।

5633 **श्री एन० के० शेजवलकर**
श्री राम प्रसाद अहिरवार } : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : -

(क) उनके मंत्रालय में श्रेणी वार कितने कर्मचारी तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं और वे किन-किन तारीखों से नियुक्त किए गए थे,

(ख) ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या जिन पदों के समक्ष वे काम कर रहे हैं उन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है,

(ग) दो साल पहले प्रत्येक प्रभाग में रिक्त स्थानों की स्थिति क्या थी और अभी भरने के लिए कितने रिक्त स्थान बाकी हैं, और

(घ) उन रिक्त स्थानों को शीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) इस मंत्रालय ने आशुलिपिक ग्रेड ''डी'' तथा अवर श्रेणी लिपिक के पदों पर तदर्थ नियुक्तियाँ की हैं, जैसे कि ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :—

श्रेणी	संख्या	दिनांक
1	2	3
आशुलिपिक	1	1.3.74

ग्रेड "डी"	1	5.8.78
अवर श्रेणी लिपिक	3	1.10.80
	1	1.1.81
	2	7.12.82
	4	8.12.82
	1	28.12.82
	1	24.3.82

ख जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, नियमित रिक्तियों की संख्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को अर्हता प्राप्त उम्मीदवार नामित करने के लिए भेजी जाती है और उनके नामित किए जाने तक तदर्थ व्यवस्था की जाती है।

(ग) और (घ) : अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

क्रमांक	दो वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों के नाम और संख्या	विवरण	
		मंत्रालय/सम्बद्ध कार्यालय में लम्बित	पद को भरने के लिए की गई कार्यवाही
1	उपविकास आयुक्त औषध [1 सं.]	विकास आयुक्त औषध का कार्यालय, इस मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय	इन पदों को परिचालित किया गया था। उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। इन पदों को यथाशीघ्र भरने के लिए फिर कार्यवाही की गई है।
2.	क्षेत्रीय अधिकारी (2 सं.)		
3.	अनुसंधान अधिकारी (2 सं.)		
4.	निदेशक (1 सं.)	उर्वरक उद्योग समन्वय समिति का कार्यालय, इस मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन पहले ही कर लिया गया है और पद के शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है।
5.	उप-निदेशक (सी. सी.) (1. सं.)		पद को भरने के लिए भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भारतीय तेल निगम के अनुसंधान और विकास केन्द्र, फरीदाबाद में कर्मचारी

5634. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसंधान और विकास केन्द्र, फरीदाबाद में कर्मचारियों की पदवार और वर्गवार कुल संख्या कितनी है :

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और कितने अनुसूचित जनजातियों के है ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा सभी वर्गों के पदों के संबंध में पूरा है ;

(घ) यदि नहीं, तो आरक्षित कोटा बकाया होने के क्या कारण हैं तथा उसे भरने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ;

(ङ) क्या वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के उपबन्धों का पालन किया जा रहा है और 40-प्वांइट रोस्टर रखा जा रहा है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) और (ख) : इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के फरीदाबाद स्थित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र में दिनांक 31.12 1982 की यथास्थिति को "क" तथा "ख" ग्रेड के कर्मचारियों के ब्यौरे तथा वेतनमान-वार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं ।

(ग) और (घ) : विभिन्न वर्गों के लिये निर्धारित 22.5 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के कर्मचारियों की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :—

वर्ग क	— 8.17	प्रतिशत
वर्ग ख	— 22.92	प्रतिशत
वर्ग ग	— 24.06	प्रतिशत
वर्ग घ	— 37.93	प्रतिशत

1971 के राष्ट्रपति के निदेश के अनुसार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों को आरक्षण आदेशों मे छूट दी गयी है । इसके परिणाम स्वरूप, वर्ग "क" में आरक्षण के लिये प्राप्त की गयी प्रतिशतता निर्धारित प्रतिशतता से कम है ।

(ङ.) जी हाँ । वर्ग "क" तथा "ख" के पदों पर सीधी भरती तथा पदोन्नति के लिये 40 प्वाइंट रोस्टर रखा जा रहा है । अन्य वर्गों के मामले में जैसा कि राष्ट्रपति के निदेशों के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है, 100 प्वाइंट रोस्टर रखा जा रहा है ।

(च) वर्ग "ग" से वर्ग "ख" से वर्ग "क" के निम्नतम संवर्ग के पदों पर पदोन्नति में निर्धारित आरक्षण किया जा रहा है तथा ऐसे आरक्षित प्वाइंट के लिये पदोन्नतियां पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के कर्मचारियों के बीच में से ही की जाती हैं।

विवरण

वेतन-मान	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
रु.			
3500-4000/-	—	—	—
3000-3500/-	—	—	—
2500-3000/-	1	—	—
2250-2750/-	1	—	—
2000-2500/-	2	—	—
1850-2350/-	6	—	—
1600-2120/-	7	—	—
1450-1950/-	12	—	—
1050-1750/-	23	1	—
750-1550/-	49	4	—
योग (क)	101	5	—
555-1237/-	13	2	1
495-1033/-	20	6	—
450-877/-	32	5	2
395-756/-	39	3	4
360-624/-	49	11	2
330-561/-	13	5	—
285-485/-	10	1	1
275-453/-	34	13	3
योग	210	46	13
कुल योग "क" तथा "ख"	311	51	13

सी० डब्लू० ई० एस० में सिविल इन्जीनियरिंग के संवर्ग के पद बनाया जाना

5635. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल इन्जीनियरिंग सेवा के कई अधिकारी केन्द्रीय बिजली प्रधिकरण में प्रतिनियुक्ति वेतन प्राप्त किए बिना सिविल डिजाइनों के लिए कार्य कर रहे हैं, यदि हां, तो पदों का ब्यौरा क्या है, कितने अधिकारी यह कार्य कर रहे है तथा उनके कार्य की अवधि क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण में ताप बिजली संयंत्रों और पनबिजली परियोजनाओं के सिविल डिजाइनों के कार्य के लिए मुख्य इन्जीनियर के पदों को बनाने के प्रस्ताव हैं, यदि हां, तो प्रस्तावों का सारांश क्या है और वे किस स्थिति में हैं ;

(ग) क्या मन्त्रालय को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी कार्य पदों को एक समुचित संगठित सेवा में संवर्ग में रखने की नीति की जानकारी है, और

(घ) यदि उक्त भाग (क), (ख) और (ग) का उत्तर हां में हो तो क्या मन्त्रालय का बनाए गए सभी सिविल इन्जीनियरिंग पदों को केन्द्रीय जल इन्जीनियरिंग सेवा के संवर्ग में रखना सुनिश्चित करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सिविल डिजाइनों के कार्य से सम्बन्धित समूह क के समस्त पदों को केन्द्रीय जल इन्जीनियरिंग (समूह क) सेवा के संवर्ग में शामिल किया गया है । इसको मद्देनजर रखते हुए सवर्ग के इन पदों पर कार्यरत इस सेवा के सदस्यों को प्रतिनियुक्ति वेतन की अदायगी का प्रश्न ही नहीं उठता । इन पदों को और कार्यरत अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा इस उत्तर के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है । ताप विद्युत संयंत्रों और ज्वारीय विद्युत परियोजनाओं के सिविल डिजाइनों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मुख्य इन्जीनियर आदि के स्तर के पदों का सृजन करने का प्रस्ताव है । इन अतिरिक्त पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । नए पदों को संवर्ग में शामिल करने का प्रश्न तभी उठाया जाएगा जब इन पदों को स्वीकृति दे दी जायेगी ।

विवरण

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या स्वीकृत	भरे गए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उनके कार्य करने की अवधि
1		2		3
1.	निदेशक (सिविल)	2	2	केन्द्रीय जल आयोग से
2.	उप निदेशक (सिविल) (अनपारा कार्य-स्थल के	14	12	स्थानान्तरण के आधार पर समय-समय पर अधिकारियों

1	2		3
	लिए स्वीकृत किये गये एक पद समेत)		को केन्द्रीय विद्युत प्राधि-
3.	सहायक निदेशक (सिविल)	22 16	करण में तैनात किया जाता
4.	अतिरिक्त सहायक निदेशक	8 7	हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधि- करण में उनकी तैनाती की अवधि निर्धारित नहीं है क्योंकि इन पदों पर तैनाती और स्था- नान्तरण सम्बन्धी कार्य केन्द्रीय जल आयोग के नियंत्रण में है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के देहरादून स्थित कार्यालय के लिए स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति

5636. **श्री सूरजभान** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के देहरादून स्थित कार्यालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में कितने प्रतिशत कर्मचारी देहरादून और उसके आस-पास के क्षेत्र में हैं; और

(ख) स्थानीय व्यक्तियों बशर्ते कि वे योग्य हों, की भर्ती बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

6 ए० पी० ए० के आयात पर रोक

5637. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 6 ए० पी० ए० के आयात पर रोक लगाई है और उसे सरणीबद्ध किया है,

(ख) क्या सरकार को पता है कि यह एम्पीसिलिन और एमोक्सीलीन जीवन रक्षक औषधियों के लिए आवश्यक माध्यमिक तत्व है और इसका निर्माण 15. भारतीय छोटे पैमाने के उत्पादकों द्वारा किया जाता है,

(ग) क्या यह भी सच है कि इस माध्यमिक तत्व की विदेशी लागत केवल 700 रूपए प्रति कि० ग्रा० है और यह भारतीय उत्पादकों को 1600 रुपए प्रति कि० ग्रा० की दर पर बेची जाती है, और

(घ) यदि हाँ, इसकी कीमत कम करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है,

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) 6-अमीनो-पेनिसिलिन एसिड 6-ए० पी० ए०) का आयात 3 जनवरी, 1983 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध किया गया था ।

(ख) 6-ए० पी० ए० का उपयोग एम्पिसिलिन तथा एमोक्सिलीन सहित सेमी सिथैटिक पेनिसिलिन के उत्पादन के लिये किया जाता है । पहले हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड तथा हाल ही में मैसर्स इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा 6-ए० पी० ए० का उत्पादन आरम्भ किया गया । 6-ए० पी० ए० का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र के एककों द्वारा नहीं किया जा रहा है परन्तु एम्पिसिलिन तथा अमोक्सीलीन का उत्पादन कई संगठित क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र के एककों द्वारा आयातित 6-ए० पी० ए० से किया जा रहा है ।

(ग) 6-ए० पी० ए0 का सी० आई० एफ० आयात मूल्य लगभग 65 से 70 अमरीकी डालर प्रति किलो ग्राम है । 6-ए० पी० ए० पर 25 प्रतिशत सीमा शुल्क लगता हैं । सरणीबद्ध करने के बाद 6-ए० पी० ए० का बिक्री मूल्य सरकार द्वारा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है ।

(घ) आरम्भ में 6-ए० पी० ए० की मुख्य आवश्यकताओं को आयात से पूरा किए जाने की सम्भावना है । चूंकि सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए, आयातित 6-ए० पी० ए० का मूल्य समय-2 पर प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर निर्भर करेगा । जहां तक स्वदेशी उत्पादन का सम्बन्ध है, चूंकि उत्पादन हाल ही में आरम्भ किया गया है, जब तक उत्पादन स्थिर नहीं हो जाता और पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं किया जाता, तब तक लागत मूल्य को कम करने के लिये कोई मुख्य कार्यवाही करनी बहुत असामयिक होगी ।

राजस्थान की माउण्ट आबू जल परियोजना

5638. **श्री विरधा राम फलवारिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान की माउण्ट आबू जल परियोजना 1982-83 की योजना में शामिल किये जाने के लिये राजस्थान सरकार के विचाराधीन पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पयिोजना को कब तक क्रियान्वित हेतु मंजूरी मिलेगी ओर कितने समय के अन्दर यह परियोजना पूरी हो जायेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह): (क) और (ख) 1979 में तैयार की गई माउण्ट आबू जल विद्युत स्कीम की परियोजना रिपोर्ट को राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड/राजस्थान सरकार द्वारा संशोधित किया जा रहा है । परियोजना रिपोर्ट के संशोधित हो जाने के बाद तथा इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने बाद स्कीम को योजना में शामिल करने तथा इसको कार्यान्वित करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा ।

दिल्ली से सत्तूर तमिलनाडू को सीधे ट्रंक डायल सुविधा

5639. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सत्तूर (तमिलनाडु) से दिल्ली तक सीधे ट्रंक डायल सुविधा उपलब्ध है लेकिन दिल्ली से सत्तूर के लिये ऐसी सुविधा नहीं है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार दिल्ली को यह सुविधा देने का है और यदि हां, तो कब तक ;और

(ग) क्या शिवकाशी (तमिलनाडू) को सीधे डायलिंग सुविधा द्वारा दिल्ली से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन०पाटिल) : (क) जी हां । सत्तूर (तमिलनाडु) से दिल्ली के लिए उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा केवल रात में उपलब्ध है।

(ख) देश में स्विचिंग और सचारण उपस्कर की सीमित उपलब्धता के कारण यह सेवा प्रदान नहीं की जा सकी । चालू योजना के अन्त तक ओर आगामी योजना अवधि के प्रारम्भ में उत्तरोत्तर चालू की जाने वाली राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग के एक अंश के रुप में इस सेवा को प्रदान करने की योजना है ।

(ग) फिलहाल दिल्ली को सीधी डायलिंग द्वारा शिवकाशी के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केरल स्थित क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में भर्ती

5640. **श्री ए० नील लोहिया** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में 30 जून, 1980 से अब तक की गई भर्ती में केरल की जानकारी है, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच नहीं हैं कि इस भर्ती में केरल के जिला त्रिवेन्द्रम को शामिल नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, और

(ड.) यदि हां, तो उस शिकायत का ब्यौरा क्या है और और उस पर क्या कार्यवाही की की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) कर्मचारी भविष्य निधि

प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) : जी हाँ । भर्ती का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

			जिला वार स्थिति
वर्ष	पद	जिला	उम्मीदवारों की संख्या
1	2	3	4
सितम्बर,	अवर श्रेणी	एर्नाकुलम	12
1980	लिपिक	कालीकट	10
		कन्नानौर	11
		त्रिचुर	1
		पालघाट	5
		मालापुरम	7
नवम्बर,	श्रेणी-4	पालघाट	2
1980		मालापुरम	1
		कालीकट	5
		कन्नानौर	1
फरवरी,	श्रेणी-4	कोटायम	6
1981		इड्डुकी	6
		एर्नाकुलम	7
		अलेप्पी	6
मार्च,	अवर श्रेणी	क्विलोन	10
1981	लिपिक	अलेप्पी	13
		त्रिचुर	5
		कोटायम	5
		इड्डुकी	7
		एर्नाकुलम	3
		पालघाट	7
नवम्बर,	अवर श्रेणी	कोटायम	45
1981	लिपिक	एर्नाकुलम	15

1	2	3	4
		इड्डुकी	23
		त्रिचूर	22
		अलेप्पी	12
दिसम्बर,	निम्न श्रेणी	अलेप्पी	3
1982	लिपिक	कोटायम	3
		इडूडुकी	2
		क्विलोन	2

(ख) और (ग) : यह सच है कि इनमें से किसी भी भर्ती में त्रिवेन्द्रम जिला शामिल नहीं था। 1977 तक त्रिवेन्द्रम क्षेत्रीय कार्यालय में 90 प्रतिशत कर्मचारी त्रिवेन्द्रम जिले से लिए गए थे या उन लोगों में से लिए गये थे, जो अन्य जिलों के थे, पर त्रिवेन्द्रम में बस चुके थे। 1977 में केरल के 5 उत्तरी जिलों के लेखों साथ जब कालीकट उप क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया, तो उस समय उस कार्यालय के पदों पर तैनात किये जाने के लिए पर्याप्त वालंटियर उपलब्ध नहीं थे। तथापि, कालीकट उप क्षेत्रीय कार्यालय के इन पदों पर नई भर्ती के ऐसे व्यक्तियों की तैनाती द्वारा इस समस्या को हल किया गया, जिनमें अधिकांश व्यक्ति केरल के दक्षिणी जिलों से लाए गये थे। लेकिन नई भर्ती के ये व्यक्ति इस बात के आग्रह कर रहे थे कि उन्हें त्रिवेन्द्रम स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में वापस स्थानान्तरित कर दियां जाए। अतः उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय के रिक्त पदों पर लगाया गया। ऐसा करने से कालीकट उपक्षेत्रीय कार्यालय में जो स्थान रिक्त हुए उन्हें नई भर्ती वाले व्यक्तियों द्वारा भरा गया। इस प्रकार की बार-बार की बदलियों के कारण विभिन्न अन्य क्षेत्रों के उपक्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकरण पर भी प्रभाव पड़ा। इसलिए स्वयं उपक्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर श्रेणी-4 और अवर श्रेणी लिपिकों के निचले काडरों में उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कर्मचारी भर्ती करने के मामले में नीति सम्बन्धी एक निर्णय लिया गया। तदनुसार, केरल क्षेत्र के सम्बन्धित उप क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले रोजगार कार्यालयों से नामांकन प्राप्त किये गये।

(घ) और (ड.) : इस सम्बन्ध में सरकार को एक माननीय संसद सदस्य से शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत की जांच की गई है और उसके परिणाम स्वरूप जो स्थिति उभर कर सामने आई है वह वही है, जो ऊपर स्पष्ट की गई है। संसद सदस्य को इस सम्बन्ध में अलग से उत्तर भेजा जाएगा।

"गाँव बनाए गोकुल धाम" फिल्म को अस्वीकार करना

5641. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुन बैनर्जी द्वारा बनाई गई "गांव बनाए गोकुल धाम" नामक डाक्युमेंटरी फिल्म को, जिसे सेंसर बोर्ड, ने पास कर दिया था, फिल्म सलाहकार बोर्ड बम्बई ने "विवादास्पद" बताकर अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) क्या उस डाक्युमेंटरी फिल्म में प्रधान मंत्री द्वारा वर्ष 1981 में नैरोबी में की कई उस अपील को दर्शाया गया है, जो नवीकरणीय ऊर्जा, बायोगैस गौबर क्षमता और गो-जातीय सम्पदा के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में "बैल-शक्ति" को संरक्षण देने और विकसित करने से सम्बन्धित है ;

(ग) इस डाकुमेंटरी फिल्म पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए फिल्म सलाहकार बोर्ड द्वारा उसे अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) गो-जातीय सम्पदा को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी बल-शक्ति, दुधारू पशुओं के संरक्षण, गोबर गैस और अन्य सम्बबद्ध मुद्दों संबंधी मामलों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की क्या नीति है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रायल में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) (क) और (ग) फिल्म सलाहकार बोर्ड ने यह पाया था कि श्री प्रसुन बैनजी द्वारा निर्मित "गांव बनाये गौकुल धाम" नामक डाकुमेंट्री फिल्म घटिया किस्म की फिल्म थी। इसलिए बोर्ड ने इसके अनिवार्य प्रदर्शन की अनुशंसा नहीं की।

(ख) फिल्म का अभिप्राय गांव की अर्थव्यवस्था में गाय की उपयोगिता का वर्णन करना है। इस बात का वर्णन करने में इसमें प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया बताए गए एक वक्तव्य का आकस्मिक उल्लेख किया गया है।

(घ) एकीकृत ग्रामीण विकास, पशु पालन तथा बायो गैस का विकास, आदि सरकार की स्पष्ट नीतियां हैं।

'फैक्ट' को हुई हानि।

5642. **श्री ए० के० बालन** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या फैक्ट केरल के किसी अधिकारी ने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए एफ० ए० सी० टी० 35 लाख रुपये की अनुचित हानि पहुंचाई है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेकरीन का उत्पादन।

5643. **श्री सुनील मेत्रा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) देश में सेकरीन का कितना उत्पादन होता है,

(ख) क्या देश की मांग को पूरा करने के लिए उसका उत्पादन पर्याप्त है, और

(ग) यदि हां, तो सेकरीन आयात की जा रही है और 1982 में क्यों आयात की गयी,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) गत पांच वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में सैकरीन के उत्पादन आंकड़े निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन (टनों में)
1979	82.25
1980	92.31
1981	78.17

(क) और (ग) वर्ष 1982 के दौरान सैकरीन की कमी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सैकरीन को 1181-82 और 1982-83 के लिए आयात नीति के परिशिष्ट-4 (पूर्ण प्रतिबन्धिक मदें) में सम्मिलित किया गया है।

बिरला काटन मिल, में मजदूरों को काम न दिया जाना

5644. **श्री रीन लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिरला काटन एण्ड स्पिनिग मिल दिल्ली में कार्य कर रहे मजदूरों की संख्या 1980 1981,1982 और फरवरी, 1983 में कितनी थी;

(ख) क्या सरकार यह सच है कि बिरला मिल और अधिकारी श्रमिकों को कोई कार्य नही दे रहे हैं जिससे उनमें से अनेक श्रमिक कंगाल हो गए हैं ;

(ग) दिल्ली में कपड़ा मजदूरों की स्थिति के बारे में श्रमिक संघों से सरकार को मिले अभ्यावेदन का क्या ब्यौरा है और उन पर सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार बिड़ला काटन और स्पिनिग मिल्स, दिल्ली में नियोजित श्रमिकों की संख्या जनवरी, 1980, जनवरी, 1982 में 5919 थी और फरवरी, 1983 में 1800 थी।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, मिल के प्रबन्धतंत्र के करघों को शनैं-शनैं बन्द करना

प्रारम्भ कर दिया है और वे अस्थाई और बदली श्रमिकों को काम पर नहीं लगाते रहे हैं।

ग सरकार को प्रबंधतंत्रों को सम्बोधित श्रम यूनियनों के अभ्यावेदनों की प्रतियां प्राप्त हुई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी संशोधन, निर्वाह लागत का 100 प्रतिशत निष्प्रभावन, मकान किराया भत्ता, रिलीवरों की व्यवस्था सहित पदों को 100 प्रतिशत स्थायी करने, बदलियों को गारंटीशुदा रोजगार, ठेका और नैमित्तिक श्रमिक पद्धित का उन्मूलन आदि नैमित्तिक छुट्टी, उत्पीड़ित हुए ट्रेड-यूनियन श्रमिकों की बहाली की मांग की गई है। यद्यपि, नैमित्तिक और बदली श्रमिकों, नैमित्तिक छुट्टी तथा मकान किराया भत्ते सम्बन्धी मांगों को न्यायनिर्णय के लिए भेजा गया है, तथापि शेष मांगों को सराधन द्वारा हल किया जा रहा है। बिड़ला मिलों के मामले में, बड़ी संख्या में करघों को बन्द करने तथा अस्थायी और बदली श्रमिकों को काम देने से इन्कार करने से सम्बन्धित वाद-विषयों को भी न्याय-निर्णय के लिए भेजा गया है।

कहलगांव सुपर ताप बिजली घर, बिहार का निर्माण

5645. **श्री समीरुद्दीन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के भागलपुर जिले में कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन का सर्वेक्षण किया जा चुका है किन्तु उसका निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण किया गया है और वहां अब तक निर्माण कार्य आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्माण कार्य को तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना के 4X210 मेगावाट यूनिटों के चरण-एक को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस सम्बन्ध में निवेश सम्बन्धी निर्णयले। से पूर्व वित्त सहित अनेक निवेश सम्बद्ध किए जाने हैं।

औसधियों का अनधिकृत उत्पादन

5646. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनधिकृति उत्पादन अर्थात् वह उत्पादन जो औद्योगिक लाइसेंस सी० ओ० बी० अनुमतिपत्रों अथवा डी० जी० टी० डी० पंजीकरण द्वारा प्राधिकृत न हो को नियमित नहीं किया जाएगा, क्या इसका अभिप्राय यह है कि सी० ओ० बी० लाइसेंस तथा अनुमति पत्र उत्पादन के लिए अधिकृत नहीं है और यदि वे अधिकृति नहीं है तो उन्हें किस उपबन्ध तथा प्राधिकार के अधीन जारी किया गया, और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकरण प्रमाण पत्रों के अधीन विभिन्न औषध कंपनियों द्वारा किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा फार्म ए० और बी० में आवेदन की गई मदों की तुलना में क्या स्थिति है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) किसी भी अनधिकृत उत्पादन अर्थात् ऐसा उत्पादन जो औद्योगिक लाइसेंस, सी० ओ० बी० लाइसेंस, अनुमति पत्र अथवा डी० जी० टी० डी० पंजीकरण द्वारा प्राधिकृत नहीं है, को विनयमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मूल्य अनुमोदन से खुराक के रूप में शक्ति और पैक आकार आदि में परिवर्तन को रसायन और उर्वरक मन्त्रालय द्वारा दिनांक 17-10-81 को जारी किए गए प्रेस नोट के पैरा 7 के अनुरूप पिछले उत्पादन को विनियमित करने के लिए अप्राधिकृत नहीं माना जाएगा।

सी० ओ० बी० लाइसेंस और अनुमानित पत्र उन मदों के उत्पादन के लिए वैध अनुमोदन हैं जिनके बारे में ये जारी किए हैं। सी० ओ० बी लाइसेंस उद्योग (विकास और विनिमयन) अधिनियम की धारा 13 (1) (ग) के अधीन जारी किए जाते हैं। अनुमति पत्र, लाइसेंसिंग समिति द्वारा 24-11-1983 को लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप जारी किए गए थे।

(ख) पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 1950 के दशक के प्रारम्भ में औषध कंपनियों द्वारा फार्म ए और बी में प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र सभी मामलों में उपलब्ध नहीं हैं। पंजीकरण प्रमाण पत्रों में अलग-अगल मदें निर्दिष्ट नहीं हैं ; आवेदन पत्रों के फार्म ए और बी की उपलब्ध सभी प्रतियों में भी अलग-अलग मदें निर्दिष्ट नहीं हैं।

पंजीकरण प्रमाणपत्रों में उल्लिखित मदों के सम्बन्ध में कम्पनियों के दावे, अधिक उत्पादन की विनियमित करने/पंजीकरण प्रमाण पत्रों में क्षमता निर्धारित करने से सम्बन्धित कार्यवाही के भाग के रूप में जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। ऊपर बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के अधीन लाई जाने के लिए दावा की गई मदों और उनके आवेदन पत्रों के फार्म ए और बी में उल्लिखित मदों के बीच तुलना करना व्यवहार्य नहीं है।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

5647. **श्रीमती किशोरी सिन्हा**
श्री फूल चन्द वर्मा } : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला उद्योग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थाओं को विभिन्न मदों के लिए ऋणी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए कोयले की कीमतों में पुनः वृद्धि करने की योजना बनाई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कोल इन्डिया लि०पर वित्तीय संस्थानों का कोई ऋण नहीं है फिर भी, दिसम्बर, 1982 के अन्त में कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों की सांविधिक देयताएं निम्नलिखित हैं :—

(रु० करोड़ में)

	ई० को० लि०	भा० को० को० लि०
को० खा० भा० नि०	—	9.00
रेत भराई उत्पादन शुल्क	0.09	6.29
स्वामित्व	1.16	1.89
अन्य उपकर और कर	26.79	4.25
जोड़ :	28.04	23.43

इनमें से कुछ देयताओं का अब तक कोयला कंपनियों ने अंशत: भुगतान कर दिया है।

(ग) औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो कोयला उद्योग की उत्पादन लागत का अध्ययन कर रहा है ताकि कोयले की समुचित कीमतों की सिफारिश कर सके। औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए इस समय कोयला कीमतों के संशोधन का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है।

विधान सभाओं और संसद सहित सभी निर्वाचित निकायों के लिए समान मताधिकार आयु

5648. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या विधि न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए मताधिकार आयु को 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) सभी स्थानीय निकायों, विधान सभाओं और संसद के लिए समान मताधिकार आयु नियत करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और ऐसा कब तक किए जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस सम्बन्ध में एक रूपता लाने को कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

5649. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री राम विलास पासवान } : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कोयल का मूल्य बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कोयले के मूल्य में कितनी वृद्धि की जाएगी ; और

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरों से अनुरोध किया गया है कि वह कोयले की समुचित कीमतों के लिए सिफारिश करने की दृष्टि से कोयला उद्योग के उत्पादन की लागत का अध्ययन करें। औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरों ने अपनी रिपोर्ट अभी तक सरकार को प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए कोयले की कीमतें बढ़ाने के लिए कोई निश्चित प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चेम्सफोर्ड क्लब के मामले में लेखा परीक्षकों के विरुद्ध कटु आलोचना

5650. **श्री गुलेशर अहमद**
श्री के लक्कप्पा० } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेम्सफोर्ड क्लब के किन्हीं सदस्यों द्वारा क्लब तथा लेखा परीक्षकों के विरुद्ध दायर किए गए दीवानी मुकदमे में दिल्ली के उच्च न्यायालय में 19-5-1981 के अपने निर्णय में मैं० वाकर चैडियोक एण्ड कं०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, नई दिल्ली, जो चेम्सफोर्ड क्लब के लेखापरीक्षक हैं, की कटु आलोचना की है ; और यदि हाँ, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उपरोक्त लेखापरीक्षकों के विरुद्ध गम्भीर कटु आलोचनाओं के बारे में इस्टिटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस में शिकायत दायर की गई है और यदि हां, तो कब और शिकायत का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त संस्था द्वारा लेखा परीक्षकों की उक्त फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो असाधारण विलम्ब के कारण और औचित्य क्या है ; और

(ङ) इस मामले को निपटाने में कितना अनुमानत: समय लगेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) (क) मैं० चेम्मफोर्ड क्लब लिमिटेड के सांविधिक लेखा-परीक्षक मैं० वाल्कर चन्डियोक एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड

लेखापालों के विरुद्ध, 1980 के बाद संख्या 477 में, दिल्ली उच्च न्यायालय के अकेले न्यायाधीश द्वारा दिये गए दिनांक 19 मई, 1981 के निर्णय में कुल प्रतिकुल अभ्युक्तियां की गई थीं। ये अभ्युक्तियां ऊपर कथित लेखा-परीक्षकों की ओर से, कम्पनी के लेखा-परीक्षकों के रूप में अपन सांविधिक कर्त्तव्यों के निर्वहण में आरोपित कुछ सफलता से सम्बन्धित थी। लेखा परीक्षकों ने इन अभ्युक्तियों की बैधता/सत्यता पर आपत्ति करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कथित निर्णय के विरुद्ध अपील दायर कर दी हैं, एवं निवेदन किया है कि इनकी खारिज/अपलोपित कर दिया जाय। अपील के अनिर्णीत होने की सूचना दी गई है।

(ख) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा कथित लेखा-परीक्षकों के विरुद्ध इस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

(ग) से (ड.) उत्पन्न नहीं होते।

पंढरो में ताप विद्युत केन्द्र

5651. **डा० महिपत राय एम० मेहता** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंढरों (कच्छ जिला) में ताप विद्युत केन्द्र का शिलान्यास किसने और कब किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की प्रगति क्या है : और

(ग) इस के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) गुजरात के कच्छ जिले में पनान-घरों में ताप विद्युत केन्द्र का शिलान्यास भारत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री मोरार जी देसाई द्वारा 23-11-79 को किया गया था।

(ख) पानी, विद्युत सप्लाई तथा स्टाफ क्वार्टर जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं सम्बन्धी कार्य चल रहा है। जेनरेटर तथा टर्बोजेनेरेटर की सप्लाई के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। विभिन्न आनुषगिक उपस्करे के लिए तथा सिविल कार्यों के लिए निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार परियोजना के 70-70 मेगावाट के दो यूनिटों के क्रमश: दिसम्बर, 86 तथा जून, 87 में चालू होने को संभावना है।

खुली कोयला खानों में खनन कार्य

5652. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ खुली कोयला खानों में खनन कार्य आरम्भ किया हैं ;

(ख) यदि हां तो इन खानों में यह खनन कार्य कब आरम्भ हुआ ;

(ग) उन खानों के नाम क्या हैं और उनके प्रशासकीय नियंत्रण जोन कौन से हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र का गैस उपयोग कार्यक्रम

5653. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से गैस उपयोग कार्यक्रम प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो बम्बई हाई और क्षेत्र में अन्य सम्बद्ध परियोजनाओं से प्राप्त गैस को कार्यक्रम के ग्रुप-ख में उल्लिखित उद्योगों को आबंटित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) जी, हां।

(ख) सरकार बम्बई में घरेलू उपभोक्ताओं तथा औद्योगिक यूनिटों को पाइप के द्वारा प्राकृतिक गैस की सप्लाई के प्रश्न पर विचार कर रही है। भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स और गैस क्रैकर और पेट्रो-केमिकल काम्पलेक्स, नागथाना को गैस की सप्लाई पर पहले ही सहमति हो गई है।

शिक्षित बेरोजगारों की सहायता के लिए नई परियोजनायें कार्यावन्वित करना

5654. **श्री कुंवर राम** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगारों को राहत देने के लिए 1983-84 में कौन-कौन सी नई परियोजनाएं कार्यान्वित की जायेंगी ; और

(ख) उन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के बाद शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में किस अनुपात में कमी होगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) वर्ष 1983-84, छठी पंचवर्षीय योजना का अंग है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए छठी योजना के दौरान अपनाई गई नीति को इस वर्ष भी जारी रखना पड़ेगा। रोजगार सृजन के लिए अपनाए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्न प्रकार से हैं जिनसे शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को लाभ होना चाहिए।

(1) कृषि विस्तार पद्धति का प्रसार, कृषि अनुसंधान, कृषि जनगणना और फार्म प्रबन्ध

अध्ययन, आपरेशन फ्लड II डेरी विकास परियोजना के लिए आधारिक संरचना समर्थन और तकनीकी इन्पुट्स, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण आधारिक संरचना और सामाजिक सेवाओं का विस्तार जैसे कार्यक्रम और लघु उद्योगों के लिए विभिन्न कार्यक्रम ।

(2) कुछ राज्य सरकारें शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लाभ के लिए प्रशिक्षण देने या स्वरोजगार के लिए सहायता देने के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रमों को लागू कर रही हैं ।

(3) छठी योजना में स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए नई पद्धति की परिकल्पना की गई है जिससे शिक्षित व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा ।

(4) वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों में स्वनियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी उद्यमकारिता बोर्ड की स्थापना की है ।

(ख) यह बताना सम्भव नहीं है कि उपर्युक्त विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी किस अनुपात से कम होगी ।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वार दणि दिल्ली की खानों को अपने नियंत्रण में लेना

5655. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खानों में मुत्यु संख्या में भारी वृद्धि से व्याकुल होकर कार्यकारी दल ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें यह मांग की गयी है कि दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा दक्षिण दिल्ली खानों का कारगर ढंग से अधिग्रहण किया जाए जिससे कि सुरक्षा उपायों को कायन्वित किया जा सके और उन खानों को मौतगाह बनने से बचाया जा सके ;

(ख) यदि हाँ, तो किन कारणों से दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा इन खानों की अभी तक पूरी तरह अधिग्रहण नहीं किया गया है ; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इन खानों में कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी है, तथा हताहत हुए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और दोषी ठेकेदारों के खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने 1975-76 में दिल्ली की खानों को अपने हाथ में ले लिया 1981 में अनेक घातक दुर्घटनाएं होने के बाद दिल्ली प्रशासन द्वारा गठितएक कार्यकारी दल ने अन्य बातोंके साथ-साथ इस बात की सिफारिश की कि दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को अपने कार्य-क्षेत्र का विस्तार वास्तविक खनन प्रक्रियाओं तक करना चाहिए ।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान हुई दुर्घटनाओं तथा हताहत हुए व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1978	6	6
1979	3	3
1980	6	9
1981	9	12
1982	7	7
1983	5	10

(17-2-1983 तक)

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध 9 मामले चलाए गए हैं, जिनमें से 4 मामले ठेकेदारों के खिलाफ है।

सिंदरी में छुट्टी यात्रा रियायत में धोखाधड़ी।

5656. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिंदरी स्थित भारत उर्वरक निगम में छुट्टी यात्रा रियायत योजना में बड़े पैमाने पर हो रही धोखाधड़ी की जानकारी है, और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ० सी० आई०) ने सूचित किया है कि अवकाश यात्रा रियायत का दावा करने में सिन्दरी यूनिट के 23 कर्मचारियों ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है।

(ख) इन कर्मचारियों के विरुद्ध सी० बी० आई० ने न्यायालय में मामले दायर किए हैं। एफ० सी० आई० आवधिक रूप से अपनी प्रक्रिया की पुनरीक्षा करती है ताकि योजना के कार्यकरण में जो खामियां ध्यान में आती हैं उनका निराकरण किया जा सके।

विभिन्न राज्यों में विद्युत परियोजनाओं की क्रियान्विति में धीमी प्रगति

5657. **श्री चित्त बसु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक राज्यों में विद्युत परियोजनाओं की क्रियान्विति कार्य निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे रह गया है जिससे लागत में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के नाम, निर्धारित कार्यक्रम, अनुमानित लागत और बढ़ी हुई लागत का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्माणधीन ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के नाम, उनकी क्षमता, समय-सारिणी और मूल तथा संशोधित लागतों के अनुमानों का विवरण उपाबन्ध-एक में दिया गया है ।

ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी—6292/83

ई-108 इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम में प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे जा रहे डाक व तार अधिकारी

5658. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ई-108 इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम में प्रशिक्षण के लिए भारतीय डाक व तार विभाग के 48 अधिकारियों (27 आई० टी० एस० ग्रुप ए एंड जैड एक 11 एक ग्रुप बी) के एक प्रतिनिधि मंडल को फ्रांस भेजा जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो डाक व तार विभाग के अधिकारियों में से, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को (श्रेणीवार) उनको उचित प्रतिनिधित्व देने सम्बन्धी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार आयोग के दिनांक 21-1 1978 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3601217177 स्टेबिलशमेंट (एस० सी० टी०) के अधीन जारी अनुदेशों के पालन में, इस प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया है ;

(ग) यदि उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है तो इसके क्या कारण हैं जबकि अनुसूचित जातियों । अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी उपलब्ध हैं जो एल० टी० टी० सी० से डिजिटल तथा इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज में प्रशिक्षित होने की मूल्य शर्त को पूरा करते हैं ; और

(घ) क्या सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक ग्रुप में अनुसूचित जातियों जनजातियों के उम्मीदवारों को शामिल करने हेतु कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां । मैसर्स सी० आई० टी० अलकातेल, फ्रांस के साथ संस्थापन प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए भेजे जा रहे हैं ।

(ख) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 21-1-1978 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 3601217177-एस्ट० (एस० सी० टी०) "विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व-प्रतिनियुक्त या स्थानांतरण द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्तियां विषय से सम्बन्धित है न कि विशेष विषय । कार्य में प्रशिक्षण के लिए सरकारी कर्मचारियों को विदेशों में भेजने के बारे में ।

फिर भी अनुसूचित जाति । अनुसूचित जनजाति के चार अधिकारी मैसर्स सी० आई० टी० अलकातेल, फ्रांस के साथ संस्थापन प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे जा रहे हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

1600 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बोनस के लिए शामिल करना

5659. **श्री भीखा भाई** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बोनस अधिनियम को संशोधन करके उसके अधीन वेतन और मंहगाई भत्ते के रूप में 1600 रुपये से अधिक राशि पाने वाले कर्मचारियों को बोनस देने का विचार कर रही है : और यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का वास्तविक प्रस्ताव क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार बोनस की आग्रह राशि की वर्तमान अधिकतम सीमा को 750 रुपये से बढ़ाने का विचार कर रही है और यदि हाँ तो सम्बन्ध में सरकार का वास्तविक प्रस्ताव क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द पाटिल) (क) और (ख) जी, नहीं । इस समय सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सोडा ऐश की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर

5660. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1978-79 से सोडा ऐश की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिसके कारण बाजार में भारी कमी पैदा हो गई है,

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1982-83 में अनुमानित मांग की तुलना में देश में अनुमानित 6.56 लाख टन का उत्पादन होगा, जैसा कि सोडा ऐश विषयक स्थाई समिति की 18 जून 1982 को हुई बैठक में प्रकट हुआ था, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने हैं ;

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) 1978 79, 1979 80, 1980-81, और 1981-82 वर्षों के दौरान सोडा ऐश के स्वदेशी उत्पादन, अनुमानित मांग, आयात के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सोडा ऐश का आयात 1982-83 में खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत जारी रहा। कोई भी वास्तविक उपयोगकर्ता आयात कर सकता है, यदि वह ऐसा करना चाहे।

विवरण

1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान सोडा ऐश का स्वदेशी उत्पादन, अनुमानित मांग, कुल उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	अनुमानित मांग	उत्पादन	आयात	कुल उपलब्धता
				(आंकड़े लाख टनों में)
1978-79	6.00	5.81	0 234	6.044
1979-80	6.20	5.56	1-35	6.91
1980 81	6·30	5.63	1.16	6.79
1981 82	6.80	6.32	0.45	6.77
			(जुलाई 1981 तक)	(जुलाई 1981 तक)

नोट : महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी द्वारा आयात सांख्यिकी का संकलन करके उसे प्रकाशित किया जाता है। आंकड़ों के संकलन और प्रकाशन में सामन्यत: समय लगता है। जुलाई 1981 के पश्चात् की अवधि के लिए आयात सांख्यिकी अभी तैयार नहीं है। आंकड़े संकलित हो जाने के पश्चात् भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी (भाग-11) में प्रकाशित किए जायेंगे जिसकी प्रतियां संसद ग्रन्थागार में उपलब्ध होंगी।

राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन

5661. **श्री नर सिंह मकवाना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा का आबंटन किया गया और आबंटन के लिए किन मानदंडों को अपनाया गया ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि उन राज्यों में

उपभवोताओं को मिट्टी के तेल की नियमित सप्लाई नहीं की जाती जिनको मिट्टी के तेल की कम सप्लाई की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं,

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलिय विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल का आबंटन उनकी पिछली बिक्री/आबंटन और पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्थितियों जैसे बाढ़, के बवन्डर, सूखा आदि से निबटने के लिए नियमित आबंटन, तदर्थ आबंटन भी किए जाते हैं।

वर्ष 1982-83 के दौरान मिट्टी के तेल के राज्यवार किये गए आबंटनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) 1981 82 में किए गए आबंटनों की तुलना में 1982-83 में किए गए आबंटन लगभग 12 प्रतिशत अधिक थे और इस लिए किसी भी राज्य को अल्पमात्रा में आबंटन किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1982-83 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को किया गया मिट्टी के तेल का आबंटन

(आंकड़े मी० टनों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	मिट्टी के तेल का आयात 1982-83
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	381,500
2. अरुणाचल प्रदेश	5,900
3. अण्डमान और निकोबार	2,300
4. असम	149,750
5. बिहार	273,300
6. चण्डीगढ़	12,800
7. दादर और नागर हवेली	2,300
8. दिल्ली	154,400
9. गुजरात	493,700
10. गोवा, दमन और दिव	18.200

11. हरियाणा	93,834
12. हिमाचल प्रदेश	20,800
13. जम्मू और काश्मीर	40,200
14. कर्नाटक	288,200
15. केरल	152,000
16. मध्य प्रदेश	220,200
17. महाराष्ट्र	945,200
18. मणिपुर	13,000
19. मेघालय	10,000
20. मिजोरम	4,000
21. नागालैंड	6,000
22. उड़ीसा	97,45
23. पंजाब	189,300
24. पांडिचेरी	9,000
25. राजस्थान	153,400
26. सिक्किम	5,00
27. तमिलनाडु	425,30
28. त्रिपुरा	13,30
29. उत्तर प्रदेश	579,30
30. पश्चिम बंगाल	448,20
31. लक्ष्यद्वीप	32
योग	5,209,42

कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत

5662. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में बिजली की बचत करने के लिये उपाय करने का सरकार ने निर्णय किया है ;

(ख) कृषि क्षेत्र में बिजली की कुल कितनी खपत होती है; और

(ग) बिजली बचाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री चन्द्रशेखर सिंह: (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान कृषि क्षेत्र द्वारा बिजली की कुल खपत अनुमानत: 15.06 टी0 डब्ल्यू एच0 थी।

(ग) कृषि क्षेत्र में ऊर्जा के उपयोग के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय प्रारम्भ किए गए हैं :—

(1) कई राज्यों में उन विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जहां सुधार हो सकता है क्षेत्रीय परीक्षण किए गए हैं ।

(2) पम्पसेटों के उचित चयन में किसानों को प्रशिक्षण करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को विशेष कक्ष स्थापित करने की सलाह दी गई है ।

(3) कुशल पम्पसेटों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मानकों में उचित संशोधन करने के प्रश्न की भारतीय मानक संस्थान द्वारा जांच की जा रही है ।

(4) बेहतर कार्यकुशलता को सुनिश्चित करने के लिए पम्पसेटों का चयन, प्रतिष्ठापन, प्रचालन तथा अनुरक्षण के संबंध में कृषि अनुसंधान एवं विकास परिषद भारतीय मानक संस्थान और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए कई मार्गदर्शी सिद्धांत राज्य सरकारों को भेजे गए हैं ।

(5) राज्य स्तर की तकनीकी समितियों को ऐसे पम्पसेटों के "मेकों" का पता लगाने के लिए कहा गया है जो अधिक सक्षम हो, जिससे वित्तीय संस्थान ऐसे पम्पसेटों के लिए ही अपनी वित्तीय व्यवस्था को सीमित कर सके।

(6) पम्पसेटों के वर्तमान प्रतिष्ठानों में सुधार लाने की वित्तीय स्कीमों के लिए एन. ए. बी. ए. आर. डी. द्वारा एक स्कीम तैयार की गई है ।

(7) पम्पिंग प्रणालियों में ऐसे सुधार लाने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम भी स्कीमों की वित्तीय व्यवस्था के बारे में विचार कर रहा है ।

(8) कृषि पम्पसेटों की कार्यकुशलता में सुधार के उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी समिति गठित की गई है ।

पोलिएस्टर स्टेपल रेशा संयत्रों की स्थापना

5663. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कुछ पोलिएस्टर स्टेपल रेशा संयन्त्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या उड़ीसा में ढेन्कानाल में ऐसा एक संयन्त्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्तावित पोलिएस्टर स्टेपल रेशा संयन्त्र की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) उड़ीसा के उस स्थान में इस संयंत्र की स्थापना करने में अब तक क्या प्रगति हुई हैं

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री मार्गी शंकर मिश्र :)

(क) निम्नलिखित राज्य सरकार उपक्रमों को प्रत्येक द्वारा 15,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष पोलिएस्टर स्टैपल फाइवर के उत्पादन के लिए आशय पत्र जारी किए गये हैं —

(1) दि प्रादेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड

(2) इंडस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड।

(3) मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीज कारपोरेशन

(4) कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। साथ ही, पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को पोलिएस्टर स्टैपल फाइवर के उत्पादन के लिये उनकी प्रस्तावित प्रायोजना की क्षमता को 6000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने की अनुमति भी दी गयी है।

(ख) दि इंडस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड ने जिला डेनकनाल, उड़ीसा में एक प्रायोजना स्थापित करने का निर्णय किया है।

(ग) लगभग 58 करोड़ रुपये।

(घ) दि इंस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड ने कार्य की निम्नलिखित प्रगति की सूचना दी है :...

प्रायोजना के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है; प्रौद्योगिकी निर्दिष्ट कर दी गयी है; जल तथा विद्युत जैसी इंफ्रास्ट्रकचरल सुविधाओं के प्रबन्ध कर लिए गए हैं।

नाइलोन-6 परियोजना स्थापित करना

5664. **श्री शान्तु भाई पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन द्वारा नाईलोन परियोजना स्थापित करने की मंजूरी हेतु भेजा गया एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास पिछले दस वर्षों से लम्बित पड़ा है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से समय-समय पर इसके बारे में अभ्यावेदन किया है कि जी. आई. सी. सी.ने इस परियोजना के कार्यान्वियन पर पर्याप्त धनराशि खर्च की है और प्रोद्यौगिकी सहयोग सहित सभी पूर्व तैयारियां कर ली है तथा परियोजना को अविलम्ब मंजूरी दिये

जाने के बारे में अनुरोध किया है; और

(ग) इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

यथा समय निर्णय लिये जाने की आशा है ।

ताप बिजली निगम को 1983 84 के दौरान दिए जाने वाले ऋण

5665. **श्री भीम सिंह**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री बापू साहिब परुलेकर } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ताप बिजली निगम को दिये जाने हेतु 711 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपयुक्त राशि दी थी ?

(ग) यदि नहीं, तो दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिजली परियोजनाओं को, जो कि देश में औद्योगिक उत्पादन का आधारभूत ढांचा है, सफल बनाने हेतु सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) : योजना आयोग के परामर्श से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का वार्षिक योजना परिव्यय 711.24 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

यू. के. से सीधे 104.29 करोड़ रुपये के ऋण की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, 1983-84 के बजट अनुमान में 606.95 करोड़ रुपए की शेष राशि की बजट सहायता को शामिल किया गया है ।

उपलब्ध संसाधनों से ही विद्युत परियोजना की इष्टतम गति बनाये रखने के लिये सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश में परिवार के आकार के बायो गैस संयंत्रो की स्थापना

5666. **श्री गदाधर साहा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि उत्तर प्रदेश में सामुदायिक

बायो गैस संयंत्रो की स्थापना की जा रही हैं और विज्ञान प्रोद्योगिकी विभाग इन संयंत्रों की पूरी लागत को वहन कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और इन कार्यक्रमों से किनको लाभ पहुंचेगा ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने योजनाओं की क्रियान्वित के लिये राज्य सरकार को कोई आवंटन किया है ;

(घ) यदि हां, तो योजनाओं हेतु 1982-83 के लिये कितना आवंटन किया गया है ;

(ड) भारत में इस कार्यक्रस की धीमी प्रगति के लिये क्या अवरोध जिम्मेदार हैं ; और

(च) इन अवरोधों को दूर करने के लिए राज्यवार क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) और (ख) : गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रदर्शन कार्यक्रम के अधीन उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में प्रयोगिक सह प्रदर्शन सामुदायिक जैव गैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं का पूंजीगत व्यय भारत सरकार वहन करती है जब कि स्थानीय समुदाय द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाती है। इन से जो जैव गैस उत्पन्न की जाती है उसका अधिकतर भाग भोजन बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है और कुछ भाग प्रकाश करने और गतिदायी शक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) से (च):- विभिन्न राज्यों के लिए कोई अलग आवंटन नहीं किया जाता है। सामुदायिक जैव गैस संयंत्र उन स्थानों पर स्थापित किये जाते हैं जहां पर कि अच्छी प्रदर्शन संभाव्यता होती है। संयंत्रो के निमार्ण और इनके रख रखाव के लिए पर्याप्त मात्रा में अनुभवी एजेसियां न होने के कारण कार्यक्रम के द्रुत विकास में अवरोंध आता है कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से गहन प्रशिक्षण और बहु अभिकरण नीति अपनाई जा रही है।

कृत्रिम रेशो रसायन और उर्वरक का उदारतापूर्ण आयात।

5667. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारतापूर्ण आयात ऋण संकुचन तथा उपभोक्ताओं की खरीद शक्ति में गिरावट के कारण अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे कृत्रिम रेशे रसायन तथा उर्वरक में मन्दी आ गई हैं, और

(ख) यदि हां तो इन उद्योगों को और अधिक मन्दी से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, अथवा उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी में पेट्रोल और डीजल की चोरी

5668. **श्री अनादि चरण दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राजधानी में पेट्रोल और डीजल की चोरी रोकने के लिए कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले छः महीने में दिल्ली और नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की चोरी के सम्बन्ध में किन्ही घोटाले वालों को गिरफ्तार किया गया है ; और

ग उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग के राज्य मंत्री [श्री गार्गी शंकर मिश्र] (क) ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं :

1 बाजार व्यवहार मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करना जिनमें अन्य बातों के साथ-2 प्रतिष्ठानों, टैंक लारियों की जांच पड़ताल तथा निरीक्षण और दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था है।

2 टैंकरों के व्यासमापन की सावधानीपूर्वक जांच करना तथा प्रतिष्ठानों की छोड़ने से पूर्व टैंकरों का आकस्मिक निरीक्षण करना।
यदि कोई कृत्रिम तली वाला या अनुचित डिप ग्रेड वाला टैंकर पाया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाता है और पुलिस को सूचित कर दिया जाता है।

3 कदाचारों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध उनका परिवहन अनुबन्ध समाप्त करना तथा परिवहन ठेकेदारों की काली सूची बनाने जैसी सख्त कार्रवाई की जाती है।

4 स्टाक हानियों पर नियंत्रण करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करना।

5 तेल कम्पनियों में आन्तरिक सतर्कता को मजबूत बनाना तथा पेट्रोलियम खुफिया और सतर्कता कक्ष के द्वारा बाह्य सतर्कता को मजबूत बनाना।

6 अवैध भंडारों आदि के विरुद्ध छापा मारने के लिए दिल्ली प्रशासन आदि के साथ निकट का समन्वय स्थापित करना।

(ख) और (ग) : दिनांक 3.11.82 को लारेंस रोड क्षेत्र में एक अवैध भंडार पर सी. बी. आई. अधिकारियों के साथ अपराध शाखा के द्वारा एक संयुक्त छापा मारा गया था तथा चार टैंकर जब्त किये गये। इस घोटाले में शामिल 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 40011 लीटर एल डी ओ और भट्टी के तेल की कुल मात्रा भी जब्त की गई थी। मामले की छानबीन की जा रही है।

खेलों के समाचार देने के लिए पत्रकारों को विदेशों में भेजना

5669. **श्री जगपाल सिंह**
श्री त्रिलोक चन्द : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय वेस्ट इंडीज का दौरा कर रही भारतीय क्रिकेट टीम के साथ समाचार-पत्रों के संवाददाता ने भेजने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने विदेशों में समाचारपत्रों के संवाददाता भेजने पर प्रतिबंध लगाया है यदि नहीं, तो विदेशों में पत्रकारों को भेजने की शर्तें क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के भ्रमण कर रही टीमों के साथ जाने वाले पत्रकारों को आर्थिक सहायता देता है और यदि हां, तो विगत वर्ष 1982-83 के लिये तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने आगामी खेल दौरों के दौरान सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के पत्रकारों को बाहर भेजने के बारे में क्या कार्यवाही करने पर विचार किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) (क) से (घ) : समाचार एजेंसियां/समाचारपत्र प्रतिष्ठान विदेशों में इस प्रकार की घटनाओं को कवर करने के लिए अपने प्रेस संवाददाताओं को भेजने के प्रबंध स्वयं करते हैं। समाचारपत्रों इत्यादि की ओर से इस प्रकार का प्रेस कवरेज करने की सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों और दूरदर्शन कर्मचारियों के लिये गठित समिति

5670. **श्री राम अवध** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन कार्यक्रमों अथवा दूरदर्शन कर्मचारियों के लिये सरकार द्वारा हाल ही में गठित समितियों के नाम क्या हैं और इन समितियों के निर्देश पद क्या है ; और

(ख) क्या ये समितियां अपने विचार विमर्श में दूरदर्शन के विभिन्न संघों अथवा एसोसिऐशनों के प्रतिनिधित्व को संबद्ध करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) विवरण में उल्लिखित कार्य दल माध्यम विशेषज्ञों तथा संबंधित मत के अन्य वर्गों से परामर्श कर सकता है।

विवरण

दूरदर्शन और आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाली संगीत और नृत्य को मदों की गुणवत्ता में सुधार करने के उपाय सुझाने के लिए सलाहकार समिति।

(क) **सदस्यों की सूची** :

(1) सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री अध्यक्ष

(2) सूचना और प्रसारण उप मंत्री	उपाध्यक्ष
(3) सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य
(4) महानिदेशक, आकाशवाणी	सदस्य-संयोजक
(5) संयुक्त सचिव (प्रसारण), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य
(6) महानिदेशक, दूरदर्शन	सदस्य
(7) कुमारी लतामंगेश्कर, प्रभु कुंज, पैडर रोड, बम्बई ।	सदस्य
(8) पंडित जसराज, राजकमल बिल्डिंग, शिवाजी पार्क, बम्बई ।	सदस्य
(9) श्री लालगुडी जी. जगरामन 13/14, रामानुजम स्ट्रीट, मद्रास ।	सदस्य
(10) डा० एम. बालमुरलीकृष्ण, पर्मानेन्ट आस्थान विद्वान, 12, भारतीदासन रोड, मद्रास ।	सदस्य
(11) डा० यामिनि कृष्णमूर्ति, सत्य मार्ग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली ।	सदस्य
(12) श्री श्याम बेनेगल, जी० देशमुख मार्ग, बम्बई ।	सदस्य
(13) डा० नारायण मेनन अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी, रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली ।	सदस्य
(14) पं० रविशंकर, "अरुणी मालाय", डी. 44/85-सी,	सदस्य

रामपुरा,
वाराणसी ।

(ख) **विचारणीय विषय**

(1) दूरदर्शन और आकाशवाणी के "राष्ट्रीय कार्यक्रम" में शामिल किए जाने वाली संगीत और नृत्य की मदों के लिए प्रख्यात कलाकारों का, समय-समय पर, पैनल बनाना ;

(2) कलाकारों का दर्जा "ए" ग्रेड से बढ़ाकर "टाप" ग्रेड करने के बारे में महा-निदेशक, आकाशवाणी की सिफारिशों पर विचार कर निर्णय करना ; और

(3) "राष्ट्रीय कार्यक्रम" में शामिल किए जाने वाली संगीत और नृत्य की मदों की गुणवता में सुधार करने के उपाय सुझाना ।

2. दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम संबंधी योजना तैयार करने के लिए कार्यदल

(क) **सदस्यों की सूची**

(1) डा० पी. सी. जोशी,
आर्थिक विकास संस्थान,
यूनिवर्सिटी एनक्लेव:
दिल्ली-110007

2. श्रीमती सई परांजपे,
फ्लैट नं० 204, अम्बर एपार्टमेंट्स
(द्वितीय तल), गांधीग्राम रोड,
जुहू, बम्बई-400049

3. श्री अलीकु पद्मसी,
मैसर्स लिटास इंडिया लि०,
एक्सप्रैस टावर, नरीमन प्वाइंट,
बम्बई-400021.

4. श्री जी. एन. एस. राघवन,
विकास संचार के प्रोफेसर,
भारतीय जन संचार संस्थान,
डी-13, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2,
नई दिल्ली-110049.

5. श्रीमती रामी छावड़ा,

बी-5/19, सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली-110016.

6. डा० विनोद सी. अग्रवाल,
स्पेस एप्लीकेशन सेंटर,
अहमदाबाद-380053.

7. कुमारी बीना गिल,
बी-42, फ्रेंडस कालोनी (पश्चिम),
नई दिल्ली-110055

8. प्रो० योगिन्द्र सिंह,
अध्यक्ष,
सेंटर फार दि स्टडीं आफ
सोशल सिस्टम्स,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली ।

9. श्री मोहन उप्रेती,
नेशनल स्कूल आफ ड्रामा,
नई दिल्ली ।

10. श्री भूपेन हजारिका,
77/बी, गल्फ क्लब रोड,
कलकत्ता-33.

11. डा० के. एस. गिल,
डीन,
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,
लुधियाना ।

12. श्री आर. बी. एल. श्रीवास्तव,
सेवा निवृत मुख्य इंजीनियर, दूरदशन,
डी-21106, वैस्ट किदवई नगर,
नई दिल्ली ।

13. अपर महानिदेशक,
दूरदर्शन

(ख) **विचारणीय विषय**

कार्य दल के विचारणीय विषय इस प्रकार होंगे :—

(1) देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहायता करने के दूरदर्शन के मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा सूचना' शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराने के प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम संबंधी योजना तैयार करना ;

(2) शहरी और ग्रामीण दर्शकों की संरचना पर विचार करते हुए बहु चैनल सेवा शुरू करने की आवश्यकता की जांच करना तथा कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं, वर्तमान तथा नियोजित दोनों, को ध्यान में रखते हुए उसके लिए कार्यक्रम पद्धति की अनुशंसा करना ;

(3) मानवशक्ति आवश्यकता तथा प्रशिक्षण सुविधाओं का आकलन करना तथा कार्यक्रम संबंधी दृष्टिकोण से सुधार के लिए उपाय सुझाना ; और

(4) कार्यक्रम और कलात्मक कार्य निष्पादन के मूल्यांकन की पद्धति तथा कार्यक्रम की मानिटरिंग के लिए भी पद्धति बनाना ।

बीड़ी कामगरों के लिए धूलीया ओरंगाबाद [पश्चिम बंगाल] में तपेदिक हस्पताल की स्थापना

5671. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के श्रमिक कल्याण विभाग ने तपेदिक से पीड़ित बीड़ी कामगारों के लिए धूलिया ओरंगाबाद (तारा पुर) क्षेत्र पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में एक तपेदिक का हस्पताल स्थापित करने के लिए कुछ उपाय किये हैं ;

(ख): क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस उद्देश्य के लिए आवश्यक एक योजना तथा आकलन उनके मंत्रालय के पास भेजा है ;

(ग) : यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) (क) तथा (ख) : जी हाँ ।

(ग) तथा (घ) : कल्याण आयुक्त भुवनेश्वर द्वारा अनुमोदित तथा निदेशक स्वास्थ्य सेवा भुवनेश्वर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नक्शे निष्पादन चिकित्सा तथा स्वास्थ्य भवन संबन्धी केन्द्रीय डिजाईन ब्यूरो को भेज दिये गये हैं ताकि वे संबंधित सी० पी० डब्ल्यू डी० सरकल को कार्य निष्पादन के लिए जाब आवंटित कर सके ।

कलकत्ता. बम्बई, नई दिल्ली और मद्रास के केन्द्रीय तारघरों में तारों का निपटान

5672. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1982 से 31 दिसबंर 1982 तक की अवधि के दौरान कलकत्ता, बम्बई, नई दिल्ली और मद्रास स्थित केन्द्रीय तारघरों में अलग-अलग कितने तारों को (क) टेली-ग्राफ सर्किट द्वारा (ख) डाक द्वारा ; और (ग) हाथों हाथ स्थीनीय डाकघरों को भेजा गया ; और

(ख) उपयुक्त स्टेशनों पर प्रत्येक मामले में उन्हीं प्रणालियों के अधीन निपटाये गये कुल तारों की तुलना में उन तारों की प्रतिशतता कितनी है जो डाक द्वारा अथवा हाथों हाथ भेजे जाने पर, विभाग के नियमों के अनुसार अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुचें ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) अपेक्षित जानकारी विवरण में दी गई है।

(ख). तार परिपथों पर भेजे गए तारों की तुलना में डाक या हवाई जहाज द्वारा भेजे गये तार जो लगभग केवल एक प्रतिशत ही होते हैं, मानको के अनुसार गंतव्य स्थान पर संभवत : समय पर न भी पहुंचते हो। चुंकि स्थानीय कार्यालय में तारों का दस्ती निपटान प्रेषण में विलंब से बचने के विचार से किया जाता है, अत: गंतव्य स्थान पर उनके देर से पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1 जुलाई, 1982 से 31 दिसबंर, 1982 की अवधि के दौरान निपटाए गए तारों की संख्या को दर्शीने वाला विवरण।

	(क) तार परिपथ	(ख) डाक द्वारा जिसमें हवाई डाक भी शामिल है	(ग) स्थानीय कार्यालयों को दस्ती भेजे गए
1. केंद्रीय तारघर, कलकत्ता	11376497	85052	410534
2. केंन्द्रीय तारघर, बम्बई	11081592	150857	1297258
3. केंन्द्रीय तार घर, नई दिल्ली	9987480	124137	495321
4. केंन्द्रीय तार घर, मद्रास	7256791	36417	278792

एथम्बटोल एच. सी. एल. के मध्यस्थ उत्पादों पर सीमा शुल्क

5673. **श्री चन्द पाल सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि एथम्बुटोल एच. सी. एल. के कतिपय मध्यस्थ उत्पादों के

आयात पर सीमा शुल्क में लगभग 70 प्रतिशत का अन्तर है,

(ख) क्या यह भी सच है कि एथम्बुटोल डी. एल. 2 एमिनोडुटानोल के निर्माता एथम्बुटोल को एथम्बुटोल डी 2 एमिनो -बुटानोल के लिए निर्धारित मूल्य पर बेच कर अप्रत्यक्ष लाभ पा रहें हैं और

(ग) इस मामले मे सरकार की क्या प्रति क्रिया है.

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे : (क) देश में इथम्ब्युटोल हाइड्रोक्लोराइड का उत्पादन डी-2 अमीनोब्यूटानोल तथा डी एल-2 अमीनोब्यूटानोल दोनों से ही किया जाता है। डी. एल-2 अमीनोब्यूटानोल पर सीमा शुल्क की 25 प्रतिशत की रियायती दर पर लागू होती है जबकि डी-2 अमीनोब्यूटानोल पर पूरा सीमा शुल्क लगता है।

(ख) और (ग) जी नहीं। 21 मार्च, 1983 से डी 2-अमीनो ब्यूटानोल और डी. एल-2 अमीनों ब्यूटानोल दोनों से निर्मित, इथम्ब्यूटानोल हाइड्रोक्लोराइड का मूल्य 804 रु0 प्रति किलो निर्धारित किया गया है। इसलिए डी. एल-2 अमीनोब्यूटोल से उत्पादन के मामले में, इथम्ब्यूटोल हाइड्रोक्लोराइड के उत्पादकों को अप्रत्यक्ष लाभ का प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन प्रणाली के सम्बन्ध में शिकायतें, आरोप

5674. **श्री अमल दत्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ स्थानीय लम्बी दूरी या अंतर्राष्ट्रीय कालों वाले टेलीफोनों के मीटरों से बिल नहीं बनाए जाते;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने टेलीफोन हैं और उनका उपयोग करने वाले कौन लोग हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मीटरों को रोकने, टेलीफोन लाइनों को दूसरी ओर मोड़ने, मुफ्त ट्रंक काल और अनधिकृत कनेक्शन देने की शिकायतें/आरोप हैं;

(घ) यदि कोई शिकायतें हैं तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या इस प्रकार की शिकायतों के संबंध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हालांकि गलत कनेक्शनों के कारण अधिक मीटरिंग की कुछ शिकायतें होती हैं, लेकिन मीटर ब्लाक करने, लाइन बदलने, नि:शुल्क ट्रंक काल और तथाकथित अनधिकृत कनेक्शन देने से सम्बन्धित शिकायतें/आरोप बहुत कम होती हैं।

(घ) उपभोक्ता कभी-कभी शिकायत करते हैं कि उन्हें गलत कालों के और जो कालें

उन्होंने की भी नहीं है, उनके बिल भेजे गए हैं।

(ड.) विभाग मीटर से सम्बन्धित प्रत्येक शिकायत की विस्तृत जांच करता है। कभी-कभी जिस लाइन की शिकायत की गई है, उसकी कालों की मीटरिंग पर एक या दो सप्ताह के लिए निगरानी रखी जाती है। यदि ऐसा विश्वास हो जाए कि मीटर में अधिक कालें अंकित हो सकती हैं, तो ऐसी हालत में छूट दी जाती है।

लाइनें बदलने, निःशुल्क कालें लगाने आदि जैसे किसी भी अपराध से सम्बन्धित आरोपों की सतर्कता कक्ष द्वारा जांच की जाती है और जिन मामलों में आरोप सिद्ध हो जाते हैं, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

कोरापुट में बेहतर दूर संचार सेवा :

5675. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री कोरापुट में बेहतर दूर संचार सेवा के बारे में 1 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1522 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट जिले के लिए प्रस्तावित "इन्टीग्रेटेड डिजिटियल नेटवर्क" योजना के प्रथम चरण का कार्यान्वयन 1983-84 के दौरान स्वीकृत किए जाने की आशा है क्योंकि छठी योजना के पूरा होने में केवल दो वित्तीय वर्ष शेष रह गए हैं;

(ख) यदि हां, तो जिले के कौन-कौन से स्थान और क्षेत्र "इन्टीग्रेटेड डिजिटियल नेटवर्क" योजना के अन्तर्गत आ जायेंगे;

(ग) क्या जिलें में बेहतर दूरसंचार सेवाओं के लिए इस जिले के सभी ब्लाकों को इस "डिजिटियल" कार्यक्रम के साथ सम्बद्ध किया जाएगा;

(घ) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसके प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान कितनी धन राशि जुटाई जाएगी और इसे उनके मंत्रालय के सक्षम अधिकारियों द्वारा कब स्वीकृति देने की आशा है, और

(ड.) इस योजना के लिए धनराशि प्राप्त करने और कोरापुट परियोजना और देश की अन्य परियोजनाओं के लिए देशी स्त्रोतों से उपकरण प्राप्त करने के लिए उनके मंत्रालय ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख)—चालू योजना० अवधि के दौरान संघटित अंकीय (डिजीटल) परिपथजाल योजना प्रारम्भ करने के लिए सारे देश में 18 गौण क्षेत्रों (जिलों) का चयन किया गया था। इन 18 चुने गए क्षेत्रों में कोरापुट भी शामिल है।

इस सूची योजना, जिसे डाक-तार बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया है, को तीन चरणों में

क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है :—

चरण एक :—आगरा, मथुरा, एलेप्पी और कोलाबा ।

चरण दो :—बाड़मेर, भोपाल-सिडोर, जलपाइगुड़ी, कोहिमा-मोकोकचुंग-बुइनर्तेज, नाडियाड और वेलगाम ।

चरण तीन :—कृष्णा, उत्तरी लखीमपुर, मुर्शिदाबाद, कोरापुट, दक्षिण आरकोट-पांडि, संगट्स, मेहसाना और कटिहार-पूर्णिया सभी मौजूदा और प्रस्तावित लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों और टेलीफोन एक्सचेंजों को संघटित अंकीय (डिजीटल) परिपथजाल द्वारा जोड़ा जाएगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस परियोजना पर अनुमानित लागत लगभग 3 करोड़ रुपये होगी जिसे चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल किया जाएगा । डाक-तार बोर्ड ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है ।

(ङ.) देशी/विदेशी स्रोत्रों से उपस्कर और निधि प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

राक फास्फेट और गन्धक का उत्पादन ।

5676. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में ही फास्फोटिक उर्वरक के उत्पादन को कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है,

(ख) यदि हां, तो राक फास्फेट और गंधक के उत्पादन में तेजी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस दिशा में क्या परिणाम निकले हैं,

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : विद्यमान खानों से रांक फास्फेट का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । देश में राक फास्फेट के नए भण्डारों का पता लगाने के अतिरिक्त निम्न स्तर के अयस्कों को उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त तकनीकों का पता लगाया जा रहा है । आशा है कि राक फास्फेट्स का उत्पादन 1985 तक एक मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ जाएगा ।

देश में एलिमेन्टल सल्फर भण्डारों के अभाव में, सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन पाइराइट अयस्क से तथा सल्फाईड अयस्क की स्मैल्टर गैसों से किया जाता है राजस्थान के सलादीपुरा में स्वदेशी पाइराइट भण्डारों को विकसित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ।

सोवियत दूर संचार उपग्रह का उपयोग

5677. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने देश में दूर दर्शन केन्द्रों के लिए सोवियत दूर संचार उपग्रह का उपयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या घरेलू दूर संचार और दूर दर्शन प्रसारण के लिए प्रयुक्त अमरीका निर्मित इन्टेलसेट कारपोरेशन सेटलाइट की सेवाएं अप्रैल, 1983 से समाप्त किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) क्या सोवियत संघ ने भारत को घरेलू दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए दस माह के लिए हिन्द महासागर के ऊपर भूस्थिर कक्षा में स्थित अपने एक उपग्रह की सेवाए देने का प्रस्ताव किया है; और

(ड.) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) "इन्टेलसेट" के माध्यम से घरेलू दूरदर्शन नेटवर्किंग 25 मार्च, 1983 से बन्द कर दी गई है । "इन्टेलसेट" का उपयोग अब भी दूर संचार के प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है।

(ग) "इन्टेलसेट" के प्राधिकारी मार्च, 1983 के बाद दूरदर्शन सेवाओं के लिए अपेक्षित क्षमता का ट्रांसपोंडर लीज पर उपलब्ध करते रहने में समर्थ नहीं थे ।

(घ) जी, हां ।

(ड.) निर्णय पहले ही लिया जा चुका है और सभी संबधित दूरदर्शन ट्रांसमीटरों ने 25 मार्च, 1983 से सोवियत उपग्रह का उपयोग करना शुरू कर दिया है ।

गत तीन वर्षों के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों को हुई हानि

5678. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान
श्री राम प्रसाद अहिरवार
डा० ए० यू० आजमी
} क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में वर्ष-वार प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में राज्य विद्युत बोर्डों को कितना-कितना लाभ/हानि हुई;

(ख) इसी अवधि में गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रमुख पांच विद्युत संयंत्रों को हुए लाभ/हानि की तुलना में इनकी क्या स्थिति है;

(ग) ऐसी हानि के क्या कारण हैं जो राज्य विद्युत बोर्डों के सीधे नियन्त्रण से बाहर की बात है;

(घ) ऐसे कौन-कौन से विद्युत संयंत्र हैं, जिन्होंने अपनी हानि का मुख्य कारण "भेल" के उपकरणों में बार-बार होने वाली खराबी को बताया है तथा किन-किन संयंत्रों ने कोयले की घटिया किस्म या इसकी कमी को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया है; और

(ङ.) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें पुनः इतनी भारी हानि न उठानी पड़े, क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) (ङ.) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में पोलिथीन वितरक

5679. **श्री तारिक अनवर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की तुलना में भारतीय पेट्रो-रसायन निगम, बड़ौदा के पोलिथीन उत्पादनों के वितरणों की संख्या दिल्ली में कम है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बम्बई की तुलना में दिल्ली में पोलिथीन का अधिक उपयोग होता है;

(ग) क्या दिल्ली के पोलिथीन उद्यमियों ने अधिक वितरक नियुक्त करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो अब तक उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या यह भी सच है कि भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि० के अधिकारी दिल्ली के वितरकों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए अनेक पोलिथीन उद्यमियों के हितों की उपेक्षा कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) :

(क) दिल्ली में दो वितरकों की तुलना में इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (ई० पी० सी० एल०) के बम्बई में पालीथिलीन उत्पादकों के पाँच वितरक हैं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) :—उद्यमियों तथा व्यापारियों से और अधिक वितरकों की नियुक्ति के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। इन प्रतिवेदनों पर विचार करके तथा दिल्ली में कम घनत्व वाली पालीथिलीन की खपत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, आई. पी. सी. एल. नेदे हली इन्डस्ट्रीज डिवेलपमेंट कारपोरेशन को एक वितरक के रूप में नियुक्त करते हुए एक आशय-पत्र जारी कर दिया है।

(ङ.) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रसारण का समय बढ़ाना

5980 **श्री डूंगर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(1) दूरदर्शन कार्यक्रमों को अधिक रोचक बनाने तथा प्रसारण का समय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) देश भर में प्रसारण व्यवस्था करने के लिए दूरदर्शन योजना को कितने चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दूरदर्शन कार्यक्रमों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। जनशक्ति और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए अपने कार्यक्रमों को अधिक रोचक बनाने और टेलीकास्ट समय में वृद्धि करने का दूरदर्शन का प्रयास रहा है। हाल ही में, अन्य बातों के साथ-साथ, दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा एक कार्यदल का भी गठन किया गया है।

(ख) इस समय, दूरदर्शन सेवा देश के 6.74 प्रतिशत क्षेत्र में फैली 19.1 प्रतिशत जनसंख्या को 41 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के माध्यम से उपलब्ध है। छठी योजना में सम्मिलित सभी स्कीमों के चालू हो जाने के बाद, दूरदर्शन सेवा के देश के 16 प्रतिशत क्षेत्र में फैली 33.5 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। दूरदर्शन एक महंगा माध्यम होने के कारण, दूरदर्शन सेवा समूचे देश में एक बार में ही उपलब्ध नहीं की जा सकती। इसलिए इस प्रयोजन के लिए योजनाएं, संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए, चरण-बद्ध ढंग से तैयार की जाती हैं। इस अवस्था पर यह बताना कठिन है कि समूचे देश में दूरदर्शन सेवा किस निश्चित समय तक उपलब्ध हो जाएगी।

प्रवासी श्रमिकों के विषय में आदर्श करारों के बारे में विश्व बैंक का सुझाव

5681. **श्री गुलाम मोहम्मद खाँ** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने, प्रवासी श्रमिकों के अन्तर्राष्ट्रीय अंश में वृद्धि और यूरोपीय तथा खाड़ी के देशों में उनकी बढ़ती जा रही मांग को देखते हुए श्रमिक भेजने वाली तथा श्रमिक को भर्ती करने वाली सरकारों के बीच एक आदर्श करार किए जाने का सुझाव दिया था :

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों संबंधी योजना

5682. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऊर्जा की कमी की समस्या को हल करने के लिए गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है और पिछले दो वर्षों के दौरान इन स्त्रोतों से कितनी ऊर्जा प्राप्त की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा वानिकी और जैव गैस के सम्बंध में व्यापक कार्यक्रम बनाए गए हैं । सौर और पवन ऊर्जा जैसे नए ऊर्जा स्त्रोतों का विकास भी तेज किया जा रहा है । सरकार द्वारा एक अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत आयोग और एक गैस-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग भी स्थापित किया गया है । क्षेत्रीय परीक्षण/प्रदर्शन कार्यक्रमों के अधीन सोर जल तापीय तंत्रों, सोर टिबर भट्टियाँ, ओर कुकर, सोर आसवन एकक, सोर फसल शुष्कन एकक, प्रकाश वोल्टीय पंपों, अन्य प्रकाश वोल्टीय अनुप्रयोगों (प्रकाश, संचार आदि), सामुदायिक जैव गैस संयन्त्र, पवन पँप आदि देश के विभिन्न भागों में अधिष्ठापित किए जा रहें हैं । अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को भी तेज किया जा रहा है । नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण कर्ताओं और इस्तेमाल कर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है और पारिवारिक आकार के जेव गैस सँयन्त्रों, जल पम्पन युक्तियां और सोर कुकरों के लिए भी राजसहायता प्रदान की जा रही है ।

नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के सम्बन्ध में प्रोद्योगिकियों का अभी इतना विकास नहीं हो पाया कि जिससे कम खर्च में बहुमात्रा में विद्युत उत्पन्न की जा सके तथापि प्रारम्भ में तापन अथवा यांत्रिक/वैद्युत के छोटे-छोटे अनुप्रयोगों के लिए अपेक्षित ऊर्जा को पूरा करने के लिए इन प्रद्योगिकियों का विकास किया गया है ।

ब्रिटेन से कोयला खानों सम्बन्धी आधुनिकतम उपकरणों का आयात

5683. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अपने खान आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटेन से तत्सम्बन्धी आधुनिकतम उपकरणों का आयात करेगा ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी विभाग ने उन उपकरणों की सूची पहले से बना ली है जो वहां से खरीदे जा सकते हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) इस करार की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं और इस करार के अधीन ब्रिटेन से क्या-क्या उपकरण आयात किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । कोल इंडिया लि० राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए इंगलैंड से आधुनिकतम कोयला खनन उपकरण आयात कर रहा है जैसे लांगवाल प्रेस उपकरण, रोड हैडर्स, 10 घन मी० शावल्स और 24 घन मी० ड्रैंगलाइनें ।

(ग) और (घ) कुछ सरकारी उपक्रमों अर्थात् माइनिंग ऐंड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, भारी इंजीनियरी निगम और मेसर्स जेसप्स ने लांगवाल प्रेस उपकरण, शावल्स और ड्रैमलाइनों जैसे उपकरणों के देशीकरण के लिए इंगलैंड की फर्मों से विदेशी सहयोग के लिए समझौते किए हैं । यह समझौते सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किए गए हैं ।

बंगाली सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए अधिक समय

5684 **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने दिनांक 1-3-1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1558 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताया है कि कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र से बंगाली सांस्कृतिक कार्यक्रम की अवधि को घटाकर हिन्दी में राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रसारण की अवधि 1 घंटा 31 मिनट कर दी गई है जो देश में सार्वाधिक है; और

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र से राष्ट्रीय कार्यक्रम जो अधिक लोकप्रिय नहीं है, की अवधि को कम करते हुए बंगाली सांस्कृतिक कार्यक्रम को अधिक समय देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं । दिनांक 1.3.83 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1558 के उत्तर में 1 घंटा 31 मिनट की जिस अवधि का उल्लेख किया गया था वह नवम्बर-दिसम्बर, 1982 और जनवरी, 1983 के मास के दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रम में बंगला में टेलीकास्ट किए गए

संगीत तथा नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समय की सूचक थी।

(ख) दूरदर्शन केन्द्रों को ये अनुदेश दे दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रादेशिक दूरदर्शन केन्द्रों के मुख्य प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रमों की अवधि उस अवधि से कम नहीं होनी चाहिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम के चालू होने से पहले थी।

विद्युत क्षेत्र में भट्टी तेल के बदले विशाल पेट्रोलियम भण्डार का उपयोग करना

5685. **श्री पी० एम० सईद** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत क्षेत्र में भट्टी तेल का प्रमुख और गौण रूप से ईंधन तेल के रूप में प्रयोग करने के बदले शीघ्र ही पेट्रोल-शोधक कारखानों द्वारा उत्पादित भारी पेट्रोलियम भंडार का उपयोग किया जाएगा;

(ख) क्या पश्चिम क्षेत्र में अनेक विद्युत संयन्त्रों में ऐसे परिवर्तन से प्राप्त परिणाम प्रोत्साहन जनक रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को पूरे देश में कब तक परिवर्तन कर दिया जाएगा; और

(घ) यह विद्युत क्षेत्र के लिए किस सीमा तक सहायक होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां। बंबई हाई कूड के त्वरित उत्पादन तथा शोधन तथा देश की सभी शोधनशालाओं में सहायक संसाधन सुविधाओं की स्थापना के परिणामस्वरूप, हैवी पेट्रोलियम स्टाकस जैसे कि एल०एस०एच०एस० (लौ सल्फर हैवी स्टाक) एच०एच०एस० (हाट हैवी स्टाक) तथा एच०पी०एस० (हैवी पेट्रोलियम स्टाक) बढ़ी हुई मात्रा में उपलब्ध होंगे। इस कारण यह आवश्यक है कि ऐसे स्टाकों के प्रयोग को विद्युत संयन्त्रों, उर्वरक संयन्त्रों इत्यादि सहित मुख्य उपभोक्ता क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाए। इस कारण तेल उद्योग विद्युत क्षेत्र में चरण बद्ध ढंग से भट्ठी के तेल को हैवी पेट्रोलियम स्टाकों के साथ प्रतिस्थापन के लिए बढ़ावा दे रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) हैवी पेट्रोलियम स्टाकों के प्रयोग के लिये पावर हाउसों का सम्परिवर्तन तक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसे चरण वद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

(घ) पावर क्षेत्र में भट्ठी के तेल की तुलना में हैवी पेट्रोलियम स्टाक जैसे कि एल. एस. एच. एस. के उपयोग को तरजीह दी जाती है क्योंकि :

1 भट्ठी के तेल की तुलना में इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदुषण कम होता है, ब्यॉलर अधिक समय तक चलता है तथा कम रख-रखाव करना पड़ता है।

(2) भट्ठी के तेल की तुलना में इसका क्लोरोफिक मूल्य अधिक होता है; तथा

(3) इसका मूल्य भट्ठी के तेल की तुलना में कम होता है।

बाहरी दिल्ली में पब्लिक काल आफिस खोलना

5686 **श्री सज्जन कुमार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाहरी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से कितने लोगों ने पब्लिक काल आफिस खोलने के बारे में आवेदन किया है और यह अनुरोध कब से लम्बित हैं;

(ख) इतने लम्बे समय से इन आवेदन पत्रों पर विचार न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन सभी लोगों को कब तक पब्लिक काल आफिस प्रदान कर दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन०पाटिल) : (क) बाहरी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से जिन व्यक्तियों ने पी०सी०ओ० खोलने के लिए आवेदन किए हैं उनकी संख्या 13-9-1981 के बाद से 243 हैं।

(ख) पी०सी०ओ० के लिए टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर में क्षमता न होने के कारण ये आवेदन अनिर्णीत पड़े हैं।

(ग) व्यवहार्यता, उपयुक्तता, एक्सचेंज की क्षमता और भंडार की उपलब्धता के आधार पर पी०सी०ओ० उत्तरोत्तर प्रदान किए जाएंगे।

बंधुवा बाल मजदूरी की संख्या में वृद्धि होना

5687. **श्री गफरान आजम** :
कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के विभिन्न राज्यों में बंधुवा बाल मजदूरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है :

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को बच्चों को बन्धुआ मजदूरी से दूर रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार पता लगाए तथा मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या 28 फरवरी, 1983 को 1,52,401 थी। पता लगाए तथा मुक्त कराए गए कुल बन्धुआ श्रमिकों में शामिल बाल बन्धुआ श्रमिकों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) बन्धुआ श्रम पद्धति को बन्धुआ श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन 25 अक्टूबर, 1975 से सम्पूर्ण देश में कानूनी तौर पर समाप्त कर दिया गया है, बालकों समेत किसी भी व्यक्ति से बन्धुआ श्रम करवाने की प्रथा गैर-कानूनी है। फिर भी, ऐसे बालक जो बन्धुआ श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अनुसार बन्धुआ श्रम पद्धति के अवयवों को पूरा करते हैं, उन्हें अधिनियम के अन्तर्गत बन्धुआ श्रमिक समझा जाएगा, राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है कि वे तुरन्त और प्रभावी कार्यवाही करें, जिसमें अति संवेदनशील क्षेत्रों में गहन सर्वेक्षण प्रारम्भ करना, बन्धुआ श्रमिकों को, जहां कहीं वे पाए जाए, शीघ्र मुक्त कराना और उन्हें पुनर्वासित करना शामिल है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की अनियमित सप्लाई किए जाने के कारण कोयला खानों को संकट

5688. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1983 में दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की अनियमित सप्लाई किए जाने के कारण 100 से अधिक कोयला खानें संकट में हैं;

(ख) क्या उन कोयला खानों में पानी का भराव खतरे के स्तर पर पहुंच गया है;

(ग) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) क्या 260 मेगावाट के बजाय केवल 150 से 160 मेगावाट बिजली की सप्लाई की गई ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभी पटल पर रख दी जाएगी।

कुष्ठ निवारक औषधियों की आवश्यकता और उत्पादन

5689. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ निवारक औषधियों की कितनी आवश्यकता है और कितनी उत्पादित हो रही है;

(ख) कुष्ठ निवारक औषधियों का कितना आयात किया जा रहा है;

(ग) कुष्ठ निवारक औषधियों का देश में ही उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या देश में कुष्ठ निवारक औषधियों के उत्पादन के लिए विदेशी निर्माताओं के साथ कोई करार विचाराधीन है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (वसन्त साठे) : (क) देश में कुष्ठ रोग के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली तीन मुख्य औषधियां डेपसोन, क्लोफेजीमाइन तथा रिफेम्पिसिन हैं। औषध एवं भेषज सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा यथा अनुमानित इन औषधों की वार्षिक आवश्यकता तथा स्वदेशी उत्पादन निम्न प्रकार हैं :—

औषध का नाम	अपेक्षाएं		स्वदेशी उत्पादन	
	1981-82	1982-83	1981-82	1982-83 (दिसम्बर 1982 तक)
1	2	3	4	5
		(आंकड़े किलो ग्राम में)		
1. डेपसोन	37,000	45,000	25,610	22,790
2. क्लोफेजीमाइन	430	520	440	450
3. रिफेम्पिसिन	9,800	13,300	*	*

*कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं।

(ख) 1981-82 और 1982-83 के दौरान आयातित डेपसोन, क्लोफेजीमाइन और रिफेम्पिसिन की मात्राएं निम्न प्रकार हैं :—

क्रमांक	औषध	आयात (किलो ग्राम)	
		1981-82	1982-83 (सितम्बर 1982 तक)
1.	डेपसोन	18,500	19,500
2	क्लोफेजीमाइन	160	—
3.	रिफेम्पिसिन	16,065.5	7,755

(ग) कुष्ठ रोग निवारक औषधियों की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए पहले की भांति औद्योगिक अनुमोदन जारी किए गए हैं :—

1. रिफेम्पिसिन — 24 टन
2. डेपसोन — 247 टन
3. क्लोफेजीमाइन — 70 टन

डेपसोन और क्लोफेजीमाइन के सम्बन्ध में उपर्युक्त क्षमता का एक भाग पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है।

(घ) इस समय किसी विदेशी उत्पादक के साथ कोई करार विचाराधीन नहीं है। तथापि, रिफेम्पिसिन के लिए एक फेरा कम्पनी को आशय पत्र जारी किया गया है जिसके लिए वे अपनी विदेशी मालिकों से प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकते हैं।

तेल/गैस की खोज केलिए सोवियत शिष्ट मन्डल का दौरा

5690. **श्री आनन्द सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए हाल ही में एक सोवियत शिष्ट मण्डल ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो भारत का दौरा करने वाले सोवियत शिष्ट मण्डल के नेता और अन्य सदस्यों के नाम और पद क्या हैं तथा भारतीय समकक्षों के साथ हुई चर्चा के क्या निष्कर्ष निकले और उन्होंने किन-किन स्थानों का दौरा किया; और

(ग) दौरे पर आए शिष्ट मण्डल द्वारा प्रस्तावित अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज के क्षेत्रों में विचार-विमर्श के लिए हाल ही में, किसी सोवियत दल ने भारत की यात्रा नहीं की है। तथापि, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए विभिन्न संलेखों (प्रोटोकोलस) के अन्तर्गत सोवियत विशेषज्ञ समय-समय पर भारत आते रहते हैं।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

दण्डकारण्य प्रोजेक्ट इम्प्लाईज एसोसिएशन की ओर से अभ्यावेदन

5691. **श्री अजित बाग** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में दण्डकारण्य प्रोजेक्ट एसोसिएशन की तरफ से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इन पर विशेष रूप से नवीनतम अभ्यावेदन पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दण्डकारण्य परियोजना में तथाकथित सामान्य स्थिति होने के समय पर दण्डकारण्य परियोजना के कितने कर्मचारियों को अन्यत्र खपाया गया है; और

(घ) उनमें से अभी कितने और लोगों को खपाया जाना है और सरकार का विचार उन्हें किस तरह खपाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) : समय-समय पर दण्डकारण्य कर्मचारी संघ (जो एक मान्यता प्राप्त संघ नहीं है) से, विभिन्न प्राधिकारियों को सम्बोधित, बहुत से अभ्यावेदन अथवा उनकी प्रतियां प्राप्त हो रही हैं। किसी विशेष

अभ्यावेदन (अभ्यावेदनों) के सम्बन्ध में विशिष्ट सन्दर्भ के अभाव में सरकार की प्रतिक्रिया बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) 128 कर्मचारी ।

(घ) परियोजना को सामान्य बनाने के परिणामस्वरूप जो कर्मचारी फालतू हो जाएंगे, उन्हें नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा पेश की गई शर्तों पर उड़ीसा/मध्य प्रदेश सरकार की सेवाओं में खपाए जाने अथवा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सेल/रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम से पुनः लगाए जाने के लिए विकल्प दिया जाएगा । परियोजना की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए कर्मचारियों को चरणों में फालतू घोषित किया जाएगा ।

मध्य प्रदेश में डाकघरों और उप डाकघरों का खोला जाना

5692. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 के दौरान मध्य प्रदेश में जिला-वार खोले गए नये डाकघरों और उप डाकघरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में डाकघर की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में 'चलते-फिरते डाकघर' सुविधा अथवा कोई अन्य डाकघर सुविधा प्रदान करने की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 1982-83 के दौरान 28-2-1983 तक मध्य प्रदेश में 105 शाखा उप डाकघर खोले गए हैं । जिलेवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) एक हजार या उससे अधिक आबादी वाले पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में स्थित ग्रामों में डाकघर खोलने के सम्बन्ध में विचार किया जाता है बपर्ते कि वहां 3 कि०मी० के भीतर कोई डाकघर पहले से काम न कर रहा हो । सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या कम-से-कम 2000 होनी चाहिए । इन दोनों मामलों में ग्राम पंचायत वाले ग्रामों पर जनसंख्या वाली शर्त लागू नहीं होती है । इसमें एक वित्तीय शर्त यह भी है कि सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डाकघरों को वार्षिक लागत के 25 प्रतिशत और पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के मामले में उसके 10 प्रतिशत की आमदनी होनी चाहिए । पात्र ग्रामों में डाकघर चरणबद्ध रूप से खोले जाते हैं बशर्ते कि इस कार्य के लिए वार्षिक योजनाओं में निधि उपलब्ध हो ।

(ग) जी हां । 1983-84 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में चल डाकघरों के माध्यम से समूचे देश के 1750 अतिरिक्त ग्रामों में, जिसमें 255 ग्राम मध्य प्रदेश के भी शामिल हैं, में डाक सुविधाये प्रदान करने का प्रस्ताव है । इसके अलावा, मध्य प्रदेश के 278 ग्रामों सहित लगभग 2500 ग्रामों

में नियमित डाकघर खोले जाने का भी प्रस्ताव है ।

विवरण

1982-83 के दौरान मध्य प्रदेश में जिलेवार खोले गए नए डाकघरों और उप डाकघरों का ब्यौरा

जिले का नाम	खोले गए डाकघरों की संख्या	
	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	उप डाकघर
1	2	3
1. विलासपुर	8	1
2. देवास	—	—
3. इन्दौर	1	1
4. रतलाम	1	—
5. मन्दसौर	4	—
6. सिहोर	—	—
7. शाजापुर	—	—
8. शिवपुरी	1	—
9. उज्जैन	2	1
10. सतना	—	—
11. रीवा	4	—
12. झबुआ	2	—
13. दमोह	—	—
14. सागर	1	1
15. रायगढ़	8	1
16. दुर्ग	3	—
17. नरसिहपुर	—	—
18. होशंगाबाद	—	—
19. छतरपुर	3	1
20. पन्ना —		1

1	2	3
21. टीकमगढ़	—	—
22. छिंदवाड़ा	5	—
23. बेतुल	1	—
24. बालाघाट	2	—
25. राजनांदगांव	1	—
26. सिओनी	—	—
27. बस्तर	3	—
28. मुरैना	6	—
29. सरगुजा	4	—
30. रायपुर	7	—
31. सिधी	—	—
32. भिण्ड	1	—
33. विदीशा	1	—
34. शहडोल	2	—
35. जबलपुर	3	—
36. खंडवा	6	—
37. खरगोन	6	—
38. ग्वालियर	1	—
39. रायसेन	1	—
40. दतिया	1	—
41. धार	5	—
42. माँडला	2	—
43. कोरबा	1	—
44. गुना	3	—
45. भोपाल	—	—
	योग 100	5

चिराला में टोबेको थ्रेशिंग मशीन के लगाने से आदिवासियों, हरिजनों और महिलाओं में बेरोजगारी

5693. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि चिराला (आन्ध्र प्रदेश) में टोबेको लीफ थ्रेशिंग फैक्टरी में एक विशाल थ्रेशिंग मशीन के लगाये जाने से 5,000 से अधिक श्रमिकों को जिनमें अधिकांशत: आदिवासी और हरिजन तथा महिलाएं हैं, नौकरी से हटा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से सूचना माँगी गई है, जिसे यथासमय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

1982 में प्रदान किया गया रोजगार

5694. **सैफुद्दीन चौधरी** : **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में मिलाकर महीने-वार कितने-कितने नये रोजगार प्रदान किये गए ।

(ख) इसी अवधि में रोजगार चाहने वालों की सूची में महीने-वार कितनी वृद्धि हुई ; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) भाग की अपेक्षा (ख) भाग में संख्या अधिक हो तो दोनों के बीच संतुलन लाने के लिए सरकार क्या करने पर विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) वर्ष 1982 के दौरान प्रत्येक माह में रोजगार कार्यालयों द्वारा दिलाई नौकरियों के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण एक में दी गई है ।

(ख) संगत सूचना संलग्न विवरण-दो में दी गई है।

(ग) छठी योजना दस्तावेज 1980-85, अध्याय "जनशक्ति और नियोजन" में रोजगार अवसरों के सृजन के लिए प्रारम्भ किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के ब्यौरे देता है । योजना में परिकल्पना की गई है कि ऐसे कार्यक्रमों से, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जा रहा है, रोजगार के लिये पर्याप्त क्षमता की व्यवस्था होगी और 34 मिलियन मानक व्यक्ति वर्षों के बराबर रोजगार अवसर सृजित होंगे । प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ऋण सुविधाओं, मार्किटिंग सुविधाओं और मार्गदर्शन की व्यवस्था द्वारा स्व-रोजगार के बढ़ावे पर भी जोर दिया जा रहा है ।

विवरण-एक

वर्ष 1982 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा दिलाई गई नौकरियाँ-अखिल भारत

माह	संख्या (हजारों में)
1	2
जनवरी	40.8

1	2
फरवरी	35.4
मार्च	41.7
अप्रैल	41.6
मई	41.8
जून	38.0
जुलाई	34.5
अगस्त	39.8
सितम्बर	35.2
अक्टूबर	32.8
नवम्बर	39.2
दिसम्बर	52.6

विवरण-दो

वर्ष 1982 के दौरान प्रत्येक माह में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या में वृद्धि-अखिल भारत,

माह	संख्या (हजारों में)
जनवरी	91.6
फरवरी	33.3
मार्च	66.0
अप्रैल	30.5
मई	4.8
जून	271.5
जुलाई	326.6
अगस्त	370.4
सितम्बर	168.9
अक्टूबर	58.3
नवम्बर	168.8
दिसम्बर	315.3

एच० पी० सी० एल० के कर्मचारियों की पदोन्नोति सम्बन्धी नियम

5695. **श्री रसीद मसूद** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० पी० सी० एल० के कर्मचारियों की पदोन्नित संबंधी नियमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि एच० पी० सी० एल० में अपनी पदोन्नति नीति में कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यताओं की अपेक्षा की जा रही है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि एच० पी० सी० एल० में बड़ी संख्या में केवल हाईस्कूल, मैट्रिक की शैक्षिक योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को इंजीनियर और तकनीशियनों के पदों पर पदोन्नत किया गया है यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और उनके ग्रेडों, पदों और उन कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता सहित ऐसी सभी पदोन्नतियों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग के राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) हिन्दुस्तान पेटोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच० पी० सी० एल०) में अधिकारियों के लिए वर्तमान में अपनायी जाने वाली प्रौन्नति नीति निम्नलिखित रूप में है : —

(नीचे दिए गए वेतन ग्रुपों को इस महीने संशोधित किया गया है, और ये 1 अगस्त, 1982 से प्रभावी हैं)

1. वेतन ग्रप "ए" से : रु० 1050-50-1750-60-2110
   वेतन ग्रुप "बी" तक : रु० 1360-60-1840-70-2400

   वेतन ग्रुप "ए" में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव जहां उम्मीदवारों के पास एच० पी० सी० एल० में सेवा आरम्भ करने से पहले सार्वजनिक क्षेत्र में अथवा निजी क्षेत्र में एक वर्ष से अधिक का नियत अनुभव है, उन्हें इसी प्रकृति के कार्य के अनुभव के लिए एक वर्ष की छूट दी जायेगी। आई० आई० टी० से और विदेशों के विख्यात विश्व विद्यालयों के इंजीनियरिंग स्नातकोत्तरों के लिए वेतन ग्रुप "ए" के लिए कम से कम दो वर्षों का अनुभव।

   सुस्थापित प्रबन्ध/व्यवसायिक संस्थानों के सनद्री लेखापालों तथा एम० बी० ए० के लिए कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

2. वेतन ग्रुप "बी" से : रुपये 1360-60-1840-70-2400
   वेतन ग्रुप "सी" तक : रुपये 1700-70-1980-75 2655
   वेतन ग्रुप "बी" में कम से कम तीन वर्ष की सेवा अथवा वेतन ग्रुप "बी" में कम से कम 2 वर्ष की सेवा सहित वेतन ग्रुप "ए" और "बी" में 6 वर्षों की सम्मिलित सेवा।

   सुस्थापित प्रबन्ध/व्यावसायिक संस्थानों के सनदी लेखापालों तथा एम० बी०

ए० के लिए वेतन ग्रुप "बी" में दो वर्षों की सेवा सहित, वेतन ग्रुप "ए" और "बी" में चार वर्षों की सम्मिलित सेवा ।

3. वेतन ग्रुप "सी" से : रुपये 1700-70-1980-75-2655
वेतन ग्रुप "डी" तक : रु० 2000-80-2880 और उसके पश्चात के उच्च समूहों (ग्रुपों) में

संबंधित वेतन ग्रुप में कम से कम 2 वर्ष ।

4. प्रोन्नति मानदण्ड : वेतन ग्रुप "ए" से "बी" में प्रोन्नति के लिए "वरिष्ठता एवं योग्यता" का और वेतन ग्रुप "बी" से "सी" और उसके ऊपर ग्रुपों के लिए "योग्यता-एवं-वरिष्ठता" का सिद्धान्त अपनाया जाता है ।

अधिकारियों की प्रोन्नति का निर्णय लेते समय, समस्त पात्र अधिकारियों पर उनकी पिछले तीन वर्षों की कार्य-निष्पादन रेटिंग्ज, शैक्षनिक योग्यताओं, ग्रेड में वरिष्ठता तथा कार्पोरेशन में कार्य में उसके अनुभव की पुरनीक्षा करने के बाद विचार किया जाता है । ऐसे अधिकारियों का असंतोष दूर करने के लिए जिनकी अधिक वर्षों की सेवा है और जिनकी वेतन ग्रुप "बी" और "सी" में "संतोषजनक" कार्य-निष्पादन रेटिंग है, इस कार्य-निष्पादन श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले ऐसे अधिकारियों की प्रोन्नति से रिक्त पदों में कुछ प्रतिशत को भरा जाता है ।

5. **विभागीय प्रोन्नति समितियों का गठन**

वेतन ग्रुप ए से बी और बी से सी में प्रोन्नति के लिए	संबंधित महा-प्रबन्धकों सहित कम से कम दो निदेशक
वेतन ग्रुप सी से डी, डी से ई, और और ई से एफ. में प्रोन्नतियों के लिए	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशकों की एक पूर्ण-कालिक समिति
वेतन ग्रुप एफ से जी और जी से एच में प्रोन्नतियों के लिए	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में कम से कम एक बाहर के निदेशक सहित निदेशकों की एक समिति । अन्तिम रूप से अनुमोदन करने के लिए बोर्ड को विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशें प्रस्तुत की जानी हैं ।

(ख) और (ग)–जी, नहीं । विभागीय उम्मीदवारों के प्रोन्नति के मामलों पर विचार करते समय, अन्य मानदण्ड जैसे अनुभव तथा कार्य पर अच्छे कार्य - निष्पादन के साथ औपचारिक इंजीनियरिंग अहर्ता विचारार्थ एक मानदण्ड है, परन्तु जहाँ ऐसी औपचारिक इंजिनियरिंग अहर्ताओं के उम्मीदवार उपलब्ध नही है, अन्य उपयुक्त उम्मीदवार जिनके पास कार्पोरेशन ने अधिक समय

का और कार्य का संतोषजनक अनुभव है। (दसवीं पास के लिए 15 वर्षों अथवा और अधिक वर्षों का और स्नातकों एवं डिप्लोमा धारण करने वालों के लिए पांच वर्ष और उससे अधिक का) और जिनका अच्छा कार्य - निष्पादन है, को प्रोन्नति के लिए उचित समझा गया है और उनकी प्रोन्नति की गई है। इसनीति को भूत पूर्व विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अपनाया गया था और सरकार द्वारा तेल कम्पनियों का अधिग्रहण करने के पश्चात अधिक संख्या में स्तीफों तथा सेवा निवृत्ति के कारण रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपनाया जा रहा है।

इस श्रेणी के अन्तर्गत पदोन्नत किये गये समस्त अधिकारियों के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम

5696. **श्री सुभाष यादव :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेडने देश में उसके खनन और खानों के क्षेत्रों में शून्य दुर्घटना संभावना के लिए अपने श्रमिकों की सुरक्षा हेंतु कार्यक्रम आरम्भ किया है।

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य रुपरेखा क्या है ; और

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा- पटल पर रख दी जाएगी।

दामोदर घाटी निगम से पन बिजली उत्पादन हेतु योजना

5697 : **क्षी सुधीर कुमार गिरि** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि दामोदर घाटी निगम द्वारा 3760 मेगावाट पन बिजली उत्पादन के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है और केन्द्रीय सरकार को उसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गयाहै ;

(ख) देश में कितने पन बिजली संयंत्र हैं और इन संयंत्रों से कितनी बिजली पैदा की जाती है ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त मास्टर प्लान की संवीक्षा की है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ग) दामोदर घाटी में जल विद्युत शक्यता" पर एक प्रलेख प्रस्तुत किया है जिसमें 4 पम्पड स्टोरेज स्कीमों का संक्षिप्त विवरण तथा 3760 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता की एक परम्परागत जल विद्युत स्कीम शामिल है। चूँकि इस प्रलेख में स्कीमों का केवल संक्षिप्त विवरण दिया गया है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दामोदर घाटी निगम को सलाह दी है कि वह विस्तृत क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य हाथ मैं ले और आगे जांच के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। दामो-

दर घाटी निगम द्वारा अन्वेषण कार्य हाथ में ले लिया गया है।

(ख) देश में करीब iii जल विद्युत केन्द्र (माइक्रो जल विद्युत स्कीमों को छोड़कर) प्रचालन में हैं। इनमें आंशिक रूप से चालू किए गए विद्युत केन्द्र भी सम्मिलत हैं। वर्ष 1982-83 के दौरान, लगभग 48200 मेगावाट आवर विद्युत उत्पादन होने की संभावना है।

हैदराबाद से प्रसारित कार्मक्रमों में हिन्दी/तेलगु कर्यक्रमों के बीच अनुपात

5698. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद में अधिकतर हिन्दी फिल्मी गानों तथा हिन्दी फीचर फिल्मों का प्रसारण किया जांता है ;

(ख) हिन्दी तथा तेलगु में प्रकाशित कार्यक्रमों के बीच अनुपात क्या है ; और

(ग) क्या उक्त कार्यक्रमों में तेलगु की प्रतिशतता बढ़ाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमन्त्री तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्यमंत्री (श्री एच०के० एल० भगत) (क) और (ख) : जी, नही। दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद प्रति सप्ताह एक तेलुगु, फीचर फिल्म तथा एक हिन्दी फीचर फिल्म टेलीकास्ट करता है। यह केन्द्र हिन्दी में फिल्म आधारित गीत और नृत्यों अनुक्रमों का एक साप्ताहिक कार्यक्रम भी रिले करता है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली के जिला और सेशन न्यायालय में अधीक्षकों के रिक्त पद को भरना

5699. **श्री भीकूराम जैन** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला और सेशन न्यायाधीश, दिल्ली के कार्यालय में अधीक्षकों के अनेक पद रिक्त पड़े हुये हैं ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

विधी न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जिला और सेशन न्यायाधीश, दिल्ली के कार्यालय में अधीक्षक का एक पद पदधारी की सेवानिवृत्ति पर 1982 में रिक्त हुआ था। इस पद को शीघ्र भरने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उपाय किए जा रहे हैं।

उड़ीसा में कोयला खानों का विकास

5700. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **उर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न भागों में स्थित कितने कोयला क्षेत्र हैं और उनके क्या नाम हैं ;

(ख) कौन-कौन सी कोयला कम्पनियाँ इन कोयला खानों का प्रबन्ध करती हैं ; और

(ग) इन कोयला क्षेत्रों के विकास के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उड़ीसा में दो कोयला क्षेत्र हैं अर्थात तालचर कोयला क्षेत्र और इब घाटी कोयला क्षेत्र ।

(ख) तालचर कोयला क्षेत्र सेन्टल कोलफील्डस लि० के अधिकार क्षेत्र में आता है और इब घाटी कोयला क्षेत्र वेस्टर्न कोलफील्डस लि० के अधिकार क्षेत्र में है ।

(ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वैधता की दृष्टि से किसी विशेष मतदान केन्द्र पर डाले गए मतों की न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित करना

5701. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क क्या चुनाव कानूनों में इस आशय का कोई प्रावधान हैं कि किसी मतदान केन्द्र पर टाले गये मत तभी वैध समझे जायेंगे जबकि उस केन्द्र पर मतों की एक विशेष न्यूनतम प्रतिशतता के मत डाले जायें ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार कितनी प्रतिशतता निर्धारित की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो लोकतंत्र की परिभाषा के अन्तर्गत ऐसे मतदान को बैध मानने का क्या औचित्य है ;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी प्रतिशतता निर्धारित करने के लिये संगत कानूनों में संशोधन करने का है ; और

(ड.) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और याद नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) से ड. यदि किसी स्थान पर निर्वाचन लड़ने वाला विरोधी कोई न हो और मतदाता को यह स्वतंत्रता दी गई हो कि वह बिल्कुल ही मतदान न करे या निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 41 (2) के अधीन उसे जारी किए गए मतपत्र को वह अपना मत अभिलिखित किए बिना, वापस कर दे तो निर्वाचन विधि में निर्वाचन परिणामों की घोषणा

से सम्बन्धित उपबन्ध को लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। इसीलिये सरकार का, सुसंगत विधियों में इस आशय का संशोधन करने का विचार नहीं है कि मतदान केन्द्र पर किया गया मतदान तभी विधिमान्य होगा जब वहाँ किसी विशिष्ट न्यूनतम प्रतिशत तक मतदान किया गया हो। इस आशय के किसी उपबन्ध का प्रभाव उन निर्वाचकों के, जिन्होंने मतदान का प्रयोग करने का चयन किया है, मताधिकार को नकानरा होगा और लोकतंत्र के विरुद्ध होगा।

रसायनों और उर्वरकों के लक्ष्यों पर पुनर्विचार

5702. **श्री मोतीभाई आर. चौधरी**
श्रीमती किशोरी सिन्हा
श्री रवीन्द्र वर्मा } : **क्या रसायन और उर्वरक** मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उर्वरकों और दवाओं के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में हाल में सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी ; और

(ग) यदि हाँ, तो बैठक में लिये गये निर्णयों का पूरा ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) उत्पादन लक्ष्यों का आवधिक रुप से पुनरीक्षण किया जाता है। 1982-83 के दौरान उर्वरकों के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्न प्रकार है :—

एन	36 लाख टन
पी 2 ओ 5	10 लाख टन

कई औषधों की मांग पहले के अनुमानों से कम होगी जबकि कुछ मामलों में यह अधिक होगी। परिणाम के अनुसार 1984-85 तक प्रपुंज औषधों की आवश्यकता अनुमान से कम हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए एक मध्यावधिक पुनरीक्षण परिकल्पित है।

कोयला खानों के श्रमिकों की सेवा शर्तों में सुधार

5703. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **उर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों के श्रमिकों की सेवा शर्तों में सुधार करने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और उनके कल्याण के लिए पहले ही उपलब्ध सुविधाओं के विस्तार के अतिरिक्त उनकी सुरक्षा के लिये क्या उपाय सुनिश्चित किये गये हैं ;

(ख) क्या इनमें अब तक कुछ सफलता मिली है और समग्र रूप से उद्योग के आधारभूत ढांचे के मजबूत करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या कोयला खानों पर अब भी माफिया का शासन चलता हैं और हमारी कोयला खानो की जीवनक्षमता क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मत्री(श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कोल इन्डिया लि० और कोयला खान कल्याण संगठन कोयला खानों में कामगारों की काम की दशाओं में सुधार के लिए कोयला खनिकों के कल्याण पर बड़ी राशियाँ खर्च कर रहे हैं। को० इं० लि० का पूंजीगत आवंटन बहुत बढ़ा दिया गया है और यह 1980-81 के रु० 25,59 करोड़ की तुलना में 1981-82 में रु० 42.23 करोड़ और 1982 83 में रु० 65.33 करोड़ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कोयला खान कल्याण संगठन प्रतिवर्ष 10 करोड़ कल्याण कार्यो पर खर्च करता है। मुख्य कल्याण क्रियाकलाप आवास, जल पूर्ति, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन आदि कहे जा सकते हैं। को० इ० लि० में आवास की जो सुविधा राष्ट्रीयकरण के समय तक 20% थी अब वह लगभग 35% हैं। राष्ट्रीयकरण के समय जहाँ पीने योग्य जल 2.27 लाख लोगों को प्राप्त था वहाँ दिसम्बर, 1982 तक को० इ० लि० द्वारा यह 15.57 लाख लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है।

खानों में सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिये उठाए गए कदमों की समय समय पर विभिन्न स्तरों पर...जैसे सरकार, कोल इन्डिया लि० और सहायक कम्पनियों में पुनरीक्षा की जाती है। सुरक्षा उपायों से सम्बद्ध वैधानिक प्रावधानो को लागू करवाने के अलन्वा कम्पनियाँ "खानों में सुरक्षा सम्बन्धी समिति" की सिफारिशों को भी समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर कार्यान्वित कर रही हैं।

(ग) कोयला कम्पनियों में दादा लोगों अर्थात माफिया तत्वों का बोलबाला होने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, राज्य सरकार के सहयोग से समाज विरोधी तत्वों के क्रियाकलापों को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं का पिछड़ा जाना

5704. **श्री हरीश चन्द्र कुमार गंगवार** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि क्या सरकार का ध्यान 'टाइम्स आफ इंडिया' दिनाँक 16 मार्च, 1983 में संट'बैंक टू प्लान फार रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण योजानओं के पिछड़े जाने का उल्लेख किया गया है और यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये है/उठाए जाने हैं जिससे कि कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन पर गम्भीर रूप से कुप्रभाव न पड़े और ग्रामीण क्षेत्र और अधिक निर्धन न बने ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) समाचार रिपोर्ट पढ़ी गई है। छठी पंचवर्षीय योजना [1980-85] में अखिल भारतीय आधार पर। लाख गांवों के विद्युतीकरण और 25 लाख सिंचाई पम्प सेटों 1 ट्यूबवैलों को ऊर्जित करने की परिकल्पना की गई हैं। योजना के पहले दो वर्षों [1980-81) और 1981-82 के दौरान लगभग 45,100 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था तथा

लगभग 6.87 लाखा सिंचाई पम्पसेटों / ट्यूबवैलों को ऊर्जित किया गया था। वर्ष 1982-83 के दौरान फरवरी, 1983 के अंत तक 17,287 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था और 2,59 455 पम्पसेट ऊर्जित किये गए थे।

अब तक ग्राम विद्युतीकरण में की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए छठी योजना के लिये अखिल भारतीय लक्ष्य के पूरा हो जाने की आशा है। तथापि, पम्पसेटों के उर्जन के बारे में समग्र प्रगति लक्ष्य के अनरूप नहीं हुई है। लक्ष्यों की प्राप्ति मेंकमी के मुख्य कारणों में निम्नलिखित में से एक या अधिक कारण शामिल हैं :—

निर्माण सामग्री की कम सप्लाई, राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्य सरकारों के विकास अभिकरणों के बीच समन्वय की कमी उचित संगठन न होंना, अपर्याप्त विद्युत्तसप्लाई अपर्याप्त उप पारेषण प्रणाली, लागतों में वृद्धि पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में कठिन तराई आदि।

इस कार्य के लिए उपलब्ध स्रोतों के साथ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाते हुए, इस कार्यक्रम को और कारगर बनाने के लिये विद्युत उपलब्धा तथा वितरण सुविधाएं बढ़ाने के लिए निरंतररूप से प्रयास किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंर्न्तगत कार्य की निति बढ़ाने के लिए राज्य बिजली बोर्डो के साथ समीक्षा बैठकें की जाती है।

इस संबंध में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा भी विभिन्न तथ्य उठाए गये हैं। जिनमें ये शामिल है :—

(1) बोर्डो के क्षेत्रीय संगठनों के साथ उचित तथा घनिष्ठ संपर्क सुनिश्चित करना तथा निर्माणाधीन स्कीमों के कार्यान्वियन की मानीटरिंग करने के लिए निगम ने सभी राज्यो में परियोजना कार्यालय तथा कुछ राज्यों में उपकार्यालय भी खोले हैं।

(2) निगम के मुख्य कार्यालय में मानीटरिंग डिवीजन, स्वीकृत स्कीमों के कार्यान्वियन पर निरंतरनिगरानी रखता है तथा उपचारी उपाय करने के लिए परियोजना कार्यालयों की सहायता से ग्राम विद्युतीकरण परियोजनओं के कार्यान्वियन में मुख्य कमियों का पता लगाता है।

(3) स्कीमों का समय पर कार्यान्वियन करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण परियोजना की अभिकल्प तथा ऋण नीति को संशोधित किया गया है।

(4) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अन्य बातों के साथ साथ वर्ष के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित के कार्यों कार्यान्वियन के लिए सामग्री की समग्र आवश्यकता आर्डर दी गई प्राप्त की गई सामग्री तथा विद्यमान या स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित ढाँचे को दिखाते हुए स्कीमवार कार्यक्रम तैयार करने के लिए राज्य बिजली बोर्डो मे से अनुरोध किया है।

(5) भू-गत जल के इष्टतम समुपयोंजन के लिए सिंचाई पम्पसेटों के ऊर्जन संबंधी कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से तथा राज्यों की कुल संसाधन उपलब्धता का पता लगाने

तथा अनुमान लगाने के उद्देश्य से भी गंगा घाटी के राज्यों के संबंध में विस्तृत अध्ययन करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने एक नए डिवीजन की स्थापना की है जिसके अध्यक्ष निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं । यह डिवीजन आँकड़ो का विश्लेषण करेगा तथा आर्थिक रूपरेखा तैयार करेगा जिसमें (क) समस्याओं और भावी संभावनाओं को सभाविष्ट करते हुए संकल्पित माडल (ख) कार्रवाई संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए क्रियात्मक माडल का उल्लेख किया जाएगा और विश्लेषण के परिणामों के अनुरूप तथा देश में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के मुख्य उद्देश्य के अनुकूल सिफारशें और योजना कौशल भी तैयार करेगा ।

गैस के विकास सम्बन्धी परियोजनाएं

5705. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैस के विकास सम्बन्धी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन परियोजनाओं से कितनी गैस उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) इन में कितनी धनराशि लगाई गई है ; ओर

(घ) विश्व बैंक कुवैत फण्ड और दूसरी एजेन्सियों से इन परियोजनाओं के लिये कितनी धनराशि मिलने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) फ्री गैस डैवलपमैंट प्रोजेक्ट के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

अपतटीय : साउथ बसीन गैस डैवलपमैंट प्रोजेक्ट

तटीय : रामोल, गुजरात में उत्तरी काडी और दक्षिण काडी क्षेत्र, त्रिपुरा में बारामुरा ।

(ख) इन फ्री गैस परियोजनाओं से अन्तिम उत्पादन प्रति दिन करीब 21.2 मि० घन मीटर का होगा ।

(ग) 632 करोड़ रूपयों की राशि जिसमें से करीब 575 करोड़ की विदेशी मुद्रा अंश होगा, के निवेश किये जाने की सम्भावना है ।

(घ) दक्षिणी बेसिन गैस विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता 222.3 मिलियन डालर और कुवैत निधि से ऋण करीब 50 मिलियन डालर होगा ।

नए तेल कुओं और रुकी हुई पाइपलाइनों का पता लगाना

5706. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खनन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कितने नए कुओं और

रूकी हुई पाइपलाइनों का पता लगाकर उन्हें चालू किया गया है और उपयुक्त अवधि के दौरान वर्षवार अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ख) इस संस्थान में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) नये तेल कूपों को सचालनाधीन लाने और बन्द पाइपलाइनों को साफ करने के काम की देख रेख इन्स्टीट्यूट आफ ड्रिलिंग टैक्नालाजी (आई० डी० टी०) द्वारा नहीं की जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में आई० डी० टी० द्वारा किये गये व्यय का प्रश्न नहीं उठता है। तथापि गत तीन वर्षों के दौरान आई० डी० टी० पर किये गये वास्तविक व्यय के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :...

(लाख रुपयों में)

विवरण	1979-80	1980-81	1981 82
पूंजीगत व्यय	7.39	45.78	89 87
आवर्ती व्यय	42.43	54.50	74 33
योग	49.82	100.28	164.20

(ख) 28, 2, 1983 को आई० डी० टी० कर्मचारियों की कुल संख्या 310 थी।

चंडीगढ़ में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए पुर्वोत्तर सूची

5707. **श्री बाबू राम सोलंकी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ क्षेत्र चंडीगढ़ में टेली फोन केन्द्रवार, और वाई० टी० विशेष और सामान्य वर्गों में, अलग अलग टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) चंडीगढ़ में टेलीफोन सुविधा का और विस्तार करने के लिए क्या कार्यक्रम है ; और

(ग) चंडीगढ़ में प्रत्येक वर्ग की वर्तमान प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कितना समय लगने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) चंडीगढ़ संघ क्षेत्र में आवेदकों की प्रतीक्षा सूची निम्न प्रकार है :

ओ० वाई० टी०	230	
विशेष श्रेणी	150	कुल 4390
सामान्य श्रेणी	4010	

(ख) सातवीं योजना में सेक्टर 34 में एक नया एक्सचेज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) ओ० वाई० टी० और विशेष श्रेणी के अन्तर्गत आवेदकों को केवल कुछ अव्यवहार्य मामलों को छोड़कर चालू वर्ष के दौरान टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएंगे। सामान्य श्रेणी के आवेदनों को सातवीं योजना के आरम्भ में उत्तरोत्तर निबटा दिया जाएगा।

मुख्य डाकघर, सीकर शहर [राजस्थान] की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अनधिकृत कब्जा

5708. **श्री कुम्भाराम आर्य**
श्री दौलत राम सारण } : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में लोगो ने मुख्य डाकघर, सीकर शहर की भूमि का अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो गैर-कानूनी ढंग से कब्जा की गई भूमि को खाली करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य वाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) यह सच है कि, मुख्य डाकघर सीकर के सामने की भूमि के छोटे से हिस्से को फल तथा सब्जी विक्रेता, बिना इजाजत के इस्तेमाल कर रहे है।

(ख) पोस्टमास्टर जनरल, राजस्थान सर्किल, स्थानीय प्राधिकारियों के माध्यम से अबैध कब्जे को समाप्त करने के लिए कार्रवाई कर रहें हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों मे दोषपूर्ण ट्रान्सफारमरों का बिजली सप्लाई में गतिरोध पैदा करना

5709. **श्री रामलाल राही** : क्या **ऊर्जामंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में ट्रान्सफारमरों के दोष युक्त होने, जल जाने अथवा चोरी जाने के कारण ग्रामींण, क्षेत्रो में बिजली की समुचित सप्लाई में गत्यवरोधक पैदा हुआ हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने बिजली सप्लाई को बनाये रखने के लिए ट्रान्सफारमरों की सुरक्षा और उनकी किस्म में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही कीं है

ऊर्जा मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) वितरण ट्राफारमरों के फेल हो जाने के परिणामस्वरुप विद्युत सप्लाई में बाधा होने की सूचना प्राप्त हुई है। इनके फेल होने के विभिन्न कारण है, जिनमे पर्याप्त सुरक्षा की कमी प्रचालन की स्थितियों में कुछ प्रणालियों में वोल्टता का अत्यधिक बढ़ना आदि, शामिल हैं।

वितरण ट्रान्सफारमरों का बेहतर समुपयोजन करने तथा दोषपूर्ण ट्रास्फारमरों की की मरम्मत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का मुख्य दायित्व राज्य बिजली बोडों का है। तथापि, फेल होने की रफ्तार को कम करने की दृष्टि से, बोडो/बिजली उपक्रमों को निम्नलिखित कदम उठाने का सुझाव दिया गया है :–

(1) सील किए हुए वितरण ट्रान्सफारमरों को शुरु करना, जिनके फेल होने की रफ्तातर कम होती है।

(2) सख्त परीक्षणों की शुरूआत करके वितरण ट्रान्सफार्मरों की गुणवत्ता में सुधार करना।

(3) ट्रान्सफर्मरों की सुरक्षा के लिए निम्न वोल्टता सर्किट ब्रेकरों का उपयोग करना और ;

(4) स्वतः सुरक्षित ट्रान्सफार्मरों का विकास

क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्रमरों की मरम्मत करने के लिए विभिन्न राज्यों की भिन्न-भिन्न प्रक्रिया हैं। जहाँ कुछ राज्य बिजली बोडों ने ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत करने के लिए अपनी कार्यशालाएं स्थापित की हैं वहाँ कई राज्य बिजली बोर्ड इन ट्रान्सफार्मरों को ठेकेदार के जरिए मरम्मत कराते हैं। मरम्मत की प्रक्रिया में, जिसमें क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को ढुलाई शामिल हैं, आम तौर पर कुछ अधिक समय लगता हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम उन राज्य बिजली बोडों को वित्तीय सहायता दे रहा हैं जो मरम्मत कार्यशालाए स्थापित करने के इच्छुक हैं।

विदेशों में नौकरियाँ चाहने वालों के लिए पृथक रोजगार कार्यालय

5710. **श्री के० मालन्ना : श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में ऐसे कुछ मामले आये हैं कि ऐजेन्टों से विदेशों में नौकरियां चाहने वाले भोले भाले लोगों को ठग लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे लोगों के लिए एक पृथक रोजगार कार्यालय बनाने का है जहां विदेशों में नौकरियां चाहने वाले लोग अपना नाज दर्ज करायें ताकि इन तथा कथित एजेन्टों द्वारा उनका शोषण रुक जाये ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जब तक विदेशी नियोजक अपनी मांगे किसी भारतीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित नहीं करते, तब तक केवल पंजीकरण मात्र से काम नहीं चल पायेगा। चूंकि इसके लिए आग्रह नहीं किया जा सकता, इसलिए इस प्रयोजन हेतु रोजगार कार्यालय से कोई सहायता नहीं

मिल पाएगी। फिर भी, कुछ राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विदेशी जनशक्ति निगमों से इस दिशा में कुछ सहायता मिल रही है।

संयुक्त अरब अमीरात में कार्यरत केरल के लोगों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव

5712. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संयुक्त अरब अमीरात में कार्यरत केरल के लोगों ने केरल की कुछ विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपयोग करने के लिए कदम

5713. **कु० पुष्पा देवी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ऊर्जा उत्पादन की अधिकतम क्षमता का सर्वाधिक किफायती ढंग से उपयोग करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने कतिपय अन्य देशों की सहायता ली है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कुछ केन्द्रों की उत्पादन क्षमता को अधिकतम करने के लिए यू० एस० ए० और यू० एस० एस० आर० की कुछ विदेशी फर्मों की सहायता के लिए अनुरोध किया गया है। निम्नलिखित केन्द्रों पर अनुभवी विदेशी फर्मों द्वारा अध्ययन किए गए हैं :—

क्रम संख्या	स्टेशन	फर्म/देश
1	2	3
1.	आई० पी० केन्द्र (62.5 मेगावाट यूनिट)	मैसर्स यूनाइटिड इंजीनियर्स एण्ड कन्स्ट्रक्टर्स इन्टरनेशनल आई. एन. सी. यू. एस. ए.

1	2	3
2.	तलचेर ताप विद्युत केन्द्र 62.5 मेगावाट यूनिट)	मैसर्स बाबकाक एण्ड विलकोक्स यू. एस. ए. एण्ड मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक्स कम्पनी यू० एस० ए०
3.	बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र (100 मेगावाट यूनिट)	मैसर्स गिलबर्ट इन्टरनेशनल आई. एन सी. यू० एस० ए०
4,	औबरा विस्तार 1 और 2 (100 और 200 मेगावाट यूनिट)	मैसर्स यूनाइटिड इंजीनियर्स एण्ड कन्स्ट्रक्टर्स इन्टरनेशनल, आई. एन. सी. यू० एस० ए०
5.	ओबरा ताप विद्युत केन्द्र (50 मेगावाट यूनिट)	ऊर्जा पर भारत-रूस कार्यकारी दल के अन्तर्गत सोवियत विशेषज्ञ
6.	पतरातू ताप विद्युत केन्द्र (50 मेगावाट यूनिट)	—वही—
7.	हरदुआगंज ताप विद्युत केन्द्र (50 मेगावाट यूनिट)	—वही—
8.	नेवेली ताप विद्युत केन्द्र 50 मेगावाट और (100 मेगावाट यूनिट)	—वही—

निजी सचिव, विशेष वैयक्तिक सहायक और वैयक्तिक सहायक संवर्ग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

5714. **श्री बनवारी लाल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में 1 जनवरी, 1983 के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव, विशेष वैयक्तिक सहायक और वैयक्तिक सहायक के सभी ग्रेडों के पदों की कुल संख्या और रोस्टर क्या है ;

(ख) उक्त (क में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी हैं ; और

(ग) इस संबंध में प्रधान मन्त्री द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अन्तर्गत पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिये सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं ; और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) स्वीकृत पदों की कुल संख्या तथा रोस्टरों में निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन कर्मचारियों, जो स्थिति में हैं, की संख्या इस प्रकार है :—

पदनाम	पदों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या ।
1	2	3	4
1. निजी सचिव (ग्रेड ए)	3	शून्य	शून्य
2. वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (ग्रेड बी)	15	1	शून्य
3. वैयक्तिक सहायक (ग्रेड सी)	132	5	शून्य

(ग) सेवा के विभिन्न ग्रेडों में भर्ती सरकार द्वारा केन्द्रीय रूप से कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से सीधी भर्ती, विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं तथा पदोन्नति द्वारा की है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अलग जोन निर्धारित करने सहित आरक्षण आदेशों को उपरिउल्लिखित भर्ती की सभी पद्धतियों पर लागू किया जाता है। भरी न गई रिक्तियों को उत्तरवर्ती वर्शो में आगे ले जाया जाता है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्दिष्ट ग्रेड "ए", ग्रेड "बी" और ग्रेड "सी" में पदोन्नति के लिए नवीनतम जोनों में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन सभी पात्र उम्मीदवारों को कवर कर लिया गया है जिन्होंने सेवा की न्यूनतम पात्रता शर्तें पूरी कर ली हैं।

उड़ीसा में डाकघर भवनों का निर्माण

5715. **श्री ब्रज मोहन महन्तो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कितने डाकघर भवनों का निर्माण करने का विचार है ; और इनमें से कितने पूर्ण हो चुके है ; और कितने निर्माणधीन है;

(ख) वर्ष 1980-1981, 1981-82 और 1982-83 के दौरान फरवरी के अंत तक उड़ीसा में कितने डाकघर खोले गये और कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया ; और

(ग) नए डाकघर खोलने ओर उनका दर्जा बढ़ाने का क्या आधार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री(श्री विजय एन० पाटिल) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा सर्कील में 45 डाकघर इमारत बनाए जाने का प्रस्ताव था। इसमें से 8 इमारतें पहले ही तैयार हो चुकी है तथा अन्य 18 इमारतों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ख) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :-

वर्ष	खोले गए डाकघर की संख्या		दर्जा बढ़ाए गए डाकघरों की संख्या
	योजना शीर्ष के अन्तर्गत	गैर योजना शीर्ष के अन्तर्गत	
1980-81	141	14	49
1981-82	65	20	26
1982-83	45	28	40

(ग) डाकघर खोलने तथा अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उप डाकघर बनाने के मानदंड विवरण में दिए गएहैं।

विवरण

अनुबंध।

एक. शहरी इलाकों में उप डाकघर खोलने के लिए मानदंड

(क) डाकघर को आत्मनिर्भर होना चाहिए।

(ख) 20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए। अन्य शहरों में दो डाकघरों के बीच की दूरी कम से कम 1.5 किलोमीटर होनी चाहिए।

(ग) पोस्टमास्टर जनरल प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्तों में छूट दे सकते है

दो अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर विभागीय उप डाकघर बनाने के लिए मानदंड

अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर विभागीय उप डाकघर बनाने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुमति प्रदान की जाती है :-

(1) यदि मूल लेखा कार्यालय के अतर्गत 20 से अधिक शाखा डाकघरों का हिसाब हो और यदि प्रस्तावित उप डाकघर में दर्जा बढ़ाए जाने पर कार्य की मात्रा कम से कम 5 घंटे प्रतिदिन हो। दर्जा बढ़ाये जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में घाटे की रकम 1000 रु० प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्रों में 500 रु० प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) यदि प्रस्तावित डाकघर का अपना कार्यभार प्रतिदिन 5 घंटे से अधिक हो तो भी दर्जा बढ़ाये जाने पर घाटा ऊपर बताई गई सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

तीन. सामान्य ग्रामीण इलाकों में शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड

एक. निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गावों में डाकघर खाले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो ; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की सम्भावना हो।

दो. निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर ग्राम-पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गाँव की आबादी 2000 हजार या इससे अधिक होनी चाहिए ;

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

चार. पिछड़े और आदिवासी इलाकों में शाखा खोलने के लिए मानदंड

एक. निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं : —

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो ; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

दो. निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर पंचायती ग्रामों में डाकघर खोले जा सकते हैं बशर्ते कि :—

(क) ग्राम (अथवा 1.5 किलोमीटर के घेरे के अन्दर ग्रामों का समूह) की जनसंख्या 1,000 अथवा अधिक हो,

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई अन्य डाकघर न हो ; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक

आय होने की संभावना हो ।

सर्किलों के अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष डाकघर खोलने के लिए 10 प्रतिशत मामलों में उपरोक्त मानदंडों में से किसी में भी छूट देने के लिए प्राधिकृत हैं ।

मन्त्रालय में कार्य कर रहे सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी

57।6. **श्री राम जेठमलानी : रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक उपक्रमों के अनेक कर्मचारी उनके मन्त्रालय में पूर्ण-कालिक तौर पर कार्य कर रहे है और मन्त्रालय के उनके मामलों पर कार्यवाही कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपक्रमों वार वहां ऐसे कितने कर्मचारी कार्यरत है ;

(ग) क्या यह सच हैं कि वे अपना अपना वेतन अपने अपने उपक्रमों से ले रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन्हें मन्त्रालय में काम करने और यहां तक कि अपने ही उपक्रमों सम्बन्धी मामलों पर कार्यवाही करने की अनुमति किस प्राधिकारी के अधीन दी गई और

(ड.) ऐसे कर्मचारियों द्वारा गैर सरकारी पार्टियों को सम्बन्धित उपक्रमों के गोपनीय विशेषतया सरकार की औषध उर्वरक सम्बन्धी नीतियों सम्बन्धी जानकारी के खुल जाने अन्तरित होने से रोकने हेतु क्या सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ग) इस मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के आठ कर्मचारी इस मन्त्रालय में कार्य कर रहे हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. फर्टिलाइजर कारपोरेश आफ इंडिया	:	3
2. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	:	1
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन	:	1
4. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	:	2
5. हिन्दुस्तान आर्गानिक कैमिकल्स	:	1
		8

(ग) जी हां ।

(घ) और (ड.) : इन कर्मचारियों की सेवाएं पूर्णरूप से अनौपचारिक आधार पर

टंकण व आशुलिपिकीय सहायता के लिये प्राप्त की गई है । उन्हें किसी प्रकार का गोपनीय या गुप्त कार्य नहीं सौंपा जाता है ।

आदिवासी क्षेत्रों में डाकघर खोलना

5717. **श्री जयनारायण रोत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी आदिवासी क्षेत्र में डाकघर खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान उस आधार पर देश के आदिवासी क्षेत्रों में कितने डाकघर खोले जाने हैं तथा उन स्थानों के राज्यवार नाम क्या है ; और

(ग) यदि निकट भविष्य में आदिवासी क्षेत्र में कोई डाकघर खोले जाने का विचार नहीं हैं तो इसके क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) आदिवासी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंड अनुबंध एक में दिए गए है।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6293/83]

(ख) इस वर्ष (1983-84) के दौरान देश में जनजातीय क्षेत्र में 580 डाकघर खोलने का का प्रस्ताव है । लक्ष्य सर्किलवार निर्धारित किए जाते हैं और अनुबंध दो में दिए गए हैं । जनाजातीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए विभाग ने जिन जनजातीय क्षेत्रों पर विचार किया है उनकी सूची अनुबंध तीन में दी गई है । निर्धारित मानदंडों को मद्देनजर रखते हुए उपयुक्त पाए जाने वाले गांवों का निर्धारण किया जाता है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए एल० टी० 6293/83]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिजली उत्पादन के लिए पंजाब की योजनाएं

5718. **श्री रधुनन्दन लाल भाटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने बिजली की भारी कमी को दूर करने हेतु, जिसके कारण पंजाब में औद्योगिक तथा कृषि विकास को भारी आघात पहुंचा था, केन्द्र सरकार को निम्नलिखित योजनायें भेजी थी :—

(1) आनन्दपुर साहिब हाईडल प्रोजेक्ट ;

(2) मुकेरियन हाईडल प्रोजेक्ट ; और

(3) शाहपुर काण्डा प्रोजेक्ट। और

(ख) इनमें से प्रत्येक योजना को क्रियान्विति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री चन्द्रशेखर सिंह : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राज्यीय मामलों आदि से संबंधित कुछ अनुबंन्धो/शर्तों के अध्याधीन मुकेरि या जल विद्युत स्कीम और शाहपुर कण्डी स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्वीकृति दे दी है। आनन्द पुर साहिब जल विद्युत स्कीम के लिए केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण की स्वीकृति जल विद्युत चैनल में प्रवाह के विनियमन संबंधी मामले के समाधान होने तक लम्बित पड़ी है। उपरोक्त स्कीमों को पंजाब सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

शीर्षस्थ 20 व्यापारिक घरानों का लाभ

5719. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **विधी न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान शीर्षस्थ 20 व्यापारिक घरानों को कितना लाभ (सकल) हुआ है ;

(ख) गत वर्षो की तुलना में उनके लाभ में कितने प्रतिशत वृदि हुई है ;

(ग) गत वर्ष की अस्तियों की तुलना में गत एक वर्ष के दौरान उनकी अस्तियों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(घ) विभिन्न करों तथा भविष्य निधि जमा के संबंध में इन कम्पनियों की ओर कितनी राशि बकाया है ; और

(ड.) सरकार ने उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में कार्य उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) (क) से (ग) : वर्ष 1980 और 1981 को अवधि में चोटी के बीस औद्योगिक घरनों का लाभ (करपूर्व), 1981 और 1980 से ऊपर लाभों में प्रतिशत की बढ़ोत्तरी और 1981 और 1980 से ऊपर परिसम्पत्तियों में बढोतरी को संलग्न **विवरण** में दिया जाता है।

(घ) इन घरानों में 30-9-82 तक कम्पनियों के आय कर की बकाया राशि (जहां कि प्रत्येक मामले में कर की मांग 10 लाख रु० से अधिक हैं वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत) को भी संलग्न विवरण में दिया जाता है। भविष्य निधि बकाया की सूचना श्रम मंत्रालय द्वारा एकत्र की जा रही है। और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ड.) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220 (4) की परिभाषा के अन्तर्गत आयकर की बकाया राशि के सम्बन्ध में, अधिनियम में करों को वसूल करने और लेने के लिए कुछ पगों को

उठाने की व्यवस्था है जैसे अर्थ दंड लगाना, दोषी पर देय राशियों को लगाना, अचल सम्पत्ति को कुर्की और बिक्री आदि। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए सम्बधित आयकर प्रधिकारियों द्वारा समय समय पर करों को बकाया राशि को वसूल करने के लिए उचित कार्यवाही की जाती है। शीघ्रतिशीघ्र बकाया मांगों को वसूल करने/उनको घटाने की निरंत संवीक्षा के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई है। भविष्य निधि के सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय द्वारा उठाये गये पगों की सूचना के सम्बन्ध में यथाशीघ्र एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाएगा।

विवरण

वर्ष 1981 में उनकी परिसम्पत्तियों के आकर द्वारा श्रेणीबद्ध चोटी के बीस व्यापारिक घरनों द्वारा (3-12-1981 तक एकाधिकार, तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरण के अनुसार) के सम्बन्ध में 1980 और 1981 में कर पूर्व लाभों, उसमें प्रतिशत की बढ़ोतरी, 1981 और 1980 के ऊपर परिसम्पत्तियों में बढ़ोतरी तथा 30-9-80 तक आयकर की बकाया राशि को दर्शाता हुआ विवरण-पत्र।

क्रम सं०	औद्योगिक घराने का नाम	कर पूर्व लाभ 1981	1980	लाभों में प्रतिशत को बढ़ोतरी	1981 और 1980 के ऊपर परिसम्पत्तियों में बढ़ोत्तरी	30-9-82 तक आय कर की बकाया राशि
1	2		3	4	5	6
1	टाटा	154.00	110.03	39.96	301.19	5.94
2	बिड़ला	110.42	121.15 (-)	8.86	259.70	144.66
3	मफतलाल	39.42	31.93	23.45	107.58	12.59
4	जे० के० सिंहानिया	22.86	18.21	25.53	107.42	4.36
5	थापर	33.51	28.40	17.99	87.90	—
6	ए० सी० सी०	10.38	8.05	28.94	68.26	—
7	आई० सी० आई०	9.74	10.74	(-)9.3	(-)5.17	—
8	साराभाई	2.55	17.70	(-)85.59	13.29	—
9.	बांगुर	14.29	21.01	(-)33.01	16.40	24.50
10	किर्लोस्कर	44.49	24.29	83.16	57.79	—
11	रिलायेन्स टैक्सटाइल	19.87	11.35	75.06	104.28	—

1	2	3	4	5	6
12-श्रीराम	22.21	9.24	140.37	28.44	174.78
13-अशोक लेलेण्ड	18.10	15.13	19.62	86.41	—
14-हिन्दुस्तान लीवर	38.85	31.37	23.84	27.91	—
15-मोदी	8.84	10 66 (-)	17.07	43.07	—
16-सिंधिया	7.13	5.37	32.77	17.54	—
17-टी० वी० एस आयंगर	28.69	25.11	14.25	3827	—
18-महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	26.28	18.54	41.74	39.11	—
19-लारसेन एण्ड टोबरी	20.18	24.63 (-)	18.07	3.97	—
20-बजाज	26.91	19.9६	35.02	35.76	—

टिप्पणी— आंकड़े विस्तीर्ण नहीं है और इन औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनियां ही केवल सम्मिलित हैं, जिन प्रत्येक विपरीत 30-9 1983 को आयकर की मांग 10. 00 लाख रु० से अधिक बकाया है।

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड

5702. **श्री सन्त कुमार मण्डल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री ब्रिटानिया इडस्ट्री लिमिटेड के बारे में दिनांक 20 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1861 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटानिया इडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कथित प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग द्वारा की गई जांच का परिणाम क्या है ; और

(ख) इस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) तथा (ख) : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों के आरोपों में स्वयं के मत से 17-1-1977 को गठित जांच से (1) कतिपय शीर्षों के अन्तर्गत अधिक व्यय (2) बे-रोकटोक मूल्य में बढोतरी और (3) मूल्य में अन्तर के लिए कम्पनी को उसके द्वारा निर्मित और वितरित

बिस्कुटों को बिक्री और आपूर्ति के लिए दोषी पाया और यह कार्यवाही के अन्तिम चरण पर है।

आयोग द्वारा 22-12-1979 क ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध गठित दूसरी जांच के अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों के आरोपों में (1) थोक विक्रेताओं को प्रतिवादी द्वारा सीमा निर्धारित करना (2) थोक विक्रेताओं द्वारा अपने विक्रेताओं को उसके उत्पादों का पुनर्बिक्री मूल्य को निर्धारित करना और

(3) थोक विक्रेता को प्रतिवादी के एकमात्र उत्पादों को बेचने पर आयोग एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 37 (1) (ख) के अन्तर्गत दिनांक 6-1-1983 को निर्णय करते हुए प्रतिवादी को अनुबन्ध के वर्तमान रूप में संशोधन का आदेश दिया है।

खाना पकाने वाली गैस के सिलिन्डरों का आयात

5721. **श्री एस० ए० दोराई सेबतियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम बड़ी संख्या में खाना पकाने वाली गैस के सिलिंडरों का आयात करने जा रहा है जब कि बताया गया है कि 100 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिये गये है ; और

(ख) यदि हां, तो खाना पकाने की गैस के सिलिण्डरों की वर्तमान मांग कितनी है और देश में उनका कितना उत्पादन होता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में पेट्रोलियम विभाग के राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के सिलेंडरों की बड़ी संख्या में आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जबकि, यह सच है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों के उत्पादन के लिए अधिक संख्या में यूनिटों ने डी० जी० टी० डी० के पास पंजीकृत कराया है, केवल 12 सिलेंडर निर्माता हैं जिनके पास मुख्य विस्फोट नियंत्रक तथा भारतीय मानक संस्थान (आई० एस० आई०) का अनुमोदन है और इस प्रकार उन्हें उत्पादन आरम्भ करने का अधिकार है।

(ख) आशा है कि वर्ष 1983-84 में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों की मांग लगभग 36 लाख और उसकी उपलब्धता लगभग 32 लाख हो जायेगी।

विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस-टरबाइनों का आयात

5722. **श्री के० राममूर्ती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपनी विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस-टरबाइनों का आयात करने हेतु अनुमति देने का अनुरोध किया है और,

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री चन्द्र शेखर सिंह**) : (क) जी हाँ।

(ख) राज्य सरकार के प्रस्ताव पर बिचार किया जा रहा है।

दूरदर्शन के कैमरा मैनों के पदोन्नति के पदों में वृद्धि

5723. **श्री बासुदेव आचार्य** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक केन्द्र में प्रोयूसर ग्रेंड। के पदों की तुलना में दूरदर्शन कैमरा मैन ग्रेड। के पदोन्नति पदों में अभी तक वृद्धि न करने के क्या कारण है ;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र में रंगीन प्रसारण तथा ओ० बी० वाहनों के संबध में ग्रेड। कैमरा मैनों के पदों की संख्या बढ़ाने का है; और

(ग) प्रत्येक केन्द्र में इस समय ग्रेड। कैमरा मैनों के कितने पद हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (**श्रीएच० के० एल० भगत**) (क) दूरदर्शन में कैमरा मैन और प्रोइयूसर के पदों के कार्यों का स्वरूप और उनकी मात्रा एक दूसरे से भिन्न है।

(ख) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) कैमरा मैन ग्रेड-1 के 19 पद, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली, बम्बई, श्रीनगर, मद्रास, जलंधर, कलकत्ता, और लखनऊ तथा उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली और हैदराबाद में दो-दोऔर उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, कटक में एक, हैं।

डाक-तार विभाग में शार्ट ड्यूटी स्टाफ

5724, **श्री सी० पलानी अप्पन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग में शार्ट ड्यूटी स्टाफ के रूप में सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को काम पर लगाने की प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काम पर लगाने की प्रणाली कब समाप्त की जाएगी;

(ग) क्या सेवनिवृत्त लोगों को छोडकर अन्य सारे, शार्ट ड्यूटी स्टाफ' को विभाग में खपाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो शार्ट ड्यूटी स्टाफ' को कब तक स्थायी पद दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता !

(ग) और(घ) : अल्पावधि स्टाफ के बतौर कार्य कर रहें सेवा निवृत्त कर्मचारियों के अतिरिक्त, अल्पावधि स्टाफ, नियमित रिक्ति होने पर खपाए जाने के पात्र है, बशर्ते कि अल्पावधि नियुक्ति के दौरान उनका कार्य संतोषजनक रहा है। अल्पावधि स्टाफ का नियमित रूप से खपाया जाना, इस बात पर निर्भर करता है कि रिक्त पद कितने है और कब-कब रिक्त होते हैं

आयल इंडिया द्वारा हेलीकाप्टरों की खरीद

5725. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो इंजिन वाले हेलीकाप्टर को चार्टर करने के लिए न्यूनतम मूल्य की निविदा की पेशकश को आयल इंडिया द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था ;

(ख) भारतीय न्यूनतम निविदा के बजाय कुछ भारतीय एजेन्टों के माध्यम से खाडी देश के हेलीकाप्टर पुष्पक की कथित पेशकश को स्वीकार करने के क्या कारण थे; और

(ग) यदि हां, तो इस सौदे को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) क्यों कि दरें ऊंची पाई गई अतः आयल इंडिया लिमिटेड ने पुनः निविदा आमन्त्रित करने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सही टेलीफोन संख्याए न बताया जाना

5726. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब टेलीफोन आपरेटरों से दूसरे राज्यों के टेलीफोन संख्या पूछी जाती है तो वे हाल के नंबर बताने में असमर्थ होते है क्योंकि नवीनतम टेलीफोन डाइरेक्टरी नहीं है जिससे उपभोक्ताओं को इस सेवा से कोई लाभ नहीं होता है ;

(ख) क्या देश के सभी नगरों और शहरों मे यही स्थिति है ; और

(ग) यदि हां तो कितने समय और किस ठीक तारीख तक विभाग उपयुक्त कार्रवाई करने में समर्थ होगा ताकि लोगों तक सेवा का सही लाभ पहुंचे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) टेलीफोन आपरेटर, सेवा

न० 183 पर अन्य राज्यों के टेलीफोन नंबरों की जानकारी दूर के स्थानों से संबंधित उपलब्ध टेलीफोन निर्देशिका के आधार पर देते। चूंकि विभिन्न स्थानों की टेलीफोन निर्देशिकाओं के प्रकाशन में कभी-कभी विलम्ब हो जाता है इस कारण 183 पर जो जानकारी उपलब्ध होती है वह सभी स्थानों के बारे में हमेशा अद्यतन (करेंट) नहीं होती। इसके अतिरिक्त नई निर्देशिकाओं के प्रकाशित होने पर भी उपभोक्ताओं की सूची में टेलीफोन नंबरों में फेर बदल की संभावना रहती है।

(ख) जी हाँ। देश के सभी नगरों तथा कस्बों में यही स्थिति है।

(ग) "183 सेवा पर अद्यतन जानकारी देने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जा रहा है फिर भी, जब तक सभी शहरों में निर्देशिका सूचना सेवा को कंप्यूटरीकृत नहीं कर दिया जाता, तथा दूर-दूर के स्थानों से कंप्यूटरीकृत सूचना सेवा उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक इस सेवा द्वारा अद्यतन सूचना देने की प्रक्रिया में अभी कुछ और वर्ष लगेंगे।

हरिजन बस्तियों और आदिवासी क्षेत्रों को बिजली देने की योजना

5727. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने हरिजन बस्तियों तथा आदिवासी क्षेत्रों को बिजली देने के लिए कोई नई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किन राज्यों का चयन किया गया है और लक्ष्य तारीखें क्या हैं ; और

(ग) अन्य संबंधित ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 1979 से आगे हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए एक विशेष श्रेणी की स्कीम प्रारंभ की है। आदिवासी क्षेत्रों का विद्युतीकरण सामान्य कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रीय स्कीमों में किया जाता है। हरिजन बस्तियों की विद्युतीकरण स्कीमों के लिए तथा आदिवासी क्षेत्रों की विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ग्राम वि० नि० द्वारा प्रस्तावित शर्तें निम्नवत हैं :—

	हरिजन बस्ती स्कीमें	आदिवासी क्षेत्र स्कीमें
1	2	3
ऋण की अवधि	15 वर्ष	25-30 वर्ष

1	2	3
ऋण स्थगन की अवधि	—	7 वर्ष
ब्याज की दर	5%	$6\frac{1}{4}\%-8\frac{1}{4}\%$
प्राप्त की जाने वाली लाभ की आर्थिक दर	—	10%

हरिजन बस्ती तथा आदिवासी क्षेत्रों की स्कीमों के लिए, जो उपयुक्त शर्तें हैं, वे सभी राज्यों पर लागू हैं ।

दिसम्बर, 1982 तक, विभिन्न राज्यों में 351 हरिजन बस्ती स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इन स्कीमों को 2 वर्ष तक पूरा करने के लिए सोपानबद्ध किया गया है तथा इसमें 16,555 हरिजन बस्तियों के शामिल किये जाने की संभावना है, जिनमें से दिसम्बर, 1982 तक 8,955 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। राज्यवार ब्यौरे विवरण-एक में दिये गये हैं।

ग्रा० वि० नि० ने दिसम्बर, 1982 तक आदिवासी क्षेत्रों में 40,768 गांवों के विद्युतीकरण के लिए 567 स्कीमें स्वीकृत की हैं। इनमें से सितम्बर, 1982 तक 15,693 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। राज्यवार ब्यौरे विवरण-दो में दिये गये हैं।

विवरण-एक

ग्रा० वि० नि० के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत हरिजन बस्ती स्कीमों के अन्तर्गत 31-12-82 तक हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण।

क्रम सं०	राज्य	12/82 तक 89 शामिल की गई हरिजन बस्तियां	विद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3077	816
2.	असम	—	—
3.	बिहार	1025	—
4.	गुजरात	515	482
5.	हरियाणा	5827	4937
6.	हिमाचल प्रदेश	81	111

1	2	3	4
7.	जम्मू व कश्मीर	136	181
8.	कर्नाटक	1031	428
9.	केरल	—	—
10	मध्य प्रदेश	2124	1213
11	महाराष्ट्र	337	200
12.	मेघालय	—	—
13.	मणिपुर	—	—
14.	नागालैंड	—	—
15.	उड़ीसा	1406	138
16.	पंजाब	83	83
17.	राजस्थान	913	366
18.	तमिलनाडु	—	—
19.	त्रिपुरा	—	—
20.	उत्तर प्रदेश	—	—
21.	पश्चिमी बंगाल	—	—
22.	सिक्किम	—	—
	जोड़ :	16,555	8955

विवरण-दो

लोक सभा में 5-4-1983 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं० 5727 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट उपाबन्ध ।

दिसम्बर, 1982 तक स्वीकृत ग्रा० वि० नि० स्कीमों के अन्तर्गत शामिल किए गए आदिवासी गांव तथा सितम्बर, 1982 तक की उपलब्धि

क्रम सं०	राज्य का नाम	शामिल गाँव	30-9-82 तक विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	आन्ध्र प्रदेश	2265	1280

1	2	3	4
2.	असम	1712	906
3.	बिहार	5907	1537
4.	गुजरात	1666	573
5.	हरियाणा	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	383	254
7.	जम्मू व काश्मीर	—	—
8.	कर्नाटक	105	90
9.	केरल	—	—
10,	मध्य प्रदेश	9318	4148 (12/82 तक)
11.	महाराष्ट्र	1892	945
12.	मणिपुर	298	61
13.	मेघालय	1217	733
14.	नागालैंड	319	226
15.	उड़ीसा	8876	3840
16.	पंजाब	—	—
17.	राजस्थान	2026	1030
18.	तमिलनाडु	—	—
19.	त्रिपुरा	667	356
20.	उत्तर प्रदेश	187	33
21.	पश्चिम बंगाल	3930	721
22.	सिक्किम	—	—
	जोड़	40,768	15693

छठी योजना के दौरान बिजली के लिए आबंटित निधि का उपयोग

5728. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के लिए निर्धारित छठी पंचवर्षीय योजना लक्ष्य बहुत अधिक पूरा नही हो सका क्योंकि राज्य सरकारों ने निधि को पूर्ण उपयोग नहीं किया ;

(ख) राज्यों को कितनी निधि आबंटित की गई थी ; और

(ग) कितने राज्य विद्युत बोर्डों ने अपनी निर्धारित निधि का पूर्ण उपयोग कर लिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) योजना अवधि के दौरान छठी पंचवर्षीय योजना में 19666 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। योजना के पहले तीन वर्षों में 7058 मेगावाट क्षमता चालू की गई है। छठी योजना में राज्यों के लिए स्वीकृत परिव्यय 14371 करोड़ रुपये है। इसमें से, योजना के पहले तीन वर्षों के लिए स्वीकृत परिव्यय 7595 करोड़ रुपये है तथा तत्सम्बन्धी प्रत्याशित व्यय 7482 करोड़ रुपये है। अनुमोदित परिव्यय तथा वास्तविक व्यय का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिखाया गया है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

	1980-81		1981-82		1982-83	
	स्वीकृत परिव्यय	वास्तविक परिव्यय	स्वीकृत परिव्यय	वास्तविक परिव्यय	स्वीकृत परिव्यय	अनन्तिम तौर पर प्रत्याशित
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1. आन्ध्र प्रदेश	15932	14647	15553	15336	17353	17353
2. असम	7480	7877	7747	7710	9070	9121
3. बिहार	12088	10710	13749	13998	15573	15573
4. गुजरात	11006	12804	16307	16311	20900	20757
5. हरियाणा	7373	6946	8046	8620	10250	10250
6. हिमाचल प्रदेश	2081	2159	2332	2288	2992	3092
7. जम्मू और कश्मीर	2125	1981	2874	2220	2436	2703
8. कर्नाटक	9950	10342	12150	11784	14181	14209
9. केरल	5007	6940	5009	6691	5000	5000
10. मध्य प्रदेश	22203	22156	26400	25197	30000	30000
11. महाराष्ट्र	31861	32780	35094	33088	44000	40321

1	2	3	4	5	6	7	
12. मणिपुर		378	308	380	242	447	461
13. मेघालय		859	651	900	925	900	946
14. नागालैंड		263	291	290	341	312	309
15. उड़ीसा		7345	7116	7544	7656	8400	8400
16. पंजाब		10431	10310	13360	13966	18938	18913
17. राजस्थान		11727	11002	11712	11941	11409	11573
18. सिक्किम		260	263	225	251	250	250
19. तमिलनाडु		15496	15861	16706	17454	22000	21925
20. त्रिपुरा		359	446	374	457	461	550
21. उत्तर प्रदेश		30133	27589	35915	35375	40616	40648
22. पश्चिम बंगाल		14470	13747	16285	13056	16335	13927
जोड़		218821	216926	248953	244907	291723	286331

सिंगरौली के लिए मध्य प्रदेश की कोयला खदानों से प्राप्त किया गया कोयला

5729. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश कोयला खदानों से सिंगरौली और ओबरा के लिए कोयला प्राप्त किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इन बिजली परियोजनाओं को प्रति वर्ष कितनी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है और इनको प्रत्येक वर्ष किस-किस राज्य की किन-किन कोयला खदानों द्वारा कितनी मात्रा में कोयले की सप्लाई की जा रही है ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप बिजली निगम एन० टी० पी० सी० को इन योजनाओं से मध्य प्रदेश को बिजली का कोई अंश आबंटित किया जा रहा है, यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए तथा ओबरा ताप विद्युत केन्द्र के लिए कोयला सिंगरौली कोयला क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है जिनका कुछ भाग मध्य प्रदेश में है और कुछ भाग उत्तर प्रदेश में पड़ता है । ओबरा विद्युत केन्द्र को कोयले की कुछ मात्रा बिहार में उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्रों से भी सप्लाई की

जा रही है।

(ख) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र की 210-210 मेगावाट की दो यूनिटें क्रमश: 14-2-82 तथा 25-11-82 को चालू की गई थी। अप्रैल, 82 से फरवरी, 83 तक की अवधि के लिए इस विद्युत केन्द्र की खपत की आवश्यकता 5.61 लाख मीट्रिक टन थी। 1982-83 के दौरान इस विद्युत केन्द्र की खपत 6.30 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। अप्रैल, 1982 से फरवरी, 1983 की अवधि के दौरान ओबरा ताप विद्युत केन्द्र में 38.7 लाख मीट्रिक टन कोयले की खपत हुई। 1982-83 के दौरान इस विद्युत केन्द्र की खपत 42.33 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। विभिन्न खानों से प्राप्त हुए कोयले के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) मध्य प्रदेश में विद्युत कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र की कुल 2100 मेगावाट की क्षमता में से मध्य प्रदेश को 610 मेगावाट का आबंटन किया है गया है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र के चरण-एक (1260 मेगावाट) की विद्युत का अभी आबंटन तय नहीं किया गया है।

तमिलनाडु द्वारा पेश की गई ताप विद्युत परियोजना

5731. **श्री एन०टी०के० जक्कायन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार द्वारा पेश की गई तथा स्वीकृति के लिये केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन पड़ी ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) हर एक की अधिकतम बिजली उत्पादन क्षमता और आकलित लागत क्या है ; और

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी और वे कब तक पूरी हो जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई और केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए प्रतीक्षा कर रही ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संग्लन विवरण में दिया गया है।

(ग) परियोजना को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने से पहले केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को निहित विभिन्न पहलुओं का निपटान करना होता है। परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए सुनिश्चित समय निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि कार्रवाई करने में लिया गया वास्तविक समय विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है जिसमें से कुछ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के नियंत्रण से बाहर हैं।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा.)	अनुमानितके० वि० क्षमता प्रा० में (करोड रु० में)	की प्राप्ति की तारीख	स्कीम की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4		5
1.	मैत्तूर विस्तार	2X210	238.28	जनवरी, 1982	दोनों यूनिटों के लिए कोयला विभाग से कोयला लिकेज की पुष्टि हो जाने के बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मार्च, 1982 में तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की थी इसके अलावा, उत्पादन में बाधाएं होने के कारण कोयला विभाग ने कोयला लिकेज केवल एक यूनिट के लिए ही सीमित कर दिया था। दोनों यूनिटों के लिए कोयले की सप्लाई सम्बद्ध करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है। राज्य के जल प्रदूषण बोर्ड और राज्य के सिंचाई विभाग की स्वीकृति की भी प्रतीक्षा है।
2.	तूतीकोरिन विस्तार चरण-3	1X210 — 1X500 2X210 (संशोधित)	410.77 287.11	जनवरी, 1932 जनवरी, 1983	कोयला लिकेज अभी सुनिश्चित नही किए गए हैं। तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड को अभी जल की उपलब्धता की पुष्टि करनी है तथा कोयला हैण्डलिंग सुविधाओं के लिए राज्य प्रदूषण

					नियंत्रण बोर्ड और तूतीकोरिन पत्तन प्राधिकारयों की स्वीकृति भेजनी है। पर्यावरण विभाग से पयांबरण संबंधी स्वीकृत को जी अभी प्रतीक्षा है।
3.	उत्तरी मद्रास	5X210	614.65	जनवरी, 1982	कोयला लिंकेज अभी सुनिश्चित नहीं किए गए हैं। तमिलनाडु बिजली बोर्ड को जल की उपलब्धता की पुष्टि करनी है तथा राज्य जल प्रदूषण बोर्ड की स्वीकृति भेजनी है। पर्यावरण संबंधी स्वीकृति को अभी प्रतीक्षा है।

हृदय रोग सम्बन्धी औषधियों की काला बाजारी

5732. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि उन्होंने औषध कम्पनियों को जिस नए एकल अंश औषधियों का मूल नामों के अन्तर्गत विपणन करने पर जोर दिया है उससे हृदय रोग औषधियों की कालाबाजारी में बहुत वृद्धि हुई है,

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने किसी एक औषध कम्पनी के उत्पाद को जो हृदय रोग सम्बधी इलाज के लिए महत्वपूर्ण है, रोक दिया है, क्योंकि उसके लिए मूल नाम का उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) क्या हृदय रोग औषधियों का मूल्य आमतौर पर जो प्रति टेबलेट 0.45 पैसे लगाया जाता है, उसे बाजार में प्रतिटेबलेट 2 रुपये के मूल्य में बेचा जाता है, और

(घ) इस काला बाजारी को समाप्त करने और महत्वपूर्ण औषधियों को सामान्य मूल्य पर खुले रूप से बाजार में बिकने देने की अनुमति देने के लिए सरकार का क्या करने विचार है।

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) तथा (घ) एक नई औषध के आयात अथवा निर्माण का प्रस्ताव रखने वाले प्रत्येक आयातक अथवा निर्माता को औषध और प्रसाधन अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत औषध नियन्त्रक (भारत) से अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है।

मार्च, 1979 से जुलाई 1982 तक देश में विपणन के लिए औषध नियन्त्रक (भारत) द्वारा

42 नई औषधों की अनुमति दी गई है । और इन औषधों के विपणन की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि एकल अंश सम्पाकों का विपणन केवल सामान्य नामों के अन्तर्गत ही किया जाना चाहिए कुछ निर्माता, जिन्होंने नई औषधों के लिए अनुमति ले ली थी ; उनका निर्माण और विपणन केवल सामान्य नामों के अन्तर्गत ही कर रहे हैं । तथापि कुछ निर्माताओं ने, जिन्होंने नई औषधों का विपणन केवल सामान्य नामों के अन्तर्गत करने की अनुमति ली थी ; ये औषधें बाजार में प्रारम्भ नहीं की हैं । ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं कि औषध कम्पनियों को नए एकल अंश औषधियों का सामान्य नामों के अन्तर्गत विपणन करने पर जोर दिए जाने से हृदय रोग औषधों की कालाबाजारी में बहुत वृद्धि हुई है हृदय रोग औषधों की कालाबाजारी के सम्बन्ध में केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन को भी कोई सूचना नहीं है।

(ग) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979 प्रारम्भ हने के पश्चात् सरकार ने डिगोक्सीन गोलियां, बेरपामिल एच० सीं० एल० इंजेक्शन गोलियां (आइसोप्टीन)/लेनाटोसिड गोलियां और इंजेक्शन प्रोप्रानोलोल हाड्रोक्लोराईड गोलियां और इंजेक्शन जैसी कुछ महत्वपूर्ण हृदय रोग औषधों के मूल्य निर्धारित किए हैं । उपर्युक्त दवाइयों के अधिक मूल्य लेने की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है । तथापि, प्रोप्रानोलोल हाइड्रोक्लोराइड फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में मै. अल्कली एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड नामक एक प्रमुख निर्माता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक में एक याचिका दायर की थी और अपने पूर्व मूल्यों पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । 16 फरवरी, 1983 से सरकार ने देश में निर्मित प्रोप्रानोलोल हाइड्रोक्लोराइड बल्क औषध का मूल्य 2415/- रुपए प्रति कि० ग्रा० तक संशोधित किया है । इस संशोधन से प्रोप्रानोलोल हाइड्रोक्लोराइड पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्यों में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी ।

तमिलनाडु में, विशेषकर सुपर ताप विद्युत केंद्र तूतीकोरिन में, उत्पादन क्षमता का कम उपयोग

5733 **श्री के० टी० कोशलराम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू में सुपर ताप विद्युत स्टेशन तूतिकोरिन सहित जो कि इस समय प्रतिष्ठापित क्षमता के 40 प्रतिशत से अधिक बिजली का उत्पादन नहीं करता है पन-बिजली और ताप-बिजली यूनिटों की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता के बेहतर उपयोग के प्रश्न की ओर कभी दक्षिण प्रादेशिक विद्युत बोर्ड का ध्यान गया हैं;

(ख) यदि हां तो प्रतिष्ठापित क्षमता के इस कम उपयोग के क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य बिजलीं बोर्ड को क्या कार्यवाही करने की सिफारिश की गई हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री चंद्र शेखर सिंह :

(क) दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्ड में, प्रचालन समिति, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के

सदस्य होते हैं। विभिन्न राज्यों के विद्युत उत्पादन यूनिटों के अनुरक्षण कार्यक्रम और उनकी स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए विद्युत उत्पादन कार्यक्रम बनाती है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र का कार्यनिष्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बहुत अच्छा रहा है। अप्रैल, 1982 से फरवरी, 1983 तक की अवधि के दौरान संयंत्र भार अनुपात 50.8% था। इनकी तुलना में गत वर्ष संयंत्र भार 40% था।

(क) तमिलनाडु बिजली बोर्ड के ताप विद्युत केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन में समग्र कमी के कारण ये हैं :—

(1) बेसिन ब्रिज ताप विद्युत केन्द्र में टर्बाइन जेनरेटर के गंभीर रूप से क्षति-ग्रस्त हो जाने के परिणामस्वरूप 6.4.81 से 30 मेगावाट यूनिट को बन्दी।

(2) 110 मेगावाट के यूनिट की अनिर्धारित-बंदियों में वृद्धि और 60-60 मेगा० के 1 और 2 यूनिटों के नियोजित अनुरक्षण में लम्बी अवधि लगने के कारण एन्नौर ताप विद्युत केन्द्र का संयंत्र भार अनुपात का कम होना।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत उत्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(1) तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र को कोयला सप्लाई करने की समस्या को दूर कर दिया गया है। कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन में हानि से बचने के लिए अतिरिक्त मात्रा में इंधन तेल का अबंटन भी किया गया है।

(2) एन्नौर ताप विद्युत केन्द्र के कार्यकरण में आशोधन-सुधार करने के लिए सुझाव देने हेतु विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है।

(3) बेशिन ब्रिज टर्बाइन और जैनरेटर की मरम्मत करने के लिए शीघ्र कार्यवाई की जा रही है

(4) आनुषंगिक उपस्कर के बिए अतिरिक्त पुर्जे बनाए रखना।

(5) विद्युत उत्पादन उपस्कर का समुचित अनुरक्षण और प्रचालन सुनिश्चित करना।

बालीमेला बिजली घर के उत्पादन में कमी

5734. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में बालीमेला बिजली घर में बिजली का उत्पादन तेजी से कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त विद्युत परियोजना के विद्युत उत्पादन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) बालीमेला बिजली घर के विद्युत उत्पादन में अभी हाल में कमी आ गई है। बलिमेला जलाशय के खाली होने की वार्षिक अवधि अक्तूबर से जून तक होती है। कमी की अवधि के अक्तूबर, 1982 से फरवरी, 1983 तक की खाली होने की वर्तमान अवधि के पहले पांच महीनों के दौरान, बलिमेला बिजली घर से विद्युत उत्पादन 696 मेगावाट के पर्याप्त ऊंचे स्तर पर रहा। इसकी तुलना में वर्ष 1981-82 की इसी अवधि के दौरान यह 586 मिलियन यूनिट था। खाली होने की अवधि के शेष महीनों के लिए जलाशय से निस्सरण को अगले मानसून के दौरान आरम्भ होने वाले मौसम में नई भराई तक विद्युत का उत्पादन बनाए रखने के लिए नियंत्रित रखा जाना है। मार्च-जून, 83 की अवधि के लिए बलिमेला बिजली घर में ऊर्जा उत्पादन को बलिमेला जलाशय से उड़ीसा द्वारा पहले ही लिए गए अधिक पानी को ध्यान में रखते हुए जो उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश की के बीच बराबर-बराबर बांटा जाता है। बलिमेला जलाशय के नियन्त्रण के लिए स्थायी समिति द्वारा 9-3-1983 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। अगले मानसून के दौरान जब जलाशय का स्तर बढ़ेगा तब बलिमेला बिजलीघर में विद्युत उत्पादन में सुधार होगा।

भोपाल और इन्दौर के निकट एल०पी०जी० सिलेण्डर संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव

5735. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में भोपाल और इन्दौर के निकट एक कुकिंग गैस सिलेंडर फिलिंग संयंत्र की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी०) की मध्य प्रदेश में भोपाल में प्रति वर्ष 25,000 मी० टन की क्षमता वाले एक एल०पी०जी० सिलेंडर फिलिंग प्लांट की स्थापना करने की योजना है जो 1986-87 तक एल०पी०जी० चरण-III कार्यक्रम के अधीन चालू किया जाना निर्धारित हुआ है।

तथापि, मुख्य एल०पी०जी० सिलेंडर फिलिंग प्लांट के पूरे होने में अपेक्षित दीर्घ अग्रिम समय को ध्यान में रखते हुए, आई०ओ०सी० काम आरम्भ करने के लिए भोपाल में एक "मिनी प्लांट" के निर्माण की योजना है जो भूमि के अधिग्रहण किए जाने की तिथि से करीब 12 महीनों के

अन्दर चालू किया जा सका ।

कम्पनी इस समय भूमि अधिग्रहण कर रही है जो अभी विवादाधीन है और मामला मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में निर्णय के लिए पड़ा हुआ है ।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

5736. **श्री डी०पी० जदेजा :**
श्री चिन्तामणि जेना] : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र कहां-कहां स्थित हैं और प्रत्येक संयंत्र का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या देश में गैस पर आधारित और अधिक संख्या में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; यदि हाँ, तो कहां स्थित है और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में उर्वरकों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) गैस पर आधारित चालू उर्वरक संयंत्रों के स्थान और उत्पादन नीचे दर्शाए गए है :—

स्थान	1982-83 में अनुमानित उत्पादन (हजार टनों में नाइट्रोजन)
ट्राम्बे	76.5
ट्राम्बे 4	84.4
कलोल	180.1
नामरूप 1	27.9
नामरूप 11	70.6

बड़ौदा संयंत्र अंशत: गैस पर और अंशत: नेफथा पर आधारित है । तथापि, गैस और नेफथा पर आधारित उत्पादन को अलग से निश्चित रूप से बताना कठिन है ।

(ख) गैस पर आधारित नए उर्वरक संयंत्रों के अपेक्षित ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

स्थान	वार्षिक उत्पादन क्षमता (हजार टनों में नाइट्रोजन)
1. निर्माणाधीन संयंत्र	
1	2
नामरूप-III	•152

1	2
थाल	683
हजीरा	668
2. योजनाधीन संयंत्र	
मध्य प्रदेश (गुना जिला)	341
राजस्थान (सवाई माधोपुर जिला)	341
उत्तर प्रदेश	
बदाऊं जिला	341
बरेली जिला	341
शाहजहांपुर जिला	341
सुलतानपुर जिला	341

(ग) छठी योजना (1984-85) के अन्त में उत्पादन का लक्ष्य 42 लाख टन नाइट्रोजन तथा 14 लाख टन पी2 ओ5 रखा गया है।

इनसैट-आई०बी० का छोड़ा जाना तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर को उसके अंतर्गत लाना

5737, **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) इनसैट-आई०बी० को कब तक छोड़ा जाएगा;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर के दूरस्थ क्षेत्रों को इससे जोड़ा जाएगा जिससे वहां प्रसारण और संचार की सुविधाएं दी जा सकें; और

(ग) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) इनसैट-1 बी के 1983 की तीसरी तिमाही के अन्त तक छोड़े जाने की संभावना है।

(ख) (1) **दूरदर्शन प्रसारण** :

इनसैट के दूरदर्शन उपयोग की अनुमोदित स्कीम में, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर के जिलों को छठी योजना अवधि के दौरान इनसैट-1 बी

के माध्यम से दूरदर्शन कवरेज के लिए चुना गया है। उत्तर प्रदेश के अन्य पहाड़ी जिलों या हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व काश्मीर के दूरस्थ क्षेत्रों में इनसैट-1 बी के माध्यम से दूरदर्शन कवरेज उपलब्ध करने की कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, इनसैट-1 बी से टी०वी० सिगनल देश भर में उपलब्ध होंगे।

(2) **ध्वनि प्रसारण :**

उत्तर प्रदेश, जम्मू व काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों की रेडियो कार्यक्रमों को रिले करने के प्रयोजन के लिए इनसैट-1 बी के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

(3) **संचार :**

कतिपय पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में इनसैट-1 बी के माध्यम से दूर-संचार सेवाओं की योजना बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) (1) और (2) **दूरदर्शन और ध्वनि प्रसारण :**

प्रश्न नहीं उठता।

(3) **संचार :**

कुछ स्थानों के लिए परियोजना प्राक्कलन संचार मन्त्रालय द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पम्प

5738. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तान पुरी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ऐसे कितने शहर और गांव है जहां एक से अधिक पेट्रोल पम्प हैं और ऐसे पेट्रोल पम्पों और उनके मालिकों का ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान उन में से कितने पेट्रोल पम्प किस तारीख से चालू हुए है ; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितने पेट्रोल पम्प है और इनसे संबंधित विज्ञापन किस -किस तारीख को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए तथा उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं और इससे संबंधित ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

स्थान	विज्ञापन की तिथि	समाचार पत्र का नाम	स्थिति
1. धालोई	18.9.81	ट्रिब्यून	डीलरशिप अभी दी जानी
	20.9.81	दैनिक ट्रिब्यून	है
	4.2.1982	ट्रिब्यून और दैनिक ट्रिब्यून	
2. भंतार	29.12.81	ट्रिब्यून और वीर प्रताप	डीलरशिप दे दी गई है किन्तु अभी आरंभ की जानी है
3. मंडी	29.12.81	—वही—	—वही—
4. शिमला	15.12.80	ट्रिब्यून और पंजाब केसरी	पेट्रोल पम्प आरंभ कर दिया गया है
5. नरकंदा	15.12.80	—वही—	— वही—
6. परवानू	3.9.79	—वही—	—वही—

उपरोक्त के अतिरिक्त 1892 में एक खुदरा बिक्री केन्द्र बिना विज्ञापन के कालका से हटाकर परवानू में उसी डीलर को दे दिया गया था ।

केरल में कम्पनियों की स्वीकृति

5739. **श्री जेवियर अराकल :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के बाद कितनी रसायन कारखाने/कम्पनियों की मंजूरी दी गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) इन में से कितनी कंम्पनियों ने आप कार्य आरम्भ कर दिया है और वह कब तक पूरा हो जाएगा, और

(ग) क्या केरल की फियनाल परियोजना का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) (क) 1980. 1981 और 1982 के दौरान केरल में जिन कम्पदियों को रसायनों (औषधों और उर्वरकों से भिन्न) के उत्पादन के लिए आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए उनके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) सूचना मिली है कि अनुबंध में दी गई कम्पनियों में से केवल मैसर्स केरल स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन को छोडकर सभी ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है । मैसर्स कार्बन एंड केमिकल्स तथा मैसर्स केरल मिनरल्स एण्ड मेटल्स लि० द्वारा 1983-84 तक उत्पादन आरम्भ किए जाने की संभावना है। मैसर्स ट्रावनकोर इलेक्ट्रो- कैमिकल्स लि० द्वारा भी 1984-85 तक केल्शियम कार्बाइड के विस्तान को पूरा करने की संभावना है । अन्य परियोजनाएं आंरम्भिक अवस्थाओं में है ।

(ग) मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि० को केरल के कोचिन में स्थापित किए जाने वाले उपक्रम में 40,000 टन फिनोल प्रति वर्ष तथा 24.640 टन एस्टोन प्रति वर्ष उत्पादित करने के लिए अक्तूबर, 1979 में एक आशयपत्र स्वीकृत किया गया था । उन्होंने इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए भूमि अधिगृहीत कर ली है, विदेशी सहयोग को अंतिम रुप दिया है और अन्य आरम्भिक कार्यवाहियां की है ।

विवरण

क्रम सं०	एकक का नाम	मद	क्षमता	आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस सं० तथा तारीख
1980				
1.	मैसर्स कार्बन एंड कैमिकल्स	कार्बन ब्लेक (एन. यू.)	20,000 टी पी ए	सी आई एल : 309 (80) ता० 13.10.1980
2.	मैसर्स केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लि०	टिटेनियम डायोक्साइड	48,000 टी पी ए	सी आई एल : 67 (80) ता० 12.10.1980
1981				
1.	मैसर्स टावनकोर इलेक्ट्रो-कैमिकल्स	कैलशियम कार्बाइड (एस ई)	1,500 टी पी ए	एल आई : 87 (81) ता० 06. 3. 1981 जिसे आई. एल. स० 291 (82) दिनांक 15. 10. 1982 में परिवर्तित कर दिया गया।
2.	केरल स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.	कास्टिक सोडा (एन. यू.)	33,000 टी पी ए	एस. आई. 107 (81) दिनांक 23.2 1981
3.	मैसर्स केरल स्टेट इन्ड स्टियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०	1. बिसफिनोल-ए 2. इपाक्सी सेसिन्स 3. पोली कार्बोनेट रेसिन्स 4. फिनोक्सी रेसिन्स	2600 टी पी ए 1200 टी पी ए 600 टी पी ए 450 टी पी ए	एल. आई. 890 (81) दि० 31.12.1981
1982				
1.	मैसर्स टावाकोर इलोक्टो कैमिकल्स	डी-सल्फयरिसेशन कम्पाउंड एन. यू.	10.000 टी पी ए	एल. आई. 132 (82) दि० 26.2.1982
2.	—यथोक्त—	एस्टीलीन ब्लेक	1,000 टी पी ए	एल. आई. : 10 (82) दि० 12.1.1982.

सिंचाई और उद्योग की विद्युत संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के उपाय

5740 **श्री मती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली की सप्लाई बनाये रखने तथा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के विचार से बिजली की कटौती न करने के लिए कोई विशेष उपाय किए है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिजली के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) सभी स्रोतों से विद्युत की उपलब्धता के अन्दर मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विद्युत की कटौती लागू की जाती है।

मानसून के फेल हो जाने के कारण केन्द्र सरकार ने कृषि के लिए अधिकतम विद्युत देने के लिए अनुदेश जारी किये थे। विद्युत की कटौती में कमी करने के लिए विद्युत की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी हेतु निम्न लिखित उपाय किए गए थे :-

1. सुधारात्मक/नवीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमों को हाथ में लेकर वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करना।

2. निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करना।

3. जिन राज्यों मे अधिक विद्युत है उन राज्यों से विद्युत की कमी वाले राज्यों में विद्युत का अन्तरण।

(ग) जी, हां।

परिसीमन आयोग की नियुक्ति

5741- **श्री के० ए० स्वामी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रो के आकार के संबंध में देश में इस समय विद्यमान विभिन्न अनियमितताओं को दूर करने के लिए एक परिसीमन आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) इस समय विद्यमान विभिन्न शिकायतों को दूर करने के लिए एक परिसीमन आयोग नियुक्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित और अनुच्छेद 82 और 170 के अनुसार यथा आबटित स्थानों की सख्या और

(ख) संसदीय और विधान सभा निर्वाचन- क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 द्वारा यथाअवधारित निर्वाचन- क्षेत्रों का प्रादेशिक विस्तार तब तक अपरिवर्तनीय है जब तक सन् 2000 के पश्चात की गई प्रथम जनगणना के सुमंगत आंकडे प्रकाशित नही हो जाते हैं। निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 (3) का यथोचित रुप से संशोधन किया जाए जिससे कि विभिन्न राज्यों को लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में आबटित स्थानों की कुल संख्या अपरिवर्तित रहने पर भीप्रत्येक दस वर्षीय जनगणना के बाद प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन की मूल स्थिति पुन: स्थापित की जा सके। संविधान का इस रुप में संशोधन किए जाने के पश्चात ही परिसीमन आयोग की नियुक्ति का प्रश्न उठता है। निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर काफी हद तक विचार किया जा चुका है।

तमिलनाडु की षन्मुखनाथी पन- बिजली परियोजना स्वीकृति की प्रतीक्षा में

5742. **श्री सी० चिन्ना स्वामी**
श्री ईरा अनब रासु } : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजे गए षन्मुखनाथी पन-बिजली परियोजना जैसे प्रस्ताव केन्द्र द्वारा स्वीकृत दिए जाने के लिए 1972 से विचाराधीन हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) तमिलनाडु से प्राप्त हुआ शनमुखान्दी पर परियोजना प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि परियोजना कावेरी बेसिन में स्थित है और इसमें अन्तर्राज्यीय पहलू शमिल है। कावेरी जल विवाद के हल हो जाने के पश्चात क्रियान्वयन के लिए स्कीम पर विचार किया जा सकता है।

आजीरा में पेट्रो-केमिकल काम्प्लेक्स स्थापित किया जाना

5743. **श्री छी तूभाई गमित** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अजीरा में एक पेट्रो-केमिकल काम्प्लेक्स स्थापित करने के संबंध में अभी तक निर्णय नहीं किया है ; यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या पेट्रो-केमिकल काम्प्लेक्स राज्य सरकार के अधीन होगा अथवा राज्य सरकार तथा भारत सरकार के संयुक्त नियंत्रण के अधीन होगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पेट्रो-केमिकल काम्प्लेक्स का निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जाएगा और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(घ) इस पर कुल कितना व्यय होगा तथा इस में कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है।

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) सरकार ने (गुजरात) में गैस पर आधारित एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना करने का सिद्धांत रूप में निर्णयलिया है।

(ख) यह आशा है कि प्रायोजना केन्द्रीय सरकार तथा गुजरात राज्य सरकार की उपयुक्त रूप संयुक्त क्षेत्र का उद्यम होगी ; इस अवस्था में, तथापि, कुछ निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है।

(ग) इस परायोजना का निर्माण कार्य कब शुरू होगा, इसके समय के बारे में बताना सम्भव नहीं है। सामान्य तौर पर ऐसी प्रायोजना के यांत्रिक दृष्टि से पूरा होने में लगभग पांच वर्ष का समय लगता है।

(घ) अनुमानित पूंजीगत लागत लगभग 730 करोड़ रुपये दर्शायी गयी थी। कार्यान्वियन में लगाए जाने वाले लोगों की अनुमानित संख्या 3000 होगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा डाक व तार विभाग पर प्रभाव

5744. **श्री के० ए० राजन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन मुख्य डाक सेवाओं के अधिकारियों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा डाक व तार विभाग पर बढ़ते हुए प्रभुत्व के विरुद्ध दृढ़ता से विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो डाक व तार विभाग में कितने आई० ए० एस० अधिकारी हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल : (क) डाकतार विभाग सहित इस मन्त्रालय में वरिष्ठ पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के विरुद्ध भारतीय डाक सेवा संघ और भारतीय दूरसंचार सेवा संघ से एक संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) सचार मन्त्रालय तथा डाक-तार विभाग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारी हैं, जो नीचे लिखे प्रशासनिक पदों पर कार्य कर रहे हैं :;

1. सचिव, संचार मन्त्रालय। वे डाक तार महानिदेशक तथा डाक-तार बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।

2. अपर सचिव, संचार मन्त्रालय।

3. सचिव, डाकतार बोर्ड।

(ग) संचार मन्त्रालय तथा डाकतार विभाग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार की गई है और उनकी संख्या पर, जो कुल तीन है, विचार किया जाए तो यह कहना सही नहीं होगा कि डाकतार विभाग में उनका प्रभुत्व बढ़ रहा है।

तमिलनाडु में तेल का पता चलना

5745. **श्री ईरा अनवरासु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के कावेरी बेसिन में तेल होने का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कावेरी बेसिन में वाणिज्यिक उपयोग के लिए तेल का उत्पादन कब तक होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गो शंकर मिश्र) : (क) और (ख) कावेरी बेसिन में अपतटीय क्षेत्र में दो कूपों और तटीय क्षेत्र में एक कूप में हाइड्रोकार्बनों की विद्यमानता का पता लगा है।

(ग) इन कूपों में तेल मिलने की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिये और आगे अन्वेषी कार्य जारी है।

त्रिवेन्द्रम में विदेशी आवागमन विभाग डाक छंटाई कार्यालय की स्थापना

5746. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास त्रिवेन्द्रम में विदेशों में जाने वाली विमान डाक वितरण एक छंटाई कार्यालय तथा देश में आने वाली विमान डाक के छंटाई कार्यालय का एक शाखा कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में आने वाली तथा यहां से बाहर जाने वाली विमान डाक की छंटाई के बारे में र्तमान स्थिति क्या है ;

(घ) क्या उपरोक्त कार्यालयों के कोचीन में स्थापित करने का विचार विशेषतया इसलिए या गया है कि महलापुरम, कन्नौर तथा ऐसे ही अन्य जिलों के लिए विदेश से आने वाली तथा

वहाँ से विदेशों को जाने वाली एक बड़ी संख्या मे यहीं आती है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड.) उक्त कार्यालय कब स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केरल राज्य से बाहर जाने वाली तथा बाहर से आने वाली हवाई डाक के निपटान के लिए कोचीन में पहले से ही एक विदेश हवाई डाक छंटाई कार्यालय कार्य कर रहा है।

(घ) कोचीन को, केंद्रीय स्थान होने, प्रचालन की दृष्टि से सुविधाजनक होने, हवाई तथा रेल सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता तथा सीमा शुल्क जांच की सुविधाओं को देखते हुए उपयुक्त समझा गया।

(ड.) कोचीन में विदेश डाक छंटाई कार्यालय के रहते हुए केरल राज्य में अन्यत्र इसी प्रकार के कार्यालय की स्थापना का फिलहाल प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक विभाग में ई० डी० कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य सुविधाएं

5747. **श्री फूल चन्द वर्मा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग के ई० डी० कर्मचारियों को वेतन और वर्दी तथा साइकिल भत्ता आदि जैसी कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ; और

(ख) क्या सरकार का सेवा की एक विशिष्ट अवधि के पश्चात् न्यूनतम वेतन और मंहगाई भत्ता देने और वर्ग "घ" में सीधी भर्ती बिना उन्हें वर्ग "घ" में खपाने का कोई विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) विभागेतर एजेंट विभाग के अंशकालिक कर्मचारी है जिन्हें साधारणतया एक दिन में 2 से 5 घंटे तक कार्य करना होता है। वे जीविकोपार्जन के अन्य साधन अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। उनका पारिश्रमिक उनके द्वारा निपटाए गए कार्यभार और विभाग के कार्य में लगाए गए घंटों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वृद्धि कीमतों में वृद्धि करने के लिए उनके भत्तों का वर्ष में एक बार संशोधन किया जाता है। फिलहाल उनके भत्ते 113 रु० से लेकर 223 रु० मासिक तक है। 1.5.1982 से विभागेतर शाखा पोस्टमास्टरों और विभागेतर उप पोस्टमास्टरों को कार्यालय रखरखाव के लिए 10 रु० प्रतिमाह और विभागेतर एजेंटों की अन्य श्रेणियों को 8 रु० का विशेष भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्गीकृत शहरों में काम कर रहे विभागेतर एजेंटों को 3 रु० प्रतिमाह और

दिया जाता है । जब भी डाक-तार कर्मचारियों को उत्पादकता पर आधारित बोनस दिया जाता है तो उन्हें भी बोनस की अनुग्रह राशि दी जाती है ।

वे वर्दी के हकदार नहीं होते परंतु निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर उन्हें छाते और गम बूट दिए जाते हैं । विभागेतर डाक वाहकों, विभागेतर वितरण एजेंटों और विभागेतर संदेशवाहकों को जो अपना कार्य करने के लिए अपनी साइकिल प्रयोग करते हैं 8 रु० प्रतिमाह के हिसाब से साइकिल भत्ता दिया जाता है । बशर्ते कि वे प्रतिदिन 16 किलोमीटर या इससे अधिक की दूरी तय करते हो और विभागेतर संदेशवाहक प्रतिदिन 8 या इससे अधिक संदेश वितरित करते हों ।

(ख) जी नहीं । उन्हें सेवा की एक निर्धारित अवधि के बाद न्यूनतम वेतन और मंहगाई भत्ता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । जहां तक ग्रुप "डी" रिक्तियों में खपाने की संबंध है, विभागेतर एजेंटों को ग्रुप "डी" रिक्तियों में खपाये जाने की सुविधा प्राप्त है बशर्ते कि वे आय और विभागेतर सेवा की अवधि के संबंध में कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों । ग्रुप "डी" रिक्तियों के लिए बाहरी व्यक्तियों की सीधी भर्ती के लिए केवल तभी विचार किया जाता है जब अर्हता प्राप्त एवं योग्य विभागेत्तर एजेंट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों ।

हल्दिया में उर्वरक संयंत्र

5748. **श्री सत्य गोपाल मिश्र**
श्री ए० के० राय } : **क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया के एच. एफ. ई. यूनिट ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा (माहवार) क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है,

(घ) यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन कब तक पूरी तरह से शुरू हो जाएगा ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड की हल्दिया उर्वरक परियोजना, जो यांत्रिक रूप से नवम्बर, 1979 में पूरी हो गई थी, कई कारणों से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ नहीं कर सकी, जैसे कि पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड से बिजली की आवश्यक मात्रा की अनुपलब्धता, नमूनें की कमियों और प्रारम्भण अवस्था में उपकरणों की बार-बार असफलता । हाल

ही में, जनवरी, 1983 के प्रारम्भण परीक्षणों के दौरान सिंथेसिस कम्प्रेशर टर्बाईन और आक्सीजन कम्प्रेशर की विद्युत मोटर में खराबी हुई थी।

(घ) और (ड.) : हल्दिया यूनिट के मेथेनाल संयंत्र ने पहले ही परीक्षण आधार पर उत्पादन शुरू कर दिया है। यदि कोई बड़ी खराबी नहीं हुई तो अमोनियां, यूरिया और मेथेनोल का वाणिज्यिक उत्पादन जून, 1983 और नाइट्रोज-फास्फेट्स तथा सोडाक्षार का अक्तूबर, 1983 तक आरम्भ होने की आशा है।

जूनियर इंजीनियरों की टी ई एस ग्रुप 'बी' और टी ई एस ग्रुप 'ए' में पदोन्नति

5749. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 जुलाई, 1974 के पश्चात् जूनियर इजीनियरों की टी० इ० एस० ग्रुप **'बी'** और टी० ई० एस० ग्रुप 'ए' में पदोन्नति के लिए हुई विभागीय पदोन्नति समित की बैठकों की अलगअलक तारीखें क्या है;

(ख) प्रत्येक विभागीय समिति में मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, किसी एक पदश्रेणी से उच्च पदश्रेणी में कर्मचारियों की दीर्घकालिक अवधि की नियमित पदोन्नति, दीर्घकालीन अवधि पर पदों के बढ़ाए जाने तथा प्रतिनियुक्त आदि से हुई रिक्तियों आदि को दर्शाते हुए कुल कितनी रिक्तियो को ध्यान में रखा गया ;

(ग) पदोन्नति के लिए बनाए गए प्रत्येक पेनल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के लोगों का विवरण देते हुए उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है ; और

(घ) अनुसूति जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के पदोन्नत उम्मीदवारों की संख्या के सहिय बनाए गए प्रत्येक पैनल के संबंध में पदोन्नति के लिए ऐसे आदेशों की संख्या क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन पाटिल) : (क) से (घ) जूनियर इजीनियरों की तार इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'बी' और तार इजीनियरी सेवा ग्रुप 'बी' से तार इजीनियरी सेवा ग्रुप 'ए' में पदोन्नति के संबंध में (क) से (घ) तक माँगी गई जानकारी क्रमश: संलग्न अनुबंध। और 11 में दी गई है।

(ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल टी—6294/83)

दिहाड़ी-श्रमिकों की सेवाएं नियमित करना

5750. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कार्यालयों में तथा भारतीय पयर्टन विकास निगम के

होटलों जैसे सरकारी उपक्रमों में दिहाड़ी-श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने के बारे में अपनी नीति का हाल में पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां तो क्या उन दिहाड़ी श्रमिकों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जो 240 दिन से अधिक समय से काम कर रहे हैं;

(ग) क्या विशेष रूप से भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में, उन दिहाड़ी-श्रमिकों को छुट्टी, अवकाश-यात्रा-छूट, वेतन-वृद्धि आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं, है जो नियमित रिक्त पदों पर काम कर रहे हैं तथा जिन्होंने 240 दिन की सेवा भी पूरी कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा जैसे ही उनकी अर्हता आदि के उपयुक्त कोई रिक्त स्थान उपलब्ध होता है, उस पर उनकी सेवा को नियमित करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) जी, नहीं।

(ख) क्रमिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, गैर-औद्योगिक केन्द्रीय सरकार कार्यालयों में नियोजित दिहाड़ी पर काम करने वाले/नैमित्तिक श्रमिकों को, जिन्हें प्रारंभ में रोजगार कार्यालय द्वारा भर्ती किया जाता है और जिन्होंने दो क्रमिक वर्षों के प्रत्येक वर्ष 240 दिन या उससे अधिक दिन काम किया है, उक्त विभाग में, रोजगार कार्यालय को और निर्देश भेजे बिना, नियमित रिक्तयों में नियमित किया जा सकता है।

(ग) दिहाड़ी पर काम करने वाले/नैमित्तिक श्रमिक छुट्टी, यात्रा छुट्टी सुविधा, वेतन-वृद्धि आदि के हकदार नहीं है, सिवाय इस बात के कि कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम आदि के अन्तर्गत आने वाले श्रमिक संगत कानूनों के अधीन ग्राह्य छुट्टी हकदार हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम होटलों में नियोजित दिहाड़ी पर काम करने वाले/नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के बारे में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि उन कर्मचारियों को, जो 240 दिनों या उससे अधिक दिनों की अवधि के लिए काम करते रहते है, नियमित रक्तियो में भर्ती करने के लिए रोजगारी द्वारा भेजे गए अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता कार्यानय आदि में भाग लेने दिया जाता है और उनके मामलों पर सहानुभूति से विचार किया जाता है यदि वे अन्यथा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

(ख) भारत सरकार के विभागीय उपक्रमों में नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों की सेवा-शर्तों को नियमित करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा 1971 में तैयार किए गए आदर्श स्थायी आदेशों में यह परिकल्पना की गई है कि उन कर्मकारों को, जिन्होंने एक ही प्रतिष्ठान में या एक ही नियोजक के अधीन छः मास की लगातार सेवा पूरी कर ली है, प्रतिष्ठान के नियमित हाजिरी रजिस्टर में लाया जाए और उनका वेतन उस काल-वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा

जो उस काम पर लागू होता है जोकि वे नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में काम करते आ रहे हैं। इन आदेशों को अपनाने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक ही कार्यालय में तीन वर्ष से अधिक समय से काम करने वाले अधिकारी

5751. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले तीन वर्ष से अधिक अवधि से उसमें काम कर रहे हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि निदेशक, आयुक्त, सहायक आयुक्त (ग्रेड 2 तथा ग्रेड 3) उपरोक्त कार्यालय में तीन वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं और यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने निम्नलिखित बताया है :—

(क) और (ख) : सहायक भविष्य निधि आयुक्तों, ग्रेड-2 के अतिरिक्त, जिन्हें केन्द्रीय कार्यालय से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया क्षेत्रीय कार्यायों में सहायक भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-2 का कोई पद नहीं है। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में केवल तीन अधिकारी हैं जिन्होंने 31-3-1983 को उक्त कार्यालय में तीन वर्षो से अधिक सेवा पूरी कर ली है। उन्हें प्रशासन की अत्यावश्यकता के कारण प्रधान कार्यालय में रखा गया था और उन्हें सुविधाजनक अवसर पर स्थानान्तरित किया जाएगा।

इस संगठन में सहायक भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड 3 के कोई पद नहीं है।

मधुबनी तथा दरभंगा जिलों में शाखा डाकघर, तारघर तथा सावंजनिक टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना तथा दर्जा बढाया जाना

5752. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **संचार** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मधुबनी तथा दरभंगा जिलों में किन-किन स्थानों के लिए नये शाखा डाकघर खोलने अथवा तार घरों और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाये जाने की मांग की जा रही है ;

(ख) उन स्थानों की पूरी सूची क्या है जिनके सम्बन्ध में उपरोक्त मांग को 1984 में कार्यान्वियन हेतु मान लिया गया है ; निर्णय किया जाना है अथवा मांग अस्वीकार कर दी गई है ; और

(ग) क्या छाहुता में नये शाखा डाकघर तथा बिस्फी खण्ड (मधुबनी) के अन्तर्गत रशोन्स और सिहतर्क खण्ड (दरभंगा) के अन्तर्गत भारबर में नए तार घर खोलने के प्रस्ताव स्वीकार कर लिये गये हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) डाकघरों/सार्वजनिक टेलीफोन घरों/तार घरों के सम्बन्ध में मांगी गई जानकारी विवरण में दे दी गई है। इन दोनों जिलों में डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) चाहुता में शाखा डाकघर खोलने या राथोन्स में तार सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है भाखाड़ा में फोनोकाम आधार पर पहले हीं तार सुविधा उपलब्ध हैं।

विवरण

मधुबनी तथा दरभंगा जिलों में नए शाखा डाकघरों/तारघरों तथा सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए की जा रही मांग तथा मांग की वर्तमान स्थिति :

(क) **शाखा डाकघर :**

ऐसे स्थान जहां मांग की गई	वर्तमान स्थिति
1	2
(एक) मधुबनी जिला	
1. चौरी	नामंजूर।
2. लक्ष्मीपुर	नामंजूर।
3. खोखा-रघुनंदनपुर	कार्रवाई शेष।
4. बथान्हा	,, ,,
5. पातसन	,, ,,
6. बथाना	,, ,,
(दो) दरभंगा जिला	
1. धांगा	
2. बलानी	
3. बौर	

1	2
4. नितिहारे	
5. क्दौन	नामंजूर
6. मालिया	
7. बंकाक बारपुर	
8. कटुबारे	
9. कवारिया	
10. कैना	
11. दामले	कार्रवाई शेष ।
12. कुलुभपाट	
13. कन्नौर	
14. सारभोगपुर	
15. मिर्जापुर	
16. बरारपुर	1983-84 के दौरान खोले
17. केसरौर	जाने वाले ।
(ख) सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त तारघर	
(एक) मधुबनी	
1. चैनपुरा	नामंजूर
2. बिदौल	
3. सिलर डगोढी	कार्रवाई शेष ।
4. बराहट	
5. बरौठा	
6. धकझान	
7. कपसिया	इन मामलों पर 1984 के
8. हुसैनपुर	दौरान कार्यान्वयन के लिए
9. अतरहाठ	विचार किया जा रहा है ।
(दो) दरभंगा जिला	
1. सुक्खी	नामंजूर ।

1	2
2. निकासी	
3. भाडधौर	
4. बरडीह	कार्रवाई शेष ।
5. दरडोहा	
6, लौम	
7. बघटा	इन मामलों पर 1984 के दौरान
8. बरे	कार्यान्वियन के लिए विचार
9. बघौल	किया जा रहा है ।

वेनिपट्टि टेलीफोन एक्सचेंज से संबद्ध सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

5753. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री दरभंगा, मधुबनी तथा जूनागढ़ जिलों में टेलीफोन सेवाओं के असफल होने के बारे में 1 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1406 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेनिपट्टि टेलीफोन एक्सचेंज ने कार्य करना शुरू कर दिया है, उसके साथ कौन-कौन से सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र सम्बद्ध है और अन्य सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को भी उसके साथ सम्बद्ध करने हेतु क्या समय-सारिणी बनाई गई है ;

(ख) क्या वेनिपट्टि डाकघर का भवन बड़ी क्षत-विक्षत दशा में हैं और उसके लिए तुरन्त ही एक नये भवन की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं। बेनीपट्टी में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए कोई उपयुक्त भवन का प्रबन्ध करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपयुक्त भवन के मिल जाने के बाद लगभग तीन माह में एक्सचेंज खुल जाने की संभावना है। बेनीपट्टी से जुड़े सार्वजनिक टेलीफोन घर तत्पश्चात् खोले जा सकते हैं।

(ख) और (ग) जी हां। बेनीपट्टी डाकघर की इमारत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। विस्तार, मरम्मत या नए विभागीय भवन के निर्माण का प्रश्न पोस्टमास्टर जनरल बिहार के विचाराधीन है। डाकघर को एक अन्य किराये के भवनमें ले जाने के प्रस्ताव पर भी कार्रवाई की जा रही है परन्तु उपयुक्त भवन न मिलने के कारण अभी तक यह कार्य संभव नहीं हो सका है।

निर्वाचन सुधार

5754. **श्री योगेन्द्र झा**
श्री आर० पी० गायकवाड़
श्री चित्त बसु
डा० सुब्रह्मण्य मस्वामी
श्री भीम सिंह
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री जे० एस० पटिल
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री एन० ई० होरो : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन सुधारों के बारे में दिए गए सुझावों को काफी समय से अंतिम रूप नहीं दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन सुझावों का ब्यौरा क्या है और उनको कब तक अधिनियमित और कार्यान्वित किया जाएगा ।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) (क) और (ख) निर्वाचन आयोग से निर्वाचन संबंधी सुधारों के लिए विभिन्न अवसरों पर प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। पिछले वर्ष आयोग ने अपने पूर्ववती प्रस्तावों और सिफारशों पर नए सिरे से विचार किया और जो अनुभव प्राप्त हुए थे उनके प्रकाश में और राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में अन्य घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, 30 सितम्बर 1982 को सरकार को निर्वाचन संबंधी सुधारों पर इकट्ठे प्रस्ताव भेजे। सूची 1 से 5, जिनमें सुझाव दिए गए हैं, सदन पटल पर रख दी गई है। प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और प्रस्तावों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस निमित्त कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है क्योंकि उन पर मंत्रिमंडल समिति को विचार करना है और राजनैतिक दलों के साथ और जहां कहीं आवश्यक हो राज्य सरकारों के साथ भी विचार विमर्श करना होगा ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी-62 95/83]

बिहार में बेरोजगार डाक्टर, इंजीनियर आदि

5755. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** बिहार में बेरोजगार डाक्टर, इंजीनियर आदि के बारे में। मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1531 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्व-रोजगार संबंधी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं से सम्बन्धित, बिहार में, कम से कम मधुबनी, दरभंगा और कुछ अन्य जिलों की वास्तविक स्थिति की केन्द्रीय सरकार

की ओर से निगरानी करने या उसकी देखभाल करने या कम से कम उसकी जांच करने के लिए तथा चुने गए प्रतिनिधियों के सहयोग से मौके पर जाकर जांच करने के लिए कोई तन्त्र है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विशिष्ट ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) (क) और (ख) छठी योजना की सिफारिशों के अनुसरण में, बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में जिला जन-शक्ति आयोजन एवं रोजगार सृजन परिषदें (डी० एम० पी० एण्ड ई० जी० सी०) स्थापित की हैं, जिनके जिला क्लक्टर अध्यक्ष हैं। इन परिषदों को, अन्य कार्यों के साथ-साथ, स्व-रोजगार परियोजनाओं को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। परिषद में संसद तथा राज्य विधान मण्डल के सदस्य, जिला स्तर के सरकारी विभागों के प्रतिनिधि जिले में चैंबर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि, जिले में बड़े उद्योगों का प्रतिनिधि, जिला ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष, लीड बैंक का प्रतिनिधि, आदि शामिल हैं। क्लक्टर, जो कि जिला जन-शक्ति आयोजना एवं रोजगार सृजन परिषद का अध्यक्ष है, जिला आयोजना तथा विकास परिषद (डी० पी० एंड डी० सी) का सदस्य-सचिव भी है। अत: डी० एम० पी० एण्ड ई० जी० सी० और डी० पी० एण्ड डी० सी० के बीच पूर्ण समन्वय सुनिश्चित किया गया है। डी० एम० पी० एण्ड ई० जी० सी० के कार्य का निरीक्षण करने के लिए योजना आयोग में एक राष्ट्रीय स्तर मार्गदर्शन समिति स्थापित की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में भट्टी खानों के बन्द हो जाने के बाद उनका अवैध खनन

5756. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने भट्टी खानों में लगातार हुई मौतों के कारण जनवरी में वहां खनन कार्यों को बन्द करने के आदेश दिए थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि खनन बन्द करने के आदेशों के बावजूद भट्टी खानों में कार्य चल रहा है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और क्या इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराए जाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) (क) जैसाकि दिल्ली राज्य

औद्योगिक विकास निगम ने सूचित किया हैं, दक्षिण दिल्ली में भट्टी खानों में सभी खनन संक्रियाएं 28-1-1983 से बन्द कर दी गई हैं।

(ख) जी, नहीं। तथापि, यह सूचित किया गया है कि न्यू भट्टी एरिया में 17-2-83 को उस समय एक घातक दुर्घटना हुई जब कुछ ठेकेदार गैर-कानूनी ढंग से काम कर रहे थे और दिल्ली मिनरल उद्योग की असोला बजरी खान द्वारा खनिज ले जाया जा रहा था।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने अवैध खनन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) भट्टी और सभी अन्य खानों में वर्तमान खनन प्रक्रियाएं बन्द कर दी गई है, जिन्हें खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा खतरनाक घोषित किया गया है।

(2) सुरक्षा प्रबन्धों को तेज किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अवैध खनन न हो। दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के पास प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली पुलिस कार्मिकों को खनन क्षेत्र की सुरक्षा के लिये भट्टी में नियुक्त किया गया है। पुलिस/सुरक्षा कार्मिकों द्वारा गश्त लगाने के काम को तेज कर दिया गया है।

(3) खनन क्षेत्रों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा फोर्स लगाने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है।

(4) अवैध खनन के प्रयासों को विफल करने के लिये, पिट्स की ओर जाने वाले रास्तों को काट दिया गया है।

होटलों तथा रेस्टोरेंटों में श्रमिकों की कार्यशर्तों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण

5757. **श्री केयूर भूषण** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटलों तथा रेस्टोरेंटों में श्रमिकों की कार्य संबंधी शर्तों का पता लगाने हेतु मंत्रालय की ओर से कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) श्रमिकों को शोषण से बचाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(घ) क्या इस संबंध में कोई नियम तैयार किए जा रहे हैं; और

(ङ०) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नही उठता ।

(ग) (घ) और (ङ०) : होटलों और रेस्टोरेंटों में काम करने वाले श्रमिकों की कार्यदशाए अधिकांशत: प्रत्येक राज्य सरकारों संघ राज्य प्रशासनों द्वारा बनाए गये दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियमो और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होती हैं ।

दिल्ली और रायपुर के बीच एस० टी० डी० सेवा

5758. **श्री केयूर भूषण** : क्या **संचार** मंत्री दिल्ली और रायपुर के बीच एस० टी० डी० सेवा के बारे में 8 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3234 के उत्तर के संबंध में जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली और राय पुर के बीच एस० टी० डी० सेवा दिसम्बर 1982 से चालू की जाएगी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और रायपुर के बीच एस० टी० डी० सेवा प्रारंभ कर दी गई है ;

(ख) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) दिल्ली को रायपुर के साथ एस० टी० डी० सेवा से कब तक जोड दिया जाएगा;

(घ) क्या दिल्ली और रायपुर के बीच माँग सेवा भी आरम्भ की जाएगी,

(ङ.) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं,

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल): (क) जी नही ।

(ख) दिल्ली टंक स्वचल एक्सचेंज के माध्यम से मौजूदा एस० टी० डी० मार्गो पर परियात में काफी वृद्धि हुई है जिसके कारण राय पुर जैसे स्थानों के लिए नए मार्ग नही शुरु किए जा सके क्योंकि इससे मौजूदा मार्गों की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा ।

(ग) दिल्ली से रायपुर के लिए एस टी डी सेवा उस समय प्रदान करने की योजना है जब दिल्ली के मौजूदा टंक स्वचल एक्सचेंज को इलेक्टानिक किस्म के एक नए टंक स्वचल एक्सचेंज के चालू होने पर राहत मिलेगी, जो कि इस समय संस्थापित किया जा रहा है और उसके 1983-84 के दौरान चालू होने की संभावना है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ.) प्रश्न ही नही उठता ।

(च) दिल्ली और रायपुर के बीच डिमाँड सर्विस प्रदान करने का औचित्य परियात के आधार पर नही बनता है ।

महा राष्ट्र की विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना

5759. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिए कुल कितनी ऊर्जा परियोजनाएं भेज रखी हैं ।

(ख) प्रत्येक परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक परियोजना कब-कब से लम्बित पड़ी हैं ;

(घ) उन्हें स्वीकृति प्रदान करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ड.) उन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) : महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए लम्बित पड़ी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है ।

(ड.) परियोजना को तकनीकी आर्थिक स्वीकृत दिए जाने से पूर्व केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का इसमें शामिल विभिन्न मामलों का समाधान किया जाना अपेक्षित है। परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए सुनिश्चित समयावधि निर्धारित करना व्यवहार्य नही है, चूकि इस प्रक्रिया में लिया गया वास्तविक समय विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है, जिसमें से कुछ पहलू केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के नियंत्रण के बाहर हैं ।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु.)	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	के. वि. प्रा. में प्राप्ति की तारीख	स्कीमों की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
जल विद्युत परियोजनाएं					
1.	भत्सा	1220	1×15	अक्तूबर, 1982	के० वि० प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति 11.3.83 को दी गई । इस पर निवेश संबंधी स्वीकृति के लिए कार्रवाई की जा

1	2	3	4	5	6
					रही है ।
2.	खड़गवासला	1422	2 × 8	सितम्बर, 1982	—वही—
3.	दूधगंगा	2086	2 × 12	अक्तूबर, 1981	जल विद्युत तथा सिविल डिजाइन पहलुओं पर के० जल आयोग/के० वि० प्रा० की टिपणियों के उत्तरों की परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षा है।
4.	उज्जैनी	1477	1 × 12	मार्च, 1982	आयोजना जल वैज्ञानिक तथा सिविल डिजाइन के संबंध में के० वि० प्रा/के० ज० आ० की टिप्पणियों के उत्तरों की परियोजना प्राधिकारियों से प्रतीक्षा है ।
5.	सूर्या	524	1X5	जुलाई, 1982	के० वि० प्रा०/के० ज० आ० में मूल्यांकन किया जा रहा है ।
6.	कोनाल	1119	1X10	अक्तूबर, 1982	—वही—
	ताप विद्युत परियोजनाएं				
7.	उरण गैस टर्बाइन (चरण-2)	7198	4X60	सितम्बर, 1982 (संशोधित रिपोर्ट)	के० वि० प्रा० द्वारा 6.11,82 को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दी गई। निवेश संबंधी स्वीकृति के के लिए स्कीम पर

1	2	3	4	5	6
					योजना आयोग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
8.	दलोभ	19070 26030	2X210 चरण-1 3X200 (चरण-2)	जून, 1981	स्कीम की के० वि० प्रा० में जांच की गई है। प्रस्तावित समयावधि में अभी तक कोयला लिंकेज स्थापित नहीं किया गया है।
9.	खापरखेड़ा विस्तार	35904	3X210	जून, 1982	—वही—
10.	ट्राम्बे विस्तार	34802	1X500	सितम्बर, 1982	के० वि० प्रा०/के० ज० आ० में स्कीम का मूल्यांकन किया जा रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण विभाग स्वीकृति की प्रतीक्षा हैं। महाराष्ट्र जल प्रदूषण निवारण बोर्ड से स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

शोरापुर को कतिपय सुविधाएं दिए जाने के बारे में महाप्रबन्धक, दूर संचार, बंगलौर को अभ्यावेदन

5760. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजाराम लक्ष्मीनारायण बंग शोरापुर ने ट्रंक बंकिंग रजिस्टेशन आदि के सम्बन्ध में शोरापुर में कतिपय सुविधाएं दिए जाने के बारे में 22-1.83 को महाप्रबन्धक, दूर-संचार बंगलौर, को अभ्यावेदन किया था।

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन की मुख्य बात क्या हैं ;

(ग) क्या उन्होंने अभ्यावेदन किया था कि शोरापुर टाउन में स्थानीय तथा ट्रंक कालों के

लिए दो पृथक-पृथक बोर्ड होने चाहिए और इनके अतिरिक्त शोरापुर और रायचूर के बीच पहले से ही मंजूर की गई सीधी लाइन होनी चाहिए जो उचित ढंग से नहीं चल रही है ;

(घ) क्या उन्होंने यह भी अभ्यावेदन किया है कि शोरापुर और बंगलौर तथा शोरापुर और हैदर बाद के बीच पृथक लाइन स्थापित की जाय ;

(ड.) क्या उसमें दिये गए सुझावों की महाप्रबन्धक, दूरसंचार, बंगलौर द्वारा जांच कर ली गई है ; और

(च) यदि हां, तो उन को किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है और उनको पूरी तरह कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन के मुख्य मुद्दे निम्न प्रकार हैं ?

(एक) शोरापुर में एक अलग ट्रंक बोर्ड की व्यवस्था करना।

(दो) शोरापुर और रायचूर के ट्रंक सर्किटों का असंतोष जनक कार्य।

(तीन) शोरापुर से बेंगलूर और हैदराबाद आदि के लिए सीधे सर्किटों की व्यवस्था।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ड.) जी हां।

(च) शोरापुर में ट्रंक बोर्ड की स्थापना करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसे वर्ष 1983-84 के दौरान स्थापित किया जाएगा। शोरापुर से रायचुर के लिए एक सीधा ट्रंक सर्किट पहले ही चालू कर दिया गया है। जब कभी सीधे ट्रंक सर्किट में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो रायचूर के लिए वैकल्पिक मार्गों के जरिए ट्रंक कोल लगाने से हर संभव प्रयास किए जाते हैं। शोरापुर से बेंगलूर और हैदराबाद के लिए सीधे टंक सर्किटों की व्यवस्था करना औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि इस समय शोरापुर से इन स्थानों के लिए ट्रंक परियात कम है।

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन लाइनें

5761. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में (एक) ऊना-बंगाना, (जिला ऊना) (दो) श्री नैना देवी बिलासपुर जिला बिलासपुर और तीन स्वराघाट-बिलासपुर (जिला बिलासपुर) ट्रंक टेली-फोन लाइनों को मंजूरी दे दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस तारीख तक स्थापित किया जाएगा और प्रत्येक लाइन पर कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं और उन्हें किस तारीख तक मंजूरी दिये जाने तथा स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) जी हां, ट्रंक टेलीफोन लाइनों की स्थिति नीचे दी जा रही है ।

(एक) ऊना-बंगाना के बीच ट्रंक टेलीफोन लाइन की मंजूरी दे दी गई है। 1983-84 में इस काम को प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है और इस पर 63,000/- रु० का अनुमानित खर्च आएगा ।

(दो) श्री नैना देवी विलासपुर एकल चैनल बी एच एफ प्रणाली वर्ष 1983-84 के दौरान संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और इस पर 1 5 लाख रु० का अनुमानित खर्च आएगा ।

(तीन) स्वराघाट-बिलासपुर में अप्रैल, 1983 तक एक 7 प्लस 5 डी एक्स ए डी एम-पी एस के प्रणाली को संस्थापित करने का कार्यक्रम है और इस पर चार लाख रुपये का अनुमानित खर्च आएगा ।

(ग) प्रश्न ही नही उठता ।

जनवरी, 1983 में भूमिगत और खुली खानों में प्रतिदिन औसत उत्पादन

5762. **श्री ऐ० के० राय** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 16, 17, 18 और 19 जनवरी, 1983 को कितना उत्पादन हुआ और उसका तिथिवार और क्षेत्रवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है:

(ख) इसी प्रकार भूमिगत और खुली खानों में कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) जनवरी, 1983 में भूमिगत और खुली खानों में प्रतिदिन औसत उत्पादन कितना था ; और

(घ) क्या 17-19 जनवरी, 1983 के लिये जानबूझकर अधिक उत्पादन दिखाया गया था और यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाए गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत में कोकिंग कोल लिमिटेड में चोरियां

5763. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 तथा 1982 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला खानों के विभिन्न स्टोरों से चोरी गये सामान का ब्यौरा क्या है तथा क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) चोरियों में कुल कितनी हानि हुई और उसका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई जांच की गई और कार्यवाही की गई तथा तथ्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का किसी चोरी में हाथ था, यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिन्दरी में जल प्रदूषण

5764. **श्री ए० के० राय : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनको पता है कि भारतीय उर्वरक निगम क सिन्दरी एकक के जनरल मैनेजर को सिन्दरी में जल प्रदूषण तथा स्वास्थ्य के लिये खतरों के बारे में एक ज्ञापन दिया गया है; यदि हां तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि सिन्दरी के मजदूरों को विभिन्न नगरों में सप्लाई किये जा रहे पानी में फ्लुओराइन तथा साइमाइड की मात्रा मिली है जो कि स्वास्थ्य के लिये बहुत हानिकर है ; और

(ग) क्या सप्लाई किये गये पानी पर कभी समुचित परीक्षण किये गये हैं ; यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उसमें फ्लुओराइन तथा साइनाइड की कितनी मात्रा हैं ;

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां। फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इन्डिया लि० (एफ० सी०आई०) तथा प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेंट इन्डिया लि० (पी० डी० आई० एल०) के श्रमिकोंने सिन्द्री एकक के महाप्रबन्धक को 24-2-83 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें पीने के पानो में उच्च फ्लूरीन तथा सायनाइड की मात्रा के बारे में शिकायत की।

पीने के पानी में फलूरीन की मात्रा के बढ़ने का कारण एक भूमिगत सीवरलाइन का काम न करना है, जो फलूरीन निस्सारी वाले फोस्फोरिक एसिड कूलिंग टावर डेंन के नीचे से गुजरती है। इस स्त्राव का पता तत्काल चल गया था और संशोधनात्मक कार्यवाही की गई थी। कुछ ही दिनों में पीने के पानी में फलूरीन की मात्रा सामान्य हो गई ।

(ख) सिन्द्री टाउनसिप में श्रमिकों को आपूर्ति किये जाने वाले पीने के पानी में सामान्यतः निर्धारित सीमा से कम फलूरीन होता है और सायनाइड का स्तर लगभग शून्य होता है।

(ग) पीने के पानी की क्वालिटी की प्रतिदिन एफ० सी० आई० के रसायनज्ञ द्वारा तथा हफ्ते में दो बार पी० डी० आई० एल० द्वारा अपनी प्रयोग शालाओं में विश्लेषित की जाती है। पीने के पानी में फलूरीन की मात्रा सामान्यत: 1 पी. पी. एम. से कम होती है, जैसा कि भारतीय मानकों में परिकल्पना की गई है, तथा सायनाइड की मात्रा हमेशा 0.01 पी. पी. एम. से कम होती है।

राष्ट्रीय दूरदर्शन प्रसारण

5765. **प्रो मधु दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से दिखाये जाने वाला राष्ट्रीय प्रसारण देश भर में सायं 8-30 से 10.30 तक प्रदर्शित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय रंगीन दूरदर्शन पर कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिये लिया गया है जो केवल दिल्ली में ही प्रसारित किए जाते हैं ;

(ग) क्या यह सच हैं कि सभी दूरदर्शन केन्द्रों पर राष्ट्रीय दूरदर्शन प्रसारण लादने और स्थानीय दूरदर्शन कार्यक्रमों के समय में कमी करने पर दूरदर्शन देखने वालों द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कायंक्रमों की वर्तमान समय सूची की पुनरीक्षा की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली से रात्रि 8.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक टेलीकास्ट होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम को देश के सभी दूरदर्शन ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जा रहा है। मद्रास दूरदर्शन केन्द्र राष्ट्रीय कार्यक्रम को रात्रि 8.45 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रिले करता है।

(ख) राष्ट्रीय कार्यक्रम को दिल्ली से मूल रूप से इसलिए टेलीकास्ट किया जाता है क्यों कि उपग्रह से अपलिंक, जिसके माध्यम से सभी ट्रांसमीटर जुड़े हुए हैं, केवल दिल्ली में ही उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम में सादे और रंगीन दोनों प्रकार के कार्यक्रम शामिल किये जाते हैं।

(ग) और (घ) दूरदर्शन के राष्टीय कार्यक्रम को राज्यों ने सूचना मन्त्रियों के जुलाई, 1982 में हुए सम्मेलन में इसके उद्देश्यों और मोटी योजनाओं के बारे में विचार विमर्श कर लिए जाने के बाद 15 अगस्त, 1982 से चालू किया गया था। राज्यों और सामान्य दर्शकों से समय-2 पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। इनको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपयुक्त आपरिवर्तन किये गये हैं ताकि विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों के क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रभावित न हों और इसके साथ-साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम विभिन्न वर्गों के दर्शकों के लिए अधिक से अधिक स्वीकार्य हो। हाल

ही में ऊन राज्यों, जिनमें पूर्णरूपेण कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं से युक्त दूरदर्शन केन्द्र हैं, अर्थात महाराष्ट तमिल नाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू व काश्मीर, उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्य मन्त्रियों से भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। मुख्य मन्त्रियों के सुझावों की रोशनी में राष्ट्रीय कार्यक्रम में और परिवर्तन करने के बारे में विचार किया जाएगा।

एल० पी० जी० गैस कनेक्शन जारी करना

5766. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1982 तक दिये गये एल० पी० जी० कनेक्शनों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) 1982-83 के दौरान राज्यवार कितने आवेदन पंजीकृत किये गये ;

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान राज्यवार, कितने कनेक्शन दिये गये ;

(घ) क्या यह सच है कि नये एल० पी० जी० कनेक्शन जारी किये जाने के लिए लाखों आवेदन अभी विचाराधीन है ,

(ड.) जब गैस की कमी नहीं है तो इतनी बड़ी संख्या में आवेदन विचाराधीन होने के क्या कारण हैं , और

(च) 31 मार्च, 1982 तक पंजीकृत सभी विचाराधीन आवेदनों के निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से ग अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(घ) देश में 31.12.1982 को कुकिंग गैस कनेक्शनों के लिए 42.62 लाख आवेदकों की प्रतीक्षा सूची थी।

(ड.) और (च) फरवरी, 1981 से ही केवल बड़ा पंजीकरण कार्यक्रम आरम्भ हुआ। इससे पहले एल० पी० जी० की कमी रही थी। वर्ष 1982-83 के दौरान पंजीकरण का लक्ष्य 14 लाख नये उपभोक्ता और 1983-84 के दौरान 16 लाख उपभोक्ताओं के पंजीकरण करने की योजना है। प्रतीक्षा सूचियों का एल० पी० जी० की उत्तरोतर उपलब्धता सिलेण्डरों, प्रेशररेगू-लेटरों/वाल्वों की उपलब्धता नये बाटलिंग प्लाटों की स्थापना, प्रचलित प्लाटों का विस्तार, एल० पी० जी० टैंक गाड़ियों और अन्य सड़क सुविधाओं की प्राप्ति के अनुरूप निपटान किया जाएगा।

छठी योजना के दौरान विद्युत उत्पादन कार्यक्रम

5767. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए क्या विद्युत उत्पादन कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, और

(ख) अब तक राज्यवार कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 160 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का कार्यक्रम निर्धारित है।

(ख) वर्ष 1980-81, 1981-82 के दौरान तथा अप्रैल, 1982 से फरवरी 1983 तक की अवधि की विद्युत उत्पादन में राज्यवार/प्रणालीवार उपलब्धियां दिखाने वाले विवरण 1 और 2 संलग्न हैं।

विवरण

राज्य/प्रणालीवार अखिल भारत सकल ऊर्जा उत्पादन अवधि : 1980-81 और 1981-82

क्रम संख्या	राज्य/प्रणाली	सकल ऊर्जा उत्पादन मेगावाट आवर 1980-81	1981-82
1	2	3	4
1.	भाखड़ा	5788	6089
2.	ब्यास निर्माण बोर्ड	3804	8384
3.	हिमाचल प्रदेश	261	625
4.	जम्मू और कश्मीर	769	786
5.	दिल्ली	3676	3643
6.	हरियाणा	1001	1323
7.	पंजाब	2012	2139
8.	रास्थान	1903	1715
9.	उत्तर प्रदेश	11203	12563
10.	गुजरात	9364	10207
11.	महाराष्ट्र	19639	20813
12.	मध्य प्रदेश	6536	7035
13.	आन्ध्र प्रदेश	7587	9331

1	2	3	4
14.	कर्नाटक	6330	7144
15.	केरल	5256	5539
16.	तमिल नाडु	10543	11226
17.	बिहार	2252	2551
18.	दामोदर घाटी निगम	4484	6001
19.	उड़ीसा	2918	3159
20.	पश्चिम बंगाल	5378	5509
21.	सिक्किम	14	15
22.	असम	463	709
23.	मेघालय, त्रिपुरा और नागालैण्ड	391	419
	अखिल भारत	111572	122925

विवरण-दो

राज्य/प्रणालीवार सकल ऊर्जा उत्पादन के ब्यौरे

अवधि : 1982-83 (अप्रैल 82—फरवरी 83)

क्रम संख्या	राज्य/प्रणाली	उत्पादन (मिलियन यूनिट में) *अप्रैल 82 से फरवरी, 83 तक
1	2	3
1.	भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड	6432
2.	ब्यास निर्माण बोर्ड	3713
3.	दिल्ली	3996
4.	जम्मू और कश्मीर	825
5.	हिमाचल प्रदेश	1190
6.	हरियाणा	1010
7.	राजस्थान	1074
8.	पंजाब	2425

1	2	3
9.	उत्तर प्रदेश	13924
10.	गुजरात	9800
11.	मध्य प्रदेश	7346
12.	महाराष्ट	19643
13.	आन्ध्र प्रदेश	9451
14.	कर्नाटक	7126
15.	केरल	4195
16.	तमिलनाडु	10370
17.	बिहार	2499
18.	उड़ीसा	2703
19.	पश्चिम बंगाल	5271
20.	दामोदर घाटी निगम	5487
21.	सिक्किम	14
22.	असम	830
23.	मेघालय, त्रिपुरा और नागालैण्ड	431
	अखिल भारत	119755

* फरवरी, 1983 का उत्पादन वास्तविक-एवं मूल्यांकन पर आधारित है।

आकाशवाणी के वाराणसी केन्द्र से वाणिज्यिक प्रसारण

5768. **श्री जेनुल बशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के वाराणसी केन्द्र से वाणिज्यिक प्रसारण शुरु करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस स्टेशन से वाणिज्यिक प्रसारण कब शुरू किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अपंग व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

5769. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में क्षेत्रवार कुल कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र (पी. सी. ओ.) है ;

(ख) इनमें से कितने केन्द्र अपंग व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे हैं ; और

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के लिये क्षेत्रवार कितने आवेदन पत्र लम्बित पडे है ?

(संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) दिल्ली में क्षेत्रवार सार्वजनिक टेलीफोन घरों की कुल संख्या इस प्रकार है :

दक्षिण दिल्ली	1196
पश्चिम दिल्ली	879
मध्य दिल्ली	479
उत्तरी दिल्ली	624

(ख) विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या 60 है ।

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए लंबित आवेदनों की क्षेत्रवार संख्या इस प्रकार है :"

दक्षिण दिल्ली	866
पश्चिम दिल्ली	316
मध्य दिल्ली	110
उत्तरी दिल्ली	1140

आकाशवाणी के लिए अच्छी किस्म के टेपों का आयात

5770. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के इंजीनियरों तथा तकनीशियनों ने अच्छी किस्म के टेपों का आयात करने और उनका तैयार स्टाक रखे जाने का अनुरोध किया है क्योंकि देश में बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी द्वारा इस समय उपयोग किये जा रहे टेप घटिया किस्म हैं ;

(ग) सरकार आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए जिन भारतीय तथा विदेशी उत्पादकों

से टेप और वीडियो कैसेट खरीदती है उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) आकाशवाणी को अच्छी किस्म के टेप उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) (क) और (ख) : यह सच है कि पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों के इंजीनियरी प्रमुखों के हाल ही में दिल्ली में हुए सम्मेलन में कुछ इंजीनियरों ने आकाशवाणी के लिए अच्छी किस्म के टेपों का आयात करने की आवश्यकता पर बल दिया था। आकाशवाणी के संजाल में इस समय प्रयुक्त किए जाने वाले मेग्नेटिक टेप घटिया किस्म के नहीं हैं। आयातित और देशी दोनों प्रकार के टेप आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं।

(ग) ब्यौरा इस प्रकार है :-

(1) मैसर्स तार्जियन इंडिया (प्रा०) लि०, नई दिल्ली।

(2) मैसर्स जे ईन्लैक्ट्रानिक्स इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, नासिक।

(3) मैसर्स विमल एंटरप्राईजिज (प्रा०) लि०, बम्बई।

(2) विदेशी निर्माताओं का ब्यौरा :—

(1) मैर्सस एप्पैक्स कारपोरेशन, कैलीफोनियाँ, अमरीका।

(2) मैसर्स ए. बी. एफ. ए. गायवर्ड, पश्चिम जर्मनी।

(3) मैसर्स सोनी कारपोरेशन, जापान।

(4) मैसर्स पाईरल एस. ए., फ्रांस।

(5) मैसर्स फ्यूजी कलर, जापान।

(6) मैसर्स एम्पेक्स वर्ल्ड आपरेशंस, अमरीका।

(7) मैसर्स 3 एम. सिंगापुर।

(घ) अच्छी किस्म के टेप इस समय भी आकाशवाणी केन्द्रों को मुहैया किए जा रहें हैं और वे इसी प्रकार मुहैया किए जाते रहेंगे।

दिल्ली स्थित रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या

5771 **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित विभिन्न रोजगार कार्यालयों में अनुसूचित जन-जातियों के क्षेणी वार कुल कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं ;

(ख) चयन परीक्षाओं में बैठने हेतु अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा प्रशिक्षण की क्या-क्या सुविधा दी जा रही है ; और

(ग) वर्ष 1975 से 1982 के दौरान प्रतिवर्ष तथा क्षेणी वार, अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों को रोजगार प्राप्त हुआ ?

श्रम और पुनर्वास मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) (क संगत सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है ।

(ख) सरकार ने 1973 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए दिल्ली में एक विशेष अध्यापन योजना चलाई है ताकि उन्हें लिपिकीय और सम्बद्ध नौकरियों के लिए विभिन्न भर्ती अभिकरणों द्वारा ली जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके । गहन शिक्षण चार विषयों अर्थात आशुलिपि, टाइपिग, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान में दिया जाता हैं । यह प्रशिक्षण दिल्ली के चुने हुए शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाता है ।

प्रशिक्षण अवधि के दौरान, नि: शुल्क पुस्तकें और लेखन सामग्री तथा ऊपर उल्लिखित चार विषयों में नि: शुल्क अध्यापन के अलावा उम्मीदवारों को 75/- रु० प्रति माह की दर से छात्र वृत्ति दी जाती है ।

हाल ही में दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में स्थित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन- जाति के लिए 10 अध्यापन - व - मार्ग - दर्शन केन्द्रों में आशुलिपि और टाइपिग की प्रैक्टिस के लिए एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण योजना भी प्रारम्भ की है ताकि गति को प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सके, जो उन्होंने रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर रहते हुए शायद खो दी हो। दिल्ली प्रशासन ने अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों की सहायता करने के लिए दरियागंज रोजगार कार्यालय, दिल्ली में एक केन्द्र की व्यवस्था की हैं, ताकि आशुलिपि और टाइपिग में उनकी गति बनाई रखी जा सके ।

(ग) संगत सूचना संलग्न विवरण 2 में दी गई हैं ।

विवरण

31. 12. 1982 को दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों की संख्या, जिन्हे व्यापक व्यावसायिक ग्रुपों द्वारा वर्गीकृत किया गया ।

व्यावसायिक ग्रुप	संख्या
1	2
1. व्यावसायिक, तकनीकी और सम्बद्ध श्रमिक ।	12

1		2
2.	प्रशासनिक, कार्यकारी और प्रबन्धकीय श्रमिक	60
3.	लिपिकीय और सम्बद्ध श्रमिक	114
4.	बिक्री श्रमिक	—
5.	सेवा श्रमिक	33
6.	वृषक, मछुए, शिकारी, लकड़हारा और सम्बद्ध श्रमिक	6
7.	उत्पादन और सम्बद्ध श्रमिक, परिवहन उपकरण प्रचालक और श्रमिक	14
8.	अकुशल श्रमिक और नौकरी चाहने वाले, जिन्हे व्यवसायों द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया	1,005
	योग :	1,244

विवरण-2

1975 से 1982 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के बारे में दिल्ली में रोजगार कार्यालयो द्वारा नौकरी दिलाए गए उम्मीदवारों की संख्या

व्यावसायिक, ग्रुप	निम्नलिखित वर्षो के दौरान नौकरी दिलाए गए उम्मीदवारों की संख्या							
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. व्यावसायिक, तकनीकी और सम्बन्द्ध श्रमिक	11	05	11	22	13	09	09	22
2. प्रशासनिक, अधिशासी और प्रवन्धकीय श्रमिक	01	—	—	—	—	—	—	—
3. लिपिकीय और सम्बद्ध श्रमिक	54	49	48	83	32	18	14	03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. बिक्री श्रमिक	—	—	—	—	—	--	--	—
5. सेवा श्रमिक	15	09	17	01	—	04	--	05
6. कृषक, मछुए, शिकारी, लकड़-हारा और सम्बद्ध श्रमिक;	20	—	13	15	—	—	01	—
7. उत्पादन और सम्बद्ध श्रमिक, परिवहन उपकरण प्रचालक और श्रमिक	47	07	21	07	07	12	07	07
8. अकुशल श्रमिक और नौकरी चाहने वाले, जिन्हें व्यवसायों द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया	22	50	126	55	92	208	293	233
योग	170	120	236	183	144	251	324	270

दिल्ली में सरकारी कार्यालयों, प्राइवेट फर्मों तथा कंपनियों के नाम टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

5772: **श्री निहाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली में सरकारी कार्यालयों, प्राइवेट फर्मों तथा कंपनियों के नाम पृथक-पृथक टेलीफोन बिलों की बकाया राशि कितनी थी और ऐसे कार्यालयों, फर्मों तथा कंपनियों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) डाक-तार विभाग के रिकार्डों में टेलीफोन उपभोक्ताओं को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :—

(एक) केन्द्र सरकार (रक्षा विभाग को छोड़कर)

(दो) राज्य सरकार

(तीन) रक्षा विभाग

(चार) प्राइवेट (प्राइवेट फर्मों, कम्पनियों आदि सहित)

दिल्ली टेलीफोन द्वारा 31-3-82 तक जारी किए गए बिलों के सम्बन्ध में 1-3-83 को बकाया राशि इस प्रकार है :—

	(आंकड़े-करोड़ रुपयों में)
केन्द्र सरकार	0.41
राज्य सरकार	0.15
रक्षा	0.09
प्राइवेट	5.95
योग :	6.60

अलग-अलग मामले में प्रत्येक उपभोक्ता का नाम और राशि बताने में अत्यधिक समय और श्रम लगेगा, क्योंकि ऐसे मामलों की संख्या बहुत अधिक है। फिर भी, यदि किसी विशेष उपभोक्ता के सम्बन्ध में जानकारी आवश्यक हो, तो वह दे दी जायेगी।

(ख) विभागीय नियमों में बकाया राशि वसूलने के लिए निर्धारित आम प्रक्रिया इस प्रकार है जैसा भुगतान के लिए उपभोक्ता को टेलीफोन पर याद दिलाना, यदि भुगतान प्राप्त न हो, तो टेलीफोन कनेक्शन काट देना, उपभोक्ता को निजी सम्पर्क द्वारा बकाया का निपटान करने के लिए कहना और संभव व आवश्यक होने पर न्यायालय का आश्रय लिया जाता है। सरकार के ऊपर बकाया होने के मामले में इसके निपटान के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से उच्च स्तर पर संपर्क किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषाधालयों के टेलीफोन कनेक्शन हटाया जाना

5773. **श्री निहाल सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषाधालयों की संख्या तथा उनके नाम क्या है जहां गत दो वर्षों के दौरान टेलीफोन कनेक्शन हटा दिए गए हैं और उन कनेक्शनों को कब हटाया गया था ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषाधालयों के टेलीफोनों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। देय राशि का भुगतान न करने के कारण ये टेलीफोन काटे गए थे।

अन्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

दिल्ली में गत दो वर्षों के दौरान के० स० स्वास्थ्य योजना के किन औषाधालयों के टेलीफोन काटे गए थे, उनके नम्बर और के० स० स्वास्थ्य योजना औषाधालयों के नामों को दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम सं०	टेलीफोन नं०	के० स० स्वास्थ्य योजन औषाधालय का नाम	टेलीफोन काटने की तारीख
1	2	3	4
1.	593007	राजौरी गार्डन	4.6.81
2.	587910	न्यू राजेन्द्र नगर	25.11.82
3.	581426	पटेल नगर-I	17.7.81,21.3.82
4.	582422	पटेल नगर-II	30.3.82
5.	742028	अशोक विहार	15.12.82
6	376988	नार्थ एवेन्यु	6.2.81
7.	383724	वेलेसल्ली रोड	5.1.82
8.	203766	नवीन शाहदरा	26.11.82
9.	213408	लक्ष्मी नगर	21.10.81
10.	272564	मिन्टो रोड	28.8.81
11.	273043	दरियागंज	23.6.81,26.11.82
12.	26877	50, थम्सम रोड	12.1.83
13.	264084	डी.जी.एच.एस. सेन्ट्रल हेल्थ एजुकेशन भवन, कोटला रोड	10.7.81,17.11.82
14.	611442 611538	लोधी रोड	16.2.81,29.1.82
15.	622867	कस्तूरबा नगर	21.10.81
16.	623767	किदवई नगर	5.3.81
17.	624643	लक्ष्मी वाई नगर	5.3.81,27.11.81 22.11.82

1	2	3	4
18.	630851	कालकाजी	21.11.81
19.	630251	श्रीनिवास पुरी	28.11.80,15.6.82
20.	635740	कालकाजी	22.5.81,16.11.81
21.	635664	श्रीनिवास पुरी	25.5.81,30.10.82, 5.11.82
22.	665516	शादिक नगर	22.3.82
23.	666127	नरोजी नगर	5.7.82
24.	667628	अंडरुजगंज	15-2-82
25.	650745	महरौली	15-3-82,27-8-82
26.	650894	मालवीय नगर	30-10-81
27.	523876	चित्र गुप्तारोड पहाड़गंज	18-3-81
28.	527511	चित्रगुप्ता रोड पहाड़गंज	28-2-81
29.	519345	न्यूबिल्डिंग, ईस्ट पार्क रोड	27-3-81

उड़ीसा के दूरस्थ क्षेत्रों में डाक का वितरण

5774. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का अध्ययन किया है कि डाक वितरण व्यवस्था विशेष रूप से उड़ीसा राज्य से, जहां पर दूरस्थ क्षेत्रों में डाक पहुंचने में लगभग 15 दिन का समय लग रहा हैं, बिगड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए क्या सक्रिय कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सामान्यतया यह अनुमान लगा लेना कि उड़ीसा में डाक वितरण प्रणाली बिगड़ती जा रही है और डाक वस्तुएं गंतव्य स्थान तक पहुचने में 15 दिन ले लेती है, सही नहीं है। यदि विलंब का कोई विशिष्ट मामला विभाग की नजर में आता है, तो शीघ्र ही उचित उपचारी कार्रवाई की जाती है।

(ख) यदाकदा होने वाले विलंब के कई कारण है, जैसे गाड़ियों और बसों का देर से चलना और साथ ही स्टाफ द्वारा धीरे काम करो, नियम के अनुसार काम करो आदि रवैये का अपनाया जाना।

(ग) सड़क परिवहन बसों के जिस पर कि वितरण प्रणाली, विशेषकर दूरवर्ती क्षेत्रों की वितरण प्रणाली काफी हद तक निर्भर करती है, समय पर आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से निकट संपर्क रखा जा रहा है। विलंब के कारणों का विश्लेषण करने एवं उन्हें दूर करने के लिए वितरण सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से मानीटरिंग भी की जा रही हैं।

विनोंबा भावे पर एक चलचित्र का निर्माण

5775. **श्री शिबु सोरन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को विनोबा भावे पर चलचित्र के निर्माण हेतु ऋण के लिये कोंई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) यदि हां, तो परियोजना के ब्यौरे क्या है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा उनके लिये पैसा दिया जायेगा ;

(घ) यदि हाँ, तो कब तक और कितना ; और

(ड.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख), से (ड.) : प्रश्न नहीं उठते।

आकाशवाणी और दिल्ली दूरदर्शन में उपकरणों और रख रखाव संबंधी प्रक्रिया को अद्यतन बनाया जाना

5776 **श्री पीयूष तिरिकी**
श्री जगदीश टाईटलर } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) *क्या यह सच है कि आकाशवाणी और दिल्ली दूरदर्शन के इंजीनियरों ने इस समय इन दो सरकारी माध्यमों में अपनाई जाने वाली रख रखाव प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने हेतु कहा है ;*

(ख) *क्या यह सच है कि इन दो माध्यमों में इस समय उपयोग में लाये जा रहे उपकरणों का शीघ्र नवीकरण करने की बहुत अधिक जरूरत है ; और*

(ग) *यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने उपकरणों के बारे में अनुरक्षण आवश्यकताओं और प्रविधियों के प्रति पूर्णतया सजग हैं अनुरक्षण और मरम्मत की प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा की जाती है और उनको आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा आयोजित आन्तरिक बैठकों/सम्मेलनों में नवीनतम विकासों के अनुसार अद्यतन किया जाता है । समूह स्तर पर और समिति स्तर पर भी आन्तरिक विचार विमर्श अक्सर होते रहते हैं और उपयुक्त अनुरक्षण और मरम्मत सुनिश्चित करने लिये विचारों पर मुक्त रूप से बिचार विमर्श किया जाता है और उनका आंदान-प्रदान किया के जाता है ।

(ख) जी, नहीं । आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न उपकरण अच्छी तरह काम कर रहे हैं। जिन उपकरणों का अनुरक्षण सावधानीपूर्वक किया जाता है, वे अपने निर्धारित उपयोगी जीवन से कहीं अधिक समय तक प्रदान कर सकते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी

5777. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की वर्गवार संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है औरप्रत्येक श्रेणी में उनकी प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित कोटा प्रत्येक श्रेणी में पूरा कर लिया है ;

(घ) यदि नहीं तो शेष कोटे को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ड़) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करती है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन- जातियों के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के उपलब्ध होते हुए भी उनको जान बूझ कर के नियुक्त नहीं करते ; और

(च) यदि हां, तो अब तक कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वंसत साठे) (क) और (ख) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय द्वारा सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नतियां करते समय अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के लिये ब्रोचर में निहित अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाता हैं। जहाँ कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग सवंर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है वहाँ आरक्षित रिक्तियों की संख्या (पिछले बकाया सहित यदि कोई हो) उनको सूचित की जाती है। यदि उनके पास उपलब्ध हो तो वे अपेक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को नामित करते हैं।

(ड़) और (च) जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है, ऐसी कोई घटना इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है ।

विवरण					
श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	अनुसूचित जाति का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत
समूह (क)	46	4	—	8.7%	—
समूह (ख)	104	9	—	8.65%	—
समूह (ग)	141	19	1	13.47%	0.71%
समूह (घ) (सफाई कर्मचारियों सहित)	73	24	2	32.88%	2.74%

'अडूर गोपाल कृष्णन इग्नोर्ड इन इण्डिया क्राउन्ड एब्रोड' शीर्ष से समाचार

5778. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव:** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 26 दिसम्बर, 1982 से जनवरी, 1983 तक के सप्ताह के मैगजीन से 'अडूर गोपाल कृष्णन इग्नोर्ड इन इण्डिया क्राउन्ड एब्रोड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे कुछ उपाय करने का है जिससे उच्च योग्यता, ललित कलाओं आदि के व्यक्ति भारत में निराश न हों और विदेशों में शरण लेने के लिए विवश न हों; और

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त भाग (ख) के सम्बन्ध में कार्यवाही की है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार उच्च योग्यता वाले तथा ललित कलाओं आदि में निष्णात व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकतों के प्रति पूर्णतया जागरूक है और वह उनकी प्रतिभाओं का भारत के अन्दर ही उपयोग करने के लिए उनको उपयुक्त अवसर और साधन उपलब्ध करने के लिए उपयुक्त उपाय करती है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का गठन अच्छे सिनेमा का संवर्धन करने और सोद्देश्य फिल्में बनाने के लिए युवा प्रतिभाशाली लोगों को वित्तपोषित करने के लिए किया गया है। ललित कलाओं की अन्य शाखाओं के लिए इसी प्रकार के संस्थान मौजूद हैं। इसके अलावा, उत्कृष्ट फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को विभिन्न श्रेणियों के राष्ट्रीय पुरस्कारों के माध्यम से समुचित मान्यता दी जाती है।

श्री अदूर गोपाल कृष्णन स्वयं राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के निदेशक-मंडल के सम्मानित सदस्य हैं। इनको भारत के नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए 9 सदस्यीय जूरी में नामित किया गया था। 'एलिपत्तायम' नामक इनकी फिल्म को 29वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए सर्वोत्तम मलयालम फिल्म आंका गया था। इस फिल्म को केन्स और शिकागो फिल्म समारोहों में भेजा गया था। 3 जनवरी, 1983 को भारत के नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन समारोह में ब्रिटिश फिल्म इन्स्ट्रीट्यूट के श्री लेसलीं हार्टकासल द्वारा श्री गोपाल कृष्णन को इन्स्टीट्यूट के पुरस्कार के विशेष प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था करके इनको समुचित सम्मान दिया गया था। इसके अलावा, 'एलिपत्तायम' नामक उनकी फिल्म को 4 जनवरी, 1983 को समारोह के 'भारतीय पैनोरमा' विभाग में उद्घाटन फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

राज्य सरकारों द्वारा प्रबन्ध ग्रहण किए गए मन्दिर

5779. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ही धार्मिक समुदाय के अनेक मन्दिरों का राज्य सरकारों ने प्रबन्ध ग्रहण कर लिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने आरत में मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों तथा गिरजाघरों का प्रशासन अपने हाथ में लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण दिल्ली में भट्टी खाने

5780. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में भट्टी खानों में सभी खनन कार्यों पर शासकीय अधिसूचना द्वारा 23-1-1983 से प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ठेकेदारों के अवैध उत्खनन कार्य अब भी करने दिया जा रहा है जिसके कारण और दुर्घटनाए तथा मजदूरों की मौतें हो रही हैं; और

(ग) इसको ध्यान में रखते दिल्ली खनिज उद्योग द्वारा अनुमोदित ठेकेदारों को पकड़ने और दण्ड देने में दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम तथा पुलिस अधिकारी पूर्णतय असफल हैं, भारत सरकार की एजेंसियाँ प्रभावी कार्यवाही करने में अक्षम क्यों हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने सूचित किया है कि 28-1-1983 से सभी खनन प्रक्रियाएं रोक दी गई हैं।

(ख) जी, नहीं। तथापि यह सूचित किया गया है कि 17-2-1983 को नए भट्टी क्षेत्र में दुर्घटना उस समय हुई जब कुछ ठेकेदार अवैध रूप से कार्य कर रहे थे तथा दिल्ली खनिज उद्योग की असोला बजरी खाने द्वारा खनिज ले जाया जा रहा था।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने 14-1-1983 से छः माह की अवधि के लिए असोला खान से खनिज निकालने के लिए दिल्ली खनिज उद्योग को परमिट जारी किया था। चूंकि श्रमिकों के जीवन तथा उनकी सुरक्षा के लिए तुरन्त तथा तत्काल खतरे की आशंका थी इसलिए खान सुरक्षा महानिदेशक ने खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 (3) के अधीन 19-2-1983 को एक आदेश जारी किया। जिसके द्वारा श्रमिकों के नियोजन पर निषेध लगा दिया गया।

संसद सदस्यों के पत्र-व्यवहार से संबंधित आदर्शों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें

5781. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को, संसद सदस्यों पत्राचार संबंधी सरकार के स्थायी आदेशों का डाकतार विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने 14 जुलाई, 1980 को लोकसभा को आश्वासन दिया था कि डाकतार विभाग के अधिकारियों को स्थायी आदेशों का सख्ती से पालन करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों की शिकायतों की ओर गंभीरता से ध्यान देने और शिकायतकर्ताओं को की गई कार्यवाही से अवगत कराने का है ताकि ऐसी शिकायतें फिर न हों ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उच्च अधिकारियों को सचेत करने का है कि राजपत्रित अधिकारियों की किसी भी प्रकार की चूक किये जाने पर विभाग की ओर से सख्त कार्यवाही की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की समय पर पावती भेजने के सभी प्रयास किए जाते हैं । तथापि संसद सदस्यों से विलंब की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। यदि विलंब हुआ भी हो, तो वह कार्य में जानबूझ कर लापरवाही करने और स्थायी आदेशों की अवहेलना के कारण नहीं हुआ ।

(ख) जी हां।

(ग) इस संबंध में ऐसे अनुदेश हैं कि संसद सदस्यों से प्राप्त सभी पत्रों की पावती भेजी जाए और उनका जवाब शीघ्र दिया जाए ।

(घ) इस विषय पर अनुदेश समय-समय पर दोहराए गए हैं । एक बार फिर सभी अधिकारियों को निदेश दिए जा रहे हैं कि वे इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें ।

विभिन्न माध्यमों से नारियों की अपमानजनक छवि प्रस्तुत करना

5782. **श्री अनन्त रामलु मल्लु**
श्री हन्नान मोलाह } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विभिन्न माध्यमों, दूरदर्शन पर विज्ञापन के माध्यम से नारियों की अपमानजनक और रूढ़िगत छवि प्रस्तुत की जा रही है ;

(ख) क्या यह सरकार के ध्यान में भी है कि ऐसे विज्ञापन, जिनमें वस्तुएं बेचने के लिए नारियों को यौन-प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है कभी-कभी दूरदर्शन पर बेकार के विषय होते हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा समस्या पर विशेषकर समाज में नारियों के प्रति लगातार बढ़

रही हिंसा और नारी के दर्जे जो माडल तथा चल-चित्रों में अभिनय का कार्य कर नारियों की नाकारात्मक छवि उभारते हैं, विचार करने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राजमंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि नारियों की उपयुक्त छवि प्रतिबिम्बित हो, इस मन्त्रालय के विभिन्न माध्यम एकक विशेष ध्यान रखते हैं ।

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन की विज्ञापन सेवा में किसी भी उत्पाद-सेवा को बेचने के लिए नारियों का यौन-प्रतीक के रूप में प्रयोग करने वाले किसी विज्ञापन की अनुमति नहीं है । केवल उन्हीं विज्ञापनों को स्वीकार किया जाता है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन की वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता का पालन करते हों ।

(ग) सरकारी माध्यमों, विशेषकर दूरदर्शन और आकाशवाणी का समाज में विशेषकर नारियों के विरुद्ध बढ़ रही हिंसा के विरुद्ध अर्थपूर्ण कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने तथा समाज में नारियों के सही दर्जे पर कार्यक्रमों को टेलीकास्ट प्रसारित-प्रचार करने का लगातार प्रयास रहा है । इसके अलावा, नारियों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध समय-समय पर कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं ताकि नारियों का किसी प्रकार का शोषण न होने देने की आवश्यकता के बारे में जनता का ध्यान आकर्षित किया जा सके ।

"पासीविलिटी आफ मोर इन्डो यू० एस० फिल्म्स"
शीर्षक समाचार

5783. **श्री एन० के० शेजवलकर** : **क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 19 जनवरी, 1983 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "पासीविलिटी आफ मोर इण्डो यू० एस० फिल्म्स" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो हाल में हमें भारत की यात्रा पर आए विख्यात अमरीकी फिल्म निर्माता मिस्टर राबर्ट वाइस द्वारा दिए गए सुझावों-सलाह का ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्र सरकार तथा भारतीय चल-चित्रों द्वारा उनकी सलाह पर किस सीमा तक गम्भीरता से और उसका उपयोग करने का विचार किया जा रहा है ; और

(घ) भारतीय चल-चित्रों के निर्माण के लिए यह कहां तक लाभप्रद रहेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राजमंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) मिस्टर राबर्ट वाइस भारत के 9वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान भारतीय

जन संचार संस्थान द्वारा "टेलीविजन के लिए फिल्मों" पर आयोजित एक सेमीनार में यकायक बोले थे। मिस्टर राबर्ट टेलीविजन के लिए फिल्मों के विशेष संदर्भ में टेलीविजन कार्यक्रमों को तैयार करने से संबंधित समस्याओं पर बोले थे। उन्होंने भारत-अमरीकी सहयोग से फीचर फिल्मों के निर्माण के बारे में कोई सिफारिश नहीं की।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

असम के निर्वाचनों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मत

5784. **श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम विधान सभा के हाल ही में हुए निर्वाचनों में निर्वाचित कितने उम्मीदवारों को 500 से कम मत, 1000 से कम मत और 5000 से कम मत प्राप्त हुए हैं; और

(ख) विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए मतों की प्रतिशतता का विवरण क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी इस प्रकार है :—

(1) ऐसे निर्वाचित अभ्यर्थियो की संख्या जिन्हें 500 से कम मत प्राप्त हुए— 3

(2) ऐसे निर्वाचित अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें 1000 से कम किन्तु 500 से अधिक मत प्राप्त हुए— 8

(3) ऐसे निर्वाचित अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें 5000 से कम किन्तु 1000 से अधिक मत प्राप्त हुए - 23

(ख) एक विवरण जिसमें विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में हुए मतदान में मतों की प्रतिशतता दर्शित की गई है, सदन के पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 6296/83]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में अवकाश यात्रा रियायत योजनाओं में घोटाला

5785. **श्री रणपद दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में अवकाश यात्रा रियायत योजनाओं में बड़े पैमाने के घोटाले की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को घाटा

5786. **श्री बी० वी० देसाई : क्या रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाली इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से निर्मित 13 मूल औषधियों के मूल्य में भारी वृद्धि करने की अनुमति दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को जिसका देश भर हैं विभिन्न बल्क औषधियों और औषधि/फार्मूलेशन संयन्त्र में 104 करोड़ रुपयों का निवेश है, उसे 1981-82 तक 75 करोड़ रुपये की संचित हानि हो चुकी है।

(ग) केवल 1981-82 में ही 27.44 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था;

(घ) क्या लगभग सभी प्रकार औषधियों के मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय लेने से बिक्री से लगभग 10 करोड़रुपए की अतिरित राशि प्राप्त होगी ; और

(ङ) 13 मूल औषधियों का मूल्य बढ़ जाने से औषधि निर्माताओं का घाटा किस सीमा तक कम हो गया और किन औषधियों के मूल्यों में वृद्धि की गई है।

रसायन औ उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हाँ।

(ख) 31 मार्च, 1982 को मूल्यह्रास के पश्चात् मेसर्स इण्डियन ड्रग्स एण्ड फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड की निर्धारित परिसम्पत्तियां 72.63 करोड़ रुपये की थी। इसके अतिरिक्त उस तिथि को 17.97 करोड़ रुपए का पूंजी खर्च भी किया जा रहा था। उक्त तिथि तक 73.72 करोड़ रुपए की संचयी हानि थी।

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान 5.10 करोड़ रूपये का अनुदान प्रदान करने के पश्चात् 27.44 करोड़ रुपये की हानि हुंई।

(घ) लागत में वृद्धि की क्षतिपूर्ति करने के लिए मेसर्स आई० डी० पी० एल० को मूल्यों में वृद्धि की अनुमति दी गई थी। मूल्यवृद्धि के आधार पर जुटाए गए अपेक्षित अतिरिक्त करोबार की मात्रा उपक्रम द्वारा वास्तव में की गई प्रभावी बिक्री पर निर्भर करेगी।

(ङ) संयंत्र द्वारा विभिन्न कारणों से हानि उठाई गई है। वर्ष 1981-82 के दौरान कम्पनी को दी गई मूल्य वृद्धि की अनुमति से निःसंदेह हानियों में कटौती हुई है किन्तु उसकी वास्तविक मात्रा नहीं निकाली गईहै जिन 13 औषधों के के मूल्य बढ़ाए गए हैं उनके नाम हैं :—

1. अक्सीटेट्रासाइक्लीन हाड्रोक्लोराइड

2. अक्सीटेट्रासाइक्लीन बेस

3. पोटाशियम पेनिसिलिन जी प्रथम क्रिस्टल्स

4. पोटाशियम पेनिसिलिन जी
5. पोटाशियम पेनिसिलिन वी
6. प्रोकेन पेनिसिलिन जी
7. सोडियम पेनिसिलिन जी
8. स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट
9. टेक्ट्रासाइक्लीन बेस
10. टेट्रासाईक्लीन हाइड्रोक्लोराइड
11. विटामिन बी 1 हाड्रोक्लोराइड (ओरल)
12. विटामिन बी । एच० सी० एल (एम्पूल)
13. विटामिन बी । (मोनो-नाइट्रेट)

भारत में चल रही अमरीकी औषधि कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

5787. **श्री बी० पी० देसाई :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने क्लेटन अधिनियम संशोधन पास कर दिए हैं जिनके अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करनेवाली विदेशी सरकारों से उन्हें संरक्षण मिलेगा ।

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी सरकार ने नवीनतम उपब्धि की भूमिका बताकर इस बात पर जोर देकर कहा है कि भारत ने 1974 में फाइजर अमेरिकन साइनामिड कं० आदि पर मुकदमा चलाया था;

(ग) यदि हां. तो भारत में काम कर रही अमरीकी औषधि कम्पनियों के विरुद्ध केन्द्र सरकार कार्यवाही करने में कहां तक प्रभावित होगी ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई उपाय किये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री [श्री वसन्त साठे] : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) से (ङ) चूंकि अमरीकी औषध कम्पनियों के साथ न्यायालय से बाहर ही समझौता हो गया था, अतः भारत में अमरीकी औषध कम्पनियों के विरुद्ध और कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

कलकत्ता पत्तन के नाविकों की माँगें

5788. **श्री रेणपद दास : क्या श्रम व पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन के नाविकों की हड़ताल का हल ढूंढने के लिए उनके मंत्रालय तथा भारतीय पटसन निर्माता एसोसिएशन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) नाविकों की क्या मांगें हैं।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) :

(क)) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना मांगी गई है जो यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

टैंक बैगन में एल० पी० जी० की ढुलाई

5789 **श्री सुशील मट्टाचार्य** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलेंडरों की कमी के कारण तथा एल० पी० जी० उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखकर उनके मंत्रालय का विचार एल० पी० जी० की ढुलाई टैंक बैगनों द्वारा करने का है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सिलेंडरो के उत्पादन में उपयुक्त वृद्धि करके गैस सिलेंडरों के अभाव को दूर करने के लिए सभी संभव उपायों का उपयोग कर लिया है ; और

(ग) सरकार की योजना की तुलनात्मक लागत कितनी होगी और इसके विकल्प क्या होगें ?

ऊर्जा मंत्रालके पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) विभिन्न रिफाइनरियों/गैस क्रेकशेसन संयंत्रों में उत्पादित को जा रही एलपोजी को अंशत उत्पादन स्थानों पर भरा जाता है और अंशत: अन्य स्थानों के बाटलिगं संयंत्रों पर ले जाया जाता है। बाटलिगं संयंत्रों को आकर ओर स्थान एलपोजी की प्रस्तावित वितरण पद्धति पर आधारित होती है। रिफाइनरियों/गैस क्रेक्शेसन संयंत्रों से अन्य स्थानों के बाटलिगं संयंत्रों तक एलपोजी का परिवहन या तो रेल टैंक वेगनों द्वारा अथवा सड़कटैंकरों द्वारा किया जाता है। अत: जबकि एलपोजी का परिवहन टैंक वैगमों में किया जाना है, इसका कारण गैस सिलेण्डरों की किसी प्रकार की कमी से नहीं है।

(ख) एलपोजी सिलेण्डरों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में सिलेण्डर निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

(ग) उपभोक्ताओं के निकट स्थित बाटलिग संयंत्रों तक एलपोजी को विद्युत मात्रा का परिवहन (टैंक वैगनों अथवा सड़क टैंकरों) करना उत्पादन स्थलों से ऐसे उपभोक्ताओं को भरे हुए सिलेण्डर परिवहन करने की तुलना में अधिक किफायती होगा।

श्रम मंत्रालय के मार्ग निदेशों से भारतीय श्रमिकों को कठिनाइयां

5790. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या खाड़ी और एशियाई देशों को भारतीय प्रवासी श्रमिकों के बारे में विदेश मंत्रालय के मार्गनिर्देश श्रम मंत्रालय द्वारा लागू किए गए हैं और इससे बड़ी संख्या में अकुशल तथा कुशल भारतयी श्रमिकोंको कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या इस संबन्ध में उनकी कठिनाईयो के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनकी जांच करने और प्रवासी श्रमिकों की शिकायतें को सुनने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) विदेश मन्त्रलय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उद्देश्य उत्प्रवासी को जानकारी उपलब्ध कराना तथा शिक्षित करना है, ताकि उसे शोषण या कठनाई का सामना न करना पड़े । इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं है कि इन मार्गदर्शी सिद्धांतो के कारण अकुशल कुशल भारतीय श्रमिकों को किसी प्रकार की कठनाई हुई है।

(ख) : कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन अभ्यावेदनों का उद्देश्य यह बात बताना है कि भारतीय श्रमिकों के लिए उच्च मजदूरी की अपेक्षा पर दबाब डालने से विदेशी रोजगार बाजार में भारत को नुकसान हो सकता है क्योंकि ऐसा करने से वह नियोजेनार्थ अपेक्षाकृत कम श्रमिकों को बहार भेज पएगा ।

(ग : इन अभ्यावेदनों की जांच की गई है। यह पाया गया है कि उचित न्यूनतम मजदूरी स्तर के लिए हमारे आग्रह करने के परिणाम स्वरूप श्रमिकों को लाभ हुआ है जहां कहीं यह देखने में आया कि सुझाया गया न्यूनतम मजदूरी स्तर प्रतियोगी नहीं है, वहां विदेश में स्थित हमारे दूतावासों के परामर्श से इस स्तर को उपयुक्त रूप से कम कर दिया गया है। जो सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए कृत-सकल्प है, उसके लिए मजदूरी संबंधी अपेक्षाओं में में होने वाले उतार-चढ़ाव पर नजर रखना एक सतत् प्रक्रिया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

5791. **डा० वसन्त कुमार पंडित**
श्री सुशील भट्टाचार्य } : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि और विधि उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत गत तीन वर्षों से बकाया बढ रही है;

(ख) देश में 31 दिसम्बर, 1980, 31 दिसम्बर, 1981 और 31 दिसम्बर, 1982 को भविष्य निधि को कुल कितनी धनराशि बकाया थी;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कर्मचारियों से एकत्र की गई भविष्य निधि की धनराशि और कर्मचारी अंशक्षन की धनराशि संज्ञेय "नान कम्पाउन्डेबल' अपराध है;

(घ) यदि हां, तो भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं और कितने मामलों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 और 409 के अन्तर्गत अपराध के मामले दर्ज किए गए थे;

(ङ) क्या राष्ट्रीयकृत यूनिटों और सरकारी प्रशासकों के अधीन यूनिटों ने भविष्य निधि बकाया का भुगतान कर दिया है; यदि नहीं, तो सिर्फ उसके क्या कारण है; और

(च) (1) बम्बई, (2) अहमदाबाद (3) भोपाल और (4) दिल्ली में उन यूनिटों के नाम क्या हैं जिनमें 31 दिसम्बर, 1982 को 5 लाख और उससे भी अधिक की धनराशि बकाया है, उन्हें देय धनराशियों का ब्यौरा क्या है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) से (च) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

सोडा ऐश का उत्पादन

5792 **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का अनुमान है कि देश में 1982-83 में सोडा ऐश का 7.75 लाख टन उत्पादन होगा;

(ख) क्या सरकार को सोडा ऐश विषयक स्थायी समिति की 18 जून, 1982 को हुई बैठक के निष्कर्ष की जानकारी है जिस में उत्पादकों का अनुमान है कि नए एक्की इटीकोरीन अल्कलीज के 36,000 टन के उत्पादन सहित 6.65 लाख टन उत्पादन होगा ।

(ग) क्या सरकार जानती है कि 6.56 लाख टन का उत्पादन भी भिन्न-भिन्न संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता के 90 प्रतिशत उपयोग द्वारा ही हो सकता है; और

(घ) यदि हाँ, तो इतना अधिक उत्पादन होने की आशा के आधार पर क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) देश में सोडा ऐश की कुल स्थापित क्षमता 7.61 लाख टन है । 6.56 लाख टन का उत्पादन स्थापित क्षमता की 86 प्रतिशत उपयोगिता है ।

(घ) स्थापित क्षमता तथा 1981-82 में उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, उत्पादक द्वारा दर्शाया गया उत्पादन लक्ष्य असम्भाव्य नहीं था ।

सरकारी कार्यालयों में दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या

5793. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में दैनिक मजूरी पर जितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन व्यक्तियों को कितने कामों पर लगाया जाता है;

(ग) क्या इन व्यक्तियों को मजूरी इसी प्रकार के काम पर लगाए जाने वाले नियमित कर्मचारियों की मजूरी की तुलना में कम है;

(घ) क्या उन से नियमित कर्मचारियों की तुलना में अधिक काम करवाया जाता है और कम मजूरी अदा की जाती है;

(ड़) यदि हां, तो कम मजूरी और अधिक काम के क्या कारण है; और

(च) इस बारे में समानता लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में लगभग 2,08,662 नैमित्तिक श्रमिक नियोजित है, इनमें से कुछ श्रमिकों को दैनिक आधार पर, कुछ को साप्ताहिक आधार पर और अन्यों को मासिक आधार पर मजदूरी दी जाती है।

(ख) नैमित्तिक श्रमिकों का नियोजन वास्तविक रूप से नैमित्तिक स्वरूप के कार्य के लिए किया जाना होता है।

(ग) सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, गैर-अनुसूचित रोजगारों में नैमित्तिक श्रमकों के लिए वही न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की जानी चाहिए, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार के अर्न्तगत तुलनात्मक अनूसुचित रोजगारों के लिए निर्धारित की जाती हैं, या यदि यह समझा जाता है कि इन दरों का स्थानीय दरों के साथ कुछ सम्बन्ध होना चाहिए, तो ये तुलनात्मक अनुसूचित रोजगारों के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी दरों के संदर्भ में निर्धारित की जा सकती है।

दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा नियोजित अकुशल नैमित्तिक श्रमिकों के लिए देय मजदूरी दर 11.60 रु० प्रतिदिन निर्धारित की गई है, जो तुलनात्मक अनुसूचित रोजगारों के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी दर पर आधारित है। नियमित कर्मचारियों की तुलना में नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा के बारे में आँकड़े नहीं है। अतः यह कहना कठिन है कि उनसे कम मजदूरी पर अधिक कार्य कराया जाता है।

सिंचाई के लिए पवन चक्कियाँ

5794. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'मौसम' पत्रिका में पवन चक्की ऊर्जा प्रजनन द्वारा सिंचाई

और ग्रामिण विकास के लिए 'पवन ऊर्जा' के उपयोग की अत्यधिक संभावनाओं के सम्बन्ध में भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है,

(ख) प्रत्येक राज्य में 31 सितम्बर, 1982 तक कृषि के लिए जल प्राप्त करने के लिए कितनी 'पवन चक्कियां चालू हैं;

(ग) क्या 200 केन्द्रों के विस्तृत राज्य वार आंकड़ों के आधार पर रूड़की विश्वविद्यालय के भौतिकविदों द्वारा किया गया अध्ययन विश्लेषण यह बतलाता है कि सिंचाई के लिए सामुदायिक पवन चक्की के माध्यम ऊर्जा के उपयोग की बहुत क्षमता है,

(घ) क्या सरकार ने पवन चक्कियो के (एक) चेट्टियार अनुसंधान केन्द्र, मद्रास द्वारा विकसित अनिला एक, और (दो) गाजीपुर उत्तर प्रदेश में विकसित टूल-ओ-आर-पी डच डिजाइन जैसे अभिकल्पों के उपयोग का अध्ययन किया है, और

(ड़) सामुदायिक या व्यैक्तिक पवन चक्की कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने और शक्ति प्रदान करने के लिए राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) से (ड) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया गया ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) 31 दिसम्बर 1982 तक क्षेत्रीय परीक्षण/प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठापित किए गए जल पम्पन पवन चक्कियों के बारे में राज्यवार स्थिति इस प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश	10
बिहार	23
दिल्ली	4
गुजरात	24
हरियाणा	11
हिमाचल प्रदेश	3
कर्णाटक	3
मध्य प्रदेश	29
महाराष्ट्र	38
उड़ीसा	11
पंजाब	44

राजस्थान	26
तमिलनाडू	5
उत्तर प्रदेश	39
पश्चिमी बंगाल	6
जोड़	276

(ग) और (घ) : जी, हाँ ।

क्षेत्रीय परीक्षण/प्रदर्शन कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सरकार के विभिन्न राज्यों में अब तक 300 से अधिक जल पंपन पवन चक्कियां अधिष्ठापित की हैं । इस कार्यक्रम में उपयोग कर्त्ताओं में जागरूकता बढ़ती है और कार्य निष्पति पुनर्निवेश उपलब्ध होता है । इन जल पंपन पवन चक्कियों को सरकारी/सांस्थानिक भूमि पर स्थापित किया जाता है और यह सामुदायिक इस्तेमाल के लिए, मुख्यत: सिंचाई अथवा पीने का पानी सप्लाई करने के लिए होते हैं । विभिन्न राज्यों में सुविरंचन सुविधायें स्थापित कर दी गई हैं और भिन्न-भिन्न राज्यों में 800 और पवन चक्कियां अधिष्ठापित करने के लिए क्यादेश दे दिए गए हैं : इनका उत्पादन बढ़ाने और अधिक उपयोग करने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन तथा लघु और उपांतिक कृषकों और अन्य वैयक्तिक किसानों के लिए एक केन्द्रीय राजसहायता योजना जारी की गई है।

राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। एक पवन ऊर्जा कार्यदल, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं, गठित किया गया है, ताकि इस क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जा सके । केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन क्षेत्रीय परीक्षण/प्रदर्शन कार्यक्रम का और विस्तार किया जा रहा है । अनुषंगी संरचना और निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे इनके प्रभावकारी रखरखाव और मानीटिरंग कड़े गुणवता नियंत्रण औरसविरंचना तथा निर्माण के लिए आवश्यक संगठनात्मिक सहायता प्रदान करें ।

इस कार्यक्रम को राज्यों के वर्तमान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं । जल पंपन पवन चक्कियों के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य सरकारें राजसहायता देने और नर्म शर्तों पर ऋण देने के लिए भी व्यवस्था कर रही हैं ।

आदिवासी क्षेत्रों में संचार का विकास

5795. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आदिवासी क्षेत्रों में संचार के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजना के लिए गत दो वर्षों में विभिन्न राज्यों को कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ग) उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में वर्तमान संचार सुविधाओं में तेजी लाने और सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां । आर्थिक सहायता के आधार पर दूरसंचार सुविधायें प्रदान करने की एक योजना चालू की गई है ।

(ख) अपने-अपने राज्यों में, जिसमें जनजातीय क्षेत्र भी शामिल है, दूर संचार सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक दूरसंचार सर्किल को एकमुश्त अनुदान राशि दी गई है ।

(ग) उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में आर्थिक सहायता के आधार पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन/संयुक्त डाक-तार घरों की व्यवस्था की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत 26-3-83 तक 116 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन/डाक-तार घर पहले ही खोले जा चुके हैं ।

ऊर्जा के नये स्रोतों के संवर्धन के लिए विशेष कार्यक्रम

5796. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा के नए स्रोतों के संवर्धन के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाने हेतु उनके मन्त्रालय का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या छठी योजना में ऐसा कार्यक्रम चलाने का विचार है;

(ग) यदि हां तो उपरोक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) और (घ) : छठी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा वानिकी और जैव गैस के संबंध में व्यापक कार्यक्रम बनाए गए हैं । सौर और पवन ऊर्जा जैसे नए ऊर्जा स्रोतों का विकास भी तेज किया जा रहा है । सरकार द्वारा एक अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग और एक गैर-पारपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग भी स्थापित किया गया है । क्षेत्रीय परीक्षण/प्रदर्शन कार्यक्रमों के अधीन सौर जल तापीय तंत्रों, सौर टिम्बर भट्टियां, सौर कुकर, सौर आसवन एकक, सौर फसल शुष्कन एकक, प्रकाश वोल्टीय पम्पों, अन्य प्रकाश वोल्टीय अनुप्रयोगों (प्रकाश, संचार आदि), सामुदायिक जैव गैस संयंत्र, पवन पंप आदि देश के विभिन्न भागों में अधिष्ठापित किए जा रहे हैं । अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को भी तेज किया जा रहा है ।

नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण कर्त्ताओं और इस्तेमाल कर्त्ताओं को वित्तीय

प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है और पारिवारिक आकार के जैव गैस संयंत्रों, जल पम्पन युक्तियों और सौर कुकरों के लिए भी राजसहायता प्रदान की जा रही है।

दामोदर घाटी निगम से पन बिजली उत्पादन हेतु योजना

5697. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा 3760 मेगावाट पन बिजली उत्पादन के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है और केन्द्रीय सरकार को उसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है;

(ख) देश में कितने पन बिजली संयंत्र हैं और इन सयन्त्रों से कितनी बिजली पैदा की जाती है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त मास्टर प्लान की संवीक्षा की है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ग) दामोदर घाटी निगम ने "दामोदर घाटी में जल विद्युत शक्यता" पर एक प्रलेख प्रस्तुत किया है जिसमें 4 पम्पड स्टोरेज स्कीमों का संक्षिप्त विवरण तथा 3760 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता की एक परम्परागत जल विद्युत स्कीम शामिल है। चूंकि इस प्रलेख में स्कीमों का केवल संक्षिप्त विवरण दिया गया है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दामोदर घाटी निगम को सलाह दी है कि वह विस्तृत क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य (आगे हाथ में ले और) जांच के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। दामोदर घाटी निगम द्वारा अन्वेषक कार्य हाथ में ले लिया गया है।

(ख) देश में करीब 111 जल विद्युत केन्द्र (माइक्रो जल विद्युत स्कीमों को छोड़कर) प्रचालन में हैं। इनमें आंशिक रूप से चालू किए गए विद्युत केन्द्र भी सम्मिलित हैं। वर्ष 1982-83 के दौरान, लगभग 48200 मेगावाट आवर विद्युत उत्पादन होने की संभावना है।

"लार्जेस्ट कोल वाशरी प्लांट बिल्ट बाई० एम० ए० एम० सी० शीर्षक समाचार

5798. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 9 दिसम्बर, 1982 को अमृत बाजार पत्रिका" में "लार्जेस्ट कोल वाशरी प्लांट बिल्ट बाई० एम० ए० एम० सी०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संयंत्र स्वदेशी साधनों से बनाया गया था और विदेशी सहायता से, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मूनीडीह का दौरा करने वाले विदेशी शिष्ट मंडलों का (देश-वार) क्या नाम है और प्रत्येक शिष्ट मंडलों द्वारा समर्थन के बारे में दिए गए आश्वासन का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) वाशरी संयंत्र देश में ही बनाया गया था लेकिन इसके लिए डिजाइन और नक्शे पोलैंड की सरकार के सहयोग से प्राप्त हुए थे। कुछ संयंत्र और उपकरण भारतीय फर्म ने आयात किए हैं।

(ग) प्रतिनिधि इस दृष्टि से वाशरी नहीं गए थे कि सहायता के लिए उनसे अनुरोध किया जाने वाला है। जो विदेशी प्रतिनिधि नई दिल्ली में नवीं अंतर्राष्ट्रीय कोयला विनिर्माण काँग्रेस में भाग लेने के लिए आए थे उनमें से कुछ मूनीडीह वाशरी में संयंत्र देखने गये थे। उनसे सरकार ने सहायता के लिऐ कोई आश्वासन नहीं लिया था।

असम के दंगों से पीड़ित व्यक्तियों को फिर से बसाया जाना

5799. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के दंगों से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिऐ केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी राशि की राहत सहायता दी है; और

(ख) इस सम्बंध में किये गये राहत कार्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) असम के हाल के दंगों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा असम सरकार को 10 करोड़ रुपये (पुलों की मरम्मत के लिये 1 करोड़ रुपये सहित) की राशि दी गई है। 159 टन दवाइयां, 30 टन दूध पाउडर/बालाहार असम सरकार को दिया गया है। प्रभावित व्यक्तियों को खाद्यन्न, नकद बेकारी अनुदान, बर्तन, कम्बल और वस्त्रों के रूप में सहायता दी जा रही है। उनके घर वापिस जाने पर उन्हें घरों के पुनर्निमाण, बीजों की खरीद, खोए गये बैलों तथा दुधारू पशुओं के बदले दूसरे पशु खरीदने और साथ ही, अल्पविधि के लिये भरण-पोषण सहायता दी जाती है।

ग्रामीण युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

5800. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये ऐक योजना बनाने हेतु 1981 में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये ऐक योजना तैयार करने के लिऐ आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने इस मन्त्रालय से सम्पर्क स्थापित नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कुवैत से भारतीय मजदूरों का वापिस भेजा जाना

5801. **श्री बी वी देसाई**
श्री चिंतामणि पाणिग्रही } : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित समाचार की भारत सरकार द्वारा जांच की गई है कि कुवैत ने 50,000 भारतीय मजदूर वापिस भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन भारतीय मजदूरों ने पहले से ही भारत पहुंचना शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका मुख्य कारण क्या है और इस सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) कुवैत में भारतीय दूतावास की सूचना के अनुसार कुवैत सरकार ने किसी भारतीय श्रमिक को वापस भेजने के लिये कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, दूतावास ने बताया है कि सितम्बर-दिसम्बर, 1982 के दौरान लगभग 1000 भारतीय श्रमिक, जो कुवैत में अवैध रूप से रह रहे थे, स्वेच्छा से भारत वापस आये। इस अवधि के दौरान, कुवैत सरकार ने उन सभी प्रवासियों के लिये, जो कुवैत में अवैध रूप से रह रहे थे, सामान्य क्षमादान घोषणा की थी। दूसरे देशों के अवैध उत्प्रवासी भी इससे प्रभावित हुये थे।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

बहरीन में भारतीय श्रमिकों की दशा

5802. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बहरीन में भारतीय श्रमिकों की शोचनीय दशा के बारे में बहरीन श्रमिक संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो मानव अधिकारों से वंचित किए जाने तथा सेवा की अपमानजनक दशाओं में रखे जाने के बारे में किस प्रकार की शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने बहरीन में शासकीय अथवा प्राइवेट एजंसियों द्वारा भारतीय

श्रमिकों के रोजगार को नियन्त्रित करने के लिए अपने तथा बहरीन सरकार के बीच हुए समझौते के अंतर्गत कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) : जी, हां। ऐसा अभ्यावेदन मार्च, 1982 में प्राप्त हुआ था। बेहरीन में भारतीय दूतावास ने जांच के पश्चात यह देखा कि बेहरीन में ऐसा कोई संगठन नहीं है। इसके अतिरिक्त, अभ्यावेदन पर हस्ताक्षर भी नही थे।

(ख) : अभ्यावेदन में भारतीय श्रमिकों की दशाओं के बारे में आम शिकायत का उल्लेख था और उसमें भारत सरकार से अपील की गई थी कि वह भारतीय श्रमिकों की मान-मर्यादा को बनाए रखने के लिए समुचित उपाय करे।

(ग) : बेहरीन में सरकारी या निजी अभिकरणों द्वारा भारतीय श्रमिकों के नियोजन को नियन्त्रित करने के लिए बेहरीन सरकार तथा भारत सरकार के बीच कोई समझौता नहीं है। भारतीय दूतावास ने सूचित किया है कि बेहरीन में भारतीय श्रमिकों की संख्या में 1977 से लगातार वृद्धि हो रही हैं, जिसका कारण यह है कि वहां भारतीय श्रमिकों ने अच्छा नाम कमा रखा हैं।

पालेकर अवार्ड को लागू न करने वाले समाचार पत्र

5803. **श्री अजय बिश्वास** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक पालेकर अवार्ड को लागू नही किया है ; और

(ख) सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) : एक **विवरण संलग्न है**, जिसमें ऐसे समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के नाम दिए गए हैं, जिन्होने पालेकर अधिकरणों की सिफारिशों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के आदेशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है या आंशिक रुप से कार्यान्वित किया है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 6297/83]

(ख) : पालेकर अधिकरणों की सिफारिशों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के आदेशो को कार्यान्वित करवाने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केन्द्रीय सरकार स्वीकृत सिफारिशों को पूरी तरह से कार्यान्वित करवाने की आवश्यकता के संबंध में समय-समय राज्य सरकारों पर दबाव डालती रही है।

केन्द्रीय सरकार ने इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए मत्रियों की एक समिति भी नियक्त की है

एक उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे प्रधान डाकघर बनाया जाना

5804. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे प्रधान डाकघर के रूप में बदलने के बारे में एक प्रस्ताव डाक-तार महानिदेशालय, नई दिल्ली को भेजा गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस डाकघर का दर्जा बढ़ाने से तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात सीवान, महाराज गंज तथा छपरा के लोगों को लाभ पहुंचेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि एकमा में एक शानदार विभागीय भवन है जो प्रधान डाकघर खोलने के लिए उपयुक्त है और इस प्रकार भवन पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पडेगा ; और

(घ) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो एकमा उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे प्रधान डाघकर के रुप में कब तक बदला जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन पाटिल) (क) एकमा उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे प्रधान डाकघर बनाये जाने के प्रस्ताव पर इस कार्यालय में विचार किया गया, परन्तु निर्धारित विभागीय मानकों के आधार पर इसका औचित्य नहीं पाया गया ।

(ख) प्रस्तावित एकमा प्रधान डाकघर से महाराजगंज संसदीय क्षेत्र तथा सिवान संसदीय क्षेत्र के कुछ भाग को लाभ पहुंचता, छपरा संसदोय क्षेत्र को इससे लाभ नहीं होता।

(ग) जी हाँ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली नगर पालिका के बिजली विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

5805. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका के बिजली विभाग में गत पाँच वर्षो से कार्यरत कर्मचारियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें एक महीने का वेतन केवल 300/-रुपये दिया जाता है और उनसे बिना किसी लंच ब्रेक के सारे दिन काम कराया जाता है तथा उन्हें कोई चिकित्सा सुविधा भी नहीं दी जाती है ; और

(ग) यदि उक्त पदों का उत्तर हां में हो, तो उसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक स्थायी किया जाएगा तथा उन्हे कब तक सब सुविधाए प्रदान की जाएंगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) गत पाँच वर्षो से मस्टर रोल पर कार्य कर रहे मस्टर रोल खलासियों को खलासियों के नियमित संवर्ग में नियमित नहीं किया गया है।

(ख) मस्टर रोल कर्मचारियों को 11.60 रुपए प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जा

रहा है, जोकि दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुमोदित प्रचालित दरें हैं। उनको लंच का समय दिया जाता है। नई दिल्ली नगर पालिका की सार्वजनिक डिस्पेंसरियों में जो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वे मस्टर रोल कर्मचारियों को दी जाती है। तथापि विशेष औषधियों के मामलों में मस्टर रोल कर्मचारियों के लिए कोई मांग पत्र नही भेजा जाता है।

(ग) उपलब्ध नियमित पदों पर मस्टर रोल कर्मचारियों को समय-समय पर नियमित किया जा रहा है।

सातवें गुट निरपेक्ष सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को दूरदर्शन पर दिखाया जाना

5806. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवें गुट निरपेक्ष सम्मेलन का उद्घाटन समारोह दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमन्त्री तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्यमंत्री (श्री एच०के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। 7 मार्च, 1983 को हुए 7 वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का प्रातः 8.50 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (लगभग) जीवन्त टेलीकास्ट किया गया था। यह प्रधानमन्त्री द्वारा राज्यों/सरकारों के अध्यक्षों तथा विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमण्डलों का विज्ञान भवन, नई दिल्ली में स्वागत किये जाने के कवरेज से शुरू हुआ और विज्ञान भवन के मुख्य हाल में उद्घाटन सत्र की कार्यवाहियों के कवरेज तक जारी रहा।

खाना पकाने की गैस वितरण एजेन्सी का आबंटन

5807. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1980 से कितने नये व्यक्तियों को खाना पकाने की गैस वितरण एजेन्सी दी गई है ;

(ख) आवेदन पर विचार हेतु क्या-क्या शर्तें रखी गई थीं और नियम निर्धारित किये गये थे ;

(ग) कितनी उपभोक्ता सहकारी समितियों ने आवेदन दिये थे और उनमें से कितनी समितियों को एजेन्सी दी गई ; और

(घ) क्या सरकार को क्रयान्वयन के समय शर्तों और नियमों का उल्लंघन किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में पेट्रोलियम विभाग के राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 31-

12-1982 को तेल कम्पनियों द्वारा अपनी 1980-81 और 1981-82 की योजनाओं के प्रति 587 नई एल० पी० जी० डिस्टीब्यूटर शिपें दी गई हैं।

(ख) पात्र उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनकी व्यापारिक योग्यता/विक्रयकला वित्त प्रबन्ध करने की क्षमता और सुविधाएं प्रदान करने की योग्यता, डीलर के रूप में पूर्ण समय काम करने के लिए तैयार रहने तत्परता, सामान्य मूल्यांकन, व्यक्तित्व और पाठ्येतर गतिविधियों के आधार पर किया जाता है।

(ग) चूंकि पेटोलियम उत्पाद की डीलरशिपों/डिस्टीब्यूटर शिप देने के सम्बन्ध में सहकारी समितियों को किसी प्रकार का आरक्षण अथवा प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तेल कम्पनियों द्वारा सहकारी समितियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या और उन्हें दी गई गई डीलरशिपों डिस्टब्यूटरशिपों की संख्या का भी ठीक प्रकार से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(घ) तेल कम्पनियों द्वारा एल० पी० जी० डिस्टीब्यूटरों के चयन में कथित अनिमितताओं के सम्बन्ध में समय समय पर शिकायतें प्राप्त की गई हैं। जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए इनकी जांच पड़ताल की जाती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जलजातियों को खाना पकाने की गैस एजेन्सियों का आबंटन

5808. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस की एजेन्सी के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति के अनेक व्यक्तियों और महिलाओं ने अपने मामले में अभ्यावेदन दिया है और सरकार के भेदभाव पूर्ण रवैये के विरूद्ध शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल कम्पनियों द्वारा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के वितरकों के चयन में कथित अनियमितताओं/पक्षपात के सम्बन्ध में समय समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है, सुधारात्मक उपाय करने के लिए इनकी जांच पड़ताल की जाती है। तथापि, जब तक स्थानों का उल्लेख नहीं किया जाता है तब तक व्यक्तियों और प्राप्त की गई शिकायतों की प्रवृत्ति के ब्यौरे देना और उन पर की गई कार्यवाही आदि के बारे में बताना सम्भव नहीं होगा।

संचार मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ निजी सहायक और निजी सहायक के ग्रेड में पद

5809. **श्री भीखा भाई** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1982 को समाप्त होने वाले गत 5 वर्षों के दौरान (वर्षवार) रोसटर के साथ केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ निजी सहायक और निजी सहायकों के ग्रेड में पदों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को इस ग्रेड में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ग) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के बारे में नीति तथा मार्गनिर्देश गृह मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों तथा वैयक्तिक सहायकों के लिए प्रोन्नति के कोटे में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अलग क्षेत्र तय किए जाते हैं। सीधी भरती तथा विभागीय परीक्षा के कोटे के लिए निर्धारित रिक्तियां कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचित की जाती हैं और उनमें आरक्षण की स्थिति भी बताई जाती है। इन रिक्तियां पर भरती संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है और उम्मीदवारों का आबंटन कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से प्राप्त होता है। आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उन रिक्तियों का पूरे सचिवालय के आधार पर अनारक्षण किया जाता है तथा उन रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए सामान्य उम्मीदवारों की नामजदगी की जाती है। निर्धारित प्रक्रिया अपनाने पर भी, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक और वैयक्तिक सहायक ग्रेड में नियुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित स्तर से काफी कम चल रहा है। पिछले 5 वर्षों में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक और वैयक्तिक सहायक ग्रेड में पदों की कुल संख्या तथा रोस्टर में उनकी स्थिति का विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6298/83]

पेट्रोल और डीजल की चोरी

5810. **श्री शिव चरण वर्मा**
श्री छोटे सिंह यादव : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 और 1982-83 के दौरान पेट्रोल और डीजल की चोरी करते हुए कितने व्यक्ति रंगे हाथ पकड़े गये और ऐसे कितने मामले सरकार के पास लम्बित हैं तथा कितने मामलों का निर्णय सरकार के पक्ष में और कितने मामलों का निर्णय अपराधियों के पक्ष में हुआ;

(ख) उपरोक्त वर्षों के दौरान मत्रालय के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत कितने अधिकारियों

और कर्मचारियों को गिरफ्तार और दंडित किया गया तथा कितनों के विरुद्ध ऐसी चोरियों मे उनके हाथ होने के लिए मामले दर्ज किये; और

(ग) चोरी के ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या ठौस कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी के मामले में इस मन्त्रालय के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को पकड़ा अथवा सजा नहीं दी गई है ।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी के मामलों की रोक-थाम करने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं । इनमें टैंकरों के व्यास-मापनों का निरन्तर निरीक्षण करना, प्रतिष्ठापनों को छोड़ने से से पूर्व लादान ट्रकों की आकस्मिक निरीक्षण करना, ऐसे भ्रष्टाचारों में लगे पाये गये ठेकेदारों और डीलरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाना, अबद्धमाल पर कड़े नियंत्रण रखना, तेल कम्पनियों के अन्दर आन्तरिक सतर्कता सुदृढ़ करना, पेट्रोलियम खुफिया और सतर्कता सेल के माध्यम से आन्तरिक सतर्कता सुदृढ़ करना और अनधिकृत माल ढेर आदि पर राज्य सरकारों आदि के बेहतर समन्वय से छापे मारना शामिल हैं।

आधार वाला निकाय

5811. **श्री माधव राव सिंधिया**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी
श्री के० मालन्ना
श्री राम विलास पासवान
डा० ए० यू० आजमी
श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने 25 फरवरी, 1983 को पटना में "इरोजन आफ जुडिशियरी" बिषय पर दो दिन की अखिल भारतीय विधि संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का निर्णय करने के लिए व्यापक आधार वाले एक *नौ-सदस्यीय निकाय का गठन* करने का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर यदि सरकार ने कोई निर्णय किया है, तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है । किन्तु इस विषय पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की कोई सिफारिश सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

सरकार इस सम्बन्ध में संविधान के उपबंध में कोई परिवर्तन करने की बात नहीं सोच रही है।

विभिन्न राज्यों में गैस एजेंसियों का आबंटन

5812, **श्री राम अवध** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में जिन व्यक्तियों को गैस की एजेन्सियां आवंटित की गई उनका विवरण क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)। अपनी वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 की योजनाओं के प्रति 31 दिसम्बर, 1982 की यथास्थिति के अनुसार तेल कम्पनियों द्वारा 587 नई तरलीकृत पेट्रोलियम गैस डीलरशिपें डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आवंटित की गई हैं।

डीलरशिपें डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के ग्राहियों के नाम तथा स्थानों के बारे में ब्यौरे तत्काल उपलब्ध है।

राज्यों द्वारा बिजली के प्रयोग पर प्रतिबंध

5813. **श्री अन्नत रामलु मल्लु** : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राज्यों ने इस समय बिजली के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जिन क्षेत्रों में ये प्रतिबन्ध लगाए गए हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं और इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) फरवरी, 1983 के महीने के दौरान देश के विभिन्न राज्यों प्रणालियों द्वारा लगायी गई अधिसूचित विद्युत कटौतियां प्रतिबन्धों का ब्यौरा उपाबन्ध। में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6299 83]

(ग) फरवरी, 1983 के महीने के दौरान निम्नलिखित राज्यों प्रणालियों ने विद्युत कटौतिया प्रतिबन्ध लगाए हैं :—

1, दिल्ली	8. मध्यप्रदेश
2. हरियाणा	9. कर्नाटक

3. जम्मू और कश्मीर	10. तमिलनाडु
4. पंजाब	11. केरल
5. राजस्थान	12. पांडिचेरी
6. उत्तर प्रदेश	13. पश्चिमी बंगाल
7. गुजरात	14. उड़ीसा
	15. महाराष्ट्र

दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों में विद्युत कटौतियों/प्रतिबन्धों के मुख्य कारण मानसून का कम होना है, जिसके परिणामस्वरूप जल-विद्युत उत्पादन कम हुआ और कृषि भार में बढ़ोत्तरी हुई। राजस्थान के मामले में राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र के यूनिटों के घटिया कार्य-निष्पादन के परिणामस्वरूप राज्य में विद्युत की कमी हुई है।

दिल्ली के गावों के लिए डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की सुविधाएं

5814. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी के तीन गांवों अर्थात् (एक) झदेरा (जनसंख्या 9000), (दो) ओल्ड नांतलोई (जनसंख्या 7000) और (तीन) मेहरपुर (जनसंख्या 10,000) को अब तक डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन तीन गांवों में डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र कब तक खोले जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) : झदेरा, पुरानी नांगलोई और मेहरामपुर नाम के कोई गांव नहीं है। इस क्षेत्र में झरेरा, पुराना नांगल और मेहराम नगर नाम के गांव हैं। ये गांव डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते, क्योंकि ये निकटतम डाकघर से तीन किलोमीटर से कम की दूरी पर स्थित हैं। साधारणतया ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफीन घर केवल डाकघर में या किराए और गारंटी के आधार पर की गई विशिष्ट प्रार्थना पर खोले जाते हैं।

डाक/सार्वजनिक टेलीफोनघर की सुविधाएं इन गांवों के आस-पास ए एफ पालम, सुब्रोती पार्क, नांगल राया और पालम एयर पोर्ट पर उपलब्ध है।

बिहार के हजारीबाग जिले के गांवों के लिए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधाएं

5815. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या बिहार के हजारी बाग जिले में पिछड़े और उपेक्षित सतगांव ब्लाक के दूराध बसोदीड, नंदुदील, सहगांव, नरचोई, खूटा, मीरगंज और जोगदीह गांवों में जिसमें 5,000 से

10,000 तक आबादी है, अब तक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या 1993 में इन गाँवों में प्राथमिकता के आधार पर यह सुविधा प्रदान करने का सरकार का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन०पाटिल) :(क) और (ख) : हजारी बाग जिले के सतगाँव ब्लाक के बांसोडीह, नंदडीह सहगाँव, गास्वोई, खूटा, मोरगंज और जोगडीह ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की व्यवस्था नहीं की गई है। उदारीकृत आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था करने के लिए ये स्थान श्रेणी वाले स्थान की शर्तें पूरी नहीं करते। श्रेणी बाले स्थानों की शर्तें विवरण में दी गई है।

विवरण

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोनघर एवं संयुत डाक-तारघर खोलने की नीति

स्थानों की श्रेणियां

1. जिला मुख्यालय
2. उप मंडलीय मुख्यालय
३. तहसील मुख्यालय
4. उप-तहसील मुख्यालय
5- ब्लाक मुख्यालय
6. ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो।

सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने हेतु शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने हेतु शर्तें
घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्तें के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।	घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

7. वे स्थान जहाँ पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हो जिनका इन्चार्ज उप निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो

सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने हेतु शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने हेतु शर्तें
1	2
साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय

1	2
व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत तथा पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

8. आम रास्ते से दूर के स्थान

सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने हेतु शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने हेतु शर्तें
(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40 किलोमीटर से अधिक (अरीयदूरी) होना चाहिए।	(क) मौजूदा तारघर से 20 किलोमीटर से बाहर (अरीयदूरी) होना चाहिए।
(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय इलाकों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
	(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

9—पर्यटन/तीर्थ केन्द्र/कृषि/सिंचाई/पावर परियोजना स्थल/नगर

सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने हेतु शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने हेतु शर्तें
1	2
(क) साधारण इलाकों में वार्षिक/आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में	(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व कम से कम 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रति-

1	2
10 प्रतिशत होना चाहिए ।	शत होना चाहिए ।
	(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घ.टा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए ।

10. सभी अन्य स्थान

सार्वजजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु शर्तें	संयुक्त डाक-तार घर खोलने हेतु शर्तें
वित्तीय व्यहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर	वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर

टिप्पणी : (1) क जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों पर विचार करते समय केवल अकेले नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार करना चाहिए न कि नगरों या ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर आदिवासी क्षेत्रों में किसी केन्द्रीय स्थान से 10 किलोमीटर अर्द्धव्यास के वृत्त में आये हुए सभी स्थानों की सम्मिलित जनसंख्या और अल्पतम राजस्व की शर्तों के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन खोला जा सकता है ।

इस छूट के अन्तर्गत कोई भी दो सार्वजनिक टेलीफोन 10 किलो०मी० से कम दूरी पर पर नहीं खोले जा सकते हैं।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनो की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम में वरीयता दी जागी :

(1) जनजातीय विकास खण्ड मुख्यालय

(2) जिन स्थानों पर लैम्पस (बड़े आकार की बहुउद्देशीय सहकारी सीमितियां) स्थापित हैं; और

(3) ग्रामीण उद्योगों और अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र ।

यदि प्रत्याशित तारघर के 8 किलोमीटर के भीतर कोई अन्य तारघर कार्य करमा हो तो घाटे पर कोई:भी तारघर नहीं खोला जाना चाहिए ।

अस्पताल के निर्माण के लिए कोडरमा डिवीजन (बिहार) के कमी पंचायत की भूमि के लिए मुआवजा न दिया जाना

5816. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइका माइन्स लेबर वैलफेयर आर्गेनाइजेशन ने कर्मा सेन्ट्रल अस्पताल के लिए और आर्गेनाईजेशन के उपयोग के लिए कर्मा पंचायत (कोडरमा डिविजन) के लोगों की बहुमूल्य भूमि अधिग्रहीत की थी और किसानों को मुआवजे की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है यद्यपि निर्माण कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो भूमि का कुल क्षेत्र कितना है और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई है और उन्हें मुआवजे की कितनी राशि तारीखवार अदा की गई;

(ग) क्या विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार में वरीयता दी गई ; यदि हां तो विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों के कितने सदस्यों को रोजगार दिया गया और उनके लिए कितना पूरा कोटा आरक्षित किया गया । और

(घ) यदि कोई लापरवाही बरती गई हो तो क्या प्रभावित व्यक्तियों के साथ न्याय किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) (क) और (ख) : राज्य सरकार के उपायुक्त, हजारीबाग ने अपनी भूमि अधिग्रहण की एजेंसी के माध्यम से अस्पताल के निर्माण के लिए 53.72 एकड़ भूमि का क्षेत्र अधिगृहीत किया था । राज्य सरकार ने इस भूमि का मूल्य ऐसे मूल्यांकन के लिए उनके निर्धारित भूमि की श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया भूमि पर कब्जा केवल तब किया गया जब राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई 16,822·40 रु० की राशि सम्बधित प्राधिकारियों के पास जमा करा दी गई ।

(ग) यह भूमि जन-उद्देश्यों के लिए 1949 और 1962 के बीच भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन अधिगृहीत की गई थी । क्या विस्थापित व्यक्तियों के साथ रीजगार के मामले में कोई अधिमान्य व्यवहार किया गया था, इस बारे में सूचना इस मन्त्रालय में उपलब्ध नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा बीड़ी उद्योग से कल्याण उपकर और उत्पाद शुल्क के रूप में अर्जित राजस्व

5817. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से 1978 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बीड़ी उद्योग से कल्याण उपकर और उत्पाद-शुल्क के रूप में कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया ;

(ख) बीड़ी उद्योग में नियोजित मजदूरों की राज्यवार संख्या कितनी है और उनके

कल्याण के लिए क्या कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या बिहार में सबसे अधिक बीड़ी, उद्योग हैं और इन कल्याण उपकरों द्वारा अर्जित राजस्व की राशि भी अपेक्षाकृत अधिक है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) (क) : श्रम मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के आधार पर, 15 फरवरी, 1977 से कल्याण उपकर के रूप में वर्ष-वार अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

1977—78	223 50 लाख रुपए	
1978—79	216·55 लाख रुपए	
1979—80	77·73 लाख रुपये	पिछले वर्षों के
1980—81	0·90 लाख रुपये	लिए बकाया
1981—82	5.55 लाख रुपये	
1982—83	144·80 लाख रुपये	

टिप्पणी : पहली मार्च, 1978 से 31 दिसम्बर, 1981 की अवधि के दौरान, कोई उपकर एकत्र नहीं किया गया क्योंकि इसे समाप्त कर दिया गया था। 1977 से 1882 तक की अवधि के दौरान एकत्र किया गया उत्पाद शुल्क का ब्यौरा वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) से एकत्र किया जा रहा है और वह सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) श्रम मन्त्रालय में उपलब्ध सूचना के आधार पर, बिहार में न तो सबसे बड़ा बीड़ी उद्योग है और न ही कल्याण उपकर के माध्यम से अर्जित राजस्व की राशि तुलनात्मक रूप से अधिक है।

विवरण

1979 में कल्याण आयुक्तों से प्राप्त सूचना के अनुसार, बीड़ी श्रमिकों की राज्य-वार संख्या (घर खाता सहित) निम्नानुसार है :—

1. उड़ीसा	1·60 लाख	
2. पश्चिम बंगाल	4·50	,,
3. राजस्थान	0·22	,,
4. गुजरात	0·12	,,
5. बिहार	3.05	,,
6. उत्तर प्रदेश	4·05	,,

7.	मध्य प्रदेश	5·00 ,,
8.	महाराष्ट्र	2·50 ,,
9.	गोवा	0·02 ,,
10.	आन्ध्र प्रदेश	2 50 ,,
11.	तमिइनाडु	2·00 ,,
12.	कर्नाटक	3·00 ,,
13-	केरल	1·50 ,,

कल्याण कार्यक्रम

बीड़ी श्रमिकों के लिए कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु निम्नलिखित कल्याण योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं।

(क) : स्थिर व चलते-फिरते चिकित्सा यूनिटों की स्थापना

इस योजना के अन्तर्गत, बीड़ी श्रमिकों के लिए डाक्टरी देख-रेख सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु 101 औषधालय मंजूर किए गए हैं। इनमें से 90 औषाधालय स्थापित किए जा किए जा चुके हैं और शेष औषधालयों को स्थापित करने का कार्य चल रहा है।

(ख) तपेदिक के अस्पतालों में पलंगों का आरक्षण

तपेदिक से पीड़ित बीड़ी श्रमिकों के लिए विशेष इलाज की व्यवस्था करने हेतु, तपेदिक के अस्पतालों/सेनेटौरियमों में पलंग आरक्षित किए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज करवाने की अवधि के दौरान श्रमिकों को निर्वाहभत्ता और द्वितीय श्रेणी का रेल किराया दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत, 42 पलंग आरक्षित किए गए।

(ग) अपना मकान बनाओ योजना

और (घ) बीड़ी श्रमिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना

बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को सहायक अनुदान के रूप में 27·41 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

(ङ) बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को छात्र वृत्ति देना

इस योजना के अन्तर्गत, 1981-82 के अन्त तक, बीड़ी श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्र-वृत्तियों का भुगतान करने के संबंध में 73·46 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

दैनिक मजूरी श्रमिकों की भर्ती के लिए दिल्ली में रोजगार कार्यालय

5818. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक मजूरी वाले श्रमिकों की भर्ती के लिए दिल्ली में कितने रोजगार कार्यालय खोले गए हैं;

(ख) वर्ष 1982 के दौरान प्रत्येक रोजगार कार्यालय में कितने नाम पंजीकृत हुए;

(ग) उनमें से कितने लोगों को रोजगार मिला;

(घ) क्या यह सच है कि जो लोग रोजगार की खोज में दिल्ली आये थे उनके नाम इन कार्यालयों ने दर्ज नहीं किए क्योंकि उनके पास दिल्ली में राशन कार्ड उपलब्ध नहीं थे;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सिफारिस किए गए कुछ मामलों में तो नाम बिना राशन कार्ड देखे ही पंजीकृत कर लिए गए थे; और

(च) इस भेदभाव को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) (क) : दैनिक मजूरी वाले श्रमिकों की भर्ती के लिए दिल्ली में स्थापित रोजगार कार्यालयों की संख्या 13 है।

(ख) दैनिक मजूरी कार्य के लिए पंजीकृत व्यक्तियो को पहचान पर्चियां जारी की जाती है। ऐसे उम्मीदवारों के बारे कोई नियमित पंजीकरण कार्ड नहीं रखा जाता।

(ग) वर्ष 1982 के दौरान, इन रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 71,257 उम्मीदवारों को दैनिक मजूरी/हाजिरी रजिस्टर रोजगार प्रदान किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बसई दारापुर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार

5819. **श्री निहाल सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बसई दारापुर, दिल्ली के कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में प्रवेश तथा जांच के लिए आने वाले बीमार कर्मचारी का स्कूटर या टैक्सी के किराये की अदायगी की जाती है और यदि हां, तो किस दर पर;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्कूटर और टैक्सी के किरायों की अदायगी के मामलों को निबटाने वाले अस्पताल के कर्मचारी बीमार कर्मचारियों से उपयुक्त अस्पताल में आने से पहले सम्बन्धित औषधालयों में जाने को कहते हैं और रजिस्टर में किराए की कोई प्रविष्टि किए बिना बीमार कर्मचारियों के हस्ताक्षर करवा लेते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) (क) : कर्मचारी राज्य बीमा

प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि बीमार या घायल लाभानुभोगियों को जो अपने आप अस्पताल जाने की स्थिति में नहीं है, अम्बुलैंस द्वारा अस्पताल ले जाया जाता है, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। यदि अम्बुलैंस उपलब्ध न हो, तो (रोगियों को) भेजने वाला डाक्टर उन्हें आवश्यकता अनुसार स्कूटर टैक्सी द्वारा यात्रा करने की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत है और उन्हें 0·90 1·75 रु० प्रति कि०मी० निर्धारित दर से स्कूटर टैक्सी के किराए की प्रतिपूर्ति की जाती है।

अन्य मामलों में, अर्थात् जो अपने आप अस्पताल जाने की स्थिति में है, लाभानुभोगी द्वारा माँग किए गए बस किराए का भुगतान किया जाता है बशर्ते कि दूरी 8 किलोमीटर से अधिक हो।

(ख) जी, नहीं। बसई दारापुर में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल एक 'रैफरल' (परामर्शी) अस्पताल है और वे सवारी व्यय आदि के भुगतान से सम्बन्धित नहीं है। स्कूटर/टैक्सी के किराए के भुगतान में खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति निर्धारित दरों पर उस कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय द्वारा किया जाता है जहां से उन्हें अस्पताल भेजा जाता है। लाभानुभोगियों को दिए जाने वाले सभी भुगतानों की रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है और प्रतिपूर्ति की वास्तविक राशि के भुगतान में बीमाकृत व्यक्ति से रसीद ली जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में हजीरा में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस संयंत्र

5820. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में हजीरा में अलग से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की अनुमानित लागत क्या है और इसको कब तक पूरा किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हजीरा में एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस रिकगरी संयन्त्र की स्थापना के लिए एक संभव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और वह सरकार के विचाराधीन है। इस रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त, 1982 के मूल्यों के आधार पर संयंत्र की अनुमानित लागत 8757 लाख रुपए है। ऐसी संभावना है कि इस संयन्त्र को पूरा करने में सरकार की अनुमोदन तिथि से बत्तीस महीने लगेंगे।

कम्पनियों द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन

5812. **श्री अजय विश्वास** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कम्पनियों ने 'फेरा' तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियमों का उल्लंघन किया है और उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इन कम्पनियों के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय ओर कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) तथा (ख) : ऐसी धारणा है कि प्रश्न का निर्देश, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा कतिपय कम्पनियों के विरूद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त रहने के आरोपों के लिए, संस्थापित जांचों की बाबत है। जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा संस्थापित, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार जांचों के ब्यौरे, एवं आयोग द्वारा उन पर की गई कार्यवाहियों क्रमश: संलग्न विवरण-पत्र 1 व 11 में वर्णित हैं। विवरण पत्र के कालम 'की गई कार्यवाही' से प्रतीत होगा कि कुछ मामलों में कानूनी उपबन्धों का उल्लंघन अन्तत: सिद्ध नहीं होता था, यद्यपि जांच संस्थापन के लिए प्रथम दृश्यया कारण था :

(ग्रंथालय में रखे गए ! देखिए संख्या एल० टी० 6300/83)

हिन्दुस्तान लोवर को सहायक कम्पनी
इन्डेक्सपोर्ट लिमिटेड का ब्यौरा

5822. **श्री नरायण चौबे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डेक्सपोर्ट लिमिटेड पूर्णरूप से हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके पास अपना कोई परिसर अथवा अपने कर्मचारी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) (क) हां, श्रीमान जी, इन्डेक्सपोर्ट लिमिटेड हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक है।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1981 के इन्डेक्सपोर्ट लिमिटेड के लाभ तथा हानि लेखा के अनुसार कम्पनी ने 47,000 रु० किराए पर यह उल्लेख करते हुए खर्च किये कि उसने परिसर किराए पर लिया है। इस विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कम्पनी के पास अपना कोई निजी परिसर है।

इसके पास 3 पूर्णकालिक और 40 के लगभग अंशकालिक कर्मचारी है।

चेम्सफोर्ड क्लब

5823. **श्री के० लक्कप्पा**
श्री गुलशेर अहमद } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री 1 मार्च 1983 के अतिरांकित प्रश्न संख्या 1436 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय और खंड पीठ के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया था कि मुकदमा चलाने योग्य नहीं है क्योंकि उसमें उठाए गए मामलों का सम्बन्ध कम्पनी के आंतरिक प्रबन्ध से है इसलिए कार्यवाही कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की जानी चाहिए;

(ख) क्या प्रतिवादियों ने कम्पनी विधि प्राधिकारियों के सामने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि कम्पनी अधिनियम के अतर्गत उनके अधीन कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिए क्योंकि उनको अपील उच्च न्यायालय में विचाराधीन है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या विभिन्न मंचों पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपना कर प्रबंधक अपने विरूद्ध कार्यवाही रोक रहे है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ड.) क्या सरकार उसी तरह की कार्यवाही करने का विचार कर रही है जैसी दिल्ली और क्रिकेट संगठन के विरूद्ध की गई थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) (क) दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सम्बन्धित कार्यवाहियों में यह विभाग एक पार्टी नहीं रहा है और इस प्रकार से मुकदमे में पार्टियों द्वारा लिए गए मत के विषय में पूर्ण रूप से सम्बद्ध नहीं है। तथापि, उच्च न्यायालय के एकाकी न्यायमूर्ति (1980 के मुकदमा संख्या 477) ने 19 मई, 1981 को दिए गए निर्णय की प्रति अनोपचारिक रूप से प्राप्त के अंश से इस विशिष्ट संकेत पर प्रतिवादी द्वारा लिया गया तर्क का आशय संलग्न किया जाता है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सख्या एल टी 6301/83] उक्त न्यायालय को खण्डपीठ के समक्ष प्रतिवादियों द्वारा अपील कर दी गई है।

(ख) कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली ने कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 211, 217 और 209 के उपबन्धों के उलंघन के लिए कम्पनी और उसके अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। कम्पनी ने धारा 211 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस के उत्तर में यह तर्क दिया है कि कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक समान्तर जांच नहीं की जानी चाहिए। अन्य दो कारण बताओ नोटिसों के सम्बन्ध में, कम्पनी का उत्तर है कि अपेक्षाओं के अनुपालन में कोई भूलचूक नहीं हुई है और यदि कहीं कोई दोष भी हुआ है तो इस सम्बन्ध में वह सम्पूर्ण रूप से तकनीकी प्रकृति का है जो छोटे मदों के सम्बन्ध में है तथा उनमें इच्छानुसार या सद्भावना का अभाव नहीं है।

(ग) तथा (घ) कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली जो अनुशासन प्राधिकारी है, कम्पनी द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिसो के उत्तरों के आधार पर उचित कार्यवाही करेगा।

(ड.) कम्पनी विधि बोर्ड जो अर्द्ध न्यायिक निकाय है, ने अभी तक इस कम्पनी के विरूद्ध धारा 408 के अन्तर्गत दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट एसोसियेशन लिमिटेड के मामले में कोई कार्यवाही पर विचार नहीं किया है। तथापि अगर जब भी कभी इस प्रकार की कार्यवाही को प्रारम्भ करने की आवश्यकता हुई तो अनिर्णीत न्यायालय की कार्यवाहियों किसी भी रूप में रास्ते में नही आएगी

बोर्ड हमेशा धारा 408 के अन्तर्गत कार्यवाही के मूल तत्व की दशा में यदि वास्तविक रूप से न्यायसंगत है, तो इस भावना पर विचार कर सकता है।

सौर पम्पसेटों की स्थापना

5824. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के दौरान, राज्यवार, कितने सौर पम्प सेट स्थापित किए गए;

(ख) उनके कार्यकरण का क्या परिणाम है;

(ग) वर्ष 1983 के दौरान देश में और अधिक सौर पम्प सेट स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सभापटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

(ख) सिंचाई, पीने के पानी की सप्लाई और प्रदर्शन और क्षेत्रीय परीक्षण के लिए इन पम्पों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर अधिकतर पम्प संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं बशर्ते कि इनका रख रखाव सामान्य ढंग से किया जाए।

(ग) वर्ष 1983 के पहले दो मास में लगभग 11 पम्प पहले ही सप्लाई किए जा चुके हैं। प्रदर्शन/क्षेत्रीय कार्यक्रम जारी रखने के अलावा सरकार ऐसी युक्तियों के लिए राजसहायता देने की योजना के अधीन किसानों को व्यक्तिगत रूप से सीमित संख्या में पम्प सप्लाई करने पर भी विचार कर रही है।

विभिन्न राज्यों को 1982 के दौरान सप्लाई किए गए सौर पम्पों अथवा प्रतिष्ठापित किए गए सौर पम्पों की संख्या :

राज्य	पम्पों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	2
गुजरात	2
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	3
उड़ीसा	1
पंजाब	1
राजस्थान	2

1	2
तमिलनाडु	4
त्रिपुरा	10
उत्तर प्रदेश	8
दिल्ली	1
	35

सातवीं योजना अवधि के दौरान ऊर्जा की माँग

5825. **एन० ई० होरो :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बिजली की मांग का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अगली योजना अवधि के दौरान देश में ताप और पन बिजली घरों के विकास तथा विस्तार को तेज करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली प्रभार के मूल्य ढांचे को भी ध्यान में रखा है; और

(ड.) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू खपत के लिए बिजली के प्रभार में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) ग्यारहवें वार्षिक सर्वेक्षण ने 1991-92 तक घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं सहित देश में विद्युत की मांग का अनुमान लगाया है। सातवीं योजना में और उसके पश्चात लाभ प्राप्ति करने के लिए सरकार ने कुल 22381 मेगावाट की कई स्कीमें अनुमोदित की हैं।

(घ) और (ड.) जी, हां। ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू खपत के लिए बिजली के टैरिफों की औसत दरों में किए गए मुख्य परिवर्तनों का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण।

क्रम सं०	बिजली बोर्ड का नाम	घरेलू रोशनी तथा पंखों के लिए बिजली शुल्क पैसे सहित प्रति यूनिट में टैरिफ दरें। (प्रति मास 30 यूनिट)		
		1-4-81 के अनुसार	1-4-82 के अनुसार	1-2-83 के अनुसार
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	43.00	45.00	45.00
2.	असम	60.00	60.00	60.00
3.	बिहार	53.00	57.67	57.67
4.	गुजरात	42.16	52.43	58.16
5.	हरियाणा	40.00	40.00	45.00
6.	हिमाचल प्रदेश	39 00	39 00	44.83
7.	जम्मू और कश्मीर	33.08	33.08	33.08
8.	कर्नाटक	46.17	46.17	46.17
9.	केरल	38.50	38.50	38.50
10.	मध्य प्रदेश	39.00 यू:	46.50	46.50
		आर:	44 50	44.50
11.	महाराष्ट्र	38-25	37 25	37.25
12.	मेघालय	45.00	45.00	49.00
13.	उड़ीसा	37.25	57.50	57.50
14.	पंजाब	41 87	44 67	44.67
15.	राजस्थान	44.00	46.00	46.00
16.	तमिलनाडु	38.00	45.00	45.00
17.	उत्तर प्रदेश	50.00	52·00	57.00
18.	उत्तरी बंगाल	51.00	51.00	51.00
	बिजली विभाग का नाम			
1·	मणिपुर	45.00	45.00	45.00
2.	नागालैण्ड	59.00	64.00	64.00

1	2	3	8	5
3.	सिक्किम	30 75	30.75	30.75
4.	त्रिपुरा	55 00	55.00	60.00
	संघ राज्य क्षेत्र का नाम			
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	58.00	58.00	58.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	50.00	50.00	50.00
		27.00*	27.00*	27.90*
3.	चण्डीगढ	32.75	32,75	32.75
4.	दादरा और नागर हवेली	52.13	47.55	47.55
5.	दिल्ली			
	दि०वि०प्र० सं०	29.00	29.00	29.00
	एन०डी०एम०सी०	31.00	31.00	31.00
6.	गोवा	36.50	36.50	36.50
7.	दमन और दीव	48.15	48.15	48.15
8.	लक्षद्वीप	60.00	60.00	60.00
9.	मिजोरम	48.00	48.00	48 00
10.	पांडिचेरी	38.00	38.00	38.00

* यह दर उन सभी स्थानों के लिए लागू है जहाँ पर केवल जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों से सप्लाई की जाती है ।

गैस पर आधारित पेट्रो-कैमिकल यूनिटों द्वारा 15 प्रतिशत गैस को बिजली में परिवर्तन करना

5826. **श्री वी० वी० देसाई**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने गैस पर आधारित पेट्रो-कैमिकल यूनिटों को

कम से कम पन्द्रह प्रतिशत गैस को बिजली में परिवर्तित करके इसका उपयोग संयंत्रों हेतु करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय इनके मंत्रालय के पास पहुंचाया गया है और उनके मन्त्रालय ने योजना आयोग के निर्णय को मान लिया है ;

(ग) क्या यह भी एक तथ्य है कि आयोग ने अपना यह विचार भी प्रकट किया है कि वर्तमान स्थिति में जब देश बिजली संकट के दौर से गुजर रहा है और सभी बिजली की अधिक खपत करने वाले यूनिट और वर्तमान यूनिटों को अपने यहाँ आरक्षित बिजली संयत्र स्थापित करने चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में योजना आयोग ने और क्या सुझाव दिए हैं और उनमें से उनके मन्त्रालय ने कितने सुझावों को मंजूर किया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री चन्द्र शेखर सिंह : (क) से (घ) : रसायन एवं उर्वरक विभाग के अधीन उद्योगों/उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करते हुए योजना आयोग ने यह महसूस किया था कि अनेक संयंत्रों में उत्पादन में हानि के लिए उत्तरदायी मुख्य कारणों में से एक विद्युत की कटौतियां हैं। इनको पूरा करने के लिए उन्होंने यह सुझाव दिया हैं कि सभी नये उर्वरक संयंत्रों में उनकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केप्टिव सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि उर्वरक संयन्त्रों के मामले में, यह बहुत लाभप्रद होगा कि गैस पर आधारित सभी उर्वरक संयन्त्रों में वाष्प विद्युत उत्पादन के लिए गैस का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। तथापि, योजना आयोग ने पेट्रोलियम विभाग को गैस पर आधारित उर्वरक संयन्त्रों में उपयोग के लिए कम से कम 15 प्रतिशत गैस को विद्युत में बदलने की कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है। पेट्रोलियम विभाग ने अब यह निर्णय किया है कि सभी भावी गैस पर आधारित उर्वरक संयन्त्रों के संयुक्त साइकिल केप्टिव विद्युत संयन्त्रों में विद्युत उत्पादन के लिए गैस उपलब्ध करायी जाएगी।

स्टील, एल्मुनिनियम, उर्वरक, रसायन आदि जैसे गहन विद्युत यूनिटों में कैप्टिव उत्पादन के प्रस्ताव पर सरकार अनुकूल दृष्टि से विचार करती है। सरकार ने पहले भी ऐसे अनेक केप्टिव विद्युत संयन्त्रों को मंजूरी दी है।

लद्दाख में सोर ऊर्जा अनुसंधान एककों की स्थापना

5857. **श्री पी० नामग्याल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख के समूचे क्षेत्र में एक वर्ष में 300 से अधिक दिनों तक धूप चमकती है ;

(ख) क्या यह सच है कि विद्युत-कोयला और पेट्रोलियम ईंधन आदि जैसे ईंधन तथा ऊर्जा के अन्य स्रोतों की अत्यधिक कमी को देखते हुए यदि गर्म करने, खाना पकाने तथा पीने अरौ

सिंचाई करने का पानी उठाने के लिये ऊर्जा के नवीकरण करने योग्य स्रोतों (सौर ऊर्जा) का उपकरण के तरीके का पता लगाया जाये तो स्थानीय निवासियों और सशस्त्र सेनाओं के लिये अत्यन्त हितकारी होगा ;

(ग) यदि उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार उपरोक्त प्रयोजनों के लिये लद्दाख में सौर ऊर्जा अनुसन्धान एकक स्थापित करने पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) लद्दाख में प्रतिवर्ष औसतन, 270 से 290 दिनों तक धूप चमकने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) लद्दाख में सौर दिक् तापन प्रणालियों, ट्यूब लाइटिंग आदि के लिए सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों जैसे कुछ क्षेत्रीय परीक्षण एवं अनुसंधान एकक पहले ही प्रतिष्ठापित कर दिए गए हैं, और उनकी कार्य निष्पत्ति का अध्ययन किया जा रहा है।

लद्दाख के लिए सौर ऊर्जा परियोजना की स्वीकृति

5828. **श्री पी० नामग्याल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा के पुन: उपयोग किये जाने योग्य श्रोतों के आधार पर (लद्दाख में आवासीय मकानों को गर्म रखने के लिए सौर ऊर्जा) नई तकनीक निकालने के प्रस्ताव कुछ समय पूर्व गैर-सरकारी फ्रांसीसी निर्माता (आर्किटक्ट) द्वारा भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना को स्वीकृति दे दी गई और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) यह परियोजना भारत सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली के लघुवाद न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की संख्या

5829. **श्री कुंवर राम** : क्या विधि न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लघुवाद न्यायालयो में न्यायिक अधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह संख्या दिल्ली की जनसंख्या के लिए पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या दिल्ली की प्रति दस हजार जनसंख्या के लिए इस स्तर का एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा ताकि गरीब लोग अपनी शिकायतों की सुनवाई के लिए उनके पास जा सकें।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री श्री (गुलाम नबी आजाद) :—(क) दिल्ली के लघुवाद न्यायालय में इस समय न्यायिक अधिकारियों की संख्या दो है।

(ख) और (ग) इन अधिकारियों को इस समय जो कार्य सौंपा गया है उसमें कार्रवाई करने के लिए विद्यमान संख्या पर्याप्त है। 1-2-83 को लंबित मामलों की संख्या 3685 थी।

न्यायिक अधिकारियों की संख्या जनसंख्या के आधार पर नहीं होती है, किन्तु यह इस बात पर आधारित होती है कि कितने मामले संस्थित किए जाते हैं और अधिकारियों से कितने मामलों का निपटारा करने की आशा की जाती है।

एक भारतीय निर्माण कम्पनी द्वारा मजदूरी को भुगतान न करना

5830. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की एक अग्रणी भारतीय निर्माण फर्म द्वारा ईराक में बगदाद विश्वविद्यालय परियोजनाओं के लिए काम पर लगाए गए लगभग 1000 मजदूरों को भुगतान नहीं किया जा रहा है और उन्हें गोदामों में रखा हुआ है ;

(ख) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या सम्बन्धित फर्म के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) प्रधान ठेकेदार द्वारा बिलों के भुगतान में विलम्ब के कारण, बगदाद विश्वविद्यालय परियोजना का कार्य करने वाली भारतीय निर्माण कम्पनी द्वारा नियोजित लगभग 1000 भारतीय श्रमिकों को अगस्त, 1982 और उससे आगे मजदूरी के भुगतान में विलम्ब हो गया। इस विलम्ब का प्रभाव मुख्यत: श्रमिकों के वेतन के उस भाग पर पड़ा जिसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है और भारत को भेजा जाता है। फिर भी श्रमिक निर्माण-स्थल पर उपयुक्त आवास में रह रहे थे और उन्हें गोदामों में नहीं रखा गया था।

(ख) 876 श्रमिकों को, जिन्हें इस निर्माण कम्पनी ने बगदाद विश्वविद्यालय परियोजना में नियोजित किया था, 4 और 7 फरवरी, 1983 के बीच भारत वापिस भेज दिया गया था। इन श्रमिकों ने इस संबंध में इस मंत्रालय को एक अभ्यावेदन भेजा था। श्रमिकों के प्रतिनिधियों तथा नियोजकों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके सरकार ने इस अभ्यावेदन की जांच की है और एक सन्तोषजनक हल निकल आया है। सभी प्रभावित श्रमिकों को उनकी अन्तिम अदायगी मिल चुकी है। जिन मामलों में नविदा मजदूरियों और वास्तविक भुगतान के बीच भिन्नतायें हैं, कम्पनी ठेके के अनुसार भुगतान करने के लिए सहमत हो गयी है। त्रिपक्षीय विचार-विमर्श का एक ठोस परिणाम यह निकला था कि (श्रमिकों को) स्वदेश भेजने का खर्च कम्पनी ने दिया और

इसके कारण प्रत्येक श्रमिक को लगभग 4,000/-रुपये तक का फायदा हुआ ।

(ग) चूंकि कम्पनी श्रमिकों की मुख्य मागों को पूरा करने के लिए सहमत हो गयी है इसलिए यदि कम्पनी अपने वायदों को पूरा नहीं करेगी तो की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विचार किया जाएगा।

कामगारों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति

5831. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कामगारों को वास्तविक मजदूरी की हुई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : संगठित क्षेत्र के बड़े-बड़े खण्डों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रणाली पहले ही विद्यमान है । जहां तक असंगठित क्षेत्र का सम्बन्ध है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में शामिल रोजगारों के सम्बन्ध में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों की समय समय पर पुनरीक्षा की जाती है । जुलाई, 1980 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन के 31 वें सत्र में यह निर्णय लिया गया था कि दो वर्षों में कम से कम एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 प्वाइंटों की वृद्धि होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, न्यूनतम मजदूरी दरों की पुनरीक्षा की जाए और यदि आवश्यक हो, तो उनमें संशोधन किया जाए । यह सिफारिश कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के ध्यान में ला दी गई है ।

बम्बई कपड़ा मिलों की हड़ताल के परिणामस्वरूप सहायक उद्योगों को हुई हानि

5832. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई कपड़ा मिलों की हड़ताल के कारण 2000 करोड़ रुपये की हानि हुई है तथा इसका पटसन, रंगों (डाईज) आदि जैसे लगभग एक दर्जन अन्य सहायक उद्योगों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) सहायक समर्थक उद्योगों में आदमियों की जबरन छुट्टी किये जाने सहित अनुमानत: कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या सरकार का विचार समस्त राष्ट्रीय हित में इस विवाद का निपटारा करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ग) श्रमिकों के अधिक हित किसमें है, इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बम्बई सूती कपड़ा उद्योग के श्रमिकों की मांगों की जांच करने के लिए त्रिपक्षीय समिति गठित की है । इस बीच, सरकार ने ड्यूटी पर लौटे आने वाले श्रमिकों के लिए 30/-रुपये प्रतिमाह की तदर्थ राशि तथा 1500/-रुपये के वसूली योग्य अग्रिम धन की भी सिफारिश की है । इसके परिणामस्वरूप,

2-4-1983 की स्थिति के अनुसार 58 मिलें लागू हो गई जिनमें श्रमिकों की कुल उपस्थिति 1, 16,606 थी इनमें 13,581 तकनीकी और पयवैक्षी कर्मचारी तथा 1.03,025 अन्य श्रमिक हैं।

सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का बर्खास्त किया जाना

5833. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक को हाल ही में बर्खास्त किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड पिछले चार वर्षों से मुनाफा कमा रहा है और बतलाया जाता है कि इसने 1982-83 में 1.40 करोड़ रुपए का असाधारण मुनाफा दिखाया गया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक ने अप्रैल, 1982 में सेन्टल कोलफील्ड्स लिमिटेड की "आफ द शेल्फ स्कीम" तैयार की जिसका लक्ष्य कोयले में बिचौलियों के करोड़ों के व्यापार को समाप्त करना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) डॉ० बी० एल० बडेहरा की सेवाएं सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के "आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन" के साथ पठित उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार समाप्त की गई थीं।

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान सेन्टल कोलफील्ड्स लिमिटेड के मुनाफें/घाटे का विवरण नीचे दिया गया है :—

(—)=हानि (+) =मुनाफा

(रु० करोड़ में)

वर्ष	लाभ/हानि
1978-79	(—) 19.90
1979-80	(+) 35.06
1980-81	(÷) 83.36
1981-82	(+) 121.48

*पूर्व अवधि के समंजनों को छोड़कर

1982-83 खाते अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं हुए हैं।

(ग) वर्ष 1980 में कोयले की अप्रतिबंधित बिक्री की जो स्कीम पहले शुरू की गई थी उसमें

प्रायोजन आदि के प्रतिबन्ध के बिना बिक्री की व्यवस्था थी और अब उसके आंशिक संशोधन में एक संशोधित कोयला विवतरण स्कीम अर्थात् "कोयले की ऑफ द शेल्फ बिक्री" मई, 1982 में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आरम्भ की गई थी। इस स्कीम का समारंभ इस उद्देश्य से किया गया था कि पर्याप्त स्टाक वाली निर्दिष्ट खानों से उपभोक्ताओं को "पहले आओ, पहले पाओ, और "नकद भुगतान करो, माल ले जाओ" के आधार पर मुक्त रूप से कोयला उपलब्ध कराया जाए।

आसम में हुए दंगों के शिकार लोगों का पुनर्वास

5834. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में हुए दंगों के शिकार लोगों को सहायता देने तथा उनके पुनर्वास के लिए दी गई राहत, राज्य में खोले गये अस्पतालों व राहत कैम्पों एवम् दी गई अन्य प्रकार की सहायता का ब्यौरा क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) दंगों से पीडित व्यक्तियों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। व्यस्ततम काल में 3, 10, 700 व्यक्तियों को 250 राहत शिविरों में ठहराया गया था। उन्हें खाद्यन्न, नकद बेकारी अनुदान, बर्तन, कम्बल तथा वस्त्रों के रूप में सहायता दी जाती हैं। बच्चों तथा नर्सिग/गर्भवती माताओं को बालाहार/दुग्ध चूर्ण दिया जाता हैं। इस प्रयोजन के लिए 30 टन बालाहार/दुग्ध चूर्ण दिया गया है। असम में 189 टन दवाइयां भेजी गयी है और विभिन्न शिविरों में अस्थायी चिकित्सा एकक स्थापित किए गए हैं। घर वापस जाने पर प्रभावित व्यक्तियों को घरों को फिर से बनाने, बीजों को खरीद, खोए गए बैलों तथा दुधारू पशुओं के बदले दूसरे पशु खरीदने और साथ ही कुछ समय के लिए भरण-पोषण सहायता दी जाती हैं।

संचार के सामान्य साधनों को बहाल करने के लिए राष्ट्रीय मार्गो पर क्षतिग्रस्त पुलों और राज्य सड़कों की मरम्मत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राहत और पुनर्वास की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा असम सरकार को 10 करोड़ रूपये (पुलों की मरम्मत के लिए एक करोड़ रूपये सहित) की राशि दी गई है।

दिल्ली में राशन कार्ड धारियों के मिट्टी के तेल के कोटा में कटौती

5835. **श्री हरहिर सोरन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने संघ शासित प्रदेश दिल्ली में राशन कार्ड धारियों के मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो कोटा में कटौती करने के क्या कारण है;

(ग क्या जिन कार्ड धारियों के पास कुकिंग गैस नहीं हैं उनके लिए निर्णय में सशोधन करने काविचार है ; और

(घ) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों के पास कुकिंग गैस नही है उनके लिए पहले निर्धारित कोटे में संशोधन के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) जी नही ।

(ख), से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

तमिल नाडु में उद्योगों में जबरन छुट्टी

5836. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशन** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान तमिलनाडु में कितने उद्योगों में जबरन छुट्टी घोषित की गई ; और

(ख) बिजली की कटौती तथा उत्पाद शुल्क दर के कारण इस प्रकार कितनी बार जबरन छुट्टी की गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार से सूचना मांगी गई है, जिसे यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

स्टाफ/आर्टिस्ट के वेतन का निर्धारण

5837. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में स्टाफ/आर्टिस्टों की कोई ऐसी श्रेणी है जिनके वेतनमानों का निर्धारण किया जाना पन्द्रह वर्षो से अधिक समय से लम्बित है और उन्हें तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से होने वाले लाभों को अभी दिया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा उनके मामलों को शीघ्र निबटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जबकि आकाशवाणी में संविदा आधार पर नियुक्त ऐसा कोई स्टाफ आर्टिस्ट नहीं है जिसके वेतनमान को अभी नियमित किया जाना हो, आकाशवाणी, पणजी में एक ऐसा कर्मचारी है, जिसकी सेवाओं को रेडियो, गोवा से लिया गया था, जिसके मामले में वेतनमान के नियतन को अन्तिम रूप दिया जाना शेष है । उसके मामले को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए मामले से संबंधित विभागों से पत्राचार चल रहा है ।

भूमिहीन कृषि मजबूरों के लिए कल्याण योजनाएं

5838 **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों मे कुछ योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भूमिहीन कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए उड़ीसा में भी कोई योजना लागू की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से और इस योजना के अधीन दिसम्बर, 1982 तक उड़ीसा में, जिलावार ऐसे कितने मजदूरों को लाभ हुआ ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत ठोस योजनाएं तैयार गई हैं और उन्हें ग्रामीण श्रमिकों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए पूरे देश में, जिसमें राज्य भी शामिल है, कार्यान्वित किया जा रहा हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत मकान स्थलों और कृषि भूमि का आबंटन, आवास सुविधाओं की व्यवस्था पीने पानी की आपूर्ति बेहतर स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा सार्वजनिक वितरण पद्धति के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, आदिवासी, पहाड़ी, और पिछड़े क्षेत्रों में पोषण कार्यक्रमों को लागू करके महिलाओं और बच्चों का कल्याण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का विकास, राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा बेहतर मजदूरी वाले रोजगार की व्यवस्था और एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रमों द्वारा "सबसे अधिक निर्धनों" की सहायता करना शामिल है। तथापि, उड़ीसा राज्य में (जिलावार) लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) केन्द्र ने राज्यों से पंजाब समस्या का त्रिपक्षीय समाधान खोजने के लिए कहा हैं। त्रिपक्षीय बात चीत पहले भी सफल रही है। परन्तु स्थिति ने हिंसक रूप ले लिया हैं। कृपया पंजाब की स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। पुलिस की गोली से बीस व्यक्ति मारे गये है। और संकट को बदले के लिए सरकार उत्तर दायी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, गृह मंत्री से कहिये कि वह पंजाब की स्थिति के बारे में एक बयान दे वहाँ ताजा स्थिति क्या है। आप हमें इस पर चर्चा का मौका दें।

अयध्क्ष महोदय : साढे 4 बजे गृह मंत्री बयान देंगे

प्रो० मधु दण्वते : क्या आप उन्हे पंजाब पर वक्तव्य देने का निदेश दे रहे है। ?

अध्यक्ष महोदय : वह स्वत: वक्तव्य दे रहे है। पत्र मुझे मिल गया है। **(व्यवधान)**

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा) : अध्यक्ष जी आप श्री असरार अहमद की भी सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुनूंगा। मैं एक-एक करके सुनूंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने पंजाब की स्थिति पर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अभी-अभी सुलझाया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मैं अपना सुझाव रख रही हूं। मैं सरकार को कुछ सुझाव दे रहा हूं। स्थिति गम्भीर है। सरकार को अकालियों में अच्छे तत्वों से बात चीत करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वे हमेशा ही ऐसा कहते रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आतंकवादियों के कारण स्थिति ने हिंसक मोड़ ले लिया है। मैं चाहता हूं कि सरकार...

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही हो चुका है। आप देर से आये हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप क्या अनुमति नहीं देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैंने तो केवल इतना कहा है कि मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी क्यों बोल रहे हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : सभी नेशनल पार्टीज से पी० एम० को बात करनी चाहिए। स्टेट मेंट से क्या होगा ? ऐसे तो कोई रास्ता नही निकलेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कहां की स्थिति विस्फोटक है। मेरा सुझाव यह है। सरकार को मामलों को...नहीं चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कब उन्होंने कहा है टाक नहीं करने के लिए ? उन्होंने तो कहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप अपने हाथ में राइफल लेकर बातचीत नहीं सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : नेताओं को आमन्त्रित किया जाना चाहिए। आतंकवादियों को अलग किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, आतंकवादियों को अलग किया जाना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, न ऐक्सट्रिमिस्टस को लेना चाहिए न उधर लेना चाहिए। राइफल की बात करने वाले सभी ग़लत हैं। मैं सवाल कर रहा हूं किसानों के अनाज के भाव के सिलसिले में। आज जो गेहूं की फसल बाजार में आ रही है उसके भाव के सवाल को लेकर देश में सत्याग्रह कर रहे हैं। उधर किसानों पर लाठी गोली चल रहीं है...

अध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं यह कह रहा हूं कि यह कायदा बनाया गया था कि किसानों की फसल का भाव...

अध्यक्ष महोदय : आप मांशन दे दीजिए मुझे कोई।

श्री मनीराम बागड़ी : पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिये। मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने अलाऊ नहीं किया है।

मैं यह कहता हूं कि आप मुझे जो कुछ कहना है किसान के लिए वह मुझे किसी मोशन की शक्ल में दे दें: मैं बहस करवा दूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने काम रोको की शक्ल में दिया है। अगर देश का किसान मर रहा हो, उसकी फसल लूटी जा रही हो कम भाव पर, उसके साथ घोर अन्याय हो रहा हो तो क्या आप उसे नहीं रोकेंगे ? कितने किसान लोग पंजाब में पिटे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसान के लिए आप से सहमत हूं।

(व्यवधान)

किस ने कहा कि मैं कम समझता हूं ?

अध्यक्षमहोदय : मैंने तो कम नहीं समझा, मैंने 4 दफे इस पर बहस करवाई है और भी बहस करवाने के लिए मैं तैयार हूं।

श्री मनीराम बागड़ी आप काम रोको प्रस्ताव पर क्यों नहीं करवाते ?

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : बाजार में गेहूं आ गया है लेकिन अभी तक दाम तय नहीं हुआ। गन्ने की फसल खत्म हो रही है लेकिन गन्ने का पैसा नहीं मिला है।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : कितने लोग पंजाब के अन्दर,

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कब कहता हूं? मैं तो कहता हूं कि काम रोको प्रस्ताव पर यह नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : क्या यह राष्ट्र का सवाल नहीं हैं? क्या इसमें सरकार असफल नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप जानें।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : किसानों के मामले में सरकार हमेशा इधर-उधर करती है। आप कहते हैं कि बार बार करवाते हैं लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। गेहूं बाजार में आ गया, गन्ना खत्म हो गया।

(व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आँवला) : बिजली मंहगी हो गई।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सरकार कतई किसानों के मामले में ध्यान नहीं दे रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :आप उत्तेजित हो रहे हैं, मैं आपके जजबात को समझता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लेकिन उसके साथ मैं भी उत्तेजित हो रहा हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : यह सरकार किसानों के हित के विरोध में काम कर रही है। आप सारी व्यवस्था करते हैं लेकिन सरकार पर उसका कोई प्रभाव नहीं।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप बैठिये, मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। आप कहते हैं, मैं जो करवाता हूं, लेकिन आप तो सदन के उसूलों से वाकिफ हैं। जो कुल रूल आपने मुझे दिये हैं, उनसे भी आप वाकिफ हैं।

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिए।

श्री हरिकेश बहादुर : किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस पर बात होनी चाहिए ।

अध्यक्ष रहोदय : मैंने कब इन्कार किया कि मैं बहस नहीं करवाऊंगा ?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुश्किल यह है कि सरकार पर दबाव कैसे लाया जाये स

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताइए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप काम रोको प्रस्ताव कर लें तो होगा। गेहूं के दाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ है गेहूं बाजार में आ गया, मगर सरकार का एलान नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कृषि मंत्री को यहां होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप आकर मुझे यह समझा दें कि मैं इसमें समर्थ हूं आपके उसूलों के मुताबिक...

मैं कालिंग अटैंशन कल ले सकता हूं, लेकिन...

(व्यवधान)

जब एग्रीकल्चर पर बहस हो रही है, उस समय में नहीं ले सकता। मैंने 4 बार यह करवाया है और करवा दूंगा।

(व्यवधान)

होगा भी नहीं।

(व्यवधान)

आपकी बात मैं समझता हूं।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गेहूं के दाम का एलान करने में देर क्यों हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे इस बात से सहमत हूं। मेरी राय आपसे खिलाफ नहीं है।

(व्यवधान)

मैं इस बात से सहमत हूं। कि किसान को भाव मिलना चाहिए और पहले मिलना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : फिर देर क्यों हो रही है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कहलवाया गया हैं, लेकिन मैं इस बात को कैसे कर सकता हूं ;

(व्यवधान)

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : हम इस बात का समर्थन करते हैं कि सरकार को गेहूं का मूल्य घोषित करना चाहिए । परन्तु वे यह दावा नहीं कर सकते हैं कि वे किसानों के हिमायती हैं। जब वे सत्ता में थे तो किसान सबसे ज्यादा मुसीबत में था । तब वे कहां थे ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कृषि उत्पाद का मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा होनी चाहिए । परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं क्या आपने कुछ देर पहले यह सुझाव दिया था कि जो कुछ पंजाब में हो रहा है, इस सदन को उसकी उपेक्षा करनी चाहिए । और उससे अप्रभावित रहना चाहिए । सारी सभा इसके बारें में उत्तेजित है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कब कहा ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस पर कोई वक्तव्य दिया जाएगा, कोई चर्चा होगी या कुछ होगा ? क्योंकि आपने कुछ नहीं कहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कब कहा ? अगर आपने नहीं सुना तो इसमें मेरा दोष तो नहीं है । मुझे जो पत्र मिला है वह मैंने अपको दिखाया । 4-30 बजे सांय वह स्वत: एक वक्तव्य दे रहे हैं । मैंने यही कहा । मन्त्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं । **(व्यवधान)**

इन्द्रजीत गुप्त : मुझे विश्वास है कि आपको यह पता है कि पंजाब के इस संकट के दौरान ही वहां की सरकार ने किसानों पर पानी की दरें और कीमतें बढ़ायी हैं। **(व्यवधान)** ये दोनों परस्पर सम्बद्ध हैं। पानी और बिजली की कीमतें बढ़ाकर वे वहां पर काफी उत्तेजना पैदा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कहां ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पंजाब में किसानों पर जबकि यह दूसरा आन्दोलन चल रहा है।

(व्यवधान)

ईरा अनबारासु (चिंगलपट्टु) आज के टाइम्स आफ इण्डियां में एक रिपोर्ट छपी है।

(व्यवधान)

श्री के मायातेवर (डिन्डिगल) : मेरी समस्या दूसरी है। मैं अभी-अभी तमिलनाडु से आ रहा हूं । मेरे चुनाव क्षेत्र डिन्डिगल, मदुराई और कोयम्बतूर में अर्थात मुख्यमन्त्री महोदय के चुनाव क्षेत्र में सप्ताह में केवल एक बार पीने का पानी सप्लाई किया जाता है , वहां पानी है ही

नहीं। (व्यवधान) नाली का पानी सप्लाई किया जा रहा है। मुझे व्यक्तिगत सूचना मिली है। इस सब के बावजूद मेरे मुख्य मन्त्री महोदय प्रधानमन्त्री महोदया द्वारा बुलाए गये सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। वह पीने का पानी मांगने के लिये नहीं आते हैं, चावल नहीं मांगते हैं .. (व्यवधान) वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। न हमें पानी मिलता है, न हमें चावल। (व्यवधान)

श्री ईरा अनबरासु : मैं आज के टाइम्सरेआफ इण्डिया में छपे प्रतिवेदन का उल्लेख करना चाहता हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं और डिसकशन करवा सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका कालिंग एटेन्शन नोटिस ले सकता हूं, डिसकशन ले सकता हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उससे क्या फायदा होगा ?

अध्यक्ष महोदय : फायदा तो उसका भी उतना ही होगा।

(व्यवधान)

श्री मौहम्मद असरार अहमद (बदायु) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोकसभा से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए मेम्बर हूं। अभी 26 तारीख को वहां पर मीटिंग हुई थीं। उसमें वी सी ने जो व्यवहार मेरे साथ किया वह मैंने आपके पास लिखकर भेजा है।···मेरा निवेदन है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कह रहे हैं आप ?

श्री मौहम्मद असरार अहमद : मैंने प्रविलेज मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आपने दे दिया है तो मुझे देख लेने दीजिए

कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान) * *

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना मसला मेरे पास भेज दिया है, कानून के हिसाब से मुझे उसका पता करना पड़ेगा। आप मुझे देख लेने दीजिए। मैं उस पर विचार करूंगा और पता लगाऊंगा।

(व्यवधान) * *

अध्यक्ष महोदय : मैंने और किसी को भी एलाऊ नहीं किया है

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है। आपसे ज्यादा मेरी आवाज उठती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूं पहले, फिर बात करूंगा।

(व्यवधान)

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात को पूरी अहमियत देता हूं। साराहाउस, दोनों ही पक्ष इससे सहमत हैं। इस बात पर मैं आपके साथ हूं कि भाव तय करने में जल्दी होनी चाहिए थी। अगर मेरी जेब में होता तो मैं अभी दे देता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बात को जाने दीजिए, मैंने सब देख रखा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं और आप बोल रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार यहां पर बैठी हुई है, उसी से कह रहा हूं। आप तो मुझसे कह रहे हैं और मैं उनको सुना कर कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब कहा, मैं नहीं ले रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं भी कहता हूं फटाफट करना चाहिए था। अगर आप चाहते हैं तो काल अटेंशन भी ले सकता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कह दिया है आपको बता दिया है कि पहले मुझे तसल्ली कर लेने दीजिए। मिस्टर असरार साहब।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इनकी बात सुन लेने दो। श्री सत्य साधन, प्रोफेसर महोदय, श्री आचार्य जी बैठिए। मेरी बात सुनिए। मैं नियम के खिलाफ ने आपके कहने से चलता हूं। मैं जो कहता हूं आप सुन लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आप। मुझे बात कर लेने दीजिए। देखिए, एक मिनट।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : श्रीमन, एक छोटा सा सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय: तिवारी जी, मजबूर न करे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं आपकी इज्जत और मेरी इज्जत, इस हाउस की, दो नहीं हैं। मैं तसल्ली कर लूं फिर जरूरत पड़ी तो आपको हाउस में भी इजाजत दूंगा और प्रिवलेज कमेटी में भी भेजूंगा। पहले इन का प्रिविलेज मोशन है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने देता। पहले मुझे तसल्ली कर लेने दीजिए। लैट मि गो इन्ट् दिस। आप तसल्ली रखिए, आपकी इज्जत की रक्षा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कालिंग एटेंशन करूंगा।

(व्यवधान)

सभापटल पर रखे गए पत्र

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार

अधिनियम, 1969 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : में एकाधिकार तथा व्यापारिक व्यवहार अधिनियम' 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभापटल पर रखता हूं—

1. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (अवरोधक व्यापारिक समझौतों के रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप- रजिट्रार और सहायक रजिस्टार की भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम 1983, जो 19 मार्च 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 221 में प्रकाशित हुए थे।

2. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) संशोधन नियम, 1983 जो 19 मार्च 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 225 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 627/83]

औषध (कीमत नियंत्रण) (पांचवां संशोधन) आदेश, 1983

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत औषध (कीमत नियन्त्रण) (पाँचवां संशोधन) आदेश, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 26 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या का० आ० 226 (अ) में प्रकाशित हुआ था, सभा.पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया : देखिए संख्या एल०टी० 6272/83]

कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड खम्माम (आंध्र प्रदेश) के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षाएं

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम. 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं

1. (एक) कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक -महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6273/83]

2. (एक) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, खम्माम (आन्ध्र प्रदेश) के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, खम्माम (आन्ध्र प्रदेश) का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। संख्या एल० टी०6274/83]

गृह मन्त्रालय की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पो० वेंकटसुब्बय्या) : मैं गृहमन्त्रालय की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०6275/83]

प्राक्कलन समिति

39 वां और 42 वां प्रतिवेदन

श्री बंसीलाल (भिवानी) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय – केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के के सम्बन्ध में 39वां प्रतिवेदन।

(दो) नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय—पोर्ट ब्लेयर के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदेन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में 42 वां प्रतिवेदन।

———

सरकारी उपक्रमो संबंधी समिति

55वां तथा 56वां प्रतिवेदन

श्री मधुसूदन बैराले (अकोला) : मैं, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स लिमिटेड—नई परियोजनाओं के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में 55 वां प्रतिवेदन।

(दो) इंडियन टेलीफोन इंडस्टीज लिमिटेड—अनुसंधान तथा विकास और नयी परियोजनाओं के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में 56वां प्रतिवेदन।

———

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : चलिए, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य न घोषित करने पर हम सदन से वाक-आउट करते हैं।

[श्री मनिराम बागड़ी व अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गए]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट अपनी बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कभी कभी न बोलना अच्छा होता है खामाशी हमेशा ही एक वरदान हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने कैंपिटेशन पी के सम्बन्ध में दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : कालिंग अटेंशन करेंगे। सोच रहे हैं । इट इज अण्डर माई कन्सीडरेशन ।

श्री रामविलास पासवान : क्या इस पर चर्चा होगी ?

अध्यक्ष महोदय : होगा ।

श्रीमती गायत्री देवी (कैराना) : किसानों का मामला आपको सबसे पहले लेना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : पहले ही लेता हूं । चार दफा लिया है।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, किसानों का मामला आप आज ही तय करा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हथेली पर सरसों तो मेरे से जमता नहीं है। जो मेरे से होता है, वह मैं करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री निहार रंजन लास्कर ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

गृह मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : श्रीमन् जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि 31 मार्च, 1983 को भारत सरकार ने एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना की है··· **(व्यवधान)**

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकता दक्षिण) : पंजाब के बारे में वक्तव्य का क्या हुआ। क्या यह पंजाब पर वक्तव्य है ?

उपाध्यक्ष महोदय : पंजाब पर वक्तव्य सायं 4.30 बजे दिया जायेगा ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : सभी क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम चाहते हैं कि सायं 4.30 बजे भी सदस्य काफी संख्या में उपस्थित रहें । दोपहर के बाद, सदन में सदस्य नहीं रहते। इसलिए हम चाहते हैं कि सांय 4.30 बजे भी काफी संख्या में सदस्य उपस्थित रहें ।

———

नवगठित ऊर्जा सलाहकार बोर्ड की धन सम्बन्धी आवश्तकताओं को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि में से धनराशि निकालने के बारे में एक वक्तव्य

गृहमंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, भारत सरकार ने 21 मार्च, 1983 को श्री के० सी० पन्त की अध्यक्षता में एक ऊर्जा सलाहकार बोर्ड गठित किया है। इसमें भिन्न-भिन्न ऊर्जा क्षेत्रों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भी शामिल हैं। यह बोर्ड ऊर्जा की स्थिति पर निरन्तर पुनरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा और एकीकृत तथा समन्वित आधार पर भावी ऊर्जा विकल्पों का प्रस्ताव करेगा। यह बोर्ड ऊर्जा के भिन्न-भिन्न रूपों को संभावित मांगों और उपलब्धता का मूल्यांकन करेगा और इष्टतम आधार पर देश की ऊर्जा संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए उपयुक्त प्रबन्धों का सुझाव देगा। बोर्ड का महत्वपूर्ण कार्य ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा प्रतिस्थापन और ऊर्जा के भिन्न-भिन्न रूपों के अधिक कुशल प्रयोग के लिए उपायों का सुझाव देना होगा।

बोर्ड का सेवा कार्य, मन्त्रिमण्डल सचिवालय द्वारा किया जाएगा। वर्ष 1983-84 के लिए इस सचिवालय को अनुदान मांगें पहले ही विचार के लिए सदन के समक्ष हैं। इस 'नई सेवा' संबंधी खर्च का अनुमान नहीं लगाया जा सकता और इसे वर्ष 1983-84 के बजट प्रावधान में समाविष्ट नहीं किया गया है। बोर्ड से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना कार्य जल्दी शुरू करे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। धनराशि की व्यवस्था करने में विलम्ब करना लोकहित में नहीं होगा बोर्ड के गठन पर होने वाले व्यय और दिन प्रतिदिन के व्यय, अर्थात वेतन तथा भत्ते, कार्यालय व्यय और यात्रा व्यय आदि को वहन करने के लिए धन उपलब्ध करना होगा। तदनुसार भारत को आकस्मिकता निधि से 8 लाख रुपये निकालने और इसे बोर्ड को सौंपने का प्रस्ताव है।

इस धन से बोर्ड का अगस्त, 1983 के अन्त तक खर्च पूरा होगा। बोर्ड पर होने वाले खर्च को अगले सत्र में संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रथम पूरक प्राक्कलनों में सम्मिलित किया जाएगा। और पूरे वर्ष के लिए बोर्ड पर हुए व्यय के सम्बन्ध में अनुपूरक विनियोग अधिनियम पारित होने पर उल्लिखित अग्रिम राशि वापस निधि में जमा करा दी जाएगी।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

उपाध्यक्ष महोदय : स्वतः दिए गए वक्तव्यों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है। *जब मांगें आएंगी* तब आप उन पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

स्वतः दिए गए वक्तव्यों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा। मैं किसी को कोई अनुमति नहीं दे रहा हूँ आप ऊर्जा मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा के समय बोल सकते हैं।

अब नियम 377 के अधीन मामले श्री जैनुल बशर।

श्री जमीलुर्रहमान : महोदय मैं···।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम श्री जैनुल बशर नहीं है मैंने श्री जैनुल बशार को बुलाया है। अब नियम 377 के अधीन मामले।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) भारतीय मुसलमानों के बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया वक्तव्य

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : महोदय, ऐसा समाचार मिला है कि पाकिस्तान के राट्रपति ने कहा है कि भारत में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इतने असुरक्षित हैं कि वे अपने आपको मुसलमान घोषित नहीं कर सकते। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का यह वयान न केवल भारत के विरुद्ध असैबीपूर्ण कार्य है बल्कि इससे भारत के मुसलमानों की प्रत्यक्ष रूप से बेइज्जती है भारत के मुसलमानों को जीवन तथा गतिविधियाँ पूरे विश्व के लिए खुली किताब के रूप में हैं। भारतीय मुसलमान अपने धर्म का स्वतंत्रता तथा निर्भीकता पूर्वक पालन करने में किसी से पीछे नहीं है। मैं पाकिस्तानी राष्ट्रपति की इस अनावश्यक टिप्पणी के विरुद्ध भारत के मुसलमानों की ओर से जोरदार विरोध प्रकट करता हूं।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत अपने धर्म का पालन करने का अधिकार की गारन्टी दी गयी है। वस्तुत: धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के अपने साथी नागरिकों से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय मुसलमान अपने हितो की रक्षा करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। भारतीय मुसलमानों के हालातों के बारे में पाकिस्तानी सरकार द्वारा किये जा रहे प्रचार राजनैतिक उद्देश्यों से पूर्ण हैं तथा भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप है।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वे पाकिस्तानी राष्ट्रपति द्वारा की गयी दुर्भाग्य-पूर्ण टिप्पणी के विरुद्ध विरोध प्रकट करें। इस अवसर पर मैं पाकिस्तानी सरकार और राष्ट्रपति को यह भी बतला देना चाहता हूं उनको भारतीय मुसलमानों की लागत पर राजनैतिक लाभ उठाने के बजाय अपने देश को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करें।

(दो) ग्वालियर और ललितपुर में दूरदर्शन रिपीटर केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : मध्य प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उसका सबसे कम क्षेत्र दूरदर्शन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आता है। एशियाई खेलों से पहले राज्य में केवल एक दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र था। यद्यपि भोपाल तथा इन्दौर में एशियाई खेलों के दौरान रिपीटर केन्द्र खोले गये थे परन्तु उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं दी गयी। चूंकि चन्देरी माइक्रो वेव टावर की क्षमता नहीं है इसलिए यदि ललितपुर में एक रिपीटर लगा दिया जाता तो चन्देरी, गुना तथा मध्य प्रदेश के शिवपुरी, टीकमगढ़ तथा विदिशा जिलों के कुछ भाग भी इसके अन्तर्गत आ जाते। इसी प्रकार से ग्वालियर में एक माइक्रो वेव टावर पर यदि रिपीटर लग जाता तो इससे

मोरेना, भिंड, दतिया, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिलों के काफी क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत ले लिया जाता। इन स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने में कोई तकनीकी या वित्तीय अड़चन नहीं है। ग्वालियर केवल एन० ई० सी० माइक्रो वेव संयंत्र के 'पंड टु पंड' टर्मिनल पर ही स्थित नहीं है बल्कि यह माइक्रो वेव के रास्ते पर भी स्थित है जिस पर टी० वी० संकेत चलते हैं। इसके अतिरिक्त, इन्दौर और भोपाल के लिए दूरदर्शन कार्यक्रम ग्वालियर तथा ललितपुर में स्थित माइक्रो वे वटावरों के जरिये रिपीटर की सहायता से प्रसारित किये जा सकते है। इसकी लागत प्रत्येक पर केवल 1.5 लाख रुपये आयेगी।

अतः सरकार से निवेदन हैं कि ग्वालियर तथा ललितपुर माइक्रो वेव टावर के निकट 400 वाट के संप्रेषण लगाये जायें ताकि 15 से 20 कि० मी० की परिधि में रह रहे लोग दूरदर्शन कार्यक्रम देख सके :

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ग्वालियर तथा ललितपुर में दूरदर्शन रिपीटर स्थापित करने की माँग पर तुरन्त विचार किया जाये।

(तीन) पाराद्वीप और कटक के बीच रेलगाड़ियों से गेहूं तथा डीजल की चोरी को रोकने की आवश्यकता।

श्री अनादि चरण दास (जयपुर) : पारादीप ओर कटक के बीच माल गाड़ियों से हजारों रुपये के गेहूं और डीजल की चोरी से उड़ीसा के लोगों को भारी चिन्ता हो गयी है। पारादीप पत्तन पर जहाजों द्वारा विदेशों से गेहूं आता हैं और फिर इसको गाड़ियों द्वारा कटक भेजा जाता है। माल गाड़ी रात को 11 बजे छूटती है और सवेरे तीन बजे कटक पहुंचती हैं जैसे ही गाड़ी बोलांग फाटक की तरफ आगे बढ़ती है तो इसकी गति धीमी हो जाती है और अन्त में बोलांग और बगादिया फाटकों के बीच रुक जाती है। फिर कुछ लोगों का समूह गाड़ी के पास आता है और उसमें से कम से कम 60 से 70 बोरे गेहूं के तथा 2 से तीन बैरल डीजल हर बार निकाल लेते है इसके बाद गाड़ी स्टेशन के लिए चलती है इस प्रक्रिया में गाड़ी सप्ताह में दो बार रुकती है और कम से कम 50,000 रुपये का गेहूं और डीजल प्रत्येक बार उठा लिया जाता है। इसलिए मैं माँग करता हूं कि माननीय रेल मन्त्री स्थल को अचानक जाँच करें तथा गेहूं व डीजल की चोरी को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

(चार) मलेरिया अनुसंधान परियोजना क्योंझर, उड़ीसा के कर्मचारियों को अन्यत्र रोजगार देना।

श्रीमती जयन्ती पटवायक (कटक) : उड़ीसा के क्योंझर जिले में 1978 से कार्यान्वित की जा रही मलेरिया अनुसंधान परियोजना को शीघ्र ही बन्द किया जा रहा है इसके परिणाम स्वरूप 90 लोगों की अचानक छटनी हो जायेगी जो इस परियोजना के लिए अस्थायी तौर पर भर्ती किये गये थे। ये कर्मचारी योग्य व्यक्ति हैं। जिनको बी० एस० सी० करने के बाद पराश्रित जीव विज्ञान तथा कीट विज्ञान में प्रशिक्षण दिया गया है और इस क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त है

परन्तु जब उनसे यह कहा जा रहा है कि अब उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, उनकी बिल्कुल ही निस्सहाय हालत हो गई है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद देश के विभिन्न भागों जैसे शिलांग, पटना, जबलपुर भुवनेश्वर, बेलगाँव, अण्डमान तथा निकोबार, द्वीपसमूह आदि में ऐसे कई अनुसंधान केन्द्र खोल रही है आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्रों ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। यह संस्थान भी उसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसमें क्योनझार परियोजना के कर्मिकों पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। परन्तु दुर्भाग्य से भारतीय आयु-विज्ञान अनुसधान परिषद अपनी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए नये लोगों की भर्ती करना चाहती है जिसके परिणामस्वरूप ये प्रशिक्षित वैज्ञानिक तथा अन्य कर्मिक निरन्तर सेवा के अवसर से वंचित किये जा रहे हैं।

इसको ध्यान में रखते हुए मैं माँग करती हूं कि क्योनझार मलेरिया अनुसंधान परियोजना के कर्मिकों के मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये और उनको भुवनश्वर तथा अन्य स्थानों पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अन्य परियोजनाओं में यथोचित पदों पर नियुक्त किया जाये।

(पाँच) अन्तर्राष्ट्रीय नेहरू स्वर्ण कप फुटबाल टुर्नामेंट के लिए भारतीय फुटबाल टीम।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : नियम 377 के अधीन में निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय नेहरू स्वर्ण कप फुटबाल टुर्नामेंट में भारतीय फ़ुटबाल टीम बुरी तरह से असफल रही है और ग्रुप लीग में सभी खेलों में एक भी पोइन्ट अर्जित किये बिना हार गयी, परन्तु नवम एशिया खेलों में हमारी फुटबाल टीम के खेल को न केवल दर्शकों द्वारा बल्कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय फुटबाल विशेषज्ञों द्वारा भी सराहा गया था। पिछले एशियाई खेलों में बहुत से लोगों ने यह मत प्रकट किया कि दुर्भाग्य से ही हमारी फुटबाल टीम आगे नहीं बढ़ सकी। इस टुर्नामेंट में भारतीय फुटबाल टीम मात्रा ही ऐसी थी जिसने टुर्नामेंट के सभी मैचों में हार खाई है।

परन्तु नेहरू स्वर्ण कप प्रतियोगिता में हमारे गलत खेल ने हमारे उस राष्ट्रीय सम्मान को समाप्त किया जो कि हमने पिछले एशियाई खेलों के दौरान अपनी फुटबाल टीम की निष्ठा तथा श्रेष्ठ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के चयन द्वारा अर्जित किया था। प्रश्न तह है कि मंत्री मंडल स्तर का अलग खेल मन्त्रालय बनाने के बाद भी नेहरू स्वर्ण कप प्रतियोगिता में यह क्यों हुआ।

विशेषज्ञ कहते हैं कि द्वितीय स्तर की टीम का चयन और खेलों की राजनीति इस दयनीय परिणाम और हमारे राष्ट्रीय सम्मान की हानि का कारण रहे। नेहरू स्वर्ण कप प्रतियोगिता में जो कुछ हुआ है वह वास्तव में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

इन परिस्थितियों में मैं पूर्ण जांच की मांग करता हूं और खेल मन्त्री से इस सम्बन्ध में सभा में वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं ताकि ऐसी बातें भविष्य में फिर से न हों।

(छः) **विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिकों की कार्य दशाएं श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर)** : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :

पिछले कुछ समय से वैज्ञानिकों द्वारा आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है। हाल ही में पंत कृषि विद्यालय में बायकेमिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा 14 सितम्बर, 1982 को आत्महत्या की गई है। पिछले बीस वर्षों में लगभग 25 आत्महत्या के मामले हुए हैं। संस्थानवार आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में 1960, 1970, 1972 में सात वैज्ञानिकों ने तथा 1975, 1978 और 1982 में दो वैज्ञानिकों ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वाले एक वैज्ञानिक का बहुत अधिक प्रचार किया गया। भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र बम्बई में चार वैज्ञानिकों ने 1979 में आत्महत्या की और दो ने 1980 और 1981 में की। रुड़की विश्वविद्यालय में 1979 में तीन आत्महत्याएं की गई .

अधिकांश मामलों में कारण वरिष्ठता का अधिक्रमण, नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद, परेशन करना तथा घुटन और अपमानजनक वातावरण बताया जाता है।

इसी प्रकार विज्ञान और वैज्ञानिकों को बचाने के लिए निराश वैज्ञानिकों की शिकायतों को दूर करने हेतु सरकारी स्तर पर एक प्रभावकारी स्वतन्त्र तंत्र होना चाहिए तथा वर्षों से अन्याय सह रहे वैज्ञानिकों को राहत पहुंचाई जाए। इसके साथ ही सेवा के मामले में सभी वैज्ञानिकों के लिए बिना भेदभाव के एक समान नीति बनाई जाए और वैज्ञानिकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इन संस्थानों पर संसदीय नियन्त्रण, सार्वजनिक छानबीन और न्यायिक पुनरीक्षा लागू होनी चाहिए।

(सात) **उत्तर प्रदेश चीनी निगम लिमिटेड के बिजनौर एकक को वित्तीय सहायता श्री मंगलराम प्रेमी (बिजनौर)** : मैं अपने संसदीय क्षेत्र बिजनौर के अन्तर्गत 1934 में स्थापित उत्तर प्रदेश शुगर कारपोरेशन लिमिटेड यूनिट-बिजनौर चीनी मिल की जीर्ण-शीर्ण अवस्था की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस मिल का राज्य सरकार ने दयनीय दशा को देखते हुए सन् 1971 में अधिग्रहण किया। तत्पश्चात् इसके विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए पूरा प्रयास किया गया। लेकिन वर्तमान योजनानुसार इस मिल के आधुनिकीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु करीब 11 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। उक्त रकम को अब तक भुगतान न किए जाने के कारण इस चीनी मिल की क्षमता बिगड़ती जा रही है, जो अब 1100 टन प्रतिदिन पेराई क्षमता पर आ गई है। बिजनौर उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक जिलों में विशिष्ट स्थान रखता है। इस दृष्टि से गन्ने की पैदावार बढ़ाने तथा चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने हेतु आस्ट्रेलियन तकनीक के आधार पर एक योजना बनाई गई है, जिसके तहत इस मिल की क्षमता प्रतिदिन 4500 टन करने हेतु आगामी वित्तीय बर्ष के लिए 12-3-82 को लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इस मिल की भावी योजनानुसार 4.80 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार एवं शेष रकम केन्द्र सरकार वहन करेगी। इसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं लेकिन उक्त रकम को केन्द्र सरकार द्वारा देने में विलम्ब किया जा रहा है। फलतः सारी योजना निरर्थक हो रही है।

साथ ही इस मिल पर जिले के गन्ना किसानों का करीब 33 लाख रुपये वर्ष 1981-82 का शेष है और फिलहाल भुगतान किए जाने की कोई संभावना नहीं है। इस कारण किसान गन्ना उत्पादन करने में असमर्थ हो जाएंगे। मिल कर्मचारी एवं श्रमिकों को समय पर वेतन न मिलने से उनकी आर्थिक दशा दयनीय हो गई है।

अत: कृषि मन्त्री जी से आग्रह है कि इस सम्बन्ध में अविलम्ब यथोचित कार्रवाई की जाए और मिल का नवीनीकरण कराया जाए।

(आठ) नारायण गांव के आसपा के क्षेत्र का विद्युतीकरण करने के लिए दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को 'अनापत्ति पत्र' दिया जाना

श्री अटलबिहारी वाजपेय नई दिल्ली : महोदय

दिल्ली छावनी के अन्तर्गत नारायणा गांव के आस पास के क्षेत्र में रहने वाले लोग काफी लम्बे समय से बिजली के बिना रह रहे हैं क्योंकि छावनी बोर्ड ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को, जो इस क्षेत्र को बिजली सप्लाई करने के लिये तैयार अनापत्ति पत्र देने से इन्कार कर दिया है।

लोगो ने बिजली का कनेक्शन लेने के लिये पहले ही प्रतिभूति राशि जमा करा दी है परन्तु वे यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि छावनी बोर्ड अपने असहयोगपूर्ण रवैये से लोगों के असुविधाओं को क्यों बढ़ा रहा है।

इस भूमि की रक्षा प्रयोजनों के लिए जरूरत होगी।

इस तर्क के आधार पर लोगों को बिजली देने से इनकार करना विश्वसनीय नहीं लगता। आवश्यकता होने पर उन व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी जिन्हें छावनी भूमि पर कब्जा करने की अनुमति दी गई है।

मैं रक्षा मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह दिल्ली छावनी बोर्ड को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को 'अनापत्ति पत्र' देने का निदेश दें ताकि नारायणा के आसपास के क्षेत्र का तत्काल विद्युतीकरण किया जा सके।

अंतरिम सहायता तथा वेतन पुनरिक्षम के लिए दिल्ली में रेल कर्मचारियों द्वारा किया गया प्रदर्शन।

प्रो मधु दंडवते(राजापुर) : महोदय, आज देश के विभिन्न भागों से हजारों रेल कर्मचारी सार्वजानिक क्षेत्र के कर्मचारियों से वेतन की समानता के आधार पर वेतन में संशोधन करने की मांग तथा अन्य भागों में विचाराधीन होते हुए अन्तरिम सहायता की मांग करने के लिए संसद के समक्ष सामूहिक प्रदर्शन करने हेतु दिल्ली आए हैं। रेल मजदूरों की ओर से भी लोक सभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन/याचिका प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें रेल मजदूरों की मांगों के बारे में शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया जाएगा।

मैं केन्द्रीय रेल मन्त्री से रेल कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही अच्छी बात हैं कि एक भूतपूर्व रेलमंत्री रेल कर्मचारियों की माँगों को अब उठा रहे हैं जबकि वह मन्त्री नहीं हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, 80 प्रतिशत माँगों को में पहले ही पूरा कर चुका हूं।

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकट रमन) : इसे उपाध्यक्ष महोदय का समर्थन प्राप्त है।

अनुदानों की माँगें 1983-84

रक्षा मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा रक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे विचार प्रारम्भ करेगी और पारित करेगी।

माननीय सदस्याणु कल यह घोषणा की गई थी कि वाद-विवाद के लिए आवंटित समय समाप्त हो चुका है और मन्त्री महोदय द्वारा पहले वाले विषय पर चर्चा हो चुकने के तत्काल पश्चात् उत्तर देने के बाद यह चर्चा खत्म हो जाएगी। अब मेरे पास दो और माननीय सदस्यों से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि वे भी बोलना चाहते हैं। इसके बाद सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे सब चर्चा आरम्भ होने पर अपने नाम पहले हीं दे दें और वे पूरी चर्चा के दौरान उपस्थित भी रहें। इस मामले में हम असुविधा अनुभव कर रहे हैं क्योंकि हमें जो अनुरोध प्राप्त हुए हैं उनमें एक भूतपूर्व मन्त्री का है और दूसरा एक सक्रिय सदस्य श्री उन्नी कृष्णन का है और मैं इन अनुरोधों को अस्वीकार नहीं कर सकता।

अतः मैं एक विशेष मामले के तौर पर इन दो सदस्यों को बोलने की अनुमति देता हूं। इसके बाद मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। एक विशेष मामले के तौर पर इसकी अनुमति दी जाती है और इसे मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए। मैं उनसे संक्षिप्त भाषण देने का अनुरोध करता हूं। इसके बाद मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन (बडागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरे ऊपर जो कृपा की है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और में कम समय लेने के आपके निदेश का ध्यान रखूंगा।

महोदय, यह एक ऐसा विरला अवसर है जिसमें हमें, वास्तव में समय की चिन्ता नहीं करनीं चाहिए क्योंकि रक्षा-व्यय पर हम लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं और हमारे बजट व्यय के इस महत्वपूर्ण अंश या भाग के बारे में सतर्कता बरतने अथवा उसकी छानबीन करने का संसद को जो एकमात्र अवसर मिलता है वह यह छः घंटे का वाद-विवाद हैं। एक घंटे में हम औसतन लगभग 1000 करोड़ रुपए की अनुमति दे देते हैं। अतः मैं आपसे और सभा से अनुरोध करता

हूं कि समय के बारे में इतनी चिन्ता न करें। इसका अर्थ यह नही है कि मैं अधिक समय लूंगा।

महोदय, इस मन्त्रालय की मांगें वहुत महत्वपूर्ण हैं और दूसरा कोई मंच भी नही है क्योंकि इसका प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं और देश के सुरक्षा वातावरण तथा रक्षा सेनाओं और रक्षा उत्पादन तन्त्र को चुस्त बनाने पर पड़ता है।

हमें मन्त्रालय की मांगों पर केवल वार्षिक वादविवाद का अवसर मिलता है।

महोदय, मैंने जैसा कि आपको स्मरण कराया है, इस वर्ष 1983-84 के लिए व्यय बढ़कर 5971 करोड़ रुपए हो गया है। यह सच हो सकता है कि विश्व की तुलना में अथवा चीन और पाकिस्तान द्वारा रक्षा पर किए गए व्यय की तुलना में हम कम खर्च करते हैं। परन्तु यह भी बहुत बड़ी राशि है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। किसी भी देश के रक्षा व्यय को विशेषरूप से हमारे देश के रक्षा व्यय को विश्व में युद्ध सम्बन्धी परिस्थिति और देश की क्षेत्रीय एकता को बनाए रखने की मूल आवश्यकता और राष्ट्रीय हित के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यदि मुझे कहने की अनुमति दी जाए तो मैं यही कहूंगा कि इसका देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में निर्धारण किया जाना चाहिए। इसे अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि रक्षा से अन्नत: तात्पर्य लोगों के दिमागों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। लोगों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, उनके समक्ष क्या आदर्श रखे जाने चाहिए और आप देश में कैसे अनुशासन ला सकते हैं। इसे पृथक नहीं किया जा सकता। आक्रमणकारी अथवा सुरक्षा को किसी प्रकार के खतरे का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि हम घरेलू मोर्चे तथा आर्थिक मोर्चे पर सफलता प्राप्त करें।

हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान में हथियारों का भारी जमाव हुआ है जिसे संयुक्त राज्य अमरीका के विश्व में साम्राज्यवादी हितों द्वारा तथा अन्य देशों से मिलने वाली सहायता द्वारा उकसाया गया है। हम अपने पड़ौसी देश चीन की सैनिक मशीनों की और उसके द्वारा शरारत कर सकने की अत्यधिक सम्भावना की तथा हिन्द-महासागर के ईर्द-गिर्द हथियारों के जमाव की, वहां हो रही घटनाओं की विशेष रूप से पश्चिमी एशिया के देशों में, जो हमसे अधिक दूर नहीं है, विशेष रूप से 'ओपेक' देशों में, जिनके पास अत्यधिक स्रोत हैं, हो रही घटनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। रक्षा व्यय की इतनी बड़ी राशि को इसी सन्दर्भ में अर्थात् विश्व, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।

यद्यपि रक्षा पर खर्च कों जाने वाली राशि पर आपत्ति करने वाला में अन्तिम व्यक्ति हूंगा परन्तु हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए और मुझे विश्वास है कि माननीय रक्षा मन्त्री भी स्मरण रखेंगे कि हमारा देश तो धनी है परन्तु लोग निर्धन हैं। हम न केवल निर्धन हैं बल्कि यह देश विश्व में निर्धनता और दु:खों का एक भण्डार है। अत: किसी भी चीज पर एक भी रुपया खर्च करते समय थोड़ी सी सतर्कता, लागत के प्रति थोड़ी सी जागरुकता रखनी पड़ेगी मुझे यह कहते हुए खेद है कि रक्षा मन्त्रालय के मामलों में ऐसी बात नहीं हैं।

इस देश के सामाजिक विरोधाभाषों में से एक यह है कि एक ओर हमारे देश में अनपढ़ों की संख्या सबसे अधिक है और दूसरी ओर हमारे पास विश्व में सबसे अधिक तकनीकी तथा विज्ञान में प्रशिक्षित व्यक्ति हैं। अत: हमारे पास अत्यन्त आधुनिक किस्म की प्रौद्योगिकी को अपनाने और उसे आधुनिक बनाने की क्षमता है। अत: यह प्रश्न पूछा जाना है कि जो राशि खर्च की जा रही क्या वह आवश्यक है, जो राशि खर्च की जा रही है क्या वह बचत और लागत को ध्यान में रखकर की जा रही है और क्या हमारी रक्षा क्षमताओं में अपेक्षित प्रौधोगिक क्षमता हैं। अत: संसद को यह पूछने का अधिकार है किहमें जो राशि मिलती है हम उसका क्या करते हैं ? रक्षा मन्त्रालय और सेनाएं इस राशि का क्याकरती हैं ? यह कहना ही पर्याप्त नहीं होगा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस देश ओर इससभा में इसका प्रतिवाद कोई नही कर सकता। परन्तु संसद को यह पूछने का अधिकार है कि यह धन कैसे व्यय किया जाता है ? बार-बार यह दोहराने से कि देश का हित सर्वोपरि है काम नहीं चल सकता।

इन परिस्थितियों में, जैसा कि मैंने पहले कहा है और कई माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया है, कि रक्षानीतियों और व्यय की छानबीन के लिए एक स्थायी संसदीय समिति का अविलम्ब गठन किए जाने की आवश्यकता है जिसकी नियमित और जल्दी-जल्दी बैठकें हों। मुझे ठीक-ठीक याद है कि प्राक्लन समिति और लोक लेखा समिति दोनों ने यह सिफारिश की थी।

स रक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हम रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्म-निर्भर हों यह भी सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। परन्तु अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में आत्म-निर्भरता के मामलों में भी हम कुछ वर्षों से उत्तरोत्तर में लापरवाह होते जा रहे हैं।

आयात को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा वातवरण है। यह आर्थिक वातावरण है और हाल ही के वर्षों में रक्षा मंत्रालय भी इस से मुक्त नहीं रहा है। मैं उनके युद्ध कौशल पर सन्देह नहीं कर रहा हूं। इस प्रगतिशील क्षेक्ष में बहुत विकास किया जा सकता है और इस क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी में भी जल्दी-जल्दी परिवर्तन होता रहता है और हम इससे बाहर नहीं रह सकते। मैं उन्हें सुझाव बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। परन्तु यह इस पर निर्भर करता है कि उद्योग और अर्थ-व्यवस्था के व्यापक क्षेत्र में हम अपने 'अनुसन्धान और विकास' प्रयास का निर्माण कैसे करते हैं और अपने औद्योगिक उपयोग का विस्तार कैसे करते हैं।

अत: यदि कोई प्रमुख युद्ध टैंक जैसे किसी अन्य विकास के बारे में पूछता है तो,यह अत्ययन्त महवपूर्ण है। प्रमुख युद्ध टैंक (मेन बैटल टैंक) आठवें दशक की परियोजना थी। सभा इससे सहमत है कि अब 1983 चल रहा हैं।

मैं आपसे रक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 103 पर पैरा 11.1 और 11.2 देखने का अनुरोध करता हूं

> "इस वर्ष एम. बी. टी. की विभिन्न उप-प्रणालियों के विकास कार्यों को पुरा करने के लिए प्रगति होती रही है।"

इस वाक्य को संभवतः इन्हीं पृष्ठों पर इन्हीं पैराग्राफों में कितनी बार दोहराया गया है। यह वाक्य रक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदनों में पिछले पांच वर्षों से दोहराया जा रहा है।

आप इसकी पड़ताल कर सकते हैं। वे उप-प्रणालियों में प्रगति करते रहते हैं, वे संसद द्वारा पारित धनराशि को व्यय करते रहते हैं परन्तु परियोजना पूरी नहीं होती है। इंजन चालू ही नहीं होता। क्या हमें इस पर सन्देह करना चाहिए या नहीं क्या हमें इस पर सन्देह करने का का अधिकार है या नहीं ? माननीय मंत्री महोदय इस आलोचना के प्रति अत्यन्त सवेदनशील हैं। पहले जब कभी इस संबंध में समाचार-पत्रों में आलोचना की गई तो माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि यह विदेशी लाबी के दबाव में किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा की गई आलोचना के संबंध में ऐसा नहीं कहेंगे। दुर्भाग्यवश विदेशी लाबियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश लोग दूसरी ओर भले ही ये स्त्रीया विसकोसा और इटली की सीमेल हों जिन्होंने एक अति महत्वपूर्ण महिला के नाम से हमारे अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की थी, उन्हें इसका पता लगाना चाहिए, अथवा इस्राइल से सन्देहास्पद संबंध रखने वाली डेनिश फर्म 'वेरा' हो, कहानी एक ही है।

मैं जानता हूं, माननीय मंत्री महोदय जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, कल इस्राइली सौदे का बचाव कर रहे थे। परन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अन्तुले का भी बचाव किया था। वह एक अत्यन्त प्रतिभाशाली अच्छे व्यक्ति हैं परन्तु दुर्भाग्यवश वह भेड़ियों के झुन्ड में फंस गए हैं। हमारा प्रयास आपकी त्रुटियों को बनाना है ..

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने अन्तुले का वर्णन कैसे किया।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : और उन्हें ठीक करना है। केवल थलसेना ही 1600 करोड़ रुपये के उपकरणों का आयात करती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको अपनी प्रौद्योगिकी को आधुनिक नहीं बनाना चाहिए और उसे अपनाना नहीं चाहिए। परन्तु ऐसे बहुत से संवेदनशील क्षेत्र हैं जिनमें इस देश में पर्याप्त क्षमता का निर्माण किया गया है और यदि रक्षा अनुसंधान संगठन का पुनर्गठन किया जा सके और वैज्ञानिकों को अधिक जिम्मेवारियां और सुविधाएं दी जाएं तो उसका विकास सम्भव है।

डी० आर० डी० ओ० में यह शिकायत की जा रही है कि संगठन में ओर अनुसंधान तथा विकास विभाग में असैनिक वैज्ञानिकों के लिए पदोन्नति के अवसर बहुत ही सीमित हैं। यदि हमने कुछ चीजों का आयात नहीं करना है। तो यह आवश्यक है कि वैज्ञानिकों को और रक्षा अनुसंधान प्रतिष्ठानों तथा उत्पादन केन्द्रों में काम करने वालों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाये ताकि हमें इन चीजों का आयातों न करना पड़े। उदाहरण के लिए, मुझे बताया गया है कि हम मशीन पिस्टल के 25,000 नगों और 90 करोड़ रुपए की भारी मशीन गनों का आयात कर रहे हैं। भारत ने एक समय, जब श्री कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री थे, एक नए युग में रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता के नए चरण में प्रवेश करना आरम्भ किया था। हमने प्रसिद्ध इशापुर राइफल का उत्पादन किया। हमारे लिए न केवल बेलजियम डिजाइन की 7.62 एम० एम० इशापुर राइफल

का उत्पादन करना संभव है बल्कि हम उन्हीं चीजो का उत्पादन कर सकते हैं जिनका हम आयात कर रहे हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कुल रक्षा व्यय में आयात पर कितना खर्च किया जाता है संसद को इसकी अवश्य ही जानकारी होनी चाहिए। जब हम 6000 करोड़ रुपया की भारी राशि को व्यय हेतु पारित करते हैं और उपकरणों के आयात पर कीमती विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं तो संसद को इसकी जानकारी होना आवश्यक है, इसे विश्वास में लेना आवश्यक है और यह बताना आवश्यक है कि रक्षा व्यय में से आयात पर कितना खर्च किया जाता है।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं। हम केवल ऐतिहासिक कारणों की वजह से थल सेना के विकास पर जोर नहीं देते रहे हैं बल्कि बदलती हुई परिस्थितियों में यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारी नौसेना क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए। डा० स्वामी ने पिछले दिन बोलते हुए हमारी सबमेरीन फ्लीट और आणुविक प्रणोदन की चर्चा की थी। इस प्रकार के मामलों में यह बेहतर होगा कि हम इस प्रकार के वादविवाद में पड़े बिना यह सब रक्षा मंत्रालय और युद्ध नीति विशेषज्ञों पर छोड़ दें। यदि यह आवश्यक है और महत्वपूर्ण है कि हम आणुविक प्रणोदन करें तो यह किया जाना चाहिए। परन्तु हम किसी भी हालत में हिन्द महासागर के मामले में लापरवाही का दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। वास्तब में यह महासागर पार से और महासागर से खतरा है। युद्ध मशीनों की बदलती हुई आवश्यकताओं और विश्व में युद्ध के वातावरण को देखते हुए नौसेना क्षमता को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कुछ चर्चा हो रही थी और यह घोषणा की गई थी कि केरल में इझीमलाई में नौसेना अकादमी की स्थापना की जाएगी। परन्तु हाल ही में पिछले सप्ताह मैंने कुछ दलों के कुछ वक्तव्यों को देखाहै, मैं यह नहीं जानता क्या मंत्री महोदय ने उन्हें इस प्रकार का वक्तव्य देने के लिए कहा जा था अथवा इसकी आवश्यकता थी, कि हम अन्य स्थानों को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि वह इस मामले को स्पष्ट करें क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जो लोगों के दिमाग में क्षोम पैदा कर रहा है।

मैं भाषण समाप्त करने से पूर्व यह कहना चाहता हूं मूलतः चीन ने कई मामलों में, विशेषरूप से रक्षा आवश्यकताओं के मामले में हमारे सोचने के ढ़ंग में परिवर्तन किया जिसके कारण 1962 से सम्पूर्ण आर्थिक विकास ढांचा पूर्णतया बदल गया। परन्तु मुझे याद है और कुछ समय पहले मैंने इसे पढ़ा भी था। कि उस समय जनरल थिमैया ने कुछ कहा था कि इस खतरे का राजनैतिक और कूटनीतिक तरीकों के इलावा और कोई जवाब नहीं है।

मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि हमें अपने अधिकार अथवा प्रमुसत्ता छोड़नी चाहिए या किसी बात पर समझौता करना चाहिये। लेकिन वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में तथा चीन और रुस वार्ता के संदर्भ में यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे यह भी बताया गया है कि सोवियत संघ वियतनाम से चीन के साथ समझौता करने के लिए कह रहा है और मेरी समझ में भी यह बात नहीं आती कि भारत भी चीन के साथ क्यों समझौता नहीं करता अथवा चीन भारत के साथ क्यों समझौता नहीं करता। अतः इन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब कि हमें इन समस्याओं का समाधान करना हो। मुझे इस बात का संदेह नहीं है कि यदि निकट भविष्य में ऐसा न किया गया तो चीन के साथ कोई समझौता करना सम्भव नहीं हो सकता और यह आने

वाली पीढ़ियों के लिए एक और बोझ होगा जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा। मैं इस सभा मे उन लोगों में से एक हूं जो इस प्रश्न के बारे में काफी भावुक है और जिन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हमें उस समय तक ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक कि वे आत्मसमर्पण न कर लें। लेकिन इस बारे में मैं जितना अधिक सोचता हूं, उतना ही अधिक मैं सोचता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भविष्य की सुरक्षा जरूरतों, रक्षा सम्बन्धी समूचे राष्ट्रीय हितों, हमारी सुरक्षा तथा अर्थ-व्यवस्था के हितों को ध्यान में रखते हुये हमें उन बातों पर तेजी से कायवाही करनी चाहिए जो उस समय जनरल थिमैया ने कही थी।

धन्यवाद।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : मेरे पास जो थोड़ा सा समय है, उसमें रक्षा सम्बन्धी एक ही पहलू पर प्रकाश डालूंगा, जो मेरे बिचार में बहुत ही महत्व का है और यह समस्या रक्षा पेंशनभोगियों से सम्बन्धित है। यह तीन कारणों से महत्वर्ण है। पहला कारण यह है कि वे अत्यन्त कठिन स्थिति में उत्तम सेवा प्रदान करते हैं। आप कारगिल तथा अरुणाचल प्रदेश जैसे स्थानों पर गये होंगे जहां रहना बहुत कठिन है और इनसान के लिए वहां जीना ही असम्भव है। वहाँ भी हमारे सैनिकों ने अपने जीवन के सर्वोत्तम काल को व्यतीत किया है। अत: उनके हितों की रक्षा करना उनकी जिम्मेवारी है।

दूसरी समस्या निर्वाह कम में बढ़ोत्तरी है जिससे सभी वर्गों के साथ पेंशनभोगी भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं जिससे उम्र बढ़ने के साथ-साथ उनकी शरीरिक तथा मानसिक शक्ति भी घटती है यह सचमुच बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

तीसरा कारण नई भर्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों से सम्बन्धित है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रक्षा मन्त्रालय द्वारा दिए जाने वाले पेंशन लाभों का रक्षा सेनाओं में भर्ती लोगों की योग्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अत: यदि आप पेंशन लाभों में वृद्धि करें तो आप न केवल पेंशनभोगियों के लिए अच्छा काम करते हैं बल्कि आप रक्षा सेनाओं के लिए अच्छी योग्यता के लोगों को भी आकर्षित करते हैं जो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में उन तीन प्रश्नों का स्पष्टीकरण करें।

उच्चतम न्यायालय ने 17 दिसम्बर, 1982 के अपने ऐतिहासिक निर्णय में सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया कि पेंशन वृद्धि केवल उन्ही लोगों को मिलेगी जो 1 अप्रैल, 1979 के बाद सेवानिवृत हुए हों। सरकार द्वारा जारी आदेश को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की बेंच ने रद्द किया था और उन्होंने कहा है कि यह भेदभावपूर्ण है और संविधान की धारा 14 का उल्लंघन करने वाला है और इसलिए यह गैरकानूनी है। अब मैं मंत्री से स्पष्ट आवास चाहता हूं कि सरकार इस निर्णय का सम्मान करेगी और इसे तेजी के साथ कार्यान्वित करेगी...

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बानीरहाट) : वे एक पुनरीक्षा याचिका दायर कर रहे हैं।

श्री कर्णसिंह : क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि इसे स्वीकार करने की बजाय सरकार अब इसमें विलम्ब डालने की कोशिश कर रही है और पीछे हटने की कोशिश कर रही है और उच्चतम न्यायालय के इस सर्वसम्पत्तिपूर्ण निर्णय को उलटना चाहती है। मैं पूरे जोर के साथ कह सकता हूं कि यह बात इस सरकार के लिए शोभाजनक नहीं है कि 6000 करोड़ रुपये खर्च करने पर भी जिसके लिए हम स्वीकार कर रहे हैं आप उच्चतम न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय को स्वीकार करने में समर्थ नहीं है। यह बहुत ही...मैं सख्त भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी वह आदत नहीं...

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्टीकरण वित्त मंत्री से लिया जाये। वह केवल भूतपूर्व वित्त मंत्री है।

डा० कर्णसिंह : भूतपूर्व वित्त मंत्री तथा वर्तमान रक्षा मंत्री। मैं नहीं जानता कि यह ठीक है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार काम करना सरकार के लिए उचित है। मैं उन्हें इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार करने तथा कार्यान्वित करने को कहूंगा।

दूसरे, पेंशन के राशिकरण करने की भी समस्या है।

जब रक्षा कर्मचारी सेवानेवृति होता है तो उसकी 10 रफल की 50 प्रतिशत पैंशन कम्यूट हो सकती है, ताकि वह निवास की व्यवस्था पर सके, होता क्या है ? मनुष्य को जीवन आयु बढ़ रही है ; जीवनावाधि बढ़ रही है सरकार न केवल उसकी वसूली करती है जो कि उसने दिया हो, बल्कि कभी-2दो से तीन गुणा से भी अधिक वसूल करती है। मैं आपका एक उदाहरण दूंगा। होरासिंह नाम का एक सूबेदार 1946 में सेवानिवृत हुआ। उसने 3700 रुपये प्राप्त किये और सरकार 8250 रुपये वापिस ले चुकी है और वह पूर्णत: अपंग है। इसी प्रकार जालंधर में रहने वाला एक मेजर—जनरल साहिब मेरा समर्थन करेंगे— 1963 में सेवानिवृत हुआ ; उसे 38,250 रुपये दिये गये ; उससे 50,000 रुपये से अधिक ले लिए गए हैं। यह सब क्या है ? क्या आधार तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है ? यदि मैं पैंशनभोगी कुछ आयु तक जिंदा रहते हैं जैसाकि हम आशा रखते हैं। तो क्या उस राशि के वसूल होने के बाद उनकी पैंशन बहाल करना सरकार का कर्तव्य नहीं है ? ठीक है। यदि आप चाहें, तो कुछ ब्याज लगा लें लेकिन इसे बाद में वापिस दे दें। मैं समझता हूं कि याचिका समिति ने इस बारे में बहुत अच्छी सिफारिशें की हैं। इस दूसरी बात पर भी मैं बोलना चाहता हूं। तीसरी और आखरी बात यह है। मैं इसका जिक्र पहले कर चुका हूं। पुनर्वास कार्यक्रम संतोषजनक ढंग से नहीं चलाये जा रहे हैं ; और भूतपूर्व सैनिको के लिए किए गए आरक्षणों को भी हमेशा पूरा नहीं किया जाता है। मैंने सुझाव दिया था कि केवल एक पुनर्वास महानिदेशक की बजाय एक पूरा पुनर्वास आयोग होना चाहिए जिसे यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा जा सकता है कि पुनर्वास कार्य ठीक ढंग से हो और उनके लिए किए गए आरक्षण के अनुसार ही भरती हो।

मंत्री महोदय इन प्रश्नों का स्पष्टीकरण करें तो मैं अभारी हूंगा।

धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह बात खेदजनक है कि जब इतनी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हो रही है (जिसमें लगभग 6000 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त हो तो उस समय अधिकांश सदस्य बाहर हाल में काफी पायें ; किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि रक्षा मत्री को क्या कहना है...

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : इससे सिद्ध होता है कि उनका मुझ पर पूरा विश्वास है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप पर ? आप तो चाहेंगे कि हम सभा से बाहर चले जायें और अपना विश्वास प्रकट करने के लिए बाहर ही रहे ?

उपाध्यक्ष महोदय : सभा से बाहर रहने के लिए यहाँ न कोई विपक्ष है और न ही सत्तारुढ़ दल है ; सभी समान हैं ; कोई अन्तर नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आनुपातिक छक्कि से हम अधिक हैं।

अध्यक्ष महोदय : अनुपस्थिति में सब एक हैं, दोनों पक्ष के।

श्री आर० वेंकटरामन : सबसे पहले में सभी राजनैतिक दलों के इस मांग के लिए समर्थन देने हेतु अपना आभार प्रकट करता हूं।

वादविवाद से पता चला है कि अन्य मामलों में हमारे कितने भी मतभेद क्यों न हों। कुछ मामलों में हमारे कैसे भी विचार हों, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राष्ट्रीय रक्षा के मामले में देश पूरी तरह एक है और किसी भी अव्यवसायिक स्थिति में यह एक ही बना रहेगा। हम वादविवाद द्वारा आज यह सिद्ध कर चुके हैं। तथ्य वह है कि कुछ लोग यहां हैं या नहीं हैं, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि दलों के नेताओं या प्रतिनिधियों ने विचार प्रकट कर दिए हैं। इससे सिद्ध होता है कि आज सभी राजनैतिक दलों ने रक्षा सम्बन्धी भागों का पूरी तरह से समर्थन कर दिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे बीच कोई मतभेद ही नहीं है। निश्चय ही विचार तथा दृष्टिकोण में मतभेद है और जानकारी आदि के बारे में मतभेद हो सकता है। आखिर विचार विमर्श द्वारा ही हम प्रगति कर सकते हैं। यह बात दुनियां के लिए अच्छी नहीं होगी यदि हम हर व्यक्ति के साथ सहमत हो जायेंगे। वह घर भी पागलखाना होगा जब वह घर का हर आदमी सबसे सहमत हो जाएगा। फिर चर्चा किस बात की ? कहने के लिए क्या रह गया है ? सोचने के लिए क्या रह गया है ? अत: सबके विचार भिन्न होनातथा उन्हें जोर से प्रकट करना उचित ही है। मुझे यह कहने की खुशी है कि हमें इस वादविवाद के दौरान बहुत से विचार प्राप्त हुए हैं। मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि इस सभा में अनुदानों की मांगों पर समर्थन प्राप्त करने का काम सरल रहा है।

साथ ही यह देश की रक्षा करना एक बहुत ही कठिन शायद बहुत ही दूभर कार्य है। अत: मुझे इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिए कि मुझे देश की रक्षा को पूरी तरह बनाए रखा जाये और इसमें किसी प्रकार की उदासीनता के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वास्तव

में श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने भाषण में कहा है कि यह संदेह है कि सरकार ने रक्षा के इस मामले के उदासीनता के साथ लिया है और सम्भवतः इसने वर्तमान स्थिति से पैदा होने वाले खतरों के अनुभव नहीं किया है। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं वास्तव में मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि सरकार खतरे ; सुरक्षा, आने वाली घटनाओं के बारे में पूर्णतः सजग है और अन्य शक्तियों तथा सरकारों की गतिविधियों के कारण उत्पन्न किसी के आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए सरकार तैयारियाँ कर रही हैं।

अब मैं संक्षेप में कहूंगा कि हमारी रक्षा नीति क्या है। हम गुटनिपेक्षता तथा शांति के लिये वचनबद्ध हैं। हमारी कोई क्षेत्रीय अंकक्षायें नहीं हैं और हम किसी की जमीन का कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते। अतः हम अपने सभी पड़ोसियों को आश्वासन देना चाहते हैं कि जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, हमारी कोई भी क्षेत्रीय अंकक्षायें नहीं हैं और किसी अन्य देश की भूमि पर दावा करने की हमारी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है।

दूसरे, हम किसी ग्रुप, अथवा क्षेत्र पर अपना नेतृत्व भी कायम नहीं करना चाहते। जब भी कोई किसी क्षेत्र के नेतृत्व को सम्भालता है तो वह उसी विषय में काम करना शुरू कर देता है जिसके फलस्वरूप वह ऐसी परिस्थितियां पैदा कर लेता है जिसमें वह या तो अपने आपको अन्य का अहित करते हुए आगे बढ़ता है अथवा ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करता हे जिसमें उसे क्षेत्र से नेतृत्व की मान्यता प्राप्त हो जाती है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि हमारी ऐसी कोई भी आकांक्षायें नहीं हैं। हमें किसी भी क्षेत्र के नेतृत्व का आकांक्षा नहीं है और हमारे कामों से हमारे ईर्द-गिर्द या हमारे क्षेत्र के ईर्दगिर्द किसी के लिये परेशानी पैदा नहीं होगी।

तीसरे, हम सभी समस्याओं तथा विवादों को शांतिपूर्ण कर्ताओं द्वारा निपटाने के सिद्धान्त के लिये वचनबद्ध हैं और उससे भी हमारे सब पड़ोसियों तथा अन्य देशों को आश्वासन मिलना चाहिये कि हमारी तैयारियों तथा रक्षा नीतियों द्वारा किसी भी प्रकार उनकी सुरक्षा, प्रभुसता आदि-आदि भंग नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि शांति के लिए बचनबद्ध राष्ट्र दूसरे देशों के हमलों से उन्मुक्त नहीं हैं। जो व्यक्ति सड़क के नियमों का पालन करता है, वह भी यातायात दुर्घटनाओं से उन्मुक्त नहीं होता है क्योंकि सड़क के नियमों का उल्लंघन कोई और ही करता है और दुर्घटना करता है। इसी प्रकार, जो देश शांति के लिये वचनबद्ध हैं और किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं करना चाहता और अपने झगड़ों को शांतीपूर्ण तरीकों से निपटाना चाहता है उसे भी ऐसी परिस्थिति की ओर घसीटा जायेगा जिसमें वे आक्रमण के शिकार गन जायेंगे। अतः विश्व को केवल यही कहने से कि हमारो आकांक्षायें शांतिपूर्ण है और हमारी कोई भी क्षेत्रीय आकांक्षायें नही है, हम राष्ट्रीय एकता तथा क्षेत्रीय प्रमुखता की रक्षा हेतु अपने रक्षा साधनों के उच्चतम स्तर पर ले जाने सम्बन्धी अपनी जिम्मेवारियों से छुटकारा नही पा सकते। इसलिए जब हमने देखा कि वातावरण हमारे अहित में कुछ बदल रहा है, तो प्रधान मन्त्री ने तत्कालीन रक्षा मन्त्री के नाते रक्षा सम्बन्धी पंच-वर्षीय योजना को पुनरीक्षित करने के लिए कहा। 1979-84 की मूलयोजना को पुनरीक्षित किया गया और इसे 1980-85 के

लिए बताया गया। मैं आपको आंकड़े नहीं दे सकता लेकिन मैं सभा को बता सकता हूं। और सभा को विश्वास में ले सकता हूं और यह कह सकता हूं कि हमने 1980-85 की नई योजना में इर्दगिर्द के वातावरण के बदलने से उत्पन्न स्थिति की सभी जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान किया है और ऐसी व्यवस्था भी की है जिससे हमें विश्वास हो जाये कि हमारे लिए किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा नहीं होगा।

अब इसे कर दिया गया है और यह काम टाल रहा है। मैं इन सब पहलुओं की बाद में चर्चा करूंगा लेकिन इस समय मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने इसका पूरा ध्यान रखा है, हमें इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं है। इसके विपरीत, हमने सुरक्षा वातावरण में परिवर्तन आने के कारण रक्षा के लिए अधिक प्रावधान की व्यवस्था की है।

सुरक्षा वातावरण क्या है? भारत को विश्व की किसी भी औद्योगीकृत ताकत से कोई भी सीधा खतरा नहीं है लेकिन कुछ क्षेत्रों की औद्योगीकृत ताकतों के सुरक्षा प्रबन्धों में हमारे पड़ोसियों के तथाकथित सामारीक महत्व के कार्यक्रमों को शामिल किया गया है और उन्हें ऐसे हथियार तथा शस्त्र सप्लाई कर रहे हैं जो देश की जरूरतों से कही अधिक हैं। स्पष्ट बात तो यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका ने पाकिस्तान को अपने सामरिक महत्व के कार्यक्रम में शामिल किया है और अपनी नीति के अनुसार उन्हें तोपों से लैस वायुयान, नौसेना जहाज, पनडुबियां आदि आदि सप्लाई की हैं जो उस देश की रक्षा जरूरतों से कही अधिक है' स्पष्टीकरण में कहा गया कि अफगानिस्तान से उत्पन्न स्थिति से पाकिस्तान की रक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमरीका ये सब हथियार दे रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि पनडुब्बियों तथा युद्ध पोतों द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान से अपनी रक्षा कैसे कर सकता है। यह बात स्पष्ट है। उन्हें हथियार, सैनिक शस्त्र तथा आधुनिकतम शस्त्र, जो उनकी जरूरतों से सम्बन्धित नहीं हैं। देकर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। जैसे कि मैंने भी कहा है यदि मेरा पड़ोसी बारूद को स्टोर में रखता है तो मुझे भी अपने स्टोर में गोला बारूद रखना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे कम से कम अपने पास फायर इन्जन रखने की आजादी तो होनी ही चाहिये ताकि किसी समय अचानक लगने वाली आग को इससे बुझाया जा सके। अत: यह देखना हमारी नीति है कि हमारे पास भी उतने ही हथियार तथा शस्त्र होने चाहिये जितने कि हमारे पड़ोसी कोमिल रहे हैं ताकि हम अचानक हमले के शिकार न बनें। जब कहीं अग्निकांड हो जाता है तो हम नहीं जानते कि उस क्षेत्र में क्या होता है। इस स्थिति में ये प्रश्न निरार्थक हैं कि इन शस्त्रों की जरूरत केवल एक देश की रक्षा हेतु है। फिर भी अभी तक वैज्ञानिकों ने ऐसी तोपों का आविष्कार नहीं किया है जो केवल एक ही दिशा में निशाना मारे। इसे निश्चय ही हरेक के विरुद्ध चलाया जायेगा। अत: इस स्थिति में हमें तैयार रहना चाहिये और हमें स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए और अपने आपको यथासम्भव शस्त्रों से लैस करना चाहिये।

इसके साथ ही मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान के प्रति शांति का वातावरण तथा सद्भावना पैदा करने के लिए कोई भी कसर नहीं रखेंगे और हम उनके साथ अपने

सम्बन्धों को सुधारने तथा सामान्य बनाने के लिए कोशिश करेंगे। हम पाकिस्तान से प्राप्त सभी समस्याओं पे शांतिपूर्ण निपटारे सम्बन्धी पेशकश का लाभ उठायेंगे और वार्ता करेंगे। वास्तव में हम संयुक्त आयोग बनाने की प्रक्रिया में उलझे हैं और इनमें से किसी भी प्रयास में ढ़ील नहीं दी जायेगी।

लेकिन भगवान् से प्रार्थना के साथ-साथ हमें गोलाबारूद भी ठीक दशा में रखना चाहिये।

अब मैं पूर्वोत्तर की स्थिति का जिक्र भी करता हूं।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य जानते हैं कि अभी-अभी बनायी गयी चीन सम्बन्धी नीति में भारत और चीन के बीच सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा प्रकट की गयी है। हम भी चीन की तरह उनसे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम करना चाहते हैं। साथ ही हमारा ध्यान खौफ सम्बन्धी समय-समय पर उत्पन्न विवाद की ओर भी जाये गिना नहीं रह सकता। अतः जैसे कि मैंने कहा, सीमा समस्या जैसी छोटी बातों का मैत्रीपूर्ण तथा शांतिपूर्ण हल की आशा रखते हुए भी हमें इस बात का निश्चय नहीं होना चाहिये कि स्थिति अब खतरे से खाली है। अतः हमें इसका भी ध्यान रखना है और इसके लिए उचित व्यवस्था करती है। जब मैं शस्त्रों की चर्चा करूंगा तो मैं इसका भी जिक्र करूंगा क्योंकि कई ऐसे प्रश्न पूछे गये हैं कि कुछ प्रकार के शस्त्र क्यों खरीदे गये हैं। इसी कारण मैं इसकी नींव रख रहा हूं।

जहां तक हिन्द महासागर का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह एक शांति क्षेत्र बन गया है जैसे कि हम चाहते थे। अब हिंदमहासागर में गुटबंदी, युद्धपोतों, पनडुब्बियों तथा सभी प्रकार के जहाजो के आने जाने का दृश्य नजर आ रहा है। तथा बाम्बे हाई जैसे हमारे अपतट संस्थानों, हमारे एकमात्र आर्थिक क्षेत्र तथा अण्डमान और लक्षद्वीप के क्षेत्रों की स्थिति नाजुक हो तई है। हिन्द महासागर में खतरे की मौजूदगी के कारण इन क्षैत्रों के देख-भाल करने तथा उनकी सुरक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। अतः स्थिति का यह तकाजा है कि हमारी नौ सेना के विकास पर कुछ जोर दिया जाये.

वास्तव में जब इन सभी बातों को कुल मिलाकर देखा जाये तो इन सभी क्षेत्रों—पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर, हिन्द महासागर तथा इन अन्य सभी बातों की सुरक्षा के लिए एक बड़ी धनराशि आवश्यक हो जाती हैं। अतः माननीय सदस्यों ने जो यह कहा है कि खर्च किये गये प्रत्येक रुपये का बेहतर उपयोग होना चाहिए, मैं उनकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। सरकार का इस ओर ध्यान देने का प्रयास रहेगा कि रक्षा पर खर्च किये गये प्रत्येक पैसे का अच्छा परिणाम निकले।

चर्चा में बहुत से सदस्यों ने भाग लिया है। सरकार की ओर से श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत, मेरे परम मित्र जनरल स्पैरो, श्री माधवराव सिन्धिया, श्रीमती कौर, श्री मिश्र, श्री डोगरा, श्री राजेश पाइलट, श्री पाराशर, आचार्य भगवान देव तथा श्री उत्तम राठौर ने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं। उनके द्वारा जो मुद्दे उठाये गये हैं मैं उन पर सामान्य रूप से और यदि कोई विशिष्ट मुद्दे हैं तो उन पर व्यक्तिगत रूप से विचार प्रकट करूंगा। दूसरी ओर

से श्री दन्नान मौल्लाह ने जो परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं, श्री योगेन्द्र झा, श्री इन्द्रजीत गुप्त, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी—मुझे आश्चर्य है कि वह यहां मोजूद नहीं है—श्री राजेश कुमार सिंह, श्री नेगी, श्री दयाराम शाक्य तथा श्री जक्कयान सभी ने भाग लिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

सबसे पहले, मैं कुछ बड़े पहलुओं पर विचार करूंगा। मैं श्री उन्नीकृष्णन की इस बात से सहमत हूं कि एक वर्ष में केवल यही एक ऐसा अवसर आता है जब हमारी सरकार के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया जाता है। अत: मैं न केवल वाद-विवाद का उत्तर दूगा, बल्कि अपने देश में रक्षा की स्थिति के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे समक्ष जो दुःखद स्थिति है, उनको बेहतर तरीके से तभी समझा जा सकता है जबकि मैं वर्ष 1982-83 के सेना-संतुलन के बारे में बताऊंगा तथा यह बताऊं कि पाकिस्तान की सेना के पास अब किस प्रकार के हथियार हैं। मैं उनकी संख्या नहीं बताऊंगा। लेकिन इसमें कोई गोपनीयता की बात नहीं है। यह इस पुस्तक में है।

इस समय वे इस प्रकार हैं एफ-16, मिराज-3 और 5, मिग-19 का उन्नत विमान, टी-37 सी विमान तथा एम-48 टैंक। उनके पास 155 मिलीमीटर टोंड तोपें हैं। उनके पास 55 मिलीमीटर 'सेल्फ प्रोपेल्ड' तोपें भी हैं। उनके पास टैंक लेदक प्रक्षेपास्त्र ले जाने वाले हेलीकाप्टर तथा 203 मिलीमीटर की तोपें भी हैं।

उनके पास बहुत ही प्रभावी-अच्छे उपकरण हैं, इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम भी अपनी सेना को उसी तरह मजबूत बनायें, प्रभावी बनायें और कुछ सीमा तक उनके पास जो कुछ है उससे अधिक बेहतर बनाया जाये। क्योंकि उनको केवल एक छोटी सी सीमा की रक्षा करनी है। जबकि भारत को एक बहुत ही लम्बी सीमा की रक्षा करनी है। देश के किसी एक भाग में यदि युद्ध की ज्वाला भड़कती है, तो वह केवल उस भाग तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि यह ज्वाला अन्य भागों में भी फ़ैल सकती है। अत: हमारी सेना इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि यदि केवल पश्चिमोत्तर भाग में कोई गड़बड़ी होती है तो वह केवल पश्चिमोत्तर भाग तक ही सीमित रहेगी। यह अन्य भागों में भी फैल सकती है। इसलिए यदि एक क्षेत्र में कोई आक्रमण अथवा गड़बड़ी होती हैं तो हमें सभी भागों की रक्षा करने के लिए तैयार रहना पड़ता है।

अत: हम अपनी सेना की योजना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अब सेना को अत्याधिक आधुनिकमत हथियारों से लैस कर दिया जायेगा ताकि यह युद्ध क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखे। हम विजयन्त टैंक में सुधार करके उसे और बेहतर बना रहे हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि इस टैंक को 1984 में हटाया जाना था। अब इसको हटाया नहीं जाएगा। इसको और उन्नत बनाया जा रहा है। हम एक नया कवच रखेंगे, जिसे मैं बता चुका हूं कि वह विश्व में सबसे अच्छा है। इस कंचन नामक कवच (आर्मर) को विजयंत टैंक सहित भी टैंक के साथ लगाया जा सकता है। अत: हम अपने टैंकों में एक सेना कवच (आर्मर)

लगायेंगे, जो अभी तक किसी के पास नहीं है। यह भी हो सकता है कि कोई इससे भी बेहतर तैयार कर सकता है। लेकिन इस समय यह किसी के पास नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हमारी पास उत्पादन सुविधायें मौजूद हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : जी हां, मैंने प्रत्येक सदस्य द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को नोट कर लिया है। हमने मार्गदर्शी उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। हमारे देश में इसके लिए माल उपलब्ध है और वास्तव में इसका श्रेय हमारे रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को जाता है।

विजयंत टैंक के अतिरिक्त हम जिस कवच(आर्मर) को लेकर आगे बढ़ रहे हैं विजयंत टैंक में अन्य प्रणालियों को भी उन्नत बनाया जाएगा। हमारे पास और अधिक प्रभावी गोलागारूद तथा अन्य उन्नत अच्छी उप-प्रणालियां होंगी।

दूसरे प्रकार के टैंक टी-72 हैं। अब मैं टी-72 टैंक के बारे में विस्तार से कहना नहीं चाहता। क्योंकि मेरे परम मित्र जरनल स्पैरो ने जो स्वयं भी जरनल हैं, जिन्होंने टैंकों की कमांड संभाली है यह कहा है कि टी-72 टैंक उस टैंक से अधिक श्रेष्ठ हैं, जिसका उल्लेख डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अपने भाषण में किया है। मुझे खेद है कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं अन्यथा मैं उनसे एक मजाक करता—उनकी सूचना अन्तिम न होकर उपान्तिम है। उन्होंने सदन को जोभी जानकारी दी है वह वर्तमान स्थिति से एक स्तर पीछे की है और इस उपान्त्म जानकारी के कारण उनकी बात हमेशा गलत रहती है।

श्री माधव राव सिन्धिया : उनको हमेशा उपान्त्म स्थिति में ही रखो) जैसा कि जरनल स्पैरो ने कहा है कि इस टी-72 टैंक में सभी प्रकार की क्षमताएं हैं और उसको भी उन्नत किया जा रहा है।

आखिरकार सोवियत संघ विश्व में सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। उनकी प्रौद्योगिकी विश्व के बहुत से देशों से श्रेष्ठ है। उनसे लोग डरते हैं तथा उनकी इज्जत की जाती है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो विभिन्न प्रकार के उपकरणों जिनका हम उस क्षेत्र में विशेषज्ञों के सहयोग से उत्पादन करते हैं, के कार्य-निष्पादन की पत्रिकाओं का अध्ययन करके आलोचना करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय जब कभी हम इस उपस्कर को खरीदने का प्रस्ताव करते हैं तो पहले हमारी मूल्यांकन समिति जिसमें सेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा निरीक्षण शामिल है। महानिदेशक उसका मूल्यांकन करते हैं। ये सभी लोग इन वस्तुओं की जांच करते हैं और फिर हम इस प्रकार के यन्त्रों तथा हथियारों के लिए आदेश देते हैं। आप कोई अखबार या पत्रिका पढ़कर कह सकते हैं कि अमुक वस्तु अच्छी है या अच्छी नहीं है या खराब है। परन्तु रक्षा मंत्री होने के नाते मैं पत्रिकाओं में व्यक्त किए गए मतों पर निर्भर नहीं करता बल्कि अपने उन सेना अध्यक्षों की विशिष्ट सलाह पर विश्वास करता हूं जो कि उन उपस्करों के कार्य निष्पादन के

बारे में, जिनको खरीदने की वे सलाह देते हैं, जबावदेह है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम उनकी सलाह पर चलें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उनको भी पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए

श्री आर० वेंकटरामन : वे इन पत्रिकाओं को नहीं पढ़ेंगे; वे अन्य पत्रिकाओं को पढ़ेगे, यानी वे तकनीकी पत्रिकायें पढ़ेंगे।

अब हम इस मुख्य युद्ध टैंक, एम० बी० टी० का विकास कर रहे हैं। बहुत से सदस्यों ने इस टैंक की आलोचना की है। उन्होंने कहा है "सात वर्ष बीत गए हैं, आठ वर्ष बीत गए हैं, आपने कुछ नहीं किया।" वस्तुत: मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि श्री माधव राव सिंधिया जैसे सभी सूचनाओं से अवगत रहने वाले सदस्य ने यह कहा कि यह एकदम निराशाजनक असफलता है। में सभा को तथा सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि पश्चिमी जर्मनी को 'लेपार्ड' टैंक का विकास करने में 16 वर्ष लगे और अमेरिका को एक्स० एम० टैंक का विकास करने में 18 वर्ष लगे। आप मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं एक जादूगर की भाँति टैंक ऐसे बना दूं जैसे वह अपने टोप से खरगोश निकाल देता है। आप कहते हैं कि सात वर्षों में हमने कुछ नहीं किया। आप हमारे उन लोगों को नीचा दिखाते हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख है। वस्तुत: लगता है आप यह समझते हैं कि अनुसंधान और विकास कार्य स्वचालित मशीन से प्लेट फार्म टिकट खरीदने के समान है। आप छिद्र में सिक्का डालिए और कुछ बाहर निकाल लीजिए। इसके विपरीत आप काफी पैसा खर्च करके भी हो सकता कुछ प्राप्त न कर पायें। आप अधिक धन खर्च न करके भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं सभा को जो आश्वासन दे सकता हूं वह यह है कि हम एम बी टी टैंक पर लगातार कार्य कर रहे हैं और अन्य सभी क्षेत्रों में काफी सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

उदाहरणार्थ इसके 'ससपैंशन' को लेलीजिए : एम. बी. टैंक में हाईड्रो-न्यूमैटिक सस्पैंशन होगा। इससे तुलनात्मक रूप से सभी नवीनतम आधुनिकताएं होगी। अब हम इन सब बातों पर काफी कार्य कर रहे हैं और हमने धीमी प्रगति की है। हम इंजिन पर आकर अटक गए हैं। यह सत्य है कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि देश में इतने अधिक वैज्ञानिक तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, क्या आप इसको नहीं बता सकते;' यह सत्य हैं कि हमारे पास बहुत अधिक वैज्ञानिक हैं परन्तु हमारे देश में इन वैज्ञानिक विचारों को कार्यरूप देने के लिए औद्योगिक इंजीनियरिंग की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं यह देश की कमजोरी है और इसलिए हम इसको कर नहीं पा रहे हैं। समृद्ध यूरेनियम कैसे बनाया जाता है यह सभी को मालूम है। आपको केवल यूरेनियम को साँचे में 50,000 आर०पी०एम० की गति से घुमाना होता है औद यूरेनियम समृद्ध बन जाता है। यह सभी जानते हैं। विज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र जानता है। परन्तु ऐसा औजार कौन बनायेगा जो 50,000 आर० पी० एम० (प्रति मिनट) की गति से घूमेगा और इस प्रकार की इंजीनियरिंग का आविष्कार करेगा।? बात यह है हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। अत: ऐसे बहुत से देश हैं जो इसको नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत कम देश हैं जो इसको कर पाये हैं।

इसलिए यह वैज्ञानिक होने का ही प्रश्न नहीं है बल्कि यह विचारों को कार्य रूप में परिणित

करने के लिए आधारभूत सुविधाओं को औद्योगिक इंजीनियरिंग आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रश्न है। यही हमारे पास नहीं है। हम इस अन्तराल की पूर्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि वे उन लोगों को इंजिन का विकास करने के सबसे कठिन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कुछ और अधिक प्रोत्साहन दें बहुत कम देशों ने इंजिनों का विकास किया है। बहुत से देशों ने अन्य देशों से इंजिन खरीदे हैं। इसलिए एन० बी० टैंक बनाने के लिए पिछले नौ वर्षों से हम जो प्रयास कर रहे हैं उसको हम सभी से पूरा समर्थन मिलना चाहिए ताकि हम अत्याधुनिक टैंक के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।

हम एक इन्फैंट्री कम्बैट वाहन भी प्राप्त करने जा रहे हैं। पहले इसका आयात किया जायेगा और बाद में इसका निर्माण किया जायेगा। इसका कारखाना हैदराबाद के निकट मंडक में स्थापित किया जायेगा। हम टैंक निरोधक प्रक्षेपास्त्रों का भी निर्माण कर रहे हैं पहले इसको शुरू किया जायेगा और इसके बाद लाईसेंस देकर इसका उत्पादन किया जायेगा। इसके बाद हम अधिकाधिक कम्पयूटरों का प्रयोग करके सेना की संचार व्यवस्था का आधुनिकरण करेंगे। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम पहले ही बड़ी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब मैं दोबारा यहां प्रस्ताव लेकर आऊंगा, मेरा तात्पर्य रक्षा मन्त्री से है—यह श्री पाइलट के प्रश्न के एक भाग का भी उत्तर है—तो आप पूछ सकते हैं कि उन बहुत से कार्यों का क्या हुआ जो कि हमने करने के लिए कहा था। (व्यवधान)

जहां तक नौ सेना का सम्बन्ध है, 1978-79 में इसको 261·88 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी। आज 1983-84 में हमने 680 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं परन्तु नौ सेना पर किए गए इस खर्च से जहाजों तथा अन्य उपस्करों की वास्तविक प्राप्ति परिलक्षित नहीं होती। इसका कारण यह है कि जहाँ पर हमारा निर्माण कार्य होता है उसमें एक जहाज का निर्माण करने में समय लगता है। इसलिए हम जब कोई नई चीज शुरू करते हैं तो हम इस पर बहुत कम राशि खर्च करते हैं। दूसरे जब हम बाहर से जहाज खरीदते हैं तो हम उन्हें केवल 1/15वें हिस्से का ही भुगतान करते हैं। 1/15 भुगतान हम जहाज प्राप्त करने के दो वर्ष बाद करते हैं। इस प्रकार जो जहाज भौतिक रूप से हमारे अधिकार में है उसकी कीमत उस वर्ष के बजट में आबंटित की गई राशि से बहुत अधिक होती है। इसलिए जब आप कहते हैं कि बजट आबंटन 11 प्रतिशत या ऐसा कुछ है तो इससे उस वर्ष में हम जो जहाज तथा उपस्कर खरीदने जा रहे हैं। उनकी वास्तविक राशि परिलक्षित नहीं होती।

इसलिए आप इसका निर्णय इससे नहीं कर सकते, जबकि उदाहरणार्थ यदि आप गोला बारूद खरीदते हैं तो आपको पूरा भुगतान तुरन्त करना पड़ेगा। कुछ अन्य मामलों में आपको पूरी राशि का भुगतान तुरन्त करना पड़ता है। परन्तु नौ सेना के जहाजों के मामलों में भुगतान कई वर्षों में होता है, इसलिए उस वर्ष में आबंटित की गई राशि, उस वर्ष में प्राप्त की गई कुल परिस्थियों का एक छोटा सा भाग ही होगी।

अब मैं आपको जो कुछ हम प्राप्त करने जा रहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त में बतलाऊंगा। देशी निर्माण से हम प्रगतिशील फ्रीगेट्स— एस० एस० के० (सब मेटिन टू सबमेटिन किलर)

सबमेटिन तथा कोर्विट बनाने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं मजगाँव डोक्स द्वारा मिसाईल बोट्स, सीवार्ड डिफेंस बोट् तथा अन्य पोतों का उत्पादन किया जाएगा। एक सीवार्ड डिफैंस बोट बनाई जा चुकी है और नौ सेना को सौंप दी गई है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : रडार के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री आर० वेंकट रामन : मैं उस पर भी आऊंगा आप जल्दी में क्यों हैं ? आप यह नहीं जानना चाहते कि वर्तमान में क्या किया जा रहा है। हम माइन हन्टर्स, सर्वे बेसल्स टोरपेडो रिकवरी बैसल्स इत्यादि का उत्पादन करने जा रहे हैं। मैं आयातों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दूगा क्योंकि लोगों का झुंड आएगा और···(**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मिसाईल इजराईल से।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को इजराईली कीड़े ने काटा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : परन्तु जेठमलानी ने नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु गार्डन रीच वर्कशाप बुरी हालत में है।

श्री आर० वेंकट रामन : मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। जब मैं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के बारे में बोलूंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। हमारी अनुसंधान तथा विकास विंग ने देशी 'सोनार' प्रणाली का विकास किया है तथा प्रारम्भिक परीक्षणों मे उत्साह बर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। फ्लीट एयर आर्म के बारे में, हमारे पास छः आई लैंडर है जो कि अण्डमान में लगाए गए हैं। इससे उन क्षेत्रों में सर्वेक्षण की व्यवस्था हो जायेगी। जैसा कि आपको मालूम है हमारे पास एक विमान वाहक है और कुछ संख्या में हैरिपर्स भी प्राप्त कर रहे है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपके पास केवल एक ही विमान वाहक है।

श्री आर० वेंकट रामन : परन्तु इस क्षेत्र के अन्य राष्ट्रों के पास एक भी नही है हम ही केवल ऐसे हैं जिनके पास एक विमान वाहक है।

अपनी नौ सेना को मजबूत बनाने के लिए हमें मिसाईल फ्रीगेट्स, मिसाईल बोट्स, माईन स्वीपर्स इत्यादि प्राप्त करने पड़ेंगे तथा इन्हें प्राप्त करने का हमारा विचार है।हमने एपी एस ओएन सोनार प्रणाली विकसित की है और यह हमारे 'लेन्डर' वर्ग के फ्रीगेट्स में स्थापित किया गया है। हम आई० एल० 38 नाम का लोंगरेंज समुद्री गश्ती विमान लेने जा रहे हैं और इससे उन क्षेत्रों का पहरा देने में काफी मदद मिलेगी जो कि दूरस्थ क्षेत्र हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा एक और मुद्दा उठाया गया था और कुछ अन्य लोगों द्वारा भी दोहराया गया था कि हमें आणविक शक्तियुक्त सबमेटिन खरीदनी चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस बारे में कुछ साहस दिखाइए।

श्री आर० वेंकटरामन : मेरा उत्तर यह है कि हम इसका विकल्प रखेंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसका क्या अभिप्राय है कि वेंकट रामन का दिमाग विल्ली के दिमाग जैसा लगता है ।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : मैंने न केवल पनडुब्बियों अपितु सामान्य रूप से परमाण चलित जलयानों का उल्लेख किया था । क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर कि चर्चा की जा सके । जब मैं यह कहता हूं कि मैंने विकल्प अपने पास रखा है तो मेरा मतलब है कि इस विषय में अभी अन्तिम फ़ैसला नहीं हुआ है । यही मुझे कहना है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कल अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस में केवल यही समाचार होगा ।

श्री आर० वेंकटरामन : अब मैं वायु सेना पर आता हूं । मैं उन कुछ मुद्दों को लूंगा जो जो कुछ माननीय सदस्यो ने उठाए हैं । हम जगुआर प्राप्त कर चुके हैं । 40 तो हमने उड़ान भरने की स्थिति वाले खरीदे हैं, 45 को हम एसम्बल कर तैयार कर रहे हैं और 31 को हम कच्चे माल चरण में निर्माण करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद बन्द कर देंगे । उससे आगे हम नहीं बनायेंगे जिसका कारण यह है कि जब तक हम इनको बनाकर तैयार करेंगे तब तक नई किस्म विमान आ चुका होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे पुराने पड़ जायेंगे ।

श्री आर० वेंकटरामन : परन्तु अब तो वे 2000 ई० तक चलेंगे और आजकल तो जगुआर काफी दूर अन्दर तक जाकर मार करने वाला वायुयान है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप जनता पार्टी के निर्णय का समर्थन करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : परन्तु जनता का निर्णय आपका निर्णय नहीं है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं तो अपने ही प्रभाव में था ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अपनी उत्तरी सीमाओं का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं । जब तक हमारे पास दूर तक अन्दर जाकर मार करने वाले लड़ाकू जहाज नहीं होंगे हम उत्तरी क्षेत्रों में काफी आगे तक नहीं वढ़ सकते हैं । इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है ।

डा० सुब्राहमण्यम स्वामी : उत्तरी या पश्चिमी ?

श्री आर० वेंकटरामन : उत्तरी और उत्तरी-पूर्वी । (**व्यवधान**) मैं आपकी अनुपस्थिति में उस देश के बारे में बहुत कुछ कह चुका हूं जिसके प्रति आप इतना प्रतिबद्ध हैं ।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : शायद आप मजाक में कह रहे हैं । अन्यथा मुझे उठकर ऐसा उत्तर देना पड़ेगा, कार्यवाही वृन्तात में सन्मिलित नहीं किया जाएगा ।

श्री आर० वेंकटारामन : "प्रतिबद्धता" शब्द आपत्तिजनक नहीं है । यदि आप यह कहना चाहते हैं कि आप प्रतिबद्ध नहीं हैं तो हम ईसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल सकते हैं ।

एफ-16 के जवाब में हमारे पास मिराज-2000 है । इस बारे में भी मेरे माननीय मित्र डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी की सूचना पुरानी हैं । इन दोनों ही लड़ाकू वायुयानों का नवीनतम मूल्यांकन यह हैं कि ये भी एफ-16 के समान ही है और उनके मत के विपरित एफ-16 से कुछ मायनों में अच्छे है। इसका बहु आयामीय राडार होता है, जो कि ऊपर को उड़ता है और फायर नीचे को कर सकता है और नीचे को आता तो ऊपर को फायर कर सकता है उन्होने सदन को बताया है कि यह ऐसा नही कर सकता है । अब यह वायुयान हमारे वायु सैनिकों को यह विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया है कि जो कुछ दूसरों के पास है हमारे पास भी उसका जोड़ है और इसके लिए अनुबन्ध किए जाने के बाद हमारी वायुसेना में इस बात का काफी उत्साह और विश्वास जाग गया है कि आज हमारे पास कहीं अच्छा हवाई जहाज है यह विमान दुश्मन के विमानों का मुकाबला कर सकता है चाहे यह उसके विमान से अच्छा न हो ।

जहां तक निर्माण करने के विकल्प का सम्बन्ध है, हमने अभी निर्णय नही लिया है, उस पर बाद में निर्णय लेगें । यह कई कारणों पर निर्भर करेगा जिसमें सर्वाधिक महत्वपुर्ण कारण यह होगा कि हमें जो उपलब्ध होगा वह भावी वायुयान कैसा होगा । जैसा कि आप जानते ही है एफ-16 और मिराज का केवल चक ही इन्जन होता है यह सम्भव है कि कोई दो इन्जनों वाला वायुयान तैयार कर लें । अतः अभी इस पर कोई निर्णय लेना सम्भव नहीं है, यह इस प्रकार के वायुयान में भावी सुधारों पर निर्भर करेगा ।

इसके अतिरिक्त हमारे पास मिग की उन्नत किस्में हैं । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जबकि पाकिस्तान के पास एफ-16 या अन्यथा अमरीका के पास एफ-16 हैं, ब्रिटेनवासियों के पास जगुआर और रूसियों के पास मिग है तो हमारे देश में ये तीनों ही है ।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : मैं आशा करता हू कि आप पाइलटों को भ्रम में नहीं डालेगे ।

श्री आर. वेंकटरामन : मुझे पक्का विश्वास है कि यह डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे व्यक्ति को तो चक्कर में डाल सकता है परन्तु चालकों को नहीं उनकी प्रत्येक की अपनी चारित्रिक विशिष्टता है । अतः भ्रम में डालने का तो प्रश्न हीं नहीं है । एक दूर तक मार करने वाला है, दूसरा फुर्तीला वायुयान है और तीसरा लड़ाकू विमान है । अतः विशेष परिस्थियों में प्रत्येक की आवश्यकता पड़ती है। इसलिये किसी के मस्तिष्क में भ्रम होने का प्रश्न ही नही उठता है। और हमारे पास हवा-से-हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रऔर जमीन से हवा में मार मरने वाले प्रक्षेपास्त्र हैं तथा निश्चय ही हवा से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र आदि है ।

एक मुद्दा परिवहन विमान के बारे में उठाया गया था । यह सच है कि हमारे पुराने वायुयान, विशेषकर परिवहन वायुयान कम उपयोगी होते जा रहे है और पुराने पड़ गए हैं । अब यह स्थिति है और हम परिवहन के लिए ए एन-32 वायुयान खरीदने वाले हैं और हमें आशा है कि अगामी दो वर्षों में हम अपने परिवहन बेड़े में आगे वृद्धि कर सकेंगे ।

अब मैं इसके अनुसंधान और अभिकल्पन पर विचार करता हूं । श्री स्वामी ने कहा था कि तीनों सेवाओं में इलेक्ट्रानिक का अभाव चल रहा है । मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि यह कहना सही नहीं है कि हमारी नौसेना के पास घटिया किस्म के राडार हैं और वे उन्नत इलेक्ट्रानिक चुनौतियों से निपटने में असमर्थ हैं यह बिल्कुल गलत बात है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : फिर सही क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए ।

श्री आर० वेंटकरामन : यदि श्री स्वामी को राडारों के बारे में कुछ भी पता है तो वह जानते होंगे कि यदि दूसरी ओर वालों को आवृति की पता चल जाये तो वे इसे जाम कर सकते हैं, वे इसे खराब कर सकते हैं । अतः, आप मुझे वह सब कुछ बताने के लिए प्रेरित न कीजिए, जो कुछ हमारे पास है । वास्तव में हम उन्नति कर रहे और दौड़ में पीछे नहीं हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको चीन की फिक्वेन्सीं बता सकता हूं । आप फ्रिक्वेन्सियों एक बैंड को जाम करेंगे तो संयोग से ही यह आपको मिल पायेगी ।

श्री आर० वेंकटरामन : हम विभिन्न प्रकार के राडारों पर काम कर रहे हैं और मेरे पास उनका पूरा ब्यौरा है, परन्तु मैं आपको बताऊंगा नहीं । यदि आप मुझ पर विश्वास करें, यदि आप सरकार पर विश्वास करें तो मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को राडारों के मामले में गलत सूचित किया गया है । मुझे केवल यही कहना है ।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : परन्तु आप यह केसे कह सकते हैं कि कुछ भी पकड़ से नहीं बच पायेगा ? उस सीमा तक हम राडरों के बारे में तैयार हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि उतनी आधुनिक नहीं हैं ! हमने स्वदेश में विकसित एक वायुवाहित/विमानवाहित पहचान प्रणाली, आई एफ एफ पहचान, मित्र या शत्रु—पर कार्य किया है । हमने यह किया है और इसे अपने वायुयान में रखा है । समुद्र के अन्दर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों का पता लगाने के लिए हमारे पास निगरानी और खोज करने वाले राडार भी हैं । जब मैं इस पर आऊंगा तो इस पर अलग से विचार प्रकट करूंगा ।

जहां तक मुख्य राडार का सम्बन्ध है, अनुसंधान और विकास विभाग कई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है । युद्ध क्षेत्र निगरानी राडार, युद्ध क्षेत्र तो परवाना राडार, बहु-आयामीय राडार और माध्यमिक निगरानी राडार, आई एफ एफ । इसलिए मैं सदन को सूचित कर देना चाहता हूं कि जो कुछ श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है उससे उन्हें गुमराह नहीं होना चाहिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप इस वादविवाद के बाद मेरा कोर्ट-मार्शल करने जा रहे हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : यदि आप मेरी सेवाओं में होते तो मैं बहुत पहले कर चुका होता !

डा सुब्रह्मण्यम स्वामी : उसके लिए भगवान का धन्यवाद देगा ।

(व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक प्रक्षेपास्त्रों का सम्बन्ध है, हम टैंक-रोधी प्रक्षेपास्त्र विकसित कर रहे हैं । (व्यवधान) और हम निम्न स्तरीय तथा तीव्र प्रक्रिया करने वाले प्रक्षेपास्त्र भी विकसित कर रहे हैं । हम इन दो प्रक्षेपास्त्रों पर कार्य कर रहे हैं ।

जहां तक 'एयरों-इंजनों' का सम्बन्ध है, हम जी. टी. एक्स पर कुछ वर्षों से कार्य कर रहे हैं । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमने इसमें सफलता प्राप्त नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस पर कार्य कर रहे हैं । हम यह आशा करते हैं कि हमें कुछ सफलता प्राप्त होगी । वास्तव में यदि आप ब्रिटेन तथा अमरीका में विकसित किये गए एयरों—इंजनों का इतिहास देखें । तो आप पाजोयार्क इनके विकास में 12 से 20 वर्ष लगते हैं और उसमें अन्य विकसित देशों का सहयोग लिया गया है । अत: मेरा अनुरोध है कि आप धैर्य रखें और रातो-रात परिणामों की अपेक्षा न करें ।

मैं अपने आयध कारखानों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । आयुध कारखानों के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है । वर्ष 1978-79 में 556 करोड़ रु० के मूल्य का उत्पादन हुआ था जो 1981-82 में बढ़ाकर 789 करोड़ रुपये हो गया । और चालू वर्ष में अनुमान 860 करोड़ रु० के मूल्य का उत्पादन होने का अनुमान है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि आप ईशापुर तथा कासीपुर आयुध कारखानों का आधुनीकीकरण कब कर रहे हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : आप मुझे एक पत्र लिखिए । मैं आपको एक विस्तृत उत्तर दूंगा ।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : एक प्रति मुझे भी भेजी जाए ।

श्री आर वेंकटरामन : मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उत्पादकता से सम्बन्धित बोनस उन लोगों को दे दिया गया है । 1980-81 में उनको 24 दिन का बोनस दिया गया है इससे पूर्व 15 दिन का बोनस तदर्थ आधार पर दिया गया था । 1981-82 में उनको उत्पादकता के आधार पर 25 दिन का बोनस दिया गया है और इस वर्ष 1982-83 में उनको उत्पादकता के आधार पर 29 दिन का बोनस दिया गया है । उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि उनके उत्पादन में वृद्धि हो रही है और उनका कार्य-निष्पादन बहुत ही अच्छा है । हम 130 एम एम गोलाबारूद 23 एम. एम. तोप गोलाबारूद का उत्पादन कर रहे हैं । और हम मेडक में आर्मरज पसर्नल कैरियर स्थापित करने जा रहे हैं ।

जहां तक सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का सम्बन्ध है, उनमें भी नियमित सुधार हुआ है। एच. ए. एल. बी. ई. एल., बी. ई. एम. एल., तथा एम. डी. एल. सभी लाभ अर्जित कर रहे हैं। तीन इकाइयां जिन्हें घाटा हुआ है वे हैं गार्डन रीच, दी भारत डाइनामिक्स तथा 'मीधानी'। जहां तक गार्डन रीच का सम्बन्ध है, इसने शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया को इतने कम मूल्य पर जहाजों को सप्लाई करने का एक अनुबन्ध किया, जिस मूल्य पर सेलिंग बोत को भी तैयार नहीं की जा सकती इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक घाटा हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इसका संचित घाटा अधिक बढ़ गया है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छे शिवयार्डों में से एक है। यह बहुत ही बड़े जाहाजों को बनाने की क्षमता रखता है। हम इसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है हमें प्रबन्ध व्यवस्था में ही परिवर्तन करना पड़े। हम उसको सुधारेंगे हम यह चाहते हैं कि यह लाभप्रद बने। दी भारत डाइनॉमिक्स और 'मीधानी' विशेषतः आधुनिकतम कार्य कर रही है। हम यह नहीं कह सकते कि वे लाभ अर्जित करेगी। 'मीधानी' ने कन्चन कवच का उत्पादन करने की योजना तैयार की है। अतः उनके द्वारा नये तथा नवीनतम कार्य करने के परिणामस्वरूप जो परिणाम सामने आये हैं वास्तव में एक पारितोषक के रूप में देखना चाहिए। मुझे खेद है कि मैंने अधिक समय ले लिया है। माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए कुछ मुद्दों में संक्षिप्त में विचार करूंगा। निःसंदेह मुझे इस सम्बन्ध में बहुत थोड़ा ही कहना है क्योंकि इसमें से अधिकतर को मैंने अपने सामान्य उत्तर में जवाब दे दिया है। मुझे खेद है कि कुछ देर पूर्व शिपिंग कारपोरेशन कह गया था। वह अनुबन्ध मुगल लाइन्स से किया गया था न कि शिपिंग कारपोरेशन के साथ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इससे पूर्व कि नीति के विषय में विस्तार से बतायें, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। हम रक्षा पर अत्यधिक धन खर्च कर रहें हैं। हम आयातित मदों पर कितना खर्च कर रहे हैं। और अपने देश में हथियारों के उत्पादन पर खर्च कर रहे हैं। हम कितनी धनराशि का आयात कर रहे हैं ? यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मैंने वह प्रश्न कुल आयात के बारे में उठाया था।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहिए।

श्री आर० वेंकटरामन : यदि आप कोई प्रश्न पूछेंगे, तो मैं उसका विस्तार से उत्तर दूंगा। यदि आप कोइ प्रश्न पूछेंगे तो हम पूरा ब्यौरा देंगे। आअ अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इससे आसानी रहती है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : नहीं, यह बहुत कठिन है। (**व्यवधान**)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैंने आपको इतना बचाव करते कभी नहीं देखा। आप हमेशा ही अच्छी जानकारी देते हैं। आप अब भी दे सकते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन यह जानकारी एकत्रित करनी होगी।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : मैंने यह प्रश्न कुल आयात विवरण के बारे में उठाया है।

श्री आर० वेंकटरामन : यह इस समय नहीं दी जा सकती। इसे विभिन्न एजेन्सियों से एकत्रित करना होगा। इसलिए मैंने यह कहा है...

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या आप इसको सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री आर० वेंकटरामन : ठीक है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको सभा पटल पर रखे।

श्री आर० वेंकटरामन : जी हाँ।

डा० सुब्राह्मण्तम स्वामी : अब आपको सुविधा हो।

श्री आर० वेंकटरामन : लेकिन हम इस बात का विवरण नहीं देंगे कि हमने इनको कहां से आयात किया (**व्यवधान**) हम इसका विवरण नहीं देंगे, कि हमने क्या आयात किया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : नहीं, नहीं। डा० स्वामी विश्वास के साथ यह बता रहे हैं कि आप इजराइल से आयात कर रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : हम उन सभी बातों का विवरण नहीं देगे। हम केवल यह बतायेंगे कि कुल कितने मूल्य की वस्तुओं को हम आयात कर रहे हैं। उसको हम निश्चय ही बतायेंगे।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : बिल्कुल ठीक हैं।

श्री० आर० वेंकटरामन : डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी ने यह कहा है कि "सी स्कीनिग मिसाइल्स" के विरुद्ध हमारे पास रक्षा का कोई साधन नहीं है उनके मन में 'एक्सोसेट' की बात है। हमारे पास लम्बी दूरी की मिसाइल का पता लगाने के लिए चार मौलिक प्राणलियां हैं। एक मिसाइल के द्वारा दूसरी मिसाइल को नष्ट करना। एक इलैक्ट्रानिक प्रणाली द्वारा मिसाइल को इसके लक्ष्य से फंसाना।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : मैं उसे नहीं जानता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : इसके अतिरिक्त बहुत ही रेपिड फायर गन्स अर्थात्, शीघ्रता से फायर करने वाली बन्दूकें हैं। जो मिसाइल के लक्ष्य पर पहुंचने से पूर्व हमला नहीं कर सकती है। मुझे आशा है कि आप इससे संतुष्ट होंगे।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : मैं इसका प्रदर्शन देखना चाहता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : आपको नहीं। (**व्यवधान**) यदि आप स्वयं को एक लक्ष्य के रूप में खड़े हों, तो मुझे प्रदर्शन कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वह एक अन्य लक्ष्य के रूप में होंगे ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, उसको मिसाइल के रूप में इस्तेमाल कीजिए और फिर आप देखना कि.....(**व्यवधान**)

श्री आर० वेंकटरामन : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने हिन्दुस्तान मोनार्क के बारे में एक प्रश्न पूछा है । इसकी कोई बात नहीं है । मुझे खेद है कि आपने...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने कई प्रश्न पूछे हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने उन सभी का उत्तर दिया है । यदि आप कल मेरे द्वारा दिए गए उत्तर देखेंगे, तो इसका उत्तर आपको उसमें मिल जाएगा । कृपया आप उसको पढ़िए ।

डा० सुब्राह्मण्यम : आप सोवियत संघ से आयात क्यों नहीं करते हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने जो कुछ कल कहा था, मैं उसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि भारत की आखण्डता को चुनौती दी गई है इसलिए मैंने यह सूचना दी है अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । हमें लगभग 6 लाख ऐस गोलों की आवश्यकता है । आयुध कारखानों की 4.8 लाख गोली के उत्पादन करने की स्वीकृत क्षमता है । इसमें 1.2 लाख का अन्तर है । तथा डी. जी. टी. डी. ने इन गोलों का निर्माण करने के लिए अन्य को लाइसेंस दिए हैं और इसका अपने देश में निर्माण करने के उद्देश्य से मशीनरी का अयात करनेकी अनुमति दी गई है । मशीनरी आयात करने के लिए इसीप्रकार लाइसेंस दिए जाते हैं । अत: अन्तर रहने के कारण हमें इसको दूसरों से खरीदना पड़ा । हमने सबसे कम भाव भेजने वाले से खरीदा है ।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : आपको इसे सोवियत संघ से प्राप्त करना चाहिए था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार से यह एक नई मद नहीं है । यह 105 एम. एम. बन्दूकें के निर्माण के लिए है । निश्चय ही यह कोई नई वस्तु नहीं है ।

श्री आर० वेंकटरामन : नही । मैंने ऐसा नहीं कहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका तात्पर्य यह है कि अपने देश में निर्माण करने की क्षमता मौजूद है ।

श्री आर० वेंकटरामन : जी हां 4.8 लाख की (**व्यवधान**) ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इतने वर्षों से इसका उपयोग करते आ रहे हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : कृपया बैठ जाइए । मैंने जो कुछ कहा है, उनको दोबारा स्पष्ट कर दूँगा ।

हम कभी ऐसे आंकड़े नहीं देते हैं । क्योंकि आपने इसे उठाया है, इसलिए मैं दे रहा हूं । जरूरत 6 लाख की है, जबकि क्षमता केवल 4.8 लाख की ही है । मतलब यह कि देश को

1.2 लाख और खेलों की आवश्यकता है। कुछ निजी लोग इन खेलों के निर्माण के लिए मशीनरी के आयात हेतु लाइसेंस लेने के लिए डी. जी. टी. जी. गये। इसमें रक्षा मंत्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं है। लाइसेंस लेने के पश्चात्, उन्होंने कहा कि वे टेन्डर के अनुसार 1.2 लाख की सप्लाई करेंगे और जो टेन्डर हमने स्वीकार किया था, वह कम दरों के लिए था।

यहां मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय में हम एजेन्टों की मार्फत सौदा नहीं करते हम केवल मूल पार्टी से ही सौदा करते हैं। असल में, अगर कोई कहता है कि वह किसी का एजेन्ट है तो हम उससे सौदा ही नहीं करते हैं। हम केवल मूल पार्टी, वास्तविक निर्माता से ही सौदा करते हैं। हम एजेन्टों से सौदा नहीं करते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : भ्रान्ति उस समय पैदा होती है। जब आप उन फर्मों से सौदा करते हैं जिनके नाम काली सूची में होते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : यह काली-सूची में दर्ज वाली फर्म नहीं थी। आप नई बातों की कल्पना कर लेते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस फर्म का नाम सोवियत संघ में काली-सूची में दर्ज था।

श्री आर वेंकटरामन : आपकी कुछ पूर्वधराएं हो सकती हैं। जैसा कि मैंने कल भी सदन में कहा था, मैं कुछ वित्तीय नियमों से बंधा हुआ हूं। वित्तीय नियमों के तहत मैं सबसे कम दर वाले निविदाकर्ताओं से ही खरीदसकता हूं। और मैंने ऐसा ही किया है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि आप बेकार में ही बहस कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कम्पनी की कोई फैक्ट्री है, क्या इसकी कोई अपनी निर्माण की इकाई है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने जो कल भाषण दिया था, कृपया उसे पढ़े। मैं दोबारा, वही सारी बातें नहीं कह सकता। मैंने कल सारी बातें बता दी थीं। कल मैंने अपने वक्तव्य में यह सारी बातें बता दी थी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप शायद यह सोच रहे होंगे कि हम व्यर्थ में ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हम इन्हें सिद्ध कर देंगे। हमने माननीय अध्यक्ष से निवेदन किया है कि इस पर पूरी-चर्चा करने की अनुमति दी जाए।

श्री आर० वेंकटरामन : आप गढे-मुर्दों को पुनःजीवित करने की कला में माहिर हैं। मुझे खेद है कि अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि केवल इसी कला तक सीमित है।

मैंने पहले ही विजयन्त टैंक के बारे में, जिसका कि इन्होंने प्रश्न उठाया है, जिक्र किया है और मैंने कहा है कि कंचन कवच इस पर लगाया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक संयुक्त कमांड अर्थात तीनों सेनाओं का एक हों रक्षा चीफ बनाने की बात कही है। दूसरे सदन में चर्चा के समय, मैंने स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया

है। विश्व के कुछ देशों में एक ही कमांड और एक ही रक्षा चीफ की प्रणाली है जबकि कुछ अन्य देशों में हमारे देश की तरह संयुक्त समन्वित कमांड है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वह प्रणाली अच्छी है, कुछ कह सकते हैं कि यह प्रणाली अच्छी है। यहां तक कि अमेरिका में जहां एक ही समन्वित कमांण्ड है, वहां भी अब यह धारणा बनती जा रही है कि यह वास्तव में सबसे अच्छी प्रणाली नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह खतरनाक है।

श्री आर० वेंकरामन : खतरनाक नहीं है। वे कहते हैं कि यह सबसे उत्तम नहीं है। इस इस तरह की धारणा बन रही है, और कोई भी यह नहीं कह सकता कि कौन सी प्रणाली सही है। मैंने किसी भी बैठक में या कहीं भी यह मत व्यक्त नहीं किया है कि मेरा मत सही है या इसी प्रकार की अन्य बात नहीं कही है। मैंने मात्र इतना कहा है कि घटनाओं और समय की कसौटी पर हमारी प्रणाली खरी उतरी है। 1965 और 1971 में हमने दो युद्ध लड़े और इस प्रणाली ने सही प्रकार से कार्य किया है, इसलिए जैसा मैंने कहा कि जब तक कि हम इस तंत्र को बदलने के लिए मजबूर न हो जएं, हम इस प्रणाली को नहीं बदलेंगे। इसलिए मैं नहीं समझता कि मात्र इस लिए किकुछ क्षेत्रों में यह धारणा है कि एक समन्वित कमांड अच्छी होती है, इसलिए हम इस प्रणाली को बदल दें जो कि इतने वर्षों से हमारे देश में सही प्रकार से चल रही है।

श्री राजेश पाइलर ने कई बातों का जिक्र किया, खासकर सामान ढोने वाले हवाई जहाजों जगुआर और मिराज आदि का। मैंने प्रत्येक के बारे में बताया है और मैंने परिवहन हवाई जहाजों के बारे में भी कहा है कि हम कैसे ए एन-32 इनमें शामिल कर रहे हैं। हम शीघ्र ही पैकेट और उकोटा को भी बदल रहे हैं। उन्होंने 105 फील्ड तोपों का भी जिक्र किया है। मैं उन्हें सूचना देन चाहता हूं कि हमने अपने देश में ही इसके निर्माण की क्षमता प्राप्त करली है और हम नियमित रूप से 105 भारतीय फील्ड तोपों की भारी मात्रा में निर्माण कर रहे हैं।

जहां तक विजयंत्र टैंक का प्रश्न है, हम इसके लिए कई एक इंजनों का परीक्षण कर रहे हैं जैसे लेलैंड, किर्लोस्कर, रोल्स रोयसे आदि। कुछ परीक्षणों के बाद हम इस बात का फैसला करेंगे कि कौन सा इंजन इसके लिए सही है।

प्रो० नारायण चन्द परशर और श्री उत्तम राठौर ने भर्ती से सम्बन्धित मामलों को उठाया है। आंकड़ों से मुझे पता चला है कि सेना में भर्ती सम्बन्धी नीति में परिवर्तन के बावजूद विभिन्न राज्यों से भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में कोई विशेष अन्तर नहीं आया है। असल में आप पायेंगे यह संख्या करीब-करीब बराबर है। यह बहुत भिन्न नहीं है। परन्तु इस नीति में परिवर्तन करना जरूरी है क्योंकि भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि "हम सैनिक जाति से सम्बन्धित हैं, इसलिए हमें वरीयता मिलनी चाहिए।" जो भी सक्षम है, जिसकी रुचि है और बहादुर है उसे हर परिवार की सुविधा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसकी जांच भरती के जरिए की जाती है। लेकिन हमें यह नही कहना चाहिए कि इसे कुछ लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। सेना में भर्ती सबके लिए खुली होनी चाहिए और चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए और यही किया जा रहा है। इससे किसी को कोई खास हानि नहीं हुई है। मेरे पास जो आंकड़े हैं, मैं उन सबका यहा जिक्र नहीं

करना चाहता।

अगर आप चाहते है तो मैं एक दफा फिर आंकड़े देकर यह स्पष्ट कर दूंगा। मिसाल के तौर पर, हरियाणा को ही लें। नई नीति से पहले, यहां से 6.60% भर्ती की जाती थी। नीति के बाद यह 8% है। इसमें कमी नहीं आई है, इसमें वृद्धि हुई है। क्योंकि प्रतिभा वाले लोग आगे आ रहे हैं। हम किसी खास वर्ग के लिए सब कुछ इसलिए आरक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक बहादुर-जाति है।

प्रो० एन० जी० रंगा : अति उत्तम।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : बंगाल और केरल के बारे में क्या है ?

श्री आर० वेंकटरामन : अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास जितने आँकड़े हैं वे सब दे देता हूं।

डा० सुब्रह्मन्यम स्वामी : जब से मार्क्सवादी आये हैं, बंगालियों ने अपनी ताकत खो दी है।

श्री राम सिंह यादव : जो जातियाँ और वर्ग विद्यमान हैं; उनके बारे में क्या मत है ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं यह आँकड़े दे रहा हूं। केरल में यह 4.73% था, जो कि बढ़कर 5.63% हो गया है।

किसी भी व्यक्ति, में अगर प्रतिभा है तो उसे इस नीति से नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तामिलनाडु के बारे में बतायें ?

श्री आर० वेंकटरामन : शायद तमिलनाडु को इसमें कोई प्रति रुचि नहीं है, जब मैं और आप तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कर रहे है तो आप क्या कर सकते हैं ? **(व्यवधान)**

अभी हमने एक जाति की यूनिटें रखी हुई हैं, जेसे जाट रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट, लेकिन यह भी सिर्फ इन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है। अब इसमें दूसरे लोग भी शामिल किये गये हैं। केवल नाम ही रखा गया है।

श्री जक्कायान ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते समय कुछ गलतियाँ की है। उन्होंने सोचा कि सरकारी उपक्रमों का लाभ, करों के लिए किये जाने वाले प्रावधानों के बिना 61 करोड़ रु० था, जो कोई भी यह जानता है कि तुलना पत्र कैसे बनाया जाता है, वह यह भी जानता है कि पहले ब्याज और मूल्यह्रास घटाने के बाद बनाई जाती है। इसलिए यह 61 करोड़ का लाभ, इनके लिए प्रावधान रखने के बाद है

वी० ई० एम० एल० हमारी सेना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है क्योंकि ये लोग हमारी पैदल सैना के लिए लड़ाकू वाहनों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली प्रदान करते हैं।

श्री इन्नान मोल्लाह ने कई बार मुद्दे उठाये हैं। लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बोनस के बारे में है। रक्षा के कुल 5,50,000 कर्मचारियों में से दिशानिदेश के अनुसार, 1,96,000 कर्मलाख लोग निर्माण यूनिटों में और 1,18,000 कर्मचारी मरम्मत और आयुद्ध आदि में कार्यरत हैं। इन सभी 3·14 लोगों को बोनस मिलता है। तर्तमान नियमों के अनुसार बाकी 2.36 लाख कर्मचारी बोनस के हकदार नहीं हैं, लेकिन मामले पर विचार किया जा रहा है और अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उन्होंने विमान दुर्घटनाओं की भी चर्चा की है। यहां, जहां, हम सभी उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं. वहाँ मैं दुःख से यह स्वीकार करता हूं कि वर्ष 1982-83 में विमान दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। सरकार ने इस सम्बन्ध में 'लाकोन्टेनी समिति' का गठन किया है, जो इस मामले पर विचार करेगी। असल में हमने जून-जुलाई में ही इसका निणंय ले लिया था और हमने समिति का गटन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। हमें अवश्य ही यह मानना चाहिए कि इस वर्ष दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। लेकिन हम इस स्थिति से बचने के लिए कदम उठा रहे हैं और समिति की सिफारिशों के अनुसार अमल करने की कोशिश कर रहे हैं।

अब मैं अपने लम्बे भाषण के अन्त में पहुँच गया हूं...

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप जो कुछ बताना चाहते थे, उससे कहीं अधिक आपने बता दिया है।

श्री आर० वेंकटरामन : आखिर में मुझे माधवराव सिंधिया द्वारा उठाए गए मामलों पर बोलना है। उन्होंने सशस्त्र सेनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को सुविधायें आदि दे के बारे में कई बातें कही हैं। थल सेना और जल सेना के बारे में अन्य मामलों पर मैंने सामान्य रूप से इन विभिन्न मामलों के बारे में चर्चा की है। मुख्य बात जो उन्होंने कही है वह है सशस्त्र सेनाओं को सुविधाएं देना। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि सशस्त्र सेनाओं को अच्छी से अच्छी सुविधा देने में, मैं किसी से कम नहीं हूं हमारे रक्षा इतिहास में पहली बार उनको एक मुश्त में 31 करोड़ रुपये की सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही चीफ आफ स्टाफ से हमें जो सुझाव प्राप्त होंगे हम उनको धीरे-धीरे क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे ताकि किसी एक विशेष वर्ष में ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े। भिन्न-भिन्न बातो पर जोर दिया जाता है कुछ लोग किसी खास प्रकार के फायदे चाहते हैं, जबकि अन्य किसी दूसरे प्रकार के कौन से लाभ दिए जाएं, इनको बड़े ध्यान से चुनना होता है। जब मैं दूरस्थ सीमावर्ती स्थलों पर गया तो मेरे ध्यान में मुफ्त राशन और पृथक्करण (सेपेरेशन) भत्ता देने की बात आई।

जब मैं इन लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि वे सबसे अधिक जिस बात को चाहते हैं वह है राशन। युवा अधिकारियों ने कहा कि यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। अतः इससे मुझे इस बात का आभास हुआ कि उनकी सेवाओं की सामान्य हालतों में वास्तविक रूप से सुधार में सहायक होगा। हम इन सभी बातों पर ध्यान देंगे। मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि हम उनकी आवश्यकताओं पर लगातातार नजर रखेंगे।

अन्तिम मुद्दा जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वह पेंशन का प्रश्न है। दुर्भाग्य से पेंशना मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है। यह मामला वित्त मन्त्री का है और इसका प्रभाव सरकारी नौकरी में सभी पर पड़ता है और जो भी निर्णय लिया जाएगा वह पूरी सरकार के सभी लोगों पर लागू होगा। यह केवल रक्षा सेनाओं पर ही लागू नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में बहुत ही गम्भीर बातें अन्तर्ग्रस्त हैं और उन पर विचार किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि जब आप वित्त विधेयक पर चर्चा तथा वादविवाद करेंगे तब आपको अपने मुद्दे को अधिक प्रभावी ढग से उठाने का पर्याप्त अवसर मिलेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : नौसेना अकादमी।

श्री आर० वेंकटरामन : मेरे पास हैं।

डा० कर्णसिंह : क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय को मानेगी।

श्री आर० वेंकटरामन : डा० कर्णसिंह मुझसे पूछते हैं, क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना बन्द कर दिया ?···(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं इसको कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूं। कृपया इसको रिकार्ड मत करिए।

श्री माधवराव सिंधिया : मैंने दो महत्वपूर्ण बातें उठायीं हैं। क्या आपने सेना का अपना हेलीकाप्टर विंग बनाने के बारे में निर्णय ले लिया है, जो कि अत्यन्त आवश्यक है। क्या आपने निर्णय ले लिया है या यह विचाराधीन है ?

दूसरे ग्रामीण भूतपूर्व सैनिकों की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

श्री आर० वेंकटरामन : अगली मद भूतपूर्व सैनिक हैं। मेरे पास ये सभी मुददे हैं मैं उन सभी के बारे में बतलाउंगा ताकि लोग उठकर प्रश्न न पूछ सकें। एक भूतपूर्व सैनिक है, दूसरा नौसेना अकादमी और तीसरा हैलीकाप्टर···

डा० कर्णसिंह : फिर पेंशन का राशिकरण।

श्री आर० वेंकटरामन : पेंशन पर मैं कुछ नहीं कह सकूंगा क्योंकि यह ऐसा मामला है जिससे पूरी पेंशन व्यवस्था प्रभावित होती है और इस मुददे पर केवल वित्तमन्त्री ही निर्णय ले सकेंगे ···(**व्यवधान**) आप इसको उठा सकते हैं आप भी संसद के वैसे ही सदस्य हैं जैसा कि मैं···

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : नए रंगरूटों की कुशलता।

श्री आर० वेंकटरामन : वह मेरा अन्तिम मुद्दा होगा।

अब जहां तक भूतपूर्व सैनिकों का सम्बन्ध है हमने उनको एक महत्वपूर्ण रियायत दे दी जिससे उन्हें बड़ी सहायता मिलेगी ओर वह यह है कि अब तक ऐसा होता था कि उनको पुनः

**कार्यवाही वृतान्त सम्मिलित नहीं किया गया।

रोजगार प्राप्त कर लेने के बाद मिलने वाले वेतन से उनकी पेंशन काटी जाती थी। मान लीजिए कोई व्यक्ति 120 या 150 रु० पेंशन ले रहा है और उसको 400 रु० का रोजगार मिल गया तो उसकी पेंशन को काट लिया जाता था और उसको केवल 280 रु० ही मिलते थे। कोई भी 280 के अल्प वेतन पर 30 दिन तक कार्य नहीं करना चाहता था। इसलिए यह उनके लिए काम करने तथा उनके भावी रोजगार के लिए प्रोत्साहनकारी नहीं था। हमने यह निर्णय लिया है कि 250 रु० तक कोई कटौती नहीं की जाएगी अर्थात उन्हें उनकी पेंशन तथा पुन: रोजगार प्राप्त करने पर मिलने वाला वेतन दोनों पूरे मिलेंगे। यह एक बड़ी छूट है

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : 250 रुपये तक के वेतन पर अथवा पेंशन पर ?

श्री आर० वेंकटरामन : 250 रुपये तक की पेंशन।

इसकी बड़ी प्रशंसा की गयी थी और इसकी प्रशंसा के मुझे बहुत से पत्र मिले हैं। वस्तुत कनिष्ठ कमीशनर प्राप्त अधिकारियों तक इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक बुलाई है हमने राज्य सरकारों से अपनी इस घोषित नीति कि 14%, 12% आदि का आरक्षण होना चाहिए, को कार्यान्वित करने के लिए निवेदन किया है। परन्तु दुर्भाग्य से राज्य इसका पालन नहीं कर रहे हैं। हमने एक निगरानी कक्ष की स्थापना की है। मेरे साथी राज्य रक्षा मन्त्री श्री के० पी० सिंह देव ने विभिन्न बातों का पूरा विश्लेषण किया है। वस्तुत: वे अधिक कुशल हैं···मुझे बताया गया है कि जे० सी० ओ० तथा उनसे निचले स्तर के सैनिको की समूची पेंशन मुक्त रखी गई है और यह 250 रुपये की शर्त केवल अधिकारियों के लिए है। जे० सी० ओ० और निचले स्तर के सैनिकों की समुची पेंशन मुक्त रखी गयी है। वस्तुत: मेरे साथी ने उन सभी कार्यों के जो हमने भूतपूर्व सैनिकों के हित में किए हैं ब्यौरे देकर एक बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। उन्होंने मेरा कार्य आसान कर दिया है। मुझे उसी विषय पर दोबारा नहीं बतलाना होगा। वास्तव में वे मुझसे भी अच्छी जानकारी रखते हैं उनके कार्य निष्पादन से आप आश्वस्त हो गए होंगे कि समय आने पर आपको दूसरे रक्षा मन्त्री का अभाव नहीं होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यह इशारा है ?

श्री रतन सिंह (राजदा) बम्बई दक्षिण : मैं समझता हूं कि मन्त्री मंडल में कोई फेर बदल नहीं किया जा रहा ···

श्री माधव राव सिंधिया : मैं माननीय मन्त्री को याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ समय पहले यही बात श्री मगन भाई बरौट के बारे में भी कही थी।

श्री आर० वेंकटरामन : शेक्सपीयर ने कहा है प्रिय ब्रुटस दोष हमारे ग्रहों में नहीं हम में है, हम उनके मातहत हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आशा है कि लेडी मैक बैथ से उद्धृत नहीं करेंगे। श्री आर० वेंकटरामन जहां तक हैली काप्टर विंग से सम्बन्धित मुद्दा है सरकार का फिलहाल वर्तमान

व्यवस्था में परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो व्यवस्था हमारे पास है वह सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही है। इस मामले में व्यवस्था तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को करनी है और मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हू कि जहां तक रणनीति का सम्बन्ध सेनाध्यक्ष सर्वोच्च है। जहां तक नीति का सम्बन्ध है वहाँ पर हम तस्वीर में आते हैं इसलिए इस सम्बन्ध में तीनों सेनाध्यक्षों को साथ मिलकर हमसे सिफारिश करनी चाहिए और हम इसे स्वीकार कर लेंगे। परन्तु यदि वे साथ आकर सिफारिश नहीं करते तो कृपया मुझे ऐसे मामले में निर्णय लेकर जिसमें मुझे कोई सक्षमता नहीं है परेशानी की हालत में मत डालिए। मुझे स्वीकार करता हूं कि मुझे ऐसी सक्षमता प्राप्त नहीं है।

इसके बाद मैं अन्तिम मुद्दे नौ सेना अकादमी पर आता हूं। मैंने अपने पूरे प्रयत्न करके नौसेना अकादमी केरल को दी, परन्तु बहुत से टेलीग्राम ऐसे मिल रहे हैं जिनमें कहा गया है कि हमें यह नहीं चाहिए। इसमें कुछ स्थानीय राजनीति प्रतीत होती है। परन्तु मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि वे कुछ भी कहें मेरा निर्णय अटल है इसलिए आपको इस पर और कुछ नहीं कहना।

श्री के० पी० उन्नकृष्णन : जिसको आपने भेजा था उसने त्रिवेन्द्रम से यह बयान दिया है की इसकी पुनरीक्षा की जा रही है। इसी लिए मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा था कि मैं प्रदर्शनों या इस प्रकार की बातों का आदि नहीं हूं, परन्तु अब यह स्पष्ट है।

श्री आर० वेंकटरामन : इस पर बहुत अधिक आपत्तियां उठाई गयी हैं। कई टेलीग्राम आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई राजनीति है। परन्तु जहां तक मेरा सम्बन्ध है मेरा निर्णय अटल है।

श्री माधव राव सिंधिया : ग्रामीण भूतपूर्व सैनिकों के बारे में मैंने जो मुद्दा उठाया है उस के बारे में आपको क्या कहना है। उनकी पूर्णतया उपेक्षा की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : मैं सब कुछ एक ही वर्ष में नहीं कर सकता। यह पहला अवसर है जब हमने एक मुश्त 31 करोड़ रुपये दिये हैं।

श्री माधव राव सिंधिया : आपने मुझे गलत समझा है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप पैसे का लालच दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जिला प्रशासन उनको उन समस्याओं में प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं जो कि वे अपने गांवों को वापस जाते समय झेलते हैं। उदाहरण के लिए डाकू मान सिंह को ले लीजिए जब वह वापस गया था। तो उसकी सारी जमीन पर कब्जा किया जा चुका था। जिला प्रशासन ने सुनवाई नहीं की और इस प्रकार उसे मजबूरन डाकू बनना पड़ा।

श्री आर० वेंकटरामन : एक भूतपूर्व सैनिक के लिए डाकू बन जाना बहुत गलत है।

श्री माधव राव सिंधिया : कृपया क्या आप जिला प्रशासन को निर्देश देंगे।

श्री आर० वेंकट रामन : यदि आप कहते हैं कि एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते उसके

साथ अन्य लोगों से भिन्न व्यवहार किया जाये तो एक प्रजातन्त्र देश में ऐसा करना कठिन होगा। परन्तु यदि आप कहते हैं कि उसने जो सेवा की है उसकी वजह से उसको कुछ विशेष अधिकार दिये जाने चाहिए उदाहरण के लिए पैंशन के सम्बन्ध में तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में मैं जो कुछ भी सम्भव करने के लिए तैयार हूं। परन्तु यह कहना कि क्योंकि वह एक भूतपूर्व सैनिक है इसलिए उसके लिए कानून ही अलग होना चाहिए, कानून के सामने उसके साथ भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिए और इस प्रकार की अन्य बातें होनी चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय समाप्त करने से पहले मैं सेना अध्यक्षों, अधिकारियों तथा सैनिकों द्वारा की जा रही उत्कृष्ट सेवा की सरकार की ओर से प्रशंसा को रिकार्ड करा देना चाहता हूं मैं सभी सीमाओं पर गया हूं और उन क्षेत्रों में गया हूं जहां पर वे शून्य से नीचे तापमान पर सेवा कर रहे हैं। मैंने उनको बैंटैक्स में काम करते देखा है। वे देश भक्ति पूर्ण सेवा कर रहे हैं। जिसके बारे में देश को गर्व होना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभा ने जो एक मत अनुमोदन दिया है उस से उन्हें अपने कर्त्तव्यों तथा उत्तरदातित्वों को पूरा करने की शक्ति मिलेगी।

मैं सभा को अपनी बात शान्ति से सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : कुछ समय पहले आपने इस छोटे से मुद्दे का - कि क्या लोगों की कुशलता में गिरावट आ रही है और क्या बेहतर लोगों को आकर्षित करने के लिए कोई प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ? का उत्तर देने का वायदा किया था।

श्री आर० वेंकट रामन : हमारा अनुभव यह रहा है कि, स्तर में कोई गिरावट नहीं आ रही है। इसके विपरीत हमारे पास बहुत ही शिक्षित तथा योग्य व्यक्ति हैं परन्तु हम उनको ले नहीं पा रहे हैं। यह देश में बेरोजगारी का प्रतिबिम्ब हो सकता है। परन्तु यह कहना कि कुशलता में कमी आ रही है ठीक नहीं है। वस्तुत. हम उनमें से सबसे अच्छों का चुनाव करते हैं। वास्तव में कुछ बातों में कुछ निश्चित प्रथायें होती हैं। कुछ लोग जो भा० प्र० से तथा अन्य सेवाओं में जा सकते हैं. वे केवल सुरक्षा सेवाओं में ही आते है, क्योंकि उनके माता पिता, उनकी प्रथायें, सब कुछ यहीं पर है। वे सबसे अच्छे व्यक्ति हैं।

और यह अधिकारी न केवल बौद्धिक दृष्टि से ही उंचे स्तर के होते हैं बल्कि उनका शारीरिक स्तर भी अपेक्षाकृत अच्छा होता है और वास्तव में उन्हें अत्यन्त कठिन मनोवैज्ञानिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है और वे सभी परीक्षायें पास करते हैं। अत: मैं यह नहीं कहूंगा कि दिये गये सुझाव में इस बात का कहीं कोई आभास है कि हमारे अधिकारियों का स्तर गिर रहा है उनका स्तर काफी ऊंचा है और मुझे विश्वास है कि यह स्तर ऊंचा बना रहेगा। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी कटौती प्रस्ताव सदन में मतदान के लिए रखता हूं। क्या माननीय सदस्य उनमें से किसी कटौती प्रस्तावों पर अलग मतदान चाहते हैं ? वरन मैं सभी कटौती प्रस्ताओं को इकटठे ही सदन में मतदान के लिए रख दूंगा।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं ने माननीय मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर को बड़े ध्यान से सुना है, उन्होंने मेरे द्वारा उठाई गई एक भी बात का उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल यह कह सकते हैं कि क्या आप अपने किसी कटौती प्रस्ताव पर अलग से मतदान चाहते हैं। उन्होंने एक घण्टा व पैंतालीस मिनट का समय लिया है। उन्होने उत्तर दे दिया है। आपको सन्तोष करना होगा।

अब यदि माननीय सदस्य चाहें कि उनके किसी भी कटौती प्रस्ताव पर अलग से मतदान न हो तो मैं सभी कटौती प्रस्ताव इकटठे ही सदन में मतदान के लिए रख दूंगा।

कटौती प्रस्ताव सदन में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं रक्षा मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है .

"कि कार्य सूचि के स्तम्भ में दिखाई गई रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 18 से 23 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रक्षा मन्त्रालय के सम्बन्ध में 1983-84 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगों को लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया गया।

मांग संख्या	मांग का नाम	18 मार्च, 1983 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1.	2.	3.		4.	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
18.	रक्षा मन्त्रालय	38,82,96,000	25,16,25,000	194,14,80,000	118,26,22,000
19.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	571,46,87,000	—	2857,34,33,000	—
20.	रक्षा सेवाएं-नौ सेना	75,28,58,000	—	376,42,89,000	—
21.	रक्षा सेवाएं-वायुसेना	220,94,50,000	—	1104 72,50,000	—
22.	रक्षा सेवाएं-पेंशनें	73,37,67,000	—	366,88,33,000	—
23.	रक्षासेवाओ पर पूंजी परिव्यय	—	100,59,00,000	—	502,95,00,000

ऊर्जा-मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में ऊर्जा मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 28 से 31 पर चर्चा और मतदान होगा जिसके लिए 7 घण्टे का समय निश्चित किया गया है।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य जिनके आन्दोलनों की मांगों में कटौती प्रस्ताव परिचालित हो गए हैं, यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के अन्दर प्रस्तुत किए जानेवाले कटौती प्रस्ताव का क्रमांक दर्शाने वाली पर्चियाँ भेज सकते हैं। उन्हीं कटौती प्रतावों को प्रस्तुत किया जाना माना जाएगा।

प्रस्तुत किए गए माने गए कटौती प्रस्तावों का क्रमांक दर्शाने वानी एक सूची थोड़ी ही देर में सूचना पट पर लगा दी जाएगी यदि किसी माननीय सदस्य को सूची में कोई गलती दिखाई दे तो वह अविलम्ब उसे पटल अधिकारी के ध्यान में लाएं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई ऊर्जा मन्त्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 28 से 31 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होनेवाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उर्जा मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, जब मैं उर्जा मंत्रालय पर यह बहस आरम्भ कर रहा हूं तो मुझे एक महान व्यक्ति की कही बात याद ही आई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पहली बार है कि सत्तारूढ़ दल का कोई माननीय सदस्य बहस का आरम्भ कर रहा है अतः बहस आरम्भ करने का यह विशेषाधिकार आपको प्राप्त हुआ है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे युग के महान विचारकों में से एक महान विचारक लेनिन की एक महत्वपूर्ण बात मुझे स्मरण हो आई है उन्होंने एक बार कहा था कि बिजली तथा राज्य शक्ति सोवियत नागरिकों को अपने देश के उद्देश्य प्राप्त करने में एक अजेय साधन बना देगी। उनकी भविष्यवाणी ने आज रूस को समूचे विश्व में एक अजेय शति बना दिया है। हमारे जैसे लोकतन्त्र में, जहां हमने लोकतंत्र को अपने उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर लिया है,वहा विजली, जनशक्ति तथा राज्यशक्ति एक होकर कार्य करे तो हमारे देश को सर्वोत्तम देश बना सकती है और उस महान कवि इकबाल के स्वप्न को वास्तविकता का रूप दे सकती है जब उन्होंने कहा था —सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा। मुझे आशा है कि विद्युत-शक्ति इस स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

(डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुई)

महोदया, मैं रक्षा पर हुई चर्चा को सुन रहा था, सभी व्यक्ति बस हथियारों की ही बात कर रहे थे। हम बंगला देश की मुक्ति की लड़ाई को शीघ्र ही भूल गये हैं। पाकिस्तानी सेना के पास 90 दिन की लड़ाई के लिए हथियारों की अधर सेना थी और काफी भोजन भी था। किन्तु पाकिस्तानी सेना का बंगला देश की जनता से सम्पर्क टूट गया था और वह उसकी आकांक्षाओं से

अपरिचित हो गई थी। इसलिये वह 16 दिन तक भी नहीं लड़ सकी। अतः हथियारों की अपनी महत्ता होती है किन्तु प्रत्येक युद्ध में अथवा इस प्रकार के संघर्ष में आधारभूत आवश्यकता अर्थ-व्यवस्था होती है और इसके साथ जनाधार की भी महत्ता होती है क्योंकि उससे हमारे रक्षा सम्बन्धी प्रयासों को शक्ति मिलती है। महोदया, यहां पर ही शक्ति का प्रश्न उठता है और उसकी महता की भी बात आती है। यदि हम हो विभिन्न द्वारा सबसे बड़ी शक्तियों के विरूद्ध किये गये महान संघर्ष को देखें, को मेरा खयाल है सभी प्रकार के आधुनिक हथियारों की वियतनाम के खेतों में, घरों में और कारखानों में वर्षा की गई थी। किन्तु वियतनाम की वीर जनता का अपने नेताओं के साथ इतना घनिष्ट सम्बन्ध था कि महान शक्तियों के आधुनिक विनाशकारी हथियारों से टक्कर लेकर वह विजयी हो गये। अतः हमें सशक्त आर्थिक व्यवस्था का आधार बनाना होगा, हमें खुशहाली लानी होगी और इस प्रकार एक आत्मतुष्ठ जनशक्ति का सृजन करना होगा जो प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता की रक्षा कर सके और ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है जिसके सहारे हम आधुनिक राज्य का निर्माण कर सकते हैं और एक अत्यन्त सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था तैयार कर सकते हैं। अतः पंडित नेहरू ने इन सब बातों पर सोचा था और हम वर्षो से उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सक्रिय हैं ताकि हम अपने देश को मजबूत बना सके, अपने औद्योगिक आधार को सुदृढ़ कर सके ताकि संकट की घड़ी में हमारी अर्थ-व्यवस्था हमें जीवित रख सके और हमारे नेताओं का हमारी जनता के साथ सशक्त सम्पर्क होने तथा हमारे औद्योगिक आधार सशक्त होने और हमारी अर्थ-व्यवस्था विकासशील होने के कारण हमने पिछले तीन युद्धों में विजय प्राप्त की है।

ऊर्जा के उत्पादन में 1981-82 में पिछले वर्ष अर्थात् 1980-81 की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप देश में ऊर्जा की कमी जो वर्ष 1979 80 के दौरान 16.1 प्रतिशत थी, घट कर 1981-82 में 10.9 प्रतिशत रह गई है। यह एक ऐसा अवसर है जब हमें किये गये प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए, यह एक ऐसा अवसर है जब हमें योजना आयोग द्वारा की गई अच्छी आयोजना को तथा ऊर्जा के विकास के लिये इन सभी वर्षों में दिये गये पैसे के लिये उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और हमें यह भी प्रशंसा करनी चाहिए कि ऊर्जा का दायित्व श्री शिव शंकर, श्री चंद्र शेखर सिंह तथा हमारे अन्य मित्रों के अच्छे और सुयोग्य हाथों में आया। किन्तु साथ ही यह एक ऐसा अवसर है जब हमें ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी आशाओं की पूर्ति के रास्ते में आई कमियों का विश्लेषण भी करना है।

सबसे पहले, छठी योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षमता पैदा करने का 20,000 मैगा वाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हम सब इसकी प्रशंसा करते हैं। यह देश की मांग थी और हमें आगे बढ़ना चाहिए। 1977-1978 और 1979 में बिजली के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े इतने कम रहे हैं और हमें यह सोचने पर बाध्य होना पड़ा कि बिजली उत्पादन में प्रगति कैसे की जाए। किन्तु 1977 और 1979 के बीच के उदाहरण देना हमेशा आवश्यक नहीं होता है।

उस समय एक प्रकार की लहर-सी थी। यह समय हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं है और हमें हमेशा उन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए। यह केवल एक तूफान चक्रवात था। जो आया और गुजर गया। अतः आप हमेशा उस समय को उदाहरण के रूप में पेश नहीं कर सकते। और

हमें अपनी उपलब्धियों सम्बन्धी अभिलेखों का ही सहारा लेना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर विचार करें। जैसाकि मैंने कहा है कि छठी योजना में अतिरिक्त उर्जा उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य 20,000 मैगावट था किन्तु दुर्भाग्य से एक अथवा दो वर्षों के के पश्चात् इसमें संशोधन कर दिया गया और इसे 14,000 मेगावाट कर दिया गया। यदि आप इन सम्बद्ध वर्षों के आंकड़े देखे तो अपको पता चलेगा कि स्थिति वही है जो मैंने बताई है। मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि मैंने इन आंकड़ों को देखा है। अन्ततः छठी योजना के अन्त तक अर्थात् 1084-85 तक अतिरिक्त क्षमता केवल लगभग 10,000 मैगावाट तक ही प्राप्त की जा सकेगी। इस प्रकार यदि हम 20,000 मैगावाट का योजना लक्ष्य देखे और वास्तविक उत्पादन, 1984-85 तक की अतिरिक्त क्षमता को देखें तो योजना के दौरान लक्ष्य और उपलब्ध में 50 प्रतिशत की गिरावट आएगी। क्या इस मामले पर गम्भीरता से बिचार करने की आवश्यकता नहीं? यह वास्तव में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

जो मैंने कहा है, उसे ध्यान में रखकर मैं माननीय मंत्रीजी से यह सविनय अनुरोध करता हू कि वह प्रधान मंत्री एवं योजना आयोग से इस मामले पर शीघ्र ही ध्यान देने के लिए कहें। योजना आयोग ने अब वर्ष 1983-84 की वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में बिजली के लिए 869,39 रुपये की धन राशि व्यय की अनुमति दी है। यदि मैं गलत नहीं कह रहा तो मेरे विचार से यह धनराशि ऊर्जामन्त्रालय द्वारा वर्षिक योजना परिव्यय की धन राशि से लगभग 307 करोड़ रुपये कम हैं। वर्तमान स्थिति के कारण क्या हमें सरकार से यह निवेदन नहीं करना चाहिए कि इस आवंटन में कमी न की जाए? जैसा कि हम जानते है, सभी राज्यों में बिजली की कटौतियाँ की जा रही हैं। स्पष्ट है कि परिव्यय में आगे कटौती नहीं की जानी चाहिए जबकि ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा के विस्तार और विकास के लिए कहा है मेरा विश्वास है कि मंत्री महोदय योजना आयोग को इसके लिए राजी करने का प्रयास करेंगे ताकि उनके मंत्रालय को मांगी गयी धनराशि मिल जाए।

दूसरी कठिनाई क्षमता के सृजन में कमी के बारे में है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। जिस पर सरकार को शीघ्र ही ध्यान देने की आवश्यकता है और मुझे हर्ष है कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है दूसरी योजना के अन्तर्गत हमारा निर्धारित लक्ष्य 3,5000 मैगा-वाट था।

हमारा वास्तविक ऊर्जा उत्पादन 2250 मेगावाट था। कभी 35.7 प्रतिशत रही थी। तीसरी योजना के दौरान हमारा लक्ष्य 7.040 मेगावाट का था। उसकी तुलना में उपलब्धि केवल 4715 मेगावाट रही। और 33.01%की कमी रही चौथी योजना में निर्धारित लक्ष्य9260 मेगावाट का था और वास्तविक उत्पादन 4,527 मेंगावाट रहा इस प्रकार 51,1— कम हुआ। पांचवीं योजना के दौरान 1977-78 का योजना का लक्ष्य 12,500 मेगावाट था किन्तु वास्तव में ऊर्जा उत्पादन 7,593 मेगावाट ही हो सका और इस प्रकार 39.3 प्रतिशत उत्पादन कम हुआ छठी योजना में योजना लक्ष्य 20,000 मेगावाट था किन्तु इसे घटाकर 14,000 मेगावाट कर दिया गया और वास्तविक उत्पादन केवल 10,000 अर्थात 11,000 मेगावाट ही हो सकेगा। अतः कमी 50 प्रतिशत तक रहेगी। मेरा विचार है कि इन बातों पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाएगा।

दूसरी बात जो माननीय मंत्री के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं वह है पारेषण तथा वितरण होने वाली अत्यधिक हानियां, मैं सभी वर्षों के जिक्र न कर केवल 1977-78 की बात करता हूं। इसे वर्ष पारेषण और वितरण में 19.5 प्रतिशत ऊर्जा की हानि हुई थी दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। यहां तक कि ऊर्जा उत्पादन, वितरण एक पारेषण सम्बन्धी समस्याओं की जांच के लिए बनाई गई समिति ने सुझाव दिया है कि अगले पांच से 10 वर्षों में इस घटे को कम करके कम से कम 15 प्रतिशत तक कम लाया जाना चाहिए । यदि यह घाटा 19,5 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत रह जाता है तो इसका अर्थ होगा 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि की बचत यह कोई छोटी राशि नहीं है ।

मैं आंध्र प्रदेश में उर्जा विभाग की लेखा परीक्षा देख रहा था। मेरे विचार से वह लेखा पीरक्षा उचित ढंग से नहीं की जाती है। समिति ने ऊर्जा के मामले में उचित लेखा परीक्षा की शिफारिश की है। अनुमान है कि आंध्र प्रदेश में ऊर्जा सम्बन्धी हानि 20.7 प्रतिशत से 22.62 प्रतिशत रहती है। जब कि औसत 19.5 प्रतिशत है, यदि हम सभी राज्यों की ऊर्जा सम्बन्धी स्थिति देखे तो पता चलेगा कि 13अथवा 14 राज्यों से भी अधिक राज्यों में आज भी ऊर्जा का भीषण संकट है। हमें वर्षों का अभाव का सामना करना पड़ता है। तो ऊर्जा के अकाल का भी सामना करना पड़ता है। केरल में राज्य ने 40 प्रतिशत बिजली की कटौती लागू की है। इसके परिणामस्वरूप उर्वरक, रसायन, इस्पात, एल्यूमिनियम तथा रबड़ जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उनमें 60 प्रतिशत उत्पादन कम हो गया हैं। अभी हाल में मैं कलकत्ता गया था। मैं पश्चिम बंगाल की स्थिति से परिचित नहीं हूं। वहां कोई नहीं जानता कि पश्चिम बंगाल सरकार वहां इस स्थिति से कैसे निपट रही है प्रतिदिन होने वाली 200 मेगावाट की कमी के कारण लघु उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं केवल पश्चिम बंगाल में ही बिजली के के लिए कुल स्थापित क्षमता 1700 मेगावट है किन्तु उसकी औसत सप्लाई 850 मेगावाट है। एक विद्युत उत्पादन केन्द्र में, जिसकी उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है, कई दिनों तक केकल 40 से 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता रहा है। महाराष्ट्र में 25 से 35 प्रतिशत बिजली की कटौती चल रही है। तमिलनाडु में 60 प्रतिशत विजली की कटौती की जा रही हैं। वहां अनेक तापीय विद्युत संयंत्रों में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिसके कारण रसायन, सीमेंट और ऊर्वरक उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। गुजरात में प्रतिदिन विद्युत उत्पादन की औसत लगभग 1500 मेगावाट है। किन्तु उसकी मांग 2,200 मेगावाटहै। उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट की मांग थी तुलना में केवल 1,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और 150 मेगावाट बिजली अन्य ग्रिडों से ली जाती है। उड़ीसा में स्थिति यह है कि 600 मेगाबाट औसत माँग है तथा 1024 मेगावाट कुल स्थापित क्षमता है किन्तु औसत अत्पादन लगभग 400 मेगावाट होता है तलचर तापीय संयन्त्र के वारे में मैंने पहले भी बात उठाई थी। और माननीय श्री चन्द्र शेखरसिंह जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि वे समस्या की जांच करेंगे। तलचर पावरस्टेशन को मशीनरी की सप्लाई भारत हैवी इलेक्ट्रकल्स ने की थी। वहाँ स्थापित किए गए उपकरणों की क्वालिटी संदिग्ध है; और उनकी कार्य करने की क्षमता भी संदिग्ध है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार उसकी जांच की जाएगी।

कर्नाटक और राजस्थान की स्थिति भी वैसी ही हैं। लगभग 13 राज्यों में बिजली का घोर संकट है और बिजली में कटौती के परिणामस्वरूप देश को होने वाली कुल हानि का अनुमान 30,000 करोड़ रुपये है।

राज्य बिजली बोर्डों को ही देखे। ये बोर्ड वितरण और उत्पादन ऐजेंसियां हैं। कुल मिलाकर आज तक होने वाली हानि की राशि 199.27 करोड़ रुपये है और उनके द्वारा सांविधिक ऋण संस्थानों, बैंकों, जीवन बीमा निगम आदि से लिए गए ऋणों की कुल राशि 10,000 करोड़ रुपये है। मैं आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, का उदाहरण दे सकता हूँ, मैंने किस राज्य का नाम गिनाना छोड़ दिया है, मैं नहीं जानता। किन्तु वह कहते हैं कि केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण कुछ दल भेज रहे हैं जो जाकर देखते है कि विभिन्न संयत्रों के कार्यकरण में कैसे सुधार किया जाए। मुझे नहीं मालूम कि वे किस सीमा तक प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली उत्पादन संयंत्रों की आज राष्ट्रीय औसत कार्य-कुशलता 49 प्रतिशत है। हम अपने रिकार्ड ही देखें और 1978-79 के रिकार्ड न देखें। 1976-77 में ताप बिजली संयंत्रों की क्षमता का उपयोग 56 प्रतिशत था। हम उस 197677-वर्ष का स्तर क्यों नहीं लेट आते ? तब शायद बिजली क्षेत्र की समस्या समाप्त हो जाएगी अर्थात यदि 56 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया तो यह समस्या समाप्त हो जाएगी।

उड़ीसा के बारे में कुछ दिन पहले हमारे मन्त्री महोदय कह रहे थे कि वहाँ केवल 33 प्रतिशत उपयोग हो रहा है यह 49 प्रतिशत अथवा 46 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत के बराबर नहीं है आज, राष्ट्रीय स्तर पर हम इस देश की कुल पन बिजली क्षमता का 10 प्रतिशत ही उपयोग कर रहे हैं। जब वर्षा नहीं होती तो यह 10 प्रतिशत भी नहीं रहता। इसी लिए आज हमें बिजली की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है।

शायद परमाणु शक्ति विभाग श्री शिव शंकर के पास नहीं है। यह उनके अन्तर्गत नहीं आता। प्रधान मन्त्री इस पद को देखती हैं। परमाणु शक्ति के क्षेत्र में भी हमारी प्रगति धीमी है। हम अगले दस वर्षों में 5000 मेगावाट ऊर्जा के उत्पादन की बात करते हैं। आज यह केवल 1600 मेगावाट है और सभी विद्युत तथा हैवी वाटर संयंत्रों में सन्तोषजक ढंग से कार्य नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में परमाणु संयन्त्र किल्कुल कार्य नहीं कर रहा है। कृपया इन सभी समस्याओं की ओर ध्यान दें।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि ऐसा समय आ गया है जब इस देश की समूची अर्थ-व्यवस्था ऊर्जा पर निर्भर है। यदि 1985 में पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष भी होता है तो हम इस बात का अनुभव करेंगे कि समूची अर्थ-व्यवस्था, उद्योग, कृषि तथा प्रत्येक वस्तु इसी ऊर्जा के विकास पर निर्भर है। अतः अगले दो वर्षों में अर्थात 1983-84 तथा 1984-85 में मन्त्री महोदय को योजना आयोग को यह बताने का प्रयास करना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री से भी सम्पर्क करना चाहिए कि अधिकाधिक धनराशि का आवंटन किया

जाए तथा यह भी देखा जाए कि कम से कम निर्माणाधीन ताप विद्युत संयन्त्र न्यूनतम अवधि में पूरे हो जाए। परियोजनाओं के तैयार होने में बड़ी लम्बी अवधि लग जाती है। वे कार्य नहीं कर रही हैं। ये लम्बी अवधि तक बन्द रहती है। इन सब समस्याओं की अनेक समितियों ने जांच की है लगभग उनकी सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु उनमें से 50 प्रतिशत अथवा कम से 10 से 15 प्रतिशत सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है ?

श्री शिव शंकर, श्री चन्द्रशेखर सिंह तथा श्री गार्गी शंकर मिश्र सभी योग्य मन्त्री हैं। मुझे आशा है कि इस वर्ष के अन्त में हम ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा विकास के सम्बन्ध में कम से कम कुछ सुधार देखेंगे ताकि हम कह सकें कि हमने बहुत बढ़िया कार्य किया है।

इन शब्दों के साथ मैं मांगोंआ समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए।"

हल्दिया, पश्चिमी बंगाल में पैट्रो-रसायन कम्पलैक्स स्थापित करने की आवश्यकता। (1)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

दार्जिलिंग में वर्ष भर पानी के साधन उपलब्ध देखते हुए माइक्रो-मिनि पन-बिजली परियोजना स्थापित करने की आवश्यकता है। (6)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

पश्चिमी दीनाजपुर जिले के इस्लामपुर में एक ताप बिजलीघर बनाने की आवश्यकता। (7)

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

उत्तरी बिहार तथा बिहार के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में, जहां विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्पादकता देश के अन्य भागों की तुलना में 1/10 भाग से भी कम है, विद्युत पैदा करने के डीजल चालित छोटे-छोटे एकक स्थापित करने के लिए राज सहायता प्रदान करने की आवश्यकता। (3)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

प्रचुर मात्रा में पन बिजली पैदा करने के लिए बराह क्षेत्र में कोसी नदी पर, शीशयानी में कमला नदी पर तथा नौथेर में बागमति पर शीघ्र बहुप्रयोजनीय बांध बनाने की आवश्यकता। (4)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कियेज ायें।"

उत्तर बिहार में विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता शेष बिहार तथा समूचे देश के बराबर लाने की आवश्यकता। (5)

श्री ए० के० राय (धनबाद) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।"

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में ठेका प्रणाली विशेषकर परिवहन ठेकों को समाप्त करने में असफलता । (19)

कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

भूमिगत कोयला खानों में उत्पादन बढ़ाने में असफलता । (20)

कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग कम करके 1 रुपया किया जाए ।

कोयला खानों में दुर्घटनाओं को रोकने में असफलता । (21)

कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग को कम करके 1 रुपया किया जाए ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में महिला कर्मचारियों की संख्या में भारी गिरावट । (22)

कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाए ।

गैर-कानूनी कोयला खनन को जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय क्षति होती है तथा गरीब मजदूरों की मृत्यु होती है, रोकने में असफलता । (23)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें ।"

(धनबाद कोयला क्षेत्र में माफिया की गतिविधियों के सम्बन्ध में राजगोपालन प्रतिवेदन तथा कुमार मंगलमय प्रविवेदन में प्रकाशित करने की आवश्यकता ।)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

(धनबाद कोयला खानों में बार-बार बिजली गुल होना ।) (25)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

(भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में जनशक्ति को बढ़ाये बिना ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में समयोपरि भत्ता देना ।) (26)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

(भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में श्रमिकों के लिए क्वाटरों तथा पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।) (27)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

(कोयला खानों में बालू की ढुलाई के लिए रज्जू मार्ग की उपेक्षा करना तथा निजी ट्रकों को तरजीह देना ।) (28)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

(भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में श्रमिकों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करने के लिए खानों मे प्रबन्धकों के लिए आठ घंटे की शिफ्ट ड्यूटी लागू करने की आवश्यकता।) (29)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के उच्च अधिकारियों द्वारा अनावश्यक दौरे तथा यात्रा करना और मुख्यालय में काम से जी चुराना।) (30)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

(सैंकड़ों आदिवासियों को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से "त्याग पत्र दिया हुआ" दिखाकर कोयला खान से हटाना।) (31)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किये जायें।"

(भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्रसंख्या 7 में गोपालिचक कोयला खान के अनुत्पादक मजदूरों (मजदूरी समय पर आधारित) को समयोपरि भत्ता देना, जबकि पिछले एक वर्ष से उत्पादक खनन (मजदूरी काम पर आधारित) के लिए मजदूरी देने में विलम्ब रखे उसे अस्त-व्यस्त कर दिया जाना।) (32)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[बढ़ाकर कोयला खान का राष्ट्रीयकरण करने में विलम्ब।] (33)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पलोड (मशीन) के उपयोग के परिणामस्वरूप हुआ, डोबारी और भारी कोक संयन्त्र में नैमित्तिक तथा ठेका मजदूरों की छंटनी।] (34)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[कोयला कम्पनियों द्वारा अधिगृहीत भूमि के क्षेत्रफल पर गौर किये बिना भूमि खोने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी देने की आवश्यकता।] (35)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाये।"

[भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में नौकरी दिलाने की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह।] (36)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[पिछले दो वर्षों में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्र संख्या में कोयला खान भंडारों से संगठित प्रयास द्वारा चोरी।] (37)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[नियमित किये जाने के आश्वासनों के बावजूद भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधीन मुदामाडीह तथा बोरोरा कोयला शोधन कारखानों के निर्माण मजदूरों को नियमित करने में असफलता।] (38)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[कोयला शोधन कारखानों के पूरे वर्ष वाली नौकरियों के विभागीयकरण में असफलता] (39)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

कोयला खानों के मशीनीकरण, जिसके कारण भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में बेरोजगारी हुई है।] (40)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पाथरडीह कोयला खान के महिला श्रमिकों को स्वीकार किए जाने के बावजूद बिना कोई अतिरिक्त लाभ दिये, अन्धाधुन्ध स्थानान्तरित करके उनके साथ किया गया व्यवहार।] (41)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की अमलाबाद परियोजना को चालू करने में विलम्ब।] (42)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला खानों के श्रमिक संघों के कार्यकर्त्ताओं का राजनैतिक आधार पर स्थानान्तकरण।] (43)

['कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100रु० कम किये जायें।"]

[कोयला शोधन कारखानों से गारे के रूप में दामोदर नदी में जमने वाले कोयले केचूरे को निकालने की आवश्यकता।] (83)

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

["कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"]

[उत्तरी बिहार में बरौनी में एरोमेटिक और केप्रोलेक्टम संयंत्रों की स्थापना करने की आवश्यकता।] (58)

"कि पेट्रोलियम विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[बिहार में सिंचाई के लिये आसानी से स्थानान्तरित किये जा सकने वाले छोटे बिजली उत्पादन एककों को चलाने के लिये सुदूर गाँवों में मिट्टी के तेल की सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता।] (59)

"कि विद्युत विभाग के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[कृषि कार्यों के लिये उपयोग में लायी जाने वाली बिजली पर भी उद्योगों में उपयोग में लायी जाने वाली बिजली के बराबर ही शुल्क वसूल करने की आवश्यकता।) (60)

"कि विद्युत विभाग के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(पानी के शाश्वत साधन की दृष्टि से हिमालय क्षेत्र में माइक्रो-मिनिपन-बिजली परियोजनाओं की स्थापना करने की आवश्यकता।) (61)

"कि विद्युत विभाग के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(बिजली की बिहार की आवश्यकता को विशेष रूप से तथा देश की आवश्यकता को सामान्य रूप से पूरा करने के लिये कोसी, कमला और बागमती नदियों पर बहुप्रयोजनीय बाँधों

का निर्माण करने की आवश्यकता ।) (62)

"कि विद्युत विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये ।"

(उत्तरी बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने की आवश्यकता जिससे वहां इसकी उपलब्धता शेष बिहार और समूचे देश के बराबर हो सके ।) (63)

"कि विद्युत विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

(उत्तरी बिहार में कांति ताप बिजली घर के निर्माण में गति लाने की आवश्यकता ।)

(64)

"कि विद्युत विभाग के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(उत्तरी बिहार में किसानों की बिजली की जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता ।)

(65)

"कि विद्युत विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

(जिन आदिवासी किसानों की भूमि विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत की गई हैं, उन्हें बसाने और पर्याप्त मुआवजा देने की आवश्यकता ।) (66)

"कि विद्युत विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

(उपभोक्ताओं की बिजली सम्बन्धी आवश्यकता को सामान्य रूप से और किसानों की आवश्यकता को विशेष रूप से पूरा करने की आवश्यकता ।) (67)

"कि विद्युत विभाग के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में गति लाने की आवश्यकता ।) (68)

"कि विद्युत विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

बिजली की समय पर और नियमित सप्लाई करने में असफलता, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में सामान्यत: और उत्तर बिहार में विशेषरूप से किसानों, लघु और घरेलु उद्योगों को भारी हानि हो रही है ।) (69)

"कि विद्युत विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

(बिजली की सप्लाई को नियमित करने के लिए वैकल्पिक साधनों की स्थापना करने की आवश्यकता ।) (70)

"कि 'विद्युत विभाग' के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(दक्षिण बिहार के कोयला क्षेत्र में सुपर ताप बिजली केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता। (71)

"कि 'विद्युत विभाग' के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(बिहार में सामान्यत: और उत्तर बिहार में बिशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों को सिंचाई तथा लघु और घरेलू उद्योगों के लिए बिजली की सप्लाई करने की आवश्यकता।) (72)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रु० कम किए जायें।"

(घटिया कोयले को तरल ईंधन में बदलने के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास करने में उपेक्षा।) (73)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

(धनबाद खान क्षेत्र में गुंडागर्दी को रोकने की आवश्यकता।) (74)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"

(कोयला खानों में सुरक्षा के लिए खानों का यंत्रिकरण करने में असफलता।) (75)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रु० कम किए जायें।"

(कोयला खानों में ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का शोषण रोकने की आवश्यकता।) (76)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रु० कम किए जायें।"

(कोयला खानों में विभिन्न स्तरों पर प्रबन्ध में कर्मचारियों को भागीदार बनाने की आवश्यकता।) (77)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रु० कम किए जाये।"

(कीयला खानों में कार्य की दशा में सुधार करने में असफलता।) (78)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रु० कम किए जायें।"

(धनबाद कोयला क्षेत्र में मफिया की गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता।) (79)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रु० कम किये जायें।"

(कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों के मजदूरों तथा कर्मचारियों को रिहायशी तथा जल सुविधायें देने की आवश्यकता।) (80)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रु० कम किये जायें।"

(कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों के उच्च अधिकारियों द्वारा अनावश्यक दौरे तथा यात्रा करना।) (81)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

(कोयला कम्पनियों द्वारा अधिगृहीत भूमि के क्षेत्रफल पर ध्यान दिये बिना भूमि खोने वाले प्रत्येक परिवार को नौकरी देने की आवश्यकता।) (82)

"कि अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

(गन्ना के उप-उत्पादों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रोत्साहन देने तथा उनका प्रचार करने की आवश्यकता।) (84)

"कि अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

(उपयुक्त क्षेत्रों में वायु को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता।) (85)

"कि अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(ग्रामीण जनता की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं, जिनके कारण बड़े पैमाने पर वन काटे जा रहे हैं, को पूरा करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में बायो-गैस संयन्त्रों की स्थापना करने की आवश्यकता।) (86)

"कि अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(बायो-गैस संयन्त्रों के प्रयोग में आने वाले अपेक्षित उपकरणों तथा मशीनों के लिए राज सहायता देने की आवश्यकता।) (87)

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : माननीय सभापति जी, पावर और ऊर्जा ये किसी भी देश की आज के वैज्ञानिक और विकास के युग में एक आधारभूत चीजें हैं। ये किसी भी देश के विकास के काम में आती हैं। जैसा मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, हमने पांच योजनाएं पूरी कर लीं और छठी योजना के भी तीन वर्ष पूरे करने जा रहे हैं या पूरे कर लिये हैं।

पर इस ऐनर्जी का उत्पादन बहुत खराब है। खासतौर से जो भी बिजली उत्पादन के स्रोत हैं, वाडे थर्पल, हाइडल, ऐटमिक या पेट्रोलियम से पैदा होने वाली बिजली हो, सबकी हालत चिन्ताजनक है। पिछले साल का हमने देश का उत्पादन का वर्ष रखा, लेकिन आपने देखा होगा इस वर्ष में ही कृषि उत्पादन गिरा, उद्योगों का उत्पादन गिरा। बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं। इस का सबसे बड़ा कारण बिजली की सप्लाई ठीक समय से और उचित मात्रा में न होना ही है जिससे

उत्पादन पर बुरा असर पड़ा । आपने योजनाओं में उत्पादन के लक्ष्यों का जिक्र किया । पहली और दूसरी योजनाओं में जो लक्ष्य रखे थे उनको रिवाइज नहीं किया और उनका अचीवमेंट 90 परसेंट तक रहा । खुशी की बात है कि इन दो योजनाओं में हमने काम किया । उसके बाद लगातार जो भी लक्ष्य रखे, रिवाइज किये अचीवमेंट, 50,60,70 परसेंट तक ही रहा । जो कुछ रिवाइज भी किया उसमें भी पीछे रहे । यह सब आपकी किताबों में ही दिया हुआ है । बिजली के उत्पादन की हालत चिन्ताजनक रही है और आगे भी सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है । जहां कोयला है वहां पावर हाउस स्थापित नहीं करेंगे, जहां लिग्नाइट है वहां स्थापित नहीं किये, नेशनल ग्रिड बनाने के प्रयास जीरो हैं । जहां बिजली सरप्लस ही और दूसरे सूबों को दी जा सकती है, उनके देने की कोई व्यवस्था नहीं है । हालांकि कुछ प्रयास किया दे, लेकिन वह बहुत स्लो है, और जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे और बिजली का सही वितरण नहीं करेंगे तब तक कुछ काम नहीं बनेगा । आपके कथनानुसार राजस्थान सरप्लस स्टेट है बिजली के मामले में । आपने कहा था 400 मेगावाट का ऐटमिक स्टेशन रावतभाटा में होगा । वह जीरो है, सारा उत्पादन बन्द । हमारे यहां अकाल पड़ा हुआ है, हजारों की तदाद में लोग मर रहे हैं, और आप कहते हैं कि लोग बीमारी से मर रहे हैं, भूख से नहीं मर रहे हैं । आप बाड़मेर, जेसलसेर, जोधपुर की डेजर्ट तहसीलों, जालौर की तहसीलो को देखें वहां न चारा है, न धान है । वहां बिजली जाने की कोई गुंजाइश ।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

नहीं है, हालांकि वहां लिग्नाइट के ढेर पड़े हैं, लेकिन बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है । राजस्थान की लिफ्ट कैनाल की बात सोची है, लेकिन बिना बिजली के आप उसको कैसे लायेंगे ? कैसे आपके रेकार्ड में राजस्थान सरप्लस पावर स्टेट दिख रखी है, समझ में नहीं आता कैसे यह आपने निष्कर्ष निकाला है ? वहां तो पावर नाम की कोई चीज ही नहीं है । कहा जाता है किकिसानों को 2, 3 घंटे बिजली दी जाती है, लेकिन हमारा अनुभव यह रहा कि फसल के बजाय उनको बिजली कतई नहीं मिली, और जब फसल कट गई तब उनको मिल रही है । इससे उनको क्या लाभ ? 35 वर्ष की आजादी के बाद भी आज बिजली के मामले में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ।

दुनिया में आयल सस्ता हो रहा हैं, और हमारे यहां दाम बढ़ रहे हैं । डीजल के दाम 30 पैसे लीटर बढ़ा दिये । राजस्थान में 3 रु० 75 पैसे का एक लीटर डीजल मिलता है । इंडस्ट्रीज को आपने कहा है कि अगर आप अपनी पावर जैनरेट करेंगी तो आधी सब्सिडी देंगे जैनरेटर के लिए । मतलब यह है कि जो पैसे वाले उद्योग हैं उनको तो आप सब्सिडी देंगे लेकिन जो काश्तकार हैं जिसके कूए में 50 हार्स पावर का मोटर चलता है और 2 इंच की पाइप लाइन है उसकी कोई सब्सिडी नहीं है ।

उसके लिए वह बेचारे डीजल का सैट लगावें तो उसको सबसीडी नहीं देते हैं । क्या करना चाहते हैं आप ? इसका नतीजा यह है कि आप इस देश में न बिजली है और न खाद्यान्न है । बाहर के देशों की तरफ देखना पड़ता है । रोज सैमिनार करते हैं, भाषण देना पड़ता हैं ।

जनता बढ़ती जा रही है, खेत का उत्पादन नही बढ़ता है । आज जो जरूरत है, उसके मुताबिक कितना उत्पादन पीछे की ओर चला जा रहा है। अकाल पड़ता है तो देश की हालत कितनी खराब होती है ?

पानी का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है ? पानी से बनने वाली बिजली का उपयोग कितना कम हुआ है ? देश में गानी के सोर्सेज पड़े हैं, लिग्नाइट और कोयला पढ़ा है फिर भी बिजली की शक्ति नहीं ।

बिजली बोर्ड का आपने जिक्र किया । तमाम राज्यों में बिजली बोर्ड मनचाही नीतियां बनाते हैं, मनचाहे तरीके से चलते हैं । जो पैसा आप देते हैं उनका उपयोग वह कहाँ और किस आलम से करते हैं यह देखने की बात है ।

जिन योजनाओं के लिए पैसा दिया जाता है उसके लिए वह खर्च नहीं होता । उनके कई तरह के घाटे हैं, लोगों की तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे हैं । योजना में से पैसा खर्च कर दिया जाता है । आप सेमिनार करते हैं' मीटिंग करते हैं, लेकिन इन बातों की कौन मानता है ।

योजना आयोग और आप बैठकर योजनायें बनाते हैं, पैसा देते हैं । कौन सा पैसा किस काम में आता है ? सारी वीकनैस इम्प्लीमैंटेशन की हैं । जो पैसा आप देते हैं, उसका सही उप योग नहीं होता । भ्रष्टाचार होता है । नीचे के लेवल तक उन योजनाओं के पहुचते-पहुंचते कागज पर योजनाएँ रह जाती हैं और पैसा ऊपर ही गायब हो जाता है ।

आज देश में इस प्रकार के हालात हैं और एनर्जी तो एक्सेप्शन चल रही है । सब तरह की एनर्जी जो हमारे देश में आनी चाहिए, प्रोत बढ़े हैं, बेकिन बिना बिजली के न उद्योगों का उत्पादन बढ़ सकता है और न खेतों का बड़ सकता है । बिजली आज सब चीजों की जड़ है । जिस प्रकार की हालत आज हमारे राज्य में चल रही है, उसको देखकर आँखों में आंसू आ जाते हैं । बहुत खराब हालत है । आप इन हालत को कितना कन्ट्रोल कर पायेंगे, कितना नहीं कर पायेंगे, यह आपके सोचने का प्रश्न है ?

एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिससे हम गुणर रहे हैं, उसकी हालत देखिए । आज आपने एक आयोग बैठाया है कि सैंट्रल और स्टेट रिलेशन पर विचार किया जाये ।

कृषि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया ये कि सैंट्रल और स्टेट रिलेशन के जो सबजैक्ट हैं, कान्फरेंट जूरिसडिक्शन के हैं । खासतौर से एनर्जी उत्पादन, इरिगेशन और खेती का मामला जो है इनके अन्दर नये प्रकार के रिलेशन्ज सैंटर और स्टेट के बीच में डैवलप होने चाशिए । इस बात की कहते हुए 5,6 बरस हो गये, लेकिन किस ने इसे देखा है, कौन इसके लिए बैठता है ?

ठीक है, यूजुअल तरीके से मजदूरों से मीटिंग कर ली, बैठ गये, रोटी खाकर आ गये लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता । कोई तये रिलेशन डैवलेप होते हमने देखें नहीं हैं ।

इस बढ़ते हुए विकास के युग में वैस्ट को आर्डिनेशन की जरूरत है। आपके पास इतनी सत्ता, इतने लोग इतनी ताकत और यह सरकारें हैं, अगर यह सब को-आर्डिनेशन का काम नहीं कर सकतीं और नए रिलेशन सेंटर और स्टेट के डैवलप नही कर सकती तो कौन सी शक्ति इस देश में आयेगी जो इस काम को करेगी ? मैं समझता हूं कि वह इस देश का दुर्भाग्य होगा अगर आपने इन सारे कामों को नहीं सभाला। देश में बहुत खराब हालात होने जा रहे हैं।

बिजलीं बोर्ड में लागू की जा रही नीतियां किसानों के हित की नहीं हैं। मै आपको बताना चाहता हूं, मिनिमम चार्जेज हमारे स्टेट में कर रखे हैं। 10 हार्स पावर की मोटर हो चाहे ढाई की हो या 5 अथवा 7 हार्सपावर की हो सब के फ्लेट रेट लागू किये गये हैं। 16 घंटे अगर वह मशीन चले तो फ्लेट रेट के हिसाब से चबते है मीटरों में कई तरह की चोरियां होती हैं, अच्छा हुआ आपने इसे सिम्पलीफाई करने का काम किया।

16 घंटे की जगह 4 और 5 घंटे भी बिजली नहीं दी जाती है। 5,6 घटे बिजली देने से भी 20 ट्रिपल होते है। किसानों की मोटरें जल जाती हैं ओर उसके बाद भी फ्लेट रेट पर बिजली का बिल बनाने के लिये उसी सवय तैयार हैं। अगर वह लोग एक महीना बिल नहीं चुकावें तो उनके कनैक्शन खट से काट दिये जाते हैं। यह आज किसानों की दुर्दशा है।

आप ताज्जुब करेंगे। आप एक छोटे से किसानों को बिजली देंगे, 12 एकढ़ वाले किसान को बिजली देंगे तो दूसरे किसान कोई बहुत बड़े राजा या जागीरदार हैं क्या ? आपने सीलिंग कर दिया है, कौन बड़ा और कौन छोटा काश्तकार है ?

छोटे काश्तकार के लिए लाइन मीलों तक जाती है, लेकिन बीच में अगर कोई बारह एकड़ से ज्यादा वाला किसान है, तो उसको बिजली नहीं दी जाएगी। अगर वह सरप्लस उत्पादन करता है, धान की कमी को मिटाता है, तो क्या वह देश का भला नही करता है ? छोटे काश्तकार की भलाई के नाम पर सस्ती बाह-वाही लूटने के लिए वह जो नीति अहनाई गई है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर तीन मील लाइन केवल एक कुंए के लिए लगाई जाए तो वह कभी रीम्युनरेटिव नहीं हो सकती।

इसी कारण इलेक्टिसिटी बोर्ड घाटे में चलते हैं। छोटे किसानों को जरूर बिजली दीजिए, लेकिन बीच में दस किसानों को छोड़ देना उचित नहीं है।

आज स्थिति यह है कि गांव में पीने के पानी के कुंए में बिजली नहीं देते हैं और कहते हैं कि गांव इलेक्ट्रिफाइड हो गया हैं।

श्री राम प्यारे मनिका (राबर्टसगंज) : क्या राजस्थान में ऐसा है ?

श्री नाथुराम मिर्धा : है, इसीलिए तो मै कह रहा हूं। मैं कोई झूठ थोड़े ही कह रहा हूं ?

राजस्थान में बहुत बड़ी मात्रा में लिगनाइट पाया जाता है, उसके लिए प्राजेक्ट्स बनाने चाहिए। राजस्थान के डेजर्ट के इलाके में बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए। वहां पर ग्राउन्ड वाटर बहुत है' वहां 400 मीटर गहरा पानी है। अगर सस्ती बिजली नहीं दी जाएगी, तो उस पानी का उपयोग नहीं हो सकता और अगर पानी का उपयोग नहीं होगा, तो राजस्थान को

अकाल से मुक्ति नहीं मिल सकती और वहां पर भुखमरी फैलेगी, जिसको रोका नही जा सकेगा।

यह हमारे बजट का बह मद है, जिसके इम्प्लीमेंटेशन पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है और जिसके लक्ष्यों को कम नहीं किया जाना चाहिए। लक्ष्यों की पूर्ति न होने के कारणों को दूर करके इन योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए।

श्री वौलतसिंहजी जदेजा (जामनगर) : हाल के वर्षों में हमारी सरकार की किसी भी नीति पर इतने विस्तार से चर्चा और वाद विवाद नहीं हुआ हैं जितने विस्तार से राष्ट्रीय ऊर्जा नीति पर हुआ है। देश की अन्य किसी समस्या की उच्चाधिकार प्राप्त इतनी अधिक निकायों द्वारा सावधानीपूर्वक छानवीन और अध्ययन नहीं किया गया है जितना कि देश की ऊर्जा समस्या का।

इस ओर पूर्ण गम्भीरता और ध्यान के बावजूद ऊर्जा संकट अभी भी बना हुआ है और सही शब्दों में कहें तो कुछ क्षेत्रों में अभी भी 'अन्धेरा' है। वर्तमान ऊर्जा स्थिति को धन्यवाद।

1983 के प्रारम्भ से 'आशा की एक नई किरण दिखाई दी है और ऊर्जा संकट की एक लम्बी अवधि के पश्चात् हम एक नई आशा लगाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय 'ओपेक' तेल की कीमतों में गिरावट की प्रवृति से और बम्बई हाई से अच्छी संभावनाओं से तथा देश के अन्य स्थानों, विशेष रूप से गोदावरी और महानदी के बेसिनों, पर खोजे गए तेल के अन्य स्रोतों से यह पता लगता है कि हम शीघ्र ही तेल संकट को दूर कर सकेंगे।

फिर भी, जहां तक ऊर्जा नीति का संबंध है, हमारे में आत्म सन्तोष की भावना नहीं आ जानी चाहिए।

इस संदर्भ में मैं सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने के साहसिक कदम उठाने, के लिए सरकार की सराहना करता हूं। प्रत्यक्ष रूप से इन परिस्थितियों में मूल्य में वृद्धि करने से विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं की कठिनाइयां बढ़ जाएंगी परन्तु यह न केवल वित्तीय दृष्टिकोण से बल्कि ऊर्जा की बचत के दृष्टिकोण से भी ठोस और दीर्घकालिक नीति है।

पिछले दशक में हुई मूल्य वृद्धि से, चाहे यह कितनी कष्टप्रद क्यों न रही हो, विशेष रूप से भारत सहित प्रमुख तेल आयतक विकासशील देशों के लिए, तीसरे विश्व के देशों को राहत मिली है और यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे वे भविष्य में महसूस करेंगे।

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में चाहे कितने ही अनुकूल परिवर्तन हुए हों, अब समय आ गया है जब विकासशील देशों को तेल सप्लाई के देशी स्रोतों का विस्तार करने के लिए अपनी तेल खोज की गतिविधियों का विस्तार करने के उद्देश्य से न केवल अपनी ऊर्जा नीतियों का पुनः निर्धारण करना चाहिए बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण, इसके साथ-साथ पुन इस्तेमाल योग्य ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाना चाहिए तथा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा उपभोग को युक्तियुक्त बनाना चाहिए और ऊर्जा की बचत पर जोर देना

चाहिए ।

जिस बुनियादी नाजुक स्थिति में ऊर्जा नीति के संबंध में एक व्यापक, समेकित और सार्थक नीति अपनाने की आवश्यकता पैदा हुई है वह यह है कि हम केवल तेल पर निर्भर नहीं रह सकते और न ही हमें रहना चाहिए । तेल की सप्लाई और मूल्य दोनों के संबंध में कतिपय अनिश्चितताएं हैं जो केवल तेल पर ही लागू होती हैं, जैसा कि तेल निर्यातक देशों के संगठन द्वारा मूल्य वृद्धि के कारण बहुत से आयतक देशों को तेल के अपने देशी स्रोतों में वृद्धि करने के लिए विवश होना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा भरमार हो गई है और इसीलिए तेल के विश्वव्यापी मूल्यों में कमी का रुख बना हुआ है । परन्तु एक समय ऐसा भी आ सकता है जब मांग की तुलना में सप्लाई में कमी आए और मूल्यों में वृद्धि हो जाए । दूसरे शब्दों में, चूंकि तेल उद्योग में सप्लाई और मांग दोनों मामलों में अनिश्चित उतार-चढ़ाव होते रहते हैं इसलिए यह औ भी आवश्यक है कि तेल पर हमारी निर्भरता अधिकाधिक कम की जाए ।

इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण ऊर्जा नीति के मामले में तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए । इसी आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी ऊर्जा नीति ठोस आधार पर खड़ी होनी चाहिए । इसमें दो तत्व महत्वपूर्ण है-एक तो यह कि अन्य संभावित पुन: उपयोग हो सकने वाले ऊर्जा स्रोतों का पता लगाया जाना चाहिए और दूसरा ऊर्जा की बचत की जानी चाहिए ।

इस संबंध में ऊर्जा की आवश्वकता के मामले में भारत के समकक्ष अन्य देशों की ऊर्जा नीति से तुलना करना आवश्यक नहीं है । उदाहरण के लिए लातिनी अमरीका में प्रमुख तेल उत्पादक देशों जैसा कि मैक्सिको और वेन्जुएला तथा कुछ हद तक देवी कृपा से अन्य तेल उत्पादक देशों जैसा कि पेरू और इक्वाडोर को छोड़कर इस क्षेत्र के शेष सभी देशों की ऊर्जा स्थिति लगभग भारत के समान है ।

इन कई देशों में देशी तेल स्रोत कम होने की वजह से, तथा तेल की खोज और तेल मिलने की आशा के बावजूद वे देश तेल आयात करते हैं और इसके परिणामस्वरूप तेल के उच्च मूल्यों के इस समय में इसका उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है ।

इस विशेष स्थिति के कारण इस क्षेत्र के कई देशों द्वारा, वर्तमान तेल मूल्यों से काफी कम मूल्यों के समय, पानी, कोयले आणविक शक्ति, बायोभास, वायु तथा गैर-संगुणित गैस से ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत ढूढ़ने का प्रयत्न किया था । परिणामस्वरूप इस समय लातिनी अमरीका में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की गुंजाइश और मात्रा अप्यन्त उत्साहवर्धक है ।

यद्यपि हाइड्रोइलेक्ट्रिक जेनरेशन का वर्तमान स्तर इस क्षेत्र की क्षमता का 5 प्रतिशत है फिर भी यह प्रक्रिया कई निर्माणाधीन परियोजनाओं में जारी है, पराना नदी पर संयुक्त ब्राजीलियन-पारेगूशायन परियोजना का 12500 मेगावाट क्षमता की इटेयू परियोजना का पहला चरण भी शामिल है । दूसरा उदाहरण अर्जेन्टाईना का है, जहां अभी हाल में 1995 तक 19000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लिए पूंजीनिवेश कार्यक्रम की घोषणा की गयी है जिसमें से दो तिहाई क्षमता पन बिजली की होगी । चूंकि पन बिजली उत्पादन के स्थल उपभोक्ता क्षेत्रों दूर से

होते हैं, इसलिए ब्राजील इस बारे में बहुत वर्षों से विचार कर रहा है और उसने अब लम्बी दूरी प्रेषण के लिए एक स्पेशल ग्रिड बनाया है।

परमाणु ऊर्जा के मामले में भी लेटिन अमरीका ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। लेटिन अमेरिका का एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन अर्जेन्टाइना में है और शीघ्र ही ब्राजील में भी एक स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। 1980 से 1990 के बीच राष्ट्रीय कार्यक्रम में इसे अग्रगामी बनाये जाने का उद्देश्य है। जिसमें 8 परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाये जाने का प्रस्ताव है। इसके मुकाबले में हमसे कल्फकम परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने जिसे बहुत पहले चालू किया जा चुका है अभी तक कोई भी सतोषजनक प्रगति नही की है।

कोयला, पेट्रोलियम, पानी तथा परमाणु ऊर्जा जैसे हाईड्रोकार्बन संसाधनों के अतिरिक्त ब्राजील जैसे बड़े लेटिन अमरीकी देश एक प्रकार की नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के उत्पादन में प्रयत्न करते रहे हैं।

इन ऊर्जा संसाधनों में बायोमारम सब से महत्वपूर्ण है। 1950 तक इसका उपयोग अनिवार्यत: गैर वाणिज्यिक ही रहा है अब लैटिन अमरीका में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वनस्पति इंधन महत्वपूर्ण रहा है। अब इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग व्यापारिक दृष्टि से बढ़ गया है। इसका उल्लेखनीय उदाहरण ब्राजील है वुड अलकोहल का ऊर्जा साधन के रूप में उत्पादन प्रारम्भिक संयंम स्तर से काफी आगे बढ़ गया हैं।

बाओमारम अलकोहल अथवा इथेनोल, जैसा कि इसे कहा जाता है, का लाभ यह है कि इसे सीधे वायलडर इंधन के रूप में पैट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर तथा गैसोलाईन के रूप में डिजल के स्थान पर भी किया जा सकता है। वास्तव में, ब्राजील के अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि इथेकोल को जब आन्तरिक कामबश्चन इंजन में उपयोग किया जाता है तो इससे कमबश्चन कार्यकुशलता में काफी वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप इंजन चालू करने तथा इमीशन की गुणवत्ता में काफी सुधार होता हैं।

इथेनोल का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ इसका ओटोमोबाइल ईधन के रूप में गैसलाईन मिश्रण के रूप में उपयोग करना है जिसे गैसोहोल और प्रोलकाल भी कहा जाता है। इथेनोल का गैसलाईन मिश्रण के रूप में उपयोग में लाने का आर्थिक मूल्य गैस लाईन के प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन के रूप में 15 से 20 प्रतिशत अधिक है।

इसके अलावा इथेनोल कई प्रकार के बायोगैस से पैदा किया जा सकता है। जैसे चीनीयुक्त पदार्थो, गन्ना, सीरा, आलू से निकला स्टार्च के कार्बोहाईड्रेटस, खजूर के पेड़ तथा लकड़ी तथा कृषि उत्पादों के अवशेषों जैसे सैलूलोजों से, इस सम्बन्ध में सरकार को जिन क्षेत्रों की ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए, वह हैं (1) प्रदर्शन परियोजनाओं द्वारा गेसोलीन तथा ओटीमोबाइल और रसायनिक उद्योगों से समझौतों द्वारा गैसलाइन मिश्रण के लिये इथेनोल को सक्रिय रूप में प्रोत्साहन देना; (2) ऊर्जा का विकास—इथेनोल प्लांट के अच्छे डिजाईन; (3) उचित प्रोत्साहन देकर तथा आवश्यक कृषि अनुसंधान विस्तार तथा ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करके बायो-

फारम के कच्चे माल के उत्पादन को प्रोत्साहन देना ; और (4) ऊर्जा, औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों में काम आने वाली आवश्यक सामग्री के मूल्यों के उतार-चढाव पर काबू पाने हेतु एक ठोस मूल्य प्रणाली बनाना ।

इन सब क्षेत्रों में ब्राजील जैसे देशों के अनुभवों का अध्ययन करना जरूरी है । ब्राजील का अनुभव इसलिए आकर्षक है कि दोनों औद्योगिक और कृषि क्षेत्र दोनों में तथा निर्यात और विदेशी व्यापार के मामले में ब्राजील की सरकार की नीति का यह एक मुख्य अंग बन गया है ।

सभापति महोदय : क्या आप अभी हाल ही में ब्राजील गये हैं ।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : बायोफारम के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कृषि क्षेत्र की कई प्रकार की विशेषज्ञता का होना आवश्यक है । ऊर्जा की मांग को काफी हद तक पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर विकास हेतु लगभग एक दशक का समय लग जायेगा । इसलिये यह जरूरी है कि हम अविलम्ब इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में शुरूआत करें ।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं उर्जा के तीन अन्य स्रोतों का जिक्र करना चाहता हूं जिसकी हमारे देश में काफी क्षमता है । वे हैं सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा तूफानी लहरों से प्राप्त उर्जा । फ्रांस के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि बाद वाले स्रोत की विशेष रूप से गुजरात के तट में काफी सम्भावना है । मैं नहीं जानता कि सरकार ने ऊर्जा के इस वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये हैं जो निश्चय ही देश के कुछ भागों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिये काफी हद तक लाभदायक सिद्ध होगा ।

जितनी भी जल्दी हम अपनी ऊर्जा की नीति पर विचार करना शुरू करेंगे, दीर्घकालीन विकास के लिये यह उतना ही अच्छा होगा । चूंकि सस्ते ईंधन के दिन बीत गये हैं । इसलिए एक ठोस ऊर्जा नीति का बनाया जाना जरूरी है । जिस पर जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में निकासी करने तथा ऊर्जा उपयोग को ऊर्जा संरक्षण योजनाओं द्वारा युक्तिसंगत बनाने हेतु विचार किया जाना चाहिये ।

मैं अपनी बात सम्बन्धित मंत्रालय से अनुरोध करके समाप्त करूंगा । जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है फालतु गैस का जिसके वहां वाष्पन करने की अनुमति दी गई है राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा कार्यों के लिये प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

कच्चे तेल का अधिकारशुल्क काफी वर्ष पहले निश्चित किया गया था कच्चे तेल के बढ़े मूल्यों के बावजूद भी गुजरात ने आनुपातिक दृष्टि से अधिकार शुल्क के जिस प्रतिशत की मांग की थी, उस पर अभी तक केन्द्र ने कोई भी विचार नहीं किया है । अंत में, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा चाहुंगा कि जब भी उनके विचाराधीन देश के विभिन्न भागों की परियोजनायें हों तो श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 के कर्मचारियों की भर्ती स्थानीय लोगों में से ही की जाये । यही नहीं, बल्कि जो लोग अपनी भूमि खो बैठे हैं, जिनकी भूमि का अधिग्रहण परियोजनाओं के लिए किया गया है उन्हे भी रोजगार नही दिया जाता है ।

मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारतीय तेल निगम ने गुजरात भर में तथा विशेषकर बाडीनेर में परियोजनायें शुरू की हैं, उन्होंने जिन किसानों की जमीनें ली हैं, उन्हें रोजगार प्रदान नहीं किया है। (धन्यवाद)

श्री जैनल बशर (गाजीपुर) : सभापति जी, मैं इन मांगों का समर्थन करते हुए, अपनी प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत दिनों से चली आ रही इस आवश्यकता को महसूस किया कि एनर्जी के जो विभिन्न स्रोत हैं, उनको एक मंत्रालय के अर्न्गत रखा जाए। उन्होंने इस बात की अच्छी शुरूआत की और केवल न्युक्लियर एनर्जी जिसका कि अभी जिक्र हो रहा था, उसको छोड़कर बाकी सभी एनर्जी के स्रोतों को एक मंत्रालय के अन्तर्गत ले आया गया है। हम सब लोगों को इस बात की भी बड़ी प्रसन्नता है कि श्री शिवशंकर जी जैसा एक काबिल मिनस्टर इस मिनिस्ट्री को देख रहा है।

सभापति जी, हमें एक बात से भी बहुत प्रसन्नता है कि तेल को खोज के मामले में इस देश ने काफी प्रगति की है। इधर पिछले तीन-चार वर्षों में तेल की खोज में हमारे देश को अभूतपूर्व सफलता मिली है। अभी पिछले दिनों में समाचार पत्रों में पढ़ रहा था --पता नहीं अभी इधर लोक मभा में उसका एलान हुआ या नही, कि बोम्बे हाई के पास तेल का काफी बड़ा भंडार मिला है। मंत्री जी ने यह भी बताया था कि देश तेल के मामले में 1990 तक आत्म निर्भर हो जाएगा। हालांकी 1980 में, उस समय के पेट्रोलियम मंत्री ने 1985 तक तेल के मामले में आत्म निर्भर हो जाने की बात कही थी।लेकिन अगर 1990 तक भी देश आत्म निर्भर हो जाता है तो यह बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे देश के लिए होगी।

इस समय तेल की कोई कमी देश के अन्दर नहीं है। अगर कोई कमी है तो केवल वितरण व्यवस्था में है। इस व्यवस्था के कारण तेल की थोड़ी कमी पैदा हो सकती है। मिट्टी के तेल की शिकायत देश के विभिन्न भागों से आ रही है। मैं जहां से आ रहा हूं, मेरे क्षेत्र गाजीपुर और वाराणसी के आसपास मिट्टी का तेल पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। मुझे यह बताया गया है कि मुगलसराय के डिपो में जो मिट्टी के तेल का कोटा था उसमें 50 प्रतिशत की कमी कर दी गयी है। इस वजह से उस क्षेत्र में तेल की कमी पैदा हो गयी है समझ में नहीं आता कि जब मिट्टी का तेल पूरी मावा में उपलब्ध है तो उस क्षेत्र के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में क्यों कमी की गयी है ? मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस मामले को देखें क्योंकि कल ही मैं अपने क्षेत्र से लौटा हूं। वहां मुझे यह शिकायत मिली थी कि वहां मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है और जो उपलब्ध है वह बहुत मंहगा मिल रहा है।

एक बात और है। गांवों में अब डीजल की आवश्यकता काफी बढ़ गई है, खासकर सिंचाई, पम्प सैट और ट्रैक्टर्स के लिए, और इसकी उपलब्धता भी हमारे पास है, तो गांवों में और अधिक पैट्रोल पम्प खोले जाने चाहियें। कम से कम एक ब्लाक के अन्तर्गत एक डीजल पैट्रोल पम्प अवश्य खोला जाना चाहिये। मिट्टी के तेल के लिए भी अधिक एजेन्ट बनाये जाने चाहियें। अभी जो भी दोष दिखाई देते हैं वह वितरण व्यवस्था के कारण ही हैं। अगर अधिक से अधिक एजेन्ट या डीलर बना दिये जायेंगे तेल के जिनको डायरेक्टर तेल कम्पनियों से सप्लाई होगा तो इसके वितरण में काफी सुधार होगा।

बिजली से तो हम सभी पीड़ित हैं। हमारे प्रदेश में बिजली 5, 6 घंटे से अधिक नहीं मिलती है, हालांकि प्रदेश सरकार कहती है कि बिजली 10, 12 घंटे दी जाती है। लेकिन हम तो देखते हैं कि कहीं तो हफ्तों बिजली नहीं मिलती है। यही बात बिहार में भी है, और देश के दूसरे भागों से भी इसी प्रकार के समाचार मिलते हैं। यह जो स्टेट पावर बोर्ड्स हैं इनकी इनऐफीशियेंसी के बारे में बहुत कहा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में तो बड़ा भारी सफेद हाथी है और इसके भ्रष्टाचार और इनऐफीशियेंसी की बात दोहराते हुए भी शर्म आती है। यहां एक पौलिसी का यह सवाल है कि क्या अब पावर सैक्टर राज्यों के भरोसे पर ही छोड़ दिया जाय या केन्द्र सरकार उसको अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है ? यह विवाद का विषय तब से बना हुआ है जब से राज्याध्यक्ष कमेटी ने पावर को केन्द्र द्वारा लिये जाने को बात कही है। हमारे मंत्री जी कहते हैं कि राज्यों से राय माँगी गई है, और राज्य सरकारें कोई राय नहीं दे रही हैं, उनकी राय आ जाने पर ही कोई कार्यवाही की जाएगी। कब वह राय देंगी और कब कार्यवाही की जाएगी तथा बिजली के मामले में यह देश कब तक सफर करता रहेगा ? कोई ऐसी व्यवस्था की जाय चाहे संविधान में ही संशोधन क्यों न करना पड़े जिससे बिजली को केन्द्र अपने अधिकार में ले सकें। जब तक पावर को सेन्ट्रल सैक्टर में नहीं लिया जाएगा तब तक बिजली की समस्या हल नहीं होगी।

अब सुपर थर्मल पावर स्टेसन्स कोल फील्ड के पास बनाने की बात चल रही है, और कोयले का ढोना ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत पावर को ट्रांसमिट करने को हमारे यहां के कोयले में ऐश कंटेट ज्यादा है। अगर कोयले के साथ साथ ऐश कन्टेंट उठा कर ले जायेंगे उसमें ज्यादा खर्चा पड़ेगा, रेलवे पर काफी बोझ पड़ेगा। इसलिये अगर कोल पिट हैड पर ही पावर स्टेशन बनायें और पावर को ट्रांसमिट करें तो वह रास्ता और आसान पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त बड़ी बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजनायें कार्यान्वित नहीं हो रही हैं क्योंकि पानी के मामले में विभिन्न राज्यों में विवाद हैं। बहुत सी योजनायें सालों से ठप्प पड़ी हुई हैं, उन पर काम नहीं हो रहा है। अगर इसको सैन्ट्रल सैक्टर में ले लिया जाता है तो उन हाइड्रो इलैक्ट्रिक योजनाओं को जो काफी पहले से शुरू की जा चुकी हैं, या जो अन्य ली जाने वाली हैं, उन पर आसानी से काम किया जा सकता है।

इस सिलसिले में एक बात और है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां नदियाँ और नहरें हैं। वह ऐसे स्थान चुन सकती हैं जहाँ मिनी हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लान्ट्स की स्थापना की जा सकती है। अगर इस तरह के बहुत सारे मिनी हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लान्ट्स इस देश में कायम कर दिये जायें तो बिजली के मामले मे काफी हमें राहत मिल सकती है। और छोटे दायरे के अन्दर यह मिनी हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लान्ट बिजली की आपूर्ति और सप्लाई कर सकते हैं।

एक बात जो बहुत दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है कि जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे पब्लिक सैक्टर में हों या प्राइवेट सेक्टर में हों, उनको कैप्टिव पावर प्लान्ट लगाने की इजाजत दी जाये। इस सिलसिले में सरकार का रुख भी अनुकूल प्रतीत होता है, लेकिन पता नहीं

क्यों अभी तक कोई बड़ी इंडस्ट्री, चाहे पब्लिक सैक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, कैप्टिव पावर प्लान्ट लगाने के लिये आगे नहीं आई है ? पब्लिक अंडरटेकिंग्ज इस मामले में दिशा दिखा सकती हैं। कैप्टिव पावर प्लान्ट लगाकर इंडस्ट्रीज की आवश्यकता पूरी की जा सकती है, इससे जो पावर बचेगी, उसे गाँव के किसानों के काम में लाया जा सकता है और छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-धन्धों को वह बिजली दी जा सकती है।

इसलिये बड़े-बड़े उद्योगों को इस बात के लिये एन्करेज करना चाहिये, आवश्यकता हो तो इस बात के लिये दबाव डालना चाहिये कि वह स्वयं अपना पैसा लगाकर अपने पावर स्टेशन बनायें ताकि इस बिजली को दूसरे छोटे काश्तकारों के काम में ला सकें।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कोयले की निकासी के बारे में इम्प्रूवमैंट हुआ है। मैं मंत्री जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने डी० ओ० प्रणाली जैसी भ्रष्टाचारजनक प्रणाली जो हमारे कोयले के फील्ड में कायम थी, उसको दूर किया है। इससे कोयले के उद्योग को काफी राहत मिली है।

मैं समझता हूं कि यह भी विचाराधीन होगा कि बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े स्थानों पर कोल डिपो सरकार की तरफ से बनाये जाने चाहिये और उनसे उपभोक्ताओं को कोयला दिया जाना चाहिये। इससे भ्रष्टाचार में और भी कमी आ जायेगी और कोयले के वितरण में भी काफी आसानी पैदा हो जायेगी।

इन शब्दों के साथ में मंत्री महोदय की सराहना करता हूं और आशा करता हूं जिस लग्न और मेहनत से वह काम कर रहे हैं, उससे एनर्जी के क्षेत्र में इस देश में काफी प्रगति हो सकेगी। धन्यवाद !

श्री शान्ताराम पोटदुखे (चन्द्रपुर) : सभापति महोदय मैं ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। आपने ठीक ही कहा है कि मंत्रालय श्री शिव शंकर जी के सुयोग्य हाथों में है और यह मंत्रालय इस देश की निष्ठा और उचित ढंग से सेवा करते बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है।

महोदय, ऊर्जा उत्पादन देश की प्रथम प्राथमिकता है। यह हमारे विकास की बुनियादी आवश्यकता है। हमें तेल, जल, कोयला, वायु, सूर्य, बायोगैस आणविक स्रोतों आदि सहित सभी स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रयासों में सहायता हेतु विभिन्न अनुसंधानों किए जा रहे हैं। ऊर्जा उत्पादन की लागत के मामले में हमारी चिन्ता बढ़ती जा रही है। जल विद्युत ऊर्जा लागत 12 से 15 पैसे है। आणुविक ऊर्जा लागत16 से 17 पैसे तापखे द्युत ऊर्जा लागत 25 से 35 पैसे के बीच है। डीजल लगभग 100 पैसे प्रति युनिट है। ऊर्जा उत्पादन लागत एक समान नहीं है। ऊर्जा उत्पादन में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा इस लागत को कम किया जाना चाहिए। मैंने जैसा कि कहा है ऊर्जा की आवश्यकता एक बुनियादी बात है और मुझे विभिन्न विभागों के बीच कोई समन्वय दिखाई नहीं देता जिसके परिणामस्वरूप विकास प्रक्रिया में बाधा पहुंची है। कोयला उत्पादन और सुपर थर्मल पावर प्लान्टों की आवश्यकता के बीच कोई समन्वय नहीं है। मेरे

निर्वाचन क्षेत्र में दुर्गापुर के निकट एक सुपर तापविद्युत सयन्त्र है जिसकी उत्पादन क्षमता 2100 मेगावाट होगी और इस पर लगभग 1100 करोड़ रुपये की लागत आयेगी ।

पहला विद्युत उत्पादन सेट लगाया जा चुका है जिसकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट होगी। जलाशय अन्य कुछ कारणों से तैयार नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है और कृषकों की शिकायतों को अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। इससे परियोजना लागत में और 300 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाएगी ।

इसके निकट ही कोयला उत्पादन करने वाली एक खुली खान है। वे प्रतिदिन लाखों लीटर पानी बाहर निकाल रहे हैं जिसका पहले सेट द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता था और जलाशय के निर्माण पर व्यय किए जा रहे 20 से 30 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं। अत: मैं यह सुझाव देता हूं कि जहां कहीं इतनी बड़ी परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं वहां केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों के बीच प्रभावी समन्वय रखने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया जाना चाहिए।

विद्युतीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है विशेषरूप से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को हाथ में लिया गया है। यह काम केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। जहां तक मेरे चन्द्रपुर और गाडचिरौली जिलों का सम्बन्ध है, जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है, राज्य सरकार के अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उस क्षेत्र में 50 प्रतिशत इलाका वन क्षेत्र है। केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना वृक्षों की शाखाएं तक नहीं काटी जा सकती हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विकास कार्यक्रमों को चलाने हेतु ऊर्जा विभाग और कृषि विभाग के बीच समुचित समन्वय की आवश्यकता है।

सड़कों के विकास के बारे में भी यही सब लागू होता है। यह कहा जाता है कि जलविद्युत ऊर्जा के उत्पादन पर सबसे कम खर्च होता है और प्रदूषण भी नहीं होता। अत: यह सबसे अच्छा है। इस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश की सीमाओं पर गोदावरी नदी पर किया जाना है। वहां तक बहुउद्देशीय बांध है जिस पर लगभग 362 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 660 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होगा। इस परियोजना को इंचमपाली परियोजना कहा जाता है। यह एक जलविद्युत परियोजना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है, यह इन्द्रप्रावती नदी पर एक और संयुक्त उद्यम लगाया गया है जिस पर 403 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 1000 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन होगा। उस क्षेत्र में 50 गांवों के लगभग 3000 आदिवासी जो अधिकांशत: भारिया गोंड थे। तथा जो महाराष्ट्र के नये जिले गाडचिरौली के ओर कुछ मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के तथा आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के थे, पिछले महीने की 25 और 26 तारीख को हेमालकासा गांव में जलविद्युत बान्धों के निर्माण का विरोध करने के लिये इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कहा, "हम इन परियोजनाओं द्वारा अपना जीवन नष्ट नहीं होने देंगे। हेम अपनी पूरी शक्ति के साथ इसका विरोध करेंगे।" उन्होंने यह संकल्प पारित

किया था। उन्होंने इसे आदिवासी जाति के विरुद्धकार्य कहा और यह भी कहा कि इसका विरोध एक सामाजिक कार्यकर्त्ता पदम किया जायेगा। श्री बाबा आमते ने ऐसा करा हुआ यह है कि इन परियोजनाओं को बनाते समय पर्यावरण पहलू का ध्यान नहीं रखा गया।

हमारी सरकार पर्यावरण पहलू की ओर बहुत अधिक पयान दे रही है। परन्तु इन परियोजनाओं को प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया गया। पर्यावरण पहलू को रक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य शिक्षा और वाणिज्य जैसे विषय की तरह मान्तया दी जानी चाहिए। होता यह है कि इन परियोजनाओं को बनाते समय इस पहलू की ओर है। केन्द्र सरकार द्वारा पहले से दिए गए अनुदेशों के बावजूद भी इस पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने राज्यों को लिखा था कि पर्यावरण संरक्षण हमारा सामुहिक दायित्व है उन्होंने राज्यों को 4 अप्रैल, 1980 को लिखा था। प्रधान मंत्री ने कहा :

"पर्यावरण परिक्षण हमारी सामूहिक जिमेदारी है। पर्यावरण के बिगड़ने से हमारे देश और हमारी जनता के वर्तमान और भविष्य के लिए खतरा उत्पन्न हो जायेगा। पर्यावरण संतुलन हमारी विकास प्रक्रिया का उतना ही एक अंग होना चाहिए। जितना हमारे राष्ट्रीय संसाधनों के कार्यकरण का। यदि हम केवल अपने मौजूदा संसाधनों के दोहन के आधार योजना बनाएं और संरक्षण और नवीकरण पर कोई ध्यान न दें तो यह विकास के सिद्धान्त को ही न करना होगा। हमें भविष्य के लिये योजना बनानी होगी और विकास में पूंजी निर्माण ने केवल आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से ही आंका जाना चाहिए अपितु प्रकृति के स्वरूप में भी आंका जाना चाहिए। सभी सुविचारशील लोगों को वनों और पर्यावरण परिक्षण के बारे में सोचना चाहिए।"

प्रधान मंत्री जी ने यही कहा है।

इन दो परियजनाओं ने वहाँ के रहने वाले आदिवासी लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। इन आदिवासियों को उस स्थान से बाहर निकालकर कहीं फेंका नहीं जा सकता। उनके पुनर्वास की समस्या उस इलाके में अत्यन्त चिन्ता का विषय बन गई है। इन आदिवासियों की संख्या 20,000 है।

आदिवासी अत्यन्त भयभीत हैं। उनके पुनर्वास की समस्या एक बड़ीहै। लगभग समस्या एक लाख हैक्टेयर वन भूमि को नष्ट किया जा रहा है। वहाँ दुलर्भ किस्म के बहुत से जंगली जानवर है। उन्हें नष्ट किया जा रहा है। इस पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया गया है मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि विद्युत उत्पादन प्रक्रिया आरम्भ होने से पूर्व प्रकृति के संरक्षण के पहलू की ओर ध्यान दिया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अपील करना चाहता हूं।

श्री समीनुद्दीन (गोड्डा) : सभापति महोदय, आजादी के पहले बिजली की हैसियत जो भी रही हो लेकिन आज इस दौर में जबकि हम तरक्की के रास्ते पर है, बिजली की जरूरत इतनी

बढ़ गयी है कि जनता की जिन्दगी बिजली के साथ मोहताज हो गई है, खाना पकाने का काम, रेडियो सुनने का काम, सवारी का काम, पंखे का काम, छोटे उद्योग चलाने का काम—गर्ज कि जिन्दगी की सारी सूरतें बिजली के साथ वाबस्ता हो गई है। अब तो हालत यह है कि हमारे लिए बिजली वही हैसियत रखती है जिस तरह से हमारे जिस्म में रगें और उसमें खून जिस्म जिन्दा रह नहीं सकता है जब तक कि रगें न हों और रगों में खून न हो। उसी तरह से हमने सारा इन्तजात आज बिजली के ढंग पर अपने देश में अपना लिया है इसलिए कि देश तरक्की के रास्ते पर हैं।

हालत यह है कि बिजली की बहुत ज्यादा कमी है। जाहिर बात है कि किसी इन्सान की रगों में खून न दौड़ता हो तो वह कितनी देर तक जिन्दा रहेगा। उसकी जिन्दगी मौत में बदल जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी उतने ही सुस्त हैं, जितनी कि बिजली तेज होती है। मैं कंसलटेटिव कमेटी का मेम्बर हूं। मैं बराबर इस मोटी सी बात को कमेटी के सामने रखता हूं कि मेरे अपने क्षेत्र में जगह-जगह हजारों-हजार ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, जोकि सड़ रहे हैं और सरकार की सम्पत्ति बर्बाद हो रही है। बावजूद इस बात के 1981 से 1983 तक एक भी ट्रांसफार्मर को नहीं उठाया गया है। जब ट्रांसफार्मर को नहीं उठा सकते हैं, तो बिजली कहां से दे सकेगी। लाखों करोड़ों की सम्पत्ति हमारी बर्बाद हो रही है।

सुरत-हाल यह है कि डी वी सी संथाल परगना में है। लेकिन संथाल परगना बिहार को 23 प्रतिशत बिजली मिलती है और बाकी 77 प्रतिशत बंगाल को चली जाती है। 23 परसेंट में पहले बिजली की हालत इसलिए अच्छी थी कि बहुत से गांवों में बिजलीकरण नहीं हुआ था। मगर छठी पंचवर्षीय योजना में प्रखण्ड का प्रखण्ड, सब-डिवीजन के सब-डिवीजन, हर जगह खुंटे गाड़े गए हैं और बिजली दी जा रही है, लेकिन पावर उतनी ही है। जाहिर बात है कि पावर आपको एक सौ गांवों में देने की क्षमता हो और तीन सौ गांवों में आप बिजली लगा दें और टोटल कहें कि 16 घण्टे देते हैं, तो एक सौ गांव के लिए चार-पांच घण्टे हीं होगी। मैंने एक सवाल किया था कि बिजली की आपूर्ति कितनी करते हैं? बताया गया है कि 16 घण्टे हैं। घर जाकर हिसाब लगाया तो वही चार-पांच घण्टे निकला। जाहिर बात है कि तरक्की के रास्ते पर जाने वाला मुल्क जिस प्रकार से बिजली के साथ इसकी जिन्दगी मीहताज हो गई है, अगर चार घण्टे बिजली 24 घण्टे में दी जाएगी तो क्या वह जिन्दा रह सकता है? आप कागजों को पेश करते हैं, रिपोर्ट आती हैं, मगर मैं अपने क्षेत्र के गांवों को देखता हू कि कितनी देर तक बिजली मिलती है, उनको बिजली नहीं मिलती है। कैरोसिन पहले जितना खर्च होता था, उतना आज भी खर्च हो रहा है। हालत यह है कि पावरलूम, छोटे-छोटे उद्योग, आटा मिल, चावल मिल आदि सारे के सारे बन्द हो रहे हैं। यदि किसी-किसी वक्त भोर में बिजली दी जाती है, तो उस वक्त क्या वह रेडियो सुन सकता है,—कुछ नहीं हो सकता है। मैंने कंसलटेटिव कनेटी में एक बात रखी थी कि ज्यादातर इसका ताल्लुक रियासत से है। स्टेट से है, इसयिए मैंने केन्द्रीय कन्सलटेटिव कमेटी में सुझाव रखा था स्टेट के चेयरमैंन को बुलाया जाय ताकि हमारी शिकायतों का समाधान और सुझावों पर अमल हो सके।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी अभी हमारे यहां फरक्का में सुपर-थर्मल पावर योजना ली गई है।

जिसका कोयला ललमटिया से लाया जाएगा जहां कि दस-बारह मीलों तक कोयला ही कोयला है। गाँव के नीचे कोयला है, मस्जिद के नीचे कोयला है, मन्दिर के नीचे कोयला है। आप वहां जमीन एक्वायर कर रहे हैं। जो लोग एक एकड़ से ज्यादा जमीन रखते हैं ओर देते हैं उनको तो सर्विस मिलती है लेकिन जिन लोगों के पास एक एकड़ से कम जमीन है, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनके पास एक एकड़ से कम जमीन है' उनकी जमीन एक्वायर करने पर आप उन्हें सर्विस नहीं देते हैं। हमारी यह प्लानिंग है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को हम ऊपर उठायें। आज हम उन लोगों को सर्विस भी नहीं देते हैं जिनकी कि जमीन लेते हैं। गवर्नमेंट को इस पालिसी को बदलना चाहिए ताकि उस प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को सर्विस मिल सके।

अभी अभी दस वर्ष हो गये उस थरमल पावर का मन्सूबा बने हुए। वह सुपर थरमल पावर गंगा के किनारे होना चाहिए और जहां से कोयला नजदीक में मिलता हो, वहां होना चाहिए। फरक्का वहां से 150 किलोमीटर हैं जबकि कहलगांव 30 किलोमीटर है। इसलिए इस थरमल पावर को कहलगांव में ही होना चाहिए ताकि वहां जल्दी से जल्दी कोयला पहुंचाया जा सके। मन्सूबे में हमने देखा हैं कि इस सुपर थरमल पावर में 22 हजार टन रोजाना कोयला खर्च होगा। अगर यह कहलगांव में होगा तो हमें 30 किलोमीटर ही कोयला ले जाना पड़ेगा क्योंकि फरक्का 150 किलोमीटर पर है और अब तक वहां के लिए रेलवे लाईन भी नहीं बिछी है।

हमारे क्षेत्र के लोगों और किसानों में आजकल नाउम्मीदी छाई हुई है। उनको यह उम्मीद हो गई है कि डी० वी० सी० के जरिये से उनको जितनी बिजली दी जाती है वह अब उनकी जरूरत को पूरी नहीं कर सकेगी, इसलिए वे बिजली मिलने की नाउम्मीदी की वजह से अपने पावरलुम बेच रहे हैं, हांलर बेच रहे हैं और अपने बिजली के कनेक्शन कटवा रहे हैं। उन लोगों ने यह उम्मीद बांध रखी है कि अगर कहलगांव में सुपर थरमल पावर स्टेशन बन जाए तभी उन लोगों को बिजली के मामले में राहत मिल सकेगी।

यह बिजली कम मिलने का कारण क्या है? बिजली कार्पोरेशन इसलिए बिजली नहीं दे पाते हैं कि हमारा बिजली का खर्चा तो पहले वर्षों के मुकाबले में बहुत बढ़ गया है लेकिन ऐसा है कि हांडी में चावल उतने ही हैं जितने कि पहले थे। लेकिन दावत बहुत लोगों को दे दी है, बहुत जगह दावत दे रखी है। चावल हमने बढ़ाये नहीं। खुलासा यह है कि मुल्क में बिजलीकरण बहुत हो गया है। लेकिन बिजली हम उतनी ही सप्लाई करते हैं जितनी कि पहले सप्लाई करते थे। किसी इलाके में चार घंटे बिजली दी, फिर उसे छोड़ दिया। फिर दूसरे इलाके को चार घंटे बिजली दी, फिर उसे छोड़ दिया। जब हम सवाल पूछते हैं तो कह दिया जाता है कि हम 16 घंटे बिजली देते हैं। जबकि बिजली केवल चार घंटे ही मिलती है। लोगों ने बिजली से चलने वाले सामान बहुत खरीद लिये हैं।

मगर आप बिजली नहीं दे पाते हैं, पावर लूम एवं अन्य लघु उद्योग के लिए बिजली नहीं

दे सकते हैं। जब हम पूछते हैं तो कहा जाता है कि 16 घंटे बिजली मिल रही है, मगर वाकई में 4 घंटे ही मिलती है। मैंने बहुत छानबीन की, डी0वी0सी0 आदि जगह पूछा तो पता चला कि 4 घंटे इस इलाके को देते हैं, 4 घंटे उस इलाके को देते हैं, 4 घंटे किसी और इलाके को देते हैं। इस तरह से 16 घंटे हो गये। लेकिन एक इलाके को तो केवल 4 घंटे ही मिली, उससे हम कैसे तरक्की कर सकेंगे ? यह सारी बातें श्री चन्द्रशेखर सिंह ऊर्जा मंत्री के समक्ष कह रहा हूं, अब मुझे उम्मीद है कि इनके मंत्रीमण्डल आने से कुछ उम्मीद की झलक आने लगी है। जब मुझे पता चला कि कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो मैंने श्री चन्द्रशेखर सिंह से बातें कीं। उन्होंने मुझे उम्मीद दिलाई है कि कहलगाँव भी होगा और फरक्का भी होगा। मैं चाहूंगा कि जब वह बहस का जवाब दे तो इस बारे में जरूर आश्वासन दें जब तक कोयला नहीं होगा, जब तक राजमहल ललमटिया से लेकर फरक्का तक रेलवे Line नहीं बनेगी तब तक पावर स्टेशन कैसे बनेगा ? अभी तक सर्वे ही हो रहा है, और जहां मीलोंमील जमीन के नीचे कोयला है उसको ऐक्वायर नहीं किया गया है। अगर देर हो गई तो सत्यानाश हो जाएगा, उम्मीद और सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। इसलिए मैं श्री चन्द्रशेखर बाबू से अपील करूंगा जिस तरह बिजली तेज है उसी तेजी से वह काम करें और अपने कर्मचारियों को भी तेज बनायें। इन्हीं लब्जों के साथ मुहालबेजर की ताईद करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। यह बात सही है कि बिजली विकास का मेरुदंड है। जब तक बिजली का उत्पादन नहीं होगा तब तक किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था का सुधार नहीं हो सकता, चाहे औद्योगिक उत्पादन हो या कृषि उत्पादन हो। मुझे प्रसन्नता है कि 1980 के बाद जिस प्रकार से बिजली के उत्पादन में वृद्धि हुई है, चाहे कोयला हो, पैट्रोलियम हो या और कोई ऐनर्जी सोर्स हो, उससे हमें गर्व है और मंत्रालय तथा इसके अधिकारियों पर भी गर्व है जिनके सतत प्रयास से उत्पादन बढ़ा है। यह हम केवल हाउस में ही नहीं कहते बल्कि विभिन्न अवसरों पर बिजली और कोयले के उत्पादन का जिक्र आता है तो भी कहते हैं

श्री एफ0 एच0 मोहसिन पीठासीन हुए।

आपने बड़े विस्तार से बताया कि पिछले 30 साल से हमारे क्या लक्ष्य रहे हैं और क्या बिजली का उत्पादन किया है। मैं उसकी डीटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन बिजली के बारे में कहना चाहता हूं कि हमें बुनियादी परिवर्तन करने पड़ेंगे यदि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। यही नहीं यहां भी और सदन के बाहर भी बिजली के बारे में अखबारों में कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स सफेद हाथी हो गये हैं। ठीक है आप यह कहते हैं कि···

सफेद हाथी कहने के पूर्व, बिजली बोर्डों की क्या दिक्कत है, यह भी हमें सोचना चाहिए। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड विभिन्न राज्यों के हाथों में है। कन्सल्टेटिव कमेटी का मेम्बर होने के नाते मुझे अनुभव है, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बतलाना चाहता हूं कि धन के अभाव के कारण जो बिजली की संचालन व्यवस्था है, कैपेसिटी है, उसको भी हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं।

इसमें 3, 4 बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। बोर्ड में धन का अभाव, व्याप्त अनुशासनहीनता और मिस-मैनेजमेंट कैसे दूर हो। बोर्ड में धनराशि की समस्या बोर्ड के ही कारण है। बोर्ड जो विभिन्न क्षेत्रों में हैं, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो या और बहुत से क्षेत्र हो सकते हैं, जिसमें हम सब्सीडाइज्ड बिजली देते हैं, उससे जो पावर बोर्ड को घाटा होता है, उसे विभिन्न सरकारें समय से पूरा नहीं करती हैं जब कि सैंट्रल गवर्नमेंट का क्लीयर डायरेक्टिव है कि किसानों को बिजली देने के कारण, या जिन सैक्टरों में सब्सीडाइज्ड बिजली देते हैं उसके कारण जो घाटा हो उसे राज्य सरकारें पूरा करें। आज उत्पादन का उत्तरप्रदेश में 42 पैसे हैं उसमें बैंक का सूद और जोड़ दें तो 20 पैसे और तो इस तरह से 62,63 पैसे प्रति यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। यह कमोवेश करीब-करीब सभी राज्यों में है, यह बात सही है।

हम एन टी पी सी और सेंटर के मंत्री जी को बधाई देते हैं कि वहां हम सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं। यह खुशी की बात है। आज हमें यह विचार करना पड़ेगा कि जो बोर्ड की भावना है, जो धनराशि सरकार से उसे लेनी है क्या वह बिना दिये हम उस पर दोष लगा सकते हैं? जो सरकार के विभाग हैं, जैसे जल निगम, म्युनिसिपल कारपोरेशन, म्युनिसिपल बोर्ड हैं, उनकी गवर्नमेंट सैक्टर की बहुत योजनाएं हैं, उन पर करोड़ों-करोड़ों रुपये इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का बकाया है, तो इस कमी को दूर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम इवाल्व करें कि बिजली देने से बोर्ड को जो घाटा होता है, वह पूरा करें। जैसे एन टी पी सी ने एक सिस्टम तैयार किया है, हमारे क्षेत्र सिंगरौली में पावर हाउस बना है, वहां भर्ती का एक सिस्टम है कि जितने मेगावाट बिजली बनेगी, उसके हिसाब से भर्ती होगी। दूसरी जगह आज ओवर एम्पलायमेंट है। इस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है? इस पर भी विचार करना होगा।

हमारे अनुशासन के 3 सैक्शन हैं। एक इंजीनियर है, दूसरे जूनियर इंजीनियर हैं और तीसरे वर्कर हैं। आज इन तीनों में तालमेल नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि तीनों जो वर्किंग क्लास हैं इनमें समन्वय स्थापित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक बैठक की जाये और हिन्दुस्तान के सारे इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों के आपस के सम्बन्ध अच्छे हों। सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण जब इंजीनियर लोग हड़ताल करते हैं तो जूनियर इंजीनियर कभी-कभी सहयोग करते हैं और जब जूनियर इंजीनियर करते हैं तो वर्कर करते हैं। कभी-कभी तीनों में आपस में मेल नहीं होता है। बिजली के उत्पादन में जो लोग लगे हुए हैं उनमें समन्वय होना चाहिए जिससे उत्पादन में कठिनाई न हो।

मिस-मैनेजमैंट का मेरा मतलब केवल यह है कि जो व्यवस्था है, जैसे एन टी पी सी का उदाहरण दिया, आज जरूरत है कि हम व्यवस्थित ढंग से काम करें। जैसे कोयले की जरूरत है, स्पेयर पार्टस की जरूरत है वह देना चाहिए। आज बी एच ई एल की हम तारीफ करते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। क्या यह सही नहीं है कि विभिन्न इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों को स्पेयर पार्टस और आवश्यक उपकरण हम समय पर नहीं दे पाते हैं?

इस समय उनका अभाव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद टेकनिकल आदमी खराबी वाली, जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं।

सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी ने देश में बहुत अच्छा काम किया है, जिसके लिए हम उसको धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकते । राज्यों के पास संसाधन नही हैं, लेकिन उनकी परियोजनाओं को तेजी से टेक्निकल स्वीकृति दे दी जाती है । जैसे, उत्तर प्रदेश में हिमालयन रेंज की नदियों से सम्बन्धित हाईडल प्राजेक्ट्स के अलावा थर्मल प्राजेक्ट्स को भी लायर कर दिया गया है, हालांकि उनके लिए राज्य के पास पैसा नहीं है । वह समय पर योजनाओं को मानिटर करके क्लीयर कर देता है, लेकिन इस बारे में दिक्कत यह है कि यह स्टेट सबजेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1943 और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 1980 में संशोधन करने की बात बरसों से चल रही है। इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए । जैसा कि श्री जैनुल बशर ने कहा है, जब तक इसको एक केन्द्रीय सबजेक्ट नहीं बनाया जाता, तब तक बिजली के उत्पादन में तेजी नहीं लाई जा सकती, जिसके कारण एग्रीकल्चर तथा उद्योग में प्रगति और 20 प्रोग्राम को कार्यान्वित करना कदापि सम्भव नहीं होगा। इस बारे में श्री राजाध्यक्ष ने बहुत से सुझाव दिए हैं. लेकिन अभी तक उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है।

हमारे देश में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है। सरकार प्राइवेट सैक्टर वालों को कैप्टिव पावर हाउस लगाने की इजाजत क्यों नहीं देती ? उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान एलुमिनियम कार्पोरेशन को 85 मैगावाट बिजली चाहिए, जबकि उन्हें केवल 20 मैगावाट दी जा रही है। वे 67.1/2 मैगावाट के दो यूनिट लगाना चाहते हैं । शायद सरकार उनसे नाराज है, क्योंकि उन पर कुछ पैसा बकाया है और वे कोर्ट में गए हुए हैं । मैं समझता हूं कि इसकी वजह से देश के विकास को नहीं रोकना चाहिए। खास तौर से प्राईवेट सैक्टर के उन प्रतिष्ठानों को पावर हाउस लगाने की इजाजत देनी चाहिए, जो स्वयं पैसे की व्यवस्था कर सकते हों और इंस्टीट्यूशनल फिनांस पर निर्भर न हो ।

सारे हिन्दुस्तान में इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड चलाने का एक यूनिफार्म सिस्टम हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक निगम बना दिया गया है। उससे वहां के इंजीनियरों में असन्तोष है, क्योंकि उनके प्रोमोशन के चांसिज खत्म हो गए हैं । इसके अलावा निगम अपने काम में भी सफल नहीं रहा है । इसलिए केन्द्रीय सरकार को डायरेक्टिव देना चाहिए कि इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई एक्ट के अन्तर्गत बोर्ड बनाया जाए । अगर डीसेंट्रयाइजेशन के लिए आवश्यक हो, तो डिविजनल लेबिल पर बोर्ड बना दिए जाएं, लेकिन निगम बनाकर इंजीनियर्ज में असन्तोष पैदा करने से कोई फायदा नहीं है ।

एन टी पी सी द्वारा ब्यूरो पब्लिक एन्टरप्राइजिज के माध्यम से वेतन तय किए जाते हैं। सरकार को सारे देश के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए एक निश्चित वेतन-नीति निर्धारित करनी चाहिए । अलग-अलग निगमों और बोर्डों में अलग अलग वेतन-दर रहने से काम नहीं चलेगा । इंजिनीयर्ज के असन्तोष को दूर करने के लिए सारे हिन्दुस्तान के लिए एक ही सिस्टम ईवाल्व करना चाहिए ।

जहां तक गांवों में बिजली पहुंचाने का सम्बन्ध है, पिछले वर्ष इंडियन फारेस्ट एक्ट में सशोधन होने के कारण सी ई सी के काम में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार

सरकार से यह मांग है कि वह और उड़ीसा में जंगल विभाग अपने क्षेत्र से बिजली की लाइन नहीं जाने देता।

हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में पावर हाउस लगाने की बात है लेकिन जो लिंकेज आपको करना होता है वह आपने नहीं किया। कोयले में आपने लिंकेज क्यों नहीं किया ? एन टी पी सी उत्तर प्रदेश में पावर हाउस लगाना चाहता है। मिर्जापुर में गंगा नदी के किनारे मोहनपुर नामक स्थान है। पूज्यनीय पंडित जी यहां बैठे हुए हैं, एक स्लीपर का कारखाना वहाँ पर लगाना चाहते थे लेकिन वह नहीं बन सका। वह जमीन पड़ी है। उत्तर प्रदेश की सरकार वह जमीन मुफ्त में देने के लिए तैयार है। वहां पर कोयला भी है और मेन लाइन पर भी है। तो इस तरह से आपकी ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट वगैरह की जो समस्याएं पैदा हो जाती हैं वह न होने पायें।

जहां तक कोयले का प्रश्न है, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि कोयला विभाग के लोगों ने लक्ष्य से आगे उत्पादन किया है। वैगनों के मामले में दिक्कतें होती हैं। हालांकि काफी वैगन्स दिए जा रहे हैं लेकिन कमियाँ हैं। कोलरीज पर जितना उत्पादन किया जाना है, उससे ज्यादा का स्टाक पहले से पड़ा है। इसलिए आप रेलवे से ज्यादा कोआर्डिनेशन करें। बिजपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिए कहा है लेकिन 80 रुपये पर टन से अधिक पर उत्पादन हो रहा है यानि हानि हो रही है ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि नुकसान हो।

इसके अलावा कोयले के सम्बन्ध में मेरा आपसे अनुरोध है कि इसकी व्यवस्था को आप और डिसेन्ट्रलाइज करें, पांच की जगह पर और ज्यादा डिविजन्स बनायें। सी सी एल को तीन डिवीन्स और देने चाहिएं — सिंगरौली में दो अन्य जगहों पर, इससे उत्पादन बढ़ेगा और ऊपर से आपको निर्णय नहीं देने पड़ेंगे। कम्पनियों की संख्या आप भले ही न बढ़ायें लेकिन डिविजन्स की संख्या बढ़ा दें। जैसा कि आपने सी सी एल में किया है, वैसा ही दूसरी जगहों पर भी करें।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि जहाँ तक कोयला उत्पादन का सम्बन्ध है, आपने कास्ट माइन्स और अन्डरग्राउन्ड — दो तरह की माइन्स होती है। जैसा कि हमें बताया गया है कई वर्षों से प्रयास करके ओपेन कास्ट माइन्स के जो इंजीनियर हैं वह 40 परसेंट ज्यादा उत्पादन दे रहे हैं लेकिन उनको एग्जीक्यूटिव में नहीं लिया जाता है। यह बात सही है कि तीन चार बार इन्टरव्यू में मौका दिया गया लेकिन वे सैलैक्ट नहीं किए गए। एग्जीक्यूटिव में उनमें से भी लिए जाने चाहिए। किसको आप लें, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको भी लेने की व्यवस्था करनी चाहिए।

जहां तक पेट्रोलियम की बात है, यह बहुत खशी की बात है कि तीस प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है और अभी अभी बाम्बे हाई के एक और कुएं से तेल निकला है। इसके अलावा महानदी गोदावरी बेसिन में भी खुदाई का काम चल रहा है। हमारे देश का पांच हजार करोड़ का फारेन एक्सचेन्ज बाहर से तेल मगाने पर व्यय किया जा रहा था उसमें आपने दो वर्षों में कमी की है, जिसके लिये आप बधाई के पात्र हैं लेकिन जो मार्किटिंग की व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। आपने

एक जब नियुक्त किया है लेकिन मैं समझता हूं एक सिंगल व्यक्ति के स्थान पर कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए ताकि काम जल्दी हो सके ।

जो रीजनल इम्बैलेंसेज हैं उनकी ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र मिर्जापुर की तरफ कोई ध्यान दिया गया है । वहां पर कलहट में जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहां पर आप पेट्रोल पम्प लगाने के लिए ऐजेन्सीज दें । रेणुकोट में एजेन्सी देने का मामला था लेकिन होता यह है कि जिनको देना होता है. उनकी एप्लीकेशन्स तो ठीक होती हैं और बाकी रेजेक्ट कर दी जाती हैं । 12 में से 9 को रेजेक्ट कर दिया गया । जिन तीन को बुलाया गया उनमें से एक का तो होना ही था । मैं चाहता हूं आप इसकी जांच करायें ।

मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है और मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है । आपने कम से कम इस मामले में सुना है और मैं यह नहीं कहता हूं कि आप किसको दीजिए । लेकिन सारे एप्लीकेन्ट्स को मौका मिलना चाहिए । तीनों विभागों में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है । जैनुल बशर जी ने ठीक ही कहा है कि पहले बिजली उत्पादन का कार्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाता था । पावर हाउसेस में कभी कभी सामान नहीं मिलता था, हमसे शिकायत करते थे, वे भी अब आपके साथ हैं । कोयला भी आपके साथ है और और चीजें भी आपके साथ हैं - मैं एक निवेदन खास तौर से करना चाहता हूं । निश्चित तौर से रेलवे में अधिक से अधिक आपको कोडिनेशन करना है । समय से पावर हाउसेज को कोयला पहुंचना है । यह बात सही है कि कोयले के अन्दर भ्रष्टाचार हो रहा था । मैं इस बात को हाउस के अन्दर कह सकता हूं कि माफिया को आपने समाप्त कर दिया है । कोयले में यह बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है । हमारे ऊर्जा मंत्री, श्री शिव शंकर जो के नेतृत्व में तीनों राज्य मंत्रियों की टीम एक बहुत अच्छी टीम है जो उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ रहे हैं ।

अतः मैं, मैं पुनः महोदय को धन्यवाद देते हुए, इस माँग का समर्थन करता हूं ।

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : सभापति महोदय, ऊर्जा विभाग की कार्यप्रणाली पर आपने विचार प्रकट करने का आपने मुझे जो अवसर प्रदान किया है उनके लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं । महोदय, ऊर्जा हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है । अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए ऊर्जा की पूर्ति और वितरण हेतु एक राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता है । अनेक कारणों से ऊर्जा मन्त्रालय की स्थिति खराब है ।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : क्या वे सामिष भोजी हैं या निरामिष भोजी हैं ?

डा० बसन्ककुमार पंडित : कुछ निरामिष भोजी हैं, कुछ भाग सामिष भोजी हैं और ईसका यह भाग योजना मंत्रालय की दैन है । अतः आधे भाग के लिए उनकी पास घिसापिटा उत्तर है— धन की कठिनाई हैं और उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं । इसके शेष भाग हा जहां तक सम्बन्ध है, जो कि निरामिष और मानव निर्मित हैं और इसलिए मन्त्रालय निर्मित बहुत सी एसी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं । इस खराबी को दूर किया जा सकता है, यदि ऊर्जा उत्पादन इसके वितरण तथा इसके पूर्ण उपयोग की समूची आयोजना उचित ढंग से नियोजित हो । मेरी

ऊर्जा उत्पादन की रूप रेखा लेकर, देश में जिन संसाधनों से विद्युतोत्पादन किया जायेगा उन सभी के जुटाने के ब्यौरों के साथ हमारे सामने आए, हमारे पास ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जिनको कि पूरा होने में पांच से सात वर्ष तक लगेंगे और जो कि पूंजी-प्रमुख हैं तथा करोड़ों रुपए इसमें खपाने होंगे तब कहीं जाकर कई वर्षों के बाद इसके परिणाम उपलब्ध होंगे। अतः हम ऊर्जा की तुरंत सप्लाई चाहते हैं। ठीक है, इसके विस्तार का कार्यक्रम था जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं परन्तु ऊर्जा के वितरण का काम कई कारणों से रुका रहा है। ऊर्जा के वितरण और संरक्षण हेतु विद्युतोत्पादन तथा राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के लिए एक समेकित नियोजित दृष्टिकोण होनी चाहिए। जल, ताप और परमाणु ऊर्जा जैसे पारम्परिक साधनों के अतिरिक्त विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का देश में विशाल भंडार है। इन परंपरागत साधनों पर गत 20 वर्षों में पर्याप्त ध्यान दिया गया है। विद्युत ग्रामीण क्षेत्र में अपेक्षित नहीं पहुंच पा रही है जिसको विद्युत की आवश्यकता सर्वाधिक है और जो कि हमारी अर्थव्यवस्था का मूल और आधार है। देश की अर्थ-व्यवस्था और उन्नति ग्रामीण प्रगति पर निर्भर करती है और वहां पर बिजली प्रत्येक गांव, हरेक घर और हर कुएं पर पहुंचनी चाहिए। इससे कृषि के माध्यम से पूंजी का उत्पादन होगा। मैं इसलिए सरकार से निवेदन करता हूं कि वह देश में ऊर्जा उत्पादन, ससाधनों, वितरण और संरक्षण कार्यक्रमों की व्यापक रूपरेखा सभा के समक्ष रखें।

तापीय जल और परमाणु विद्युत उत्पादन के परंपरागत साधनों के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है और ये पूंजी प्रधान योजनाएं हैं तथा इनसे दीर्घ कालीन पूर्ति होती है,—जो कि बहुत असंभव है। सरकार को गैर-पारंपरिक साधनों जैसे सौर ऊर्जा, बायो-गैस, वायु-ऊर्जा ज्वारीय-ऊर्जा और ऐसी ही अन्य नवीन प्रौद्योगिकी प्रगति जिसमें सस्ती दर पर ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता हो पर आगे कार्यवाही करनी चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्र को तात्कालिक परिमाण मिलेंगे। इस दिशा में कुछ किया गया है, परन्तु उससे अधिक कागजों पर ही है। बहुत-सा काम और गंभीरता पूर्वक करने की आवश्यकता है। सरकार को इस बारे में अपने कार्यक्रम और योजनाओं की घोषणा कर देनी चाहिए। मन्त्रालय सदैव महत्वाकांक्षी योजनाएं लेकर आगे आता है, लोगों की, उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र की आशाएं बढ़ाता है और फिर वित्तीय अड़चनों का वही सामान्य बहाना बनाता है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के 847 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय को काटकर 136 करोड़ कर दिया गया है। इससे बहुत-से 500 मेगावाट की क्षमता बिजलीघरों तथा 200 मेगा-वाट की क्षमता के छोटे बिजली घरों के ऊर्जा कार्यक्रम में विलम्ब होना। मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव भारी रूप से कोरबा विद्युत उत्पादन योजना पर पड़ेगा और सारा काम खटाई में पड़ जाएगा। यह आठवीं पंचवर्षीय योजना तक जाएगी।

राज्य बिजली बोर्ड में क्या हो रहा है? मेरे साथियों द्वारा काफी कुछ कहा गया है। उनमें से अधिकांश बोर्डों की स्थित खराब है। उनकी बहुत सी कठिनाईयां हैं। राज्य बिजली बोर्डों ने कोयला खानों और रेलवे के करोड़ों रुपयों के भुगतान को रोक रखा हैं।

आमतौर पर यह हमारा अनुभव रहा है कि सरकार यह कहकर कि वह उद्योग बीमार है किसी भी उद्योग का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेती है और कारण यह बताया जाता है कि अन्यथा बेरोजगारी फेलेगी। वह बेरोजगारी नही चाहती है। अत: वह बीमार इकाईयों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेती है । सभी राज्य बिजली बोर्डों के साथ भी यही दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। जब तक वे आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम न हो जाएं तब तक उनका अधिग्रहण क्यों नहीं कर लिया जाता है? यदि कोई राज्य बिजली बोर्ड बीमार है तो इससे न केवल बेरोजगारी फैलती है. अपितु औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पाद को भी हानि होती है।

इस स्थिति के कारण कोल इंडिया लिमिटेड भारी आर्थिक संकट में है। बहुत से मामलों से, यह अनेक बिजली बोर्डों द्वारा कोयले की राशि का भुगतान न किए जाने के कारण प्रभावित हुआ है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान जिस एक और मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं कि वह यह कोयले की भारी पैमाने पर चोरी होती होती है। इस प्रकार राष्ट्रीय धन की भारी हानि के बारे में संसद में अनेक प्रश्न पूछे गये हैं। चोरी किए गए कोयले को देश से भी बाहर ले जाकर बगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल और सीमापार निर्यात किया जाता है। कोयले की खानों, भंडारों, रेलवे और परिवाहकों के साथ एक संगठित सम्पर्क बराना हुआ है और यह सब देश को भारी हानि पहुंचाकर किया जा रहा है। सरकार अपनी असमर्थता प्रकट करती है। एक प्रश्न का उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने कहा था कि जो कुछ वह कर सकते हैं, कर रहे हैं, परन्तु वे असुस्पष्ट प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं।

कुछ परिणाम दर्शाने के लिए आप किसी को काल-सूची में डालिए, परन्तु किसको? आपकिसी ट्रक को काली-सूची में डालिए और जिस व्यक्ति को कोयला दिया जाता है उसको काली-सूची में डालिए। परन्तु इन वस्तुओं की सुपुर्दगी कौन देता है? इस भ्रष्ट कार्य का स्रोत कहां है? उन लोगों को तो काली-सूची में नहीं डाला जाता है, क्योंकि सारे देश भर में जहां कहीं कोयले का उत्पादन होता है, वितरण होता है या इसे रखा जाता है, वहीं पर भली भांति— संगठित राजनैतिक माफिया गिरोह के साथ सक्रिय हैं जो इस चोरी को रोकने के लिए वह कौन से स्पष्ट कदम उठाने जा रही। चोरियां छोटी नहीं होती हैं, ये तो करोड़ों रुपये तक की होती हैं। इस दिशा में सरकार एक ठोस कदम उठा सकती है। जो कदम पहले उठाये गए हैं वे तोलोगों में विश्वास जगाने या उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए हैं।

यह तो उस ढंग से स्पष्ट है, जिस तरह संक्षिप्त कार्यवाही करके सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड के अध्ययन और प्रबन्ध-निदेशक श्री बहोरा को सेवा से निकाला गया था। क्या सरकार उन कारणों को स्पष्ट करेगी कि उन्हें क्यों सेवा से हटाया गया। किसको उनके स्थान पर लिया गया, इस नये व्यक्ति की सक्षमताएं क्या हैं,। बहोरा ने क्या कमी कभी थी। उस समय कौन-सा राजनितिक प्रभाव काम कर रहा था? उन्हें इस कोयला माफिया के पीछे कार्य कर रहे समग्र भेद का भंड़ाफोड़ कर देना चाहिए जो कि ठीक सरकार की आंखों के समक्ष सक्रिय है। माफिया के स्थापित गठजोड़ को तोड़ना होगा। मैं मंत्री महोदय को सुझाव देता हूं कि यदि

उन्हें मुझे दिए गए प्रथम "क्रमादेश के रूप में 5000 मीटरी टन कोयला चाहिए तो मैं उन्हें धनवाद या मुगलसराय अथवा पूर्णिया में या जहां कहीं भी वह चाहे, जितना चाहे कोयला दे सकता हूं और यदि वह इसे रेल द्वारा चाहते हैं तो मैं इसे रेल रसीद के अन्तर्गत रेल से भी भेज सकता हूं ? तह सब खुले आम चल रहा है और सरकार की आखों के सामने हो रहा है। इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए बजाए इसके कि किसी ट्रक या ट्रक चालक को या माल प्राप्त करने वाले या बेचने वाले को जा कुछ नहीं बता सकता है, पकड़ा जाये। कार्यवाही वहां नहीं की जानी चाहिए।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले में और भी कठोर कार्यवाही करे।

देश में ताप विद्युत क्षमता उपयोगिता 48 प्रतिशत से घटकर 33 प्रतिशत रह गई। मुझे आशा है कि सरकार का ध्यान 'फिक्की' के प्रतिवेदन की ओर खीचा गया होगा जिसमें कहा गया है कि ताप विद्युत क्षमता की उपयोगिता निम्नतम रही है, जो देश में हर समय से कम है।

हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जावित करना है और यहांपर विद्युत जी आवश्यकता है। अभीहमारे गावों को बिजली दी जानी है। हजारों की संख्या में कुओं को बिजली देना बाकि है। ऊर्जा के परम्परागत स्रोत को गाँव तक पहुंचाना बहुत ही खर्चीला होगा। अत: सोर ऊर्जा और ऊर्जा के अन्य नये स्रोतों के बारे में एक कागजाती कार्यक्रम रखने की बजाय हमें एक त्वरित कार्यक्रम रखना चाहिए जो लोगों तक पहुंच सके। अब इस समय एक नई प्रौद्योगिकी तैयार हुई है। जिसके बारे में विलाग परिचित है। इससे गांव में चिकनी मिट्टी सेडिस्क बनाया जा सकता है। यह एक ग्रामीण उद्योग बन सकता है। इस पर आंयतित एल्यूमीनियम पर्णिका का आवरण रहता है। इसके अतिरिक्त आपने 25 रुपए और 100 रुपए एक सौट कुकर देने का विज्ञापन दिया है। एक बायो-गैस त्वरित कार्यक्रम बनाना होगा ताकि कुछ सीमा तक हम गाँवों को ऊर्जा तथा विद्युत पहुंचा सके, जिसके द्वारा कम से कम कुछ समय के लिए ऊर्जा की कमी की सामान्य समस्याओं का समाधान किया जा सके। धन्यवाद, मैं अपनी बात कह चुका हू।

पंजाब के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : माननीय सदस्यों ने 31-3-1983 को इस सदन में अकाली नेताओं से अपना आंदोलन त्याग देने और हिंसा की निन्दा करने को अपील की थी। किन्तु मोर्चा जारी रहा और 12 मार्च, 1983 के उनके निर्णय के अनुसरण में वरिष्ठ अकाली नेताओं ने समर्थन प्राप्त करने के लिए राज्य भर में धार्मिक सभाओं को सम्बोधित किया। अकाली नेताओं के प्रतिवाद के बावजूद कि आन्दोलन हिंसक नहीं होगा, आदोलनकारियों ने

राज्य के कई स्थानों पर अकारण हिंसा और और आगजनी का सहारा लिया जिसमें उन्होंने तलवारों, भालों, अग्नेयस्त्रों का प्रयोग किया और सम्पत्ती को काफी क्षति पहुंचायी। उन्होंने पुलिस पर भारी पथराव किया और कुछ स्थानों पर गोलियां भी चलाई। उदाहरण के रूप में जिला संगरूर में आंन्दोलनकारियों ने एक बस को, एक पुलिस की जीप को, नगरपालिका के पालिका के एक वाटर टेंकर को और पुलिस बस को आग लगा दी। उत्तरी रेलवे के जालंधर-फिरोजपुर सैक्शन में महलान और ताली मैदान, रेलवे स्टशनों के बीच रैल की पटरियों को उखाड़ा हुआ पाया गया। 2 कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा 2 पुलिस अधीक्षक समेत 175 पुलिस कर्मचारी 1 कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, 2 उप पुलिस अधीक्षक, 4 निरीक्षक और अन्य रैंक के अधिकारी घायल हुए। पुलिस ने संयम और धैर्य से काम लिया परन्तु हिंसा और आगजनी से उत्पन्न स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए गोली चलाने समेत बल प्रयोग करना पड़ा। जैसा कि पंजाब सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से राज्य के विभिन्न स्थानों पर 15 व्यक्ति मारे गये और लगभग 30 जख्मी हुए। मालेर कोटला जहां आन्दोलनकारियोंने भारी पथराव किया, में हुई भग दड़ में 5 व्यक्ति मारे गए और 25 व्यक्ति जख्मी हुए। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा पौर अश्रु गैस छोड़नी पड़ी। आन्दोलनकारियों में भग-दड़ मच गई और इसके परिणाम स्वरूप पाँच व्यक्ति मारेगये। इन पांच व्यक्तियों की शव परीक्षा से मालूम हुआ कि इनमें किसी के भी गोली का घाव नहीं था।

राज्य में यातायात सामान्य हो गया है और स्थिति सामान्य बताई जाती है।

सरकार ने शिरोमी अकाली दल के नेताओं से बार-बार यह अपील की है कि वे हिंसा छोड़ दें और कोई ऐसी कार्रवाही न करें जिससे स्थिति बिगड़े। सरकार का सदैव यह विचार रहा है कि समस्याओं का समधान बातचीत के जरिए एक दूसरे के दृष्टिकोण का सामंजस्य करके किया जाय। उस सदन में माननीय सदस्यों ने इसी तरह के विचार तथा भावनाएं व्यक्त की है। यह दुर्भाग्य की बात है कि शिरोमणी अकाली दल के नेताओं ने आंदोलन के तरीके अपनाए हैं, जिनके परिणामस्वरूप हिंसा हुई। हमने इसके परिणाम देख लिये हैं।

मुझे विश्वास है यह सदन शिरोमणी अकाली दल के नेताओं से टकराव का रास्ता छोड़ने की अपील करने में मेरा साथ देगा जिससे न केवल हिंसा और यातनाओं में वृद्धि होती है बल्कि समस्या का समाधान खोजने के कार्य में भी कठिनाई होती है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसमें एक बात है। मुझे पता चला है कि स्वयं मंत्री जी ने··· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : नहीं। यदि यही हाल चलता रहा तो इसका अन्त नहीं होगा।

इन्द्रजीत गुप्त : यही चलने की बात नहीं है। प्रश्न यह है कि लोगों को मारा जा रहा है। लोगों को सड़कों पर मारा जा रहा है।

सभापति महोदय : आप इस पर चर्चा करने के लिए एक प्रस्ताव का नोटिस दे सकते हैं। और अध्यक्ष महोदय उस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके वक्तव्य का यह तात्पर्य है कि वह सरकार की ओर से इन लोगों को अन्य दल के नेताओं सहित बातचीत करने के लिए पुन: आमंत्रित करने को इच्छुक हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया यह बात किसी अन्य अवसर पर उठाइए। अब नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केवल आप ही···

सभापति महोदय : यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो यह बात समाप्त नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवती : यह एक गम्भीर मामला है। हमने इसको शून्य काल में उठाया था और माननीय अध्यक्ष ने यह कहा था कि मंत्री जी एक वक्तव्य देंगे तथा हम··· **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सारा पंजाब··· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप इन बातों को किसी अन्य अवसर पर उठा सकते हैं। मैं अब इसके लिए भी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप यह चाहते हैं कि पंजाब एक और असम बन जाए ? मामले को हल करने के लिए कुछ उपाय किए जाने हैं।

सभापति महोदय : आप विधिवत नोटिस दे सकते हैं और सदन में इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : बार-बार ऐसा किया जा रहा है। इस पर चर्चा हो चुकी है। आश्वासन दिये जा चुके हैं **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : वक्तव्य देने के पश्चात किसी प्रश्न अथवा चर्चा करने की अनुमति देने का कोई उदाहरण नहीं है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं कुछ भी रिकार्ड न किया जाए।

(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लोगों को··· **(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कृपया कार्यवाही में बाधा न डालें ।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि चर्चा करने के लिए एक प्रस्ताव का नोटिस दीजिए तथा अध्यक्ष महोदय उस पर विचार करेंगे। किसी भी प्रकार की चर्चा की अनुमति देने का कोई पूर्व-दृष्टान्त नहीं है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। रिकार्ड में कुछ भी सम्मिलित न किया जाये ।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब तक मैं अनुमति न दूं कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। श्री राम सिंह यादव ।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप नोटिस दे सकते और उसके पश्चात अध्यक्ष द्वारा उस पर विचार किया जा सकता है ।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं नियमों के अनुसार कार्य कर रहा हूं ।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रिकार्ड में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए ।

(व्यवधान)

अनुदानों की मांगें—1983-84

ऊर्जा मन्त्रालय—जारी

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का जायजा लेने के लिए यह देखना आवश्यक है कि वहाँ प्रति-व्यक्ति विद्युत का कितना खर्चा होता है। इस दृष्टि से हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि भारत में प्रति-व्यक्ति औसतन कितनी बिजली खर्च की जाती है। **(व्यवधान)** देश की प्रगति के लिए हमें विद्युत-उत्पादन के साथ-साथ कोयला-उत्पादन और पेट्रोलियम-पदार्थों के उत्पादन को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिनके माध्यम से कृषि और उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। **(व्यवधान)** यदि आम आदमी के उपयोग के लिए एनर्जी की उपलब्धि नियमित रूप से हो, तो उसमें अपने रोजगार और आर्थिक प्रगति के प्रति आस्था और विश्वास पैदा होता है ।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया ।

आज देश में विद्युत के अभाव के कारण कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। देश के आधे से अधिक राज्यों में बिजली की कमी है। उदाहरणतः पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली का अभाव है। बिजली की इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार को सक्षम कदम उठाने होंगे। सबसे पहले मेरा सुझाव यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक पावर ग्रिड—नेशनल पावर ग्रिड—की स्थापना की जानी चाहिए (व्यवधान)।

आप सभी स्टेट्स के सही पैमाने पर बिजली दें। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे नेशनल पावर ग्रिड बनाने का संकल्प लें। बहुत दिनों से इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है और बहुत से सुझाव दिए जा रहे हैं लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि नेशनल पावर ग्रिड बनाने के लिए कौन से सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत के सम्बन्ध में आज बहुत रीजनल इम्बैलेन्सेज भी पैदा हो गए हैं। आज बहुत सी स्टेट्स में पावर क्राइसिस है। हमारी स्टेट राजस्थान में आज पावर का अभाव है। राजस्थान जैसी स्टेट, जोकि 440 मेगावाट की क्षमता का था, लेकिन आज वह साल भर में 200 मेगावाट भी पैदा नहीं कर रहा है। इसके सम्बन्ध में आपको गम्भीरता के साथ विचार करना होगा कि जो स्टेट्स आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे हैं और जिनकी सारी एकोनामी पावर पर ही डीपेन्ड करती है, वहाँ पर अगर इस तरह से पावर फेल्योर होगा, एटामिक पावर प्लान्ट काम नहीं करेगा तो वहां क्या दशा होगी ? राजस्थान में एटामिक पावर प्लान्ट 365 दिनों में 190 दिन बन्द रहता है। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि वहां पर काश्तकारों और उद्योगपतियों को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होगा। (व्यवधान) शास्त्री जी, आप कुछ राष्ट्रहित में भी सोचें। बिजली फेल होने से पानी देने वाले जो संयंत्र हैं वह भी काम नहीं कर सकेंगे और जहां पर पानी भी न मिल रहा हो, वहाँ के लिए आपको गम्भीरता से सोचना होगा कि किस तरह से वहां बिजली मोहैया की जाए। अतः जब तक आप नेशनल पावर ग्रिड नहीं बनाएंगे तब तक राजस्थान जैसी स्टेट में जहाँ पर पीने का पानी की भी मुसीबत है, बिजली बन्द हो जाने से आम आदमी को पीने का पानी भी नहीं मिलता है, बीस-बीस मील दूरी से पानी लाना पड़ता है, वहां पर समस्या का निदान सम्भव नहीं होगा।

आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए कि राजस्थान जैसी स्टेट के लिए क्या किया जाए। हमारे राजस्थान में बिजली की खपत 22 मिलियन यूनिट है जबकि 9.9 मिलियन यूनिट बिजली ही उपलब्ध है। इसीसे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां पर इण्डस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा होगा। किसी भी प्रदेश की एकोनामी को आगे बढ़ाने के लिए, औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश में खुशहाली लाने के लिए, आप-को सोचना होगा कि किस तरह से उर यूनिट्स को, जोकि बिजली जेनरेट करती है, सही लाइन पर लाया जाए। इस सदन में मैंने तथा हमारे अन्य साथियों ने बार-बार कहा है कि राजस्थान का एटमिक पावर प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत इरैटिक है औरअ भी तक उसका कोई निदान नहीं

निकल सका है। हम पुर-जोर मांग करते हैं कि इस तरह की जो भी यूनिट्स हैं उन सभी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई कमेटी बिठाई जाए और उससे जाँच कराई जाए कि उसमें क्या टेक्निकल डिफेक्ट्स हैं, क्यों वहाँ पर पूरा जेनरेशन नहीं हो रहा है ?

इसी तरह से आज देश में जो इन्टर-स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं वह जिस स्टेट में स्थित हैं वह स्टेट दूसरी स्टेट्स को सही अनुपात में पावर नहीं देती है।

राजस्थान का हिस्सा सतपुरा प्रोजैक्ट में है, इसी तरीके से संगरौली प्रोजैक्ट में है और भाखड़ा नांगल में भी हमारा हिस्सा है। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान प्रान्त का जितना विद्युत का अपना शेयर है, उस अनुपात में उसको नही मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जनरेटिंग यूनिट्स दूसरे प्रान्तों में है, हमारे प्रान्त में नहीं है। यही कारण है कि राजस्थान प्रान्त को जितनी बिजली मिलनी चाहिए थी, वह मिल सकती है, लेकिन मिल नहीं रही है। पिछले तीन-चार सालों में वहाँ पर भयंकर सूखा पड़ रहा है। वहां के किसानों को बिजली न मिलने के कारण उनकी फसलें सूख जाती हैं। मैं आपको अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं अलवर में इण्डस्ट्रीज की यूनिट्स लगाई गई है, लेकिन वहां बड़ी इण्डस्ट्रीज पर सौ फीसदी पावर कट है, मीडियन इण्डस्ट्रीज पर 50 फीसदी पावर कट है और एग्रीकल्चर में केवल चार घण्टे बिजली दी जाती है, वह रात के टाइम में दी जाती। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कोई किसान रात्रि को जनवरी और सितम्बर के महीने में किस तरह से अपनी फसल को पानी दे सकता है। इन हालात को देखते हुए हमने आपसे निवेदन किया था कि जबतक नेशनल ग्रिड्ड नहीं बनेगा तबतक पावर की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपको इस विषय पर गम्भीरता से सोचना होगा और गहराई से सोचना होगा।

राजाध्यक्ष कमेटी ने भी यह सुझाव दिया था कि जितने भी बिजली बोर्डस् हैं या बिजली की अण्डरटेकिंग्स हैं, उन सबकी कार्यप्रणाली दोषपूर्ण है। उनके काम में त्रुटियाँ हैं। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि स्टैट इलेक्ट्रिसीटी बोर्ड आज हजारों करोड़ रुपयों के घाटे में चल रहे हैं—इसका क्या कारण है ? इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी बिजली बोर्डस् है, उनके बारे में राजाध्यक्ष कमेटी ने सुझाव दिया है कि यदि कोई भी बोर्ड ठीक से काम नहीं करता है, तो सेन्ट्रल इलैक्ट्रीसिटी ओथेरिटी को उसको मैनेज का अधिकार है यह अधिकार आना चाहिए। यदि स्टेट ईलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को आप इतनी ओटोनामी दे देंगे कि वह काम को मैनेज न कर सकें तो देश का काफी नुकसान होगा। बिजली बोर्ड आज जिस तरह से सफेद हाथी हैं जिस तरह से आज देश के अन्दर औद्योगिक उत्पादन को गिरा रहे हैं। कृषि उत्पादन को गिरा रहे हैं या और देश की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से आगे बढ़नी चाहिए, वह पीछे जा रही है। इन सब बातों पर सदन को सोचना चाहिए। इतनी बड़ी अन्डरस्टेंकिंग पर अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं और उस अरबों रुपयों का घाटा हो रहा है इसका कारण क्या है ? यदि इसका निवारण नहीं कर पाएंगे तो किस तरह से देश आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ेगा।

एक निवेदन में यह भी कहना चाहता हूं कि स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के जितने भी चेयर-

मैन हैं, ये टेक्नोक्रेट होने चाहिए। इसमें कोई भी आदमी तो टैक्नोक्रेट न हो, उसको कभी भी बिजली बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनना चाहिए और न ही बिजली बोर्ड की सदस्यता देनी चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ट्रांसमीशन और डिस्ट्रब्यूशन लाइन्स की वजह से 19.4 परसेंट पावर जनरेशन कम होता था आप अन्दाजा लगाइए—जहां पर आपका विद्युत 19 परसेंट या 20 परसेंट ट्रिपिंग की वजह से या फलक्चूएशन की वजह से या और दूसरे कारणों से कम होता है, तो उससे राष्ट्र का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए राजाध्यक्ष कमेटी ने सुझाव दिया था कि जनरेशन पर आप जितना रुपया खर्च कर रहे हैं, उसी के अनुपात में आप ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च करिए, यदि आप इसको सही तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचना चाहते हैं। यदि इतना रुपया खर्च करने पर वह कन्ज्यूमर तक नहीं पहुंच पाता है, तो खेती नही होती है। इण्डस्ट्रीज को बिजली नहीं मिलती है, तो उत्पादन नहीं होता है। इसलिए इन सब बातों पर आप टेक्नीकल तरीके से सब पहलुओं पर गम्भीरता से विचार करें।

इसके साथ ही साथ पावर के बारे में प्लानिंग कमीशन ने अब तक जो हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनमें अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष है जो आज देश के सामने नजर आ रहा है। वह दोष यह है कि एक जगह पर हाइडल प्लांट लगा दिया और सारा पानी एक जगह इकट्ठा कर लिया। जितनी भी किसी राज्य की सम्पदा थी, स्कैटरड वाटर था, उससे उस राज्य के बहुत से लोगों को मरहूम कर दिया गया। जिनके खेत कमान्ड एरिया में आते थे उनको तो फायदा हुआ, उनको इरीगेशन के लिए बिजली जल्दी पहुंचती है। इसलिए प्लांनिग कमीशन को इन हाइडल पावर प्लांट के बारे में अपनी प्लानिंग पर दुबारा विचार करना चाहिए और हमें बड़े प्लाँट लगाने के बजाए, छोटे-छोटे इरीगेशन और हाइडल प्लांट लगाने चाहिएं। उनका प्रान्त के हर हिस्से को कुछ-न-कुछ लाभ होगा। केवल एक जगह बड़ा प्लाँट लगा देने से प्रांत के एक खास हिस्से और भाग को ही फायदा पहुंचता है, पूरा प्रांत उससे उपेक्षित रह जाता है। पानी इकट्ठा होकर एक जगह चला जाता है, बाकी लोगों की जमीनें खराब हो जाती में क्यों-कि बिजली का उत्पादन बहुत दूर होने के कारण उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाता।

मैं राजस्थान के बारे में निवेदन करना चहूंगा कि राजस्थान में जितनी विद्युत योजनाएं हैं वे सब फाल्टी हैं। राजस्थान में चाहे उद्योगपति हों चाहे छोटे उद्यमी हों, चाहे किसान हों, उनकी पैदावार किस तरह बढ़ाई जाए, इसका आप जायजा लीजिए और इस पर गंभीरता से सोचिए। इसके साथ साथ सिगरौली थरमल पावर प्रोजैक्ट से भरतपुर और अलवर तब हाई ट्रांसमिशन लाईन बिछाने का कार्यकेन्द्र की सेंट्रल इलैक्ट्रीसिटी अथरिटी ने लिया और इसको बहुत जल्दी किया। इसके लिए धन्वाद देता हूं। ऐसी दिक्कतें क्यों आती हैं? इन दिक्कतों को दूर करने के लिए आप नेशनल लेवल पर प्लान क्यों नहीं तैयार करते हैं? हाई ट्रांसमीशन लाईन के लिए भी आपको परमानेंट व्यवस्था करनी होगी।

इस महकमे के अलावा मैं दूसरे महकमे के बारे में भी कहना चाहता हूं। पेट्रोलियम मिनीस्ट्री को और उसके अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फारेन एक्सचेंज में 700 करोड़ रुपए की बचत है। यह पेट्रोल के भाव कम होने से भी हुई है और यह अपने

यहाँ तेल की भारी मात्रा में खोज के कारण भी हुई है। इसमें सबसे बड़ा और खास कारण यही है कि हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे मंत्री जी ने और हमारे विभाग के दूसरे अधिकारीगण ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है और अपने यहां तेल की काफी खोज की है।

इस तरह से भी हमारे यहां फारेन एक्सचेंज की बचत हो रही है। तेल के मामले में खर्च किये जाने वाले फारेन एक्सचेंज में जो हम कमी ला रहे हैं उसके लिए हमारे ओ. एन. जी. सी. और पेट्रोलियम मंत्रालय से सम्बन्ध रखने वाले सभी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं अपने मन्त्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को जो कि दिल्ली के आसपास रहते थे, या ऐसे नगरों में रहते थे जहा कि सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, राजस्थान के, डैजर्ट एरियाज में भेजा। उनकी उन रेगिस्तानों में भेजा जहां कि पीने का पानी नहीं मिलती चावल नहीं मिलता। लेकिन मैं उन साइंटिस्टों और इंजीनीयरों को दाद देता हूं कि वे पश्चिम राजस्थान में जाकर के तेल के कुओं की ड्रिलिंग कर रहे हैं और इसमें उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है। मुझे आशा है कि मंत्री जी ने जो वहाँ टीम भेजी है, उसमें वे और इजाफा करेंगे और राजस्थान में जहां गैस मिलने की बहुत संभावनाएं हैं, वहां सही तरीके से सर्वे करायेंगे।

जहाँ तक नेचुरल गैस या आयल मिल रहा है वहाँ पर अधिक से अधिक संभावनाओं का पता लगाकर कार्य में तेजी लाई जाए। जो ड्रिलिंज करा रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कार्य में और अधिक विस्तार और गति की आवश्यकता है, जिससे सारी संभावनाओं का पता लगाकर राजस्थान में सुविधाओं को बढ़ाया जाए।

अंत में एक बात कहना चाहता हूं। पेट्रोलियम एण्ड केमीकल्स मिनिस्ट्री की व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन आज देश में केरोसिन की बहुत कमी है। इसका कारण यह हो सकता है कि केरोसिन जो आप स्टेट्स को देते हैं वहां पर वितरण सही प्रकार से नहीं हो पाता। इसके लिए सेंट्रल लेवल पर कोई टीम होनी चाहिए जो वितरण व्यवस्था को चैक करे। यह देखना चाहिए कि केरोसिन गरीब आदमी तक पहुंचता या उसकी डीजल में या पेट्रोल में मिलावट हो जाती है। ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा टैंकर पंप को दे दिया जाता है। कंज्यूमर को केरोसिन नही मिल पाता। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्टेट्स के ऊपर मत छोड़िए बल्कि स्वयं इसको चैक करिए।

इस तरह का कोई विजीलेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इस बात को देखे कि स्टेट्स को दिए गए कोटे का सही वितरण हो रहा है या नहीं। मैं अभी तीन-चार दिन पहले अपने क्षेत्र में गया था। वहां पर यह आम शिकायत थी कि देहाती क्षेत्र में केरोसिन नहीं पहुच पाता। कस्बों में केरोसिन नहीं मिलता। मिलावट होती है। आपने सही व्यवस्था की हुई है और हर स्टेट को आप कोटा दे रहे हैं। लेकिन वहां पर वितरण किस तरीके से हो रहा है इसे भी आपको देखना चाहिए। आप हमको यह कह कर शांत नहीं कर सकते कि डिस्ट्रिब्यूशन स्टेट का काम है। अगर उसमें कहीं गलत हो रही है और पूरा का पूरा टैंकर पेट्रोल डीलर्स अपने काम में ले लेते हैं तो इसके लिए आपके पास एक टीम होनी चाहिए। वह टीम असेसमेंट करे। इस बारे में आप

ठोस कदम उठाएं ।

एक सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । जो रीजनल इंटरस्टेट इलैक्ट्रिसिटी अथारिटीज काम नहीं करेंगी, स्टेट्स का आपस में कोआर्डिनेशन नहीं होगा तब तक इस क्षेत्र में इंबेलेंसेस को दूर नहीं किया जा सकेगा । आज पंजाब सरप्लस में है, हिमाचल में सरप्लस है लेकिन राजस्थान को बिजली मिल सकती जो अपनी क्षमता का 50 प्रतिशत भी उत्पादन नहीं कर पाता है । जब तक इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रब्यू के सम्बन्ध में इस तरह की अथारिटीज काम नहीं करेगीं तब तब तक आप रीजनल इंबेलेंसेस को दूर नहीं कर सकेंगे ।

इन सुझावों के साथ सदन में आपके महकमे के लिए जिन अनुदान मांगों को प्रस्तुत किया गया है उनका मैं हृदय के साथ समर्थन करता हूं। जय हिन्द ।

सभापति महोदय : श्री चन्द्रपाल शैलानी ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : मुझे आपकी सूचना मिल गई है। उस पर अध्यक्ष महोदय विचार करेंगे ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं चाहता हूं कि नियम 376(2) अन्तर्गत यह प्रश्न इस सदन में उठाया जाए और इस पर चर्चा की जाए ।यह बहुत महत्वपूर्ण है । पंजाब की स्थिति महत्वपूर्ण है । इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है और मैं चाहता हूं कि नियम 376 के अधीन सदन में इस पर चर्चा की जाए ।

इस लिये मैंने इस विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें ।

सभापति महोदय : आप अपने व्यवस्था के प्रश्न पर बोल सकते, न कि अपनी सूचना के बारे में ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सभा की कार्यवाही को इस प्रकार से पुनः नियोजित किया जाए, जिससे पंजाब की स्थिति और खासकर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के बारे में तत्काल चर्चा की जा सके ।

सभापति महोदय : मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मुझे आपकी सूचना मिल गई । और उस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा विचार किया जाएगा। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । अब श्री चन्द्रपाल शैलानी बोलेंगे ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उस पर अध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा । जब इसे स्वीकार कर लिया जाएगा तब आप चर्चा कर सकते हैं । अब श्री सी. पी. शैलानी बोलेंगे ।

श्री रामौतार शास्त्री (पटना)' : श्रीमन मामला बड़ा ही महत्वपूर्ण है और अवलम्बनीय महत्व का है, आप इस पर देरी क्यों कर रहे हैं ?

प्रो० रूपचन्दपाल (हुगली) : श्रीमन, मैं आपसे एक छोटी सी निष्कर्ष चाहता हूं । दूसरे सदन में, किसी महत्वपूर्ण वक्तव्य दिये जाने के बाद···**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्रीमन, मैं इस सदन के पूर्वोधारण का हवाला देना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : हम दूसरे सदन के किसी पूर्वोदहारण का हवाला नहीं दे सकते ।

(व्यवधान)

प्रो० रूपचन्दपाल : कृपया मेरी बात सुनिए मैं भी कुछ कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : क्या आप व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह व्यवस्था के प्रश्न के समर्थन में बोल रहे हैं ।

प्रो० रूपचन्द पाल : पिछली बार मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद, उन्होंने सदस्यों द्वारा उठाए गये मुद्दों का भी स्पष्टीकरण दिया था । इस दफा भी, ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर, हम आशा करते कि मन्त्री महोदय सदस्यों को कम से कम कुछ स्पष्टीकरण देंगे ।

सभापति महोदय : मैं भी एक वरिष्ठ सदस्य हूं और नियमों को जानता हूं । वर्तमान नियमों के अनुसार किसी मन्त्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के पश्चात . कोई भी चर्चा पर प्रश्न करने की अनुमति नहीं दीं जाती है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वर्तमान नियमों में, क्या पंजाब के मामले का जिक्र है ? यह कोई साधारण स्थिति नहीं है । वह एक सामान्य प्रक्रिया है आप ऐसा वैसा कह सकते हैं ?

सभापति महोदय : लेकिन नियम हैं और हमें इनके अन्तर्गत कार्य करना है । अब श्री चन्द्रपाल शैलानी बोलेंगे । क्या आप बोलना नहीं चाहते या क्या बात है ?

(व्यवधान)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री रामावतार शास्त्री : अब वे आ गए हैं । अब वे पंजाब की स्थिति पर फ़ैसला देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है । केवल श्री चन्द्रपाल शैलानी ही बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमन, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसको अध्यक्ष को भेज दिया है। पहले जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। मैं आगे की ओर देख रहा हूं। मैं पीछे नहीं देखता। अब श्री चन्द्रपाल शैलानी बोलेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : पंजाब का प्रश्न इस समय है न कि भूत में।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि अब आप आ गए हैं, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

रामावतार शास्त्री : पुराना पंजाब, एक और पंजाब था और वर्तमान पंजाब एक अलग पंजाब है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रपाल शैलानी।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष जी, ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों का मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। श्रीमन्, इस मंत्रालय के अन्तर्गत जो चीजें आती हैं आज के आधुनिक जीवन में उनका अत्याधिक महत्व है, जैसे बिजली, कोयला पानी, परमाणु और पेट्रोलियम। यदि इन चीजों की आज कमी रहती है या उनका उत्पादन नहीं होता है तो मनुष्य का जीवन पंगु हो जाएगा और उसका सारा विकास अवरुद्ध ही जायगा। श्रीमन्, यह वह चीजें हैं जिसका आज के जीवन में बहुत महत्व है। बिजली, कोयला, पेट्रोलियम के वगैर न कोई उद्योग, फैक्ट्री, कारखाने चल सकते हैं और न ही रेलगाड़ियां और मोटर चल सकते हैं, और न देश का विकास हो सकता है।

आजकल के जमाने में तो खेती भी मैकेनाइज्ड हो गई है और डीजल से ट्रैक्टर, पम्पिग सेट सभी चलते हैं। खेती से लेकर कारखाने सभी पैट्रोलियम पदार्थ, कोयला और बिजली पर निर्भर रहते हैं, खेतों में खाने के लिए अनाज पैदा होता है और कारखानों में मनुष्य के जीवन के लिये हर आवश्यक चीज तैयार होती है। अगर आज के जमाने में इनकी कमी होगी, या इनका उत्पादन नहीं होगा तो हम जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं' हमारा देश जितनी तरक्की करना चाहता और देश का जितना विकास होना चाहिये, वह नहीं हो पायेगा और न ही हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मोटरें और रेलगाड़ियां नही चल सकेंगी जिससे यातायात ठप्प हो जायेगा और बहुत सी जरूरी चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचायी जा सकती हैं वह भी नहीं पहुंचायी जा सकेंगी। वह चीजें आज के जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी हैं।

जैसा अभी हमारे एक साथी ने कहा था कि इस समय देश में बिजली की कमी है। इधर के साथियों ने तो शोरगुल मचाया। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश में चाहे जिस राज्य में देख लें, किसी भी पार्टी की सरकार हो चाहे हमारी पार्टी की या विरोधी दल की, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर बिजली पूरी मात्रा में मिलती हो और वहां बिजली की कटौती न होती हो, उत्पादन कम न हो।

इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी मैं अपने उन तथाकथित प्रगतिशील विचारधारा के भाइयों को ठहराऊंगा, जो अपने ऊपर कम्युनिज्म का जामा पहने हुए है और गरीबों के मसीहा अपने आप को कहते हैं वे यहाँ हड़ताल कराते हैं, मजदूरों को काम पर जाने से रोकते हैं। ऐसी स्थिति उतपन्न करते हैं कि बिलली का उत्पादन यदि होने वाला भी हो तो न हो ।

मेरे जिले में कासिमपुर पावर हाऊस है । वहां पर आये दिन लाल झण्डा लगा रहता हैं। इनके समर्थक वहां मजदूरों को बरगलाते रहते हैं । यदि मैं यहां तक कहूं कि ये असामाजिक तत्वों से मिलकर कोयले की चोरी करवाते हैं तो भी गलत न होगा । इससे उत्पादन ठप्प होता है ।

एक माननीय सदस्य : सबसे ज्यादा आपकी पार्टी के लोग हैं ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : वहां बड़े-बड़े यूनिट हैं । जितनी बिजली वहां पैदा होनी चाहिए थी, नहीं होती हैं । यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के देहाती इलाकों में 2, 3, 4 घंटे से ज्यादा बिलली नहीं पहुंचती ।

आज ऐसे समय जबकि उत्तर प्रदेश में हाई स्कूलों की परीक्षाएं हो रही हैं, जब विद्यार्थियों को बिजली नहीं मिलती तो उनका अध्ययन नहीं हो पाता और वह अच्छी तरह से पर्चे भी नहीं कर पाते । आज वहां मिट्टी का तेल भी उपलब्ध नहीं है जिससे उस रोशनी में वह रात को अध्ययन कर सके और सुबह अच्छी तरह से परीक्षा में कुछ कर सके ।

आज हमारे माननीय मंत्री जो के मजबूत कन्धों पर हमारी नेता माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इतने जिम्मेदार मंत्रालय का भार सौंपा है, मुझे उम्मीद है कि वह एक ऐसा कदम उठायेंगे बेहतर व्यवस्था करेंगे जिससे मजदूरों, विद्यार्थियों और कमजोर वर्ग के लोगों को कम से कम इन चीजों की कमी न हो ।

आज वहां होता क्या है ? वहाँ पर लगे इंजीनियरों, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, लाइन इन्सपैक्टर यह करते हैं कि कुछ बड़े-बड़े उद्योगपतियों और कारखानों के मालिकों से मिल जाते हैं और उनको ज्यादा बिजली देते हैं । किसान को बिजली वह कम देते हैं । यदि देते भी हैं तो वह ना के बराबर और वह भी रात के समय में ।

किसान एक कर्मठ वर्ग है जो कि बहुत मेहनत करता है, उसको रात में बिजली दी जाती है । होना यह चाहिए कि किसान को दिन में बिजली दी जाये और उद्योगों व कारखानों को रात में बिजली दी जाये ।

हर राज्य में बिजली बोर्ड है । हमारे कुछ साथियों ने उन्हें सफेद हाथी कहा है । किसी जमाने में पुलिस का विभाग सबसे ज्यादा बदनाम था, पुलिस को भ्रष्टाचार के लिए दोषी पाया जाता था । यह आज स्वतंत्र भारत में ही नहीं, अंग्रेज के जमाने में भी यही था । लेकिन आज धारण यह है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हाइडल में है, बिजली विभाग में है । वहां बगैर पैसे के ट्यूबवैल मंजूर नहीं होता, बिजली का कनैक्शन मंजूर नहीं होता । इसके लिए जिला स्तर के

अधिकारी दोषी हैं।

माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव पर विचार करें कि जितने प्रदेशों के इलैक्ट्रसिटी बोर्ड है, जो कि अपने आप में आटोनामस बाडी हैं, आज उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी हैं। जरूरत इस बात की है कि वह इस विषय को गंभीरना से लें कि इलेक्ट्रसिटी बोर्ड अपनी जगह पर रहे, लेकिन हर स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण होना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार को उन्हें डायरेक्ट आदेश देने का अधिकार होना चाहिए, जिसकी वे अवहेलना न कर सकें, ताकि बिजली के उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था अच्छी हो।

एक बार उत्तर प्रदेश में बिजली के इन्जीनियरों की हड़ताल हुई थीं। सरकार को जीवन के लिए आवश्यक संस्थाओं में हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

आज के युग में कोयले का एक विशेष स्थान है। बिहार में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। इसके अयावा मध्य प्रदेश और अन्य जगहों में भी कोयला निकाला जाता है। इन कोयला खदानों का आधुनिकीकरण करना चाहिए और वहाँ पर अच्छी से अच्छी मशीनें लगानी चाहिए, जिससे वहां काम करने वाले मजदूरों का जीवन खतरे में न पड़ सके। हमने देखा हैं कि कई कोयला खदानों में हुई दुर्घटनाओं में बहुत से मजदूर अपनी जानें गंवाते हैं। सरकार को उन मजदूरों के स्वास्थ्य, चिकित्सा और बच्चों की एजूकेशन आदि की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक सुविधायें देनी चाहिए।

जहां तक कोयले की ढुलाई का सम्बन्ध है, रेलवे मंत्रालय उसके बीच में आता है। यह देखा जाता है कि टाटा, बिड़ला और दालमिया जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को कोयले की ढुलाई के बारे में वरीयता दी जाती है और उन्हें बिजली भी सस्ती दर पर उपलब्ध की जाती हैं। सरकार की लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को अधिक कोयला और बिजली मुहैया करनी चाहिए, जिससे उनका विकास हो सके और देहात के मजदूरों को रोजी-रोटी मिल सके।

जहां तक पेट्रोलियम का सम्बन्ध है, आज भी हम इस मामले में आत्म-निर्भर नहीं है। हमारी लोकप्रिय सरकार ने बम्बई हाई से तेल निकाला शुरू कर दिया है। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आदि अन्य जगहों में भी तेल की खोज हो रही है और तेल पाया गया है।

लेकिन इस हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता कि आजादी के 35 वर्ष बाद भी हम इस बारे में आत्म निर्भर नही हो पाये हैं। मंत्री महोदय ने पीछे यह आश्वासन दिया था कि हम पेट्रोलियम में जल्दी से जल्दी आत्म निर्भर हो जायेगे। विदेशों से पेट्रोलियम पदार्थ मंगाने में हमें अपार धनराशि देनी पड़ती है। अगर हम अपने विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की सहायता से एक योजनाबद्ध ढंग से काम करे, तो कोई कारण नहीं है कि हम इस विषय में आत्म-निर्भर न हो सके।

आज के जीवन में पेट्रोलियम के महत्व को देखते हुए सरकार को जगह जगह पर तेल की

खोज करने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि हमारी विदेशी मुद्रा में बचत हो सके और उसे देश के विकास के काम में लगाया जा सके।

मैं मंत्री महोदय और खास तौर से अपनी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी, का शुक्रगुजार हू कि मेरे क्षेत्र में सलीमपुर में एरोमैटिक्स काम्पलेक्स लगाने का फैसला किया गया है।

अभी 22 फरवरी को मैं ने सवाल पूछा था जिसका उत्तर राज्य मंत्री, श्री गार्गी शंकर मिश्र जी ने दिया था। मैंने पूछा कि इस काम्प्लेक्स का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है तो उन्होंने बताया था :

(क) स्थल का चयन किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं, संभाव्यत: रिपोर्ट तैयार कर दी गई है और परियोजना के लिए एक कार्यकारी दल की स्थापना की जा चुकी है।

(ख) हरा क्षेत्र, नगर क्षेत्र और पुनर्वास प्रयोजनों के लिए क्षेत्र सहित लगभग 2000 एकड़ भूमि की अनुमानित आवश्यकता होगी। राज्य सरकार द्वारा निजी भूमि को अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं।

(ग) संयंत्र क्षेत्र के लिए भूमि सर्वेक्षण एवं मिट्टी का परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। प्रोसेस लाइसेंसर्स का अभी चयन नहीं किया गया है।

(घ) इस काम्पलेक्स को पूरा करने में लगभग 5 वर्ष लगेंगे।

मैं यह कहना चाहता था कि अभी प्रोसेस लाइसेंसर्स का चयन नहीं किया गया है। यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं ऊर्जा मन्त्रालय का तथा अपनी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी का बड़ा शुक्रगुजार हूं, उस क्षेत्र की जनता कोटि-कोटि धन्यवाद देती है कि उन्होंने इस पिछड़े हुए क्षेत्र में इतना बड़ा कारखाना दिया। माननीय मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि अभी प्रोसेस लाइसर्स का जो चयन नहीं किया गया, उस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करके उनका चयन कर दिया जाए। मैं माननीय मिश्र जी से और माननीय शिव शंकर जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रधान मंत्री जी से सम्पर्क स्थापित करें तथा शीघ्र से शीघ्र इस कारखाने के काम्पलेक्स का उनके द्वारा शिलन्यास करा दें ताकि उस क्षेत्र की जनता में एक नयी उमंग पैदा हो सके। वह एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, सदियों से पिछड़ा रहा है, वहां पर इस कारखाने के द्वारा जहां एक ओर औद्योगिक विकास हो सकेगा, वहां दूसरी ओर गरीबी भी मिट सकेगी तथा बेरोजगारी भी दूर होगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं तथा मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांगो का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को मुरबाकबाद देता हूं कि उन्होंने अच्छबहुता कार्य किया है और वे इस मामले में भाग्यशाली भी

हैं कि जहाँ भी उन्होंने खुदवाई करवाई, वह तेल प्राप्त हुआ। एक समय ऐसा भी था, जब कुछ देश यह टिप्पणी करते थे कि इस देश में कहीं भी तेल नहीं...

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको मद्रास ले जाना चाहता हूं, ताकि वे जहां भी खुदाई करवायें वहीं पानी निकले।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : वे सिर्फ तेल के मामले में ही भाग्य शाली हैं।

अध्यक्ष कहोदय : मैं तेल नहीं चाहता ! मैं चाहता हूं कि तमिलनाडु को पानी मिले।

(व्यवधान)

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : सोवियत संघ ने यह कहा था कि भारत में तेल के भंडार है और आज यह सत्य सिद्ध हो गया है। स्व० श्री मालवीय ने तेल का पता लगाने के लिए खुदाई करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित करने की परियोजना बनवाई थी और उन्हें इस कार्य में सफलता भी मिली थी। उनके सपने पूरे हो रहे हैं और आज हम अपनी आवश्यकता को आधे के लगभग तेल अपने यहां निकाल रहे हैं ..

एक माननीय सदस्य : आधा नहीं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : एक या दो वर्षों तक, मैं समझता हूं कि 1985 तक हम अपनी आवश्यकता की 5% अपने स्रोतों से ही पूरा कर पाएंगे। हमें इस वर्ष के लिए पैसा खर्च करने में कटौती नहीं करनी चाहिए। हमें बड़ा उदार होना चाहिए और ससद को इतनी पर्याप्त धनराशि चाहिए जितनी कि मंत्री महोदय चाहते हैं ताकि वह अच्छा कार्य कर सकें।

जहाँ तक बिजली बोर्डों का सम्बन्ध है, उनकी काफी आलोचना हुई है। दिन जब मन्त्री महोदय जवाब दे रहे थे तो मैंने बीच में कहा था कि जहां तक बिजली बोर्डों का प्रश्न है, आंध्र एक अपवाद है। यहाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। सभी ताप बिजली परियोजनाएं अच्छी प्रकार से और पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। वहाँ का चेयरमैन मेहनती व्यक्ति हैं। वह रात तीन बजे अधिकारियों को बुलाकर कार्य करवाते हैं। वह करीब-करीब 24 घंटे ही ड्यूटी पर रहते हैं। मैं चाहता हूं कि अन्य स्थानों के चेयरमैन भी इनसे सबक सीखें। उस चेयरमैन ने श्री कृष्णचन्द्र पन्त के अधीन कार्य किया हुआ है। उनका नाम श्री टाटा राव है और वह वास्तव में मध्य प्रदेश के हैं। उस समय श्री कृष्णचन्द्र पन्त वहाँ थे। उनकी सेवाओं प्रशंसा की गई और आँध्र प्रदेश ने उनकी सेवाएं अपने यहां ले ली हैं। वह काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं।

जहां तक पारेशण सम्बन्धी घाटे का प्रश्न है, हम उनको कैसे कम कर सकते हैं ? मैं समझता हूं कि अगर इनको कम किया जा सके तो देश बिजली के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो जाएगा। जैसाकि आपने कहा कि पानी को हर जगह नहीं ले जाया जा सकता लेकिन बिजली को हर जगह, चाहे वह ऊंची जगह पर हो या नीचे की जगह पर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यही कारण है कि मैं, माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करवाएं कि

आँध्र प्रदेश में श्री सेलम परियोजना को तुरन्त पूरा किया जाए । छोटी-छोटी बातों के लिए कुछ लोग विभाग में झगड़ते रहते हैं । मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय स्वयं यह सुनिश्चित करें कि यह परियोजना जून मास से पूर्व तैयार हो जाएगी । मैं समझता हूं कि अगर यहां पूरा उत्पादन होने लगे तो हम न केवल आँध्र प्रदेश की ही आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे बल्कि तमिलनाडु और कर्नाटक को भी 400 करोड़ रुपये की फालतू बिजली दे सकेंगे । इससे आपकी पानी की समस्या भी सुलझ जायेगी । जैसा कि हम जानते हैं कि पानी से बिजली पैदा करना काफी सस्ता पड़ता है । यह परियोजना तमिलनाडु और कनाटक के काफी पास है और हम इन दोनों राज्यों की पूर्ति कर सकेंगे ।

जहां तक हिमाचल प्रदेश में बिजली के उत्पादन के सम्बन्ध है, वहां अनेक नदियां बहती हैं और एक बार ऐसा अनुमान लगाया गया था कि यदि वहां 1.200 करोड रुपये खर्च किए जाएं तो वहां इतनी बिजली पैदा की जा सकती है जिससे न केवल उत्तरी राज्यों बल्कि राजस्थान को भी बिजली दी जा सकती है । हम इस पर विचार क्यों नहीं विचार करें और केन्दीय खजाने से 1,200 करोड़ रुपये क्यों नहीं खर्च करे ? जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक छोटा सा राज्य है और इतने बड़े कार्य के लिए उसके लिए आवश्यक साधनों का जुटा पाना सम्भव नहीं होगा । आखिरकार इससे देश का धन ही बढ़ेगा । इसलिए मैं जोरदार समर्थन करता हूं कि केन्द्रीय सरकार को 1,200 करोड़ रुपये देने चाहिए, ताकि यह परियोजना हाथ में ली जा सके । रक्षा के बाद इसे प्रथमिकता दी जानी चाहिए—यानि ऊर्जा को, ताकि देश की फैक्टरियाँ अपनी पूरी क्षमता से कार्य करती रहें । आजकल हमारी बहुत सी फैक्टरियाँ पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रही हैं, जिसके फलस्लस्वरूप हमें करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है । आजकल फैक्टरियों में केवल 40-60% उत्पादन हो रहा है, अगर उन्हें 24 घंटे बिजली की आवश्यक सप्लाई मिलती रहे तो उत्पामन में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय धन में भी वृद्धि होगी । पश्चिम बंगाल और अन्य स्थानों में कारखाने केवल 10 या 18 घंटे ही चल रहे हैं । (व्यवधान) जी हाँ, जैसाकि श्री रंगा जी ने कहा कि इसे लागत मूल्य में भी वृद्धि होती है ।

श्रीमन् हम इस स्थिति में हैं कि लोगों को सस्ती दरों पर बिजली सप्लाई कर सकें । अब मैं चाहूंगा कि मन्त्रीं महोदय यह सुनिश्चित करें कि पिछड़े इलकों में पेट्रोल पम्प खोले जाएं । मिसाल के तौर पर हमारा मेरठ जिला और अन्य स्थान हैं ।

मैं माननीय मंत्री तथा उनके साथियों को अधिक पेट्रोल पम्प खोलने के लिए सुझाव देता रहा हूं ताकि ये सभी पिछड़े क्षेत्रों में स्थान-स्थान पर स्थापित हों और लोगों को पेट्रोल तथा डीजल के लिए दूर-दूर तक न जाना पड़े ।

कृषकों को बिजली की पूर्ति पूरी मात्रा में की जानी चाहिए । ताकि कृषि को बिजली की कमी के कारण हानि न हो । यदि कृषि को हानि होती है तो उद्योगों समेत सभी चीजों को हानि होगी ।

आजकल चावल या गेहूं या खाद्यान्नों के लिए होहल्ला किया जा रहा है । यदि हमारे

किसानों को पूरी मात्रा में बिजली प्रदान की जाए तो वे चमत्कार कर देंगे जैसाकि उन्होंने हरियाणा और पंजाब में किया है।

हरियाणा में हमारे बन्शीलाल जी जो इस सभा के सदस्य हैं, राज्य की समृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वाह, वाह।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सभी परियोजनाओं को बजट तथा निर्धारित समय में पूरा किया है तथा हमारे समूचे देश में और शायद अन्य देशों में भी इस बात का कोई सानी नहीं है जहाँ पर परियोजनाएं निर्धारित समय में तथा बजट व्यवस्था के अन्तर्गत पूरी की गई हों। एक बहुत ही अच्छा सम्पादकीय था—जब वे मन्त्री थे, वह अलग बात है—परन्तु यह सम्पादकीय तब छपा था जब वे सस्ता में नहीं थे। मैंने एक ऐसा सम्पादकीय 'इक्नोमिक्स टाइम्स' में पढ़ा था कि श्री बन्शीलाल ने यह किया था। अब मैं चाहता हूं कि वर्तमान मन्त्रालय तथा मन्त्री एवं राज्य मन्त्री भी यह सुनिश्चित करें कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय तथा बजट के अन्तर्गत पूरी की जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि परियोजनाओं में विलम्ब होता है तो लागत में वृद्धि हो जाएगी और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी।

साथ ही, महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार राज्यों पर प्राधिकार का प्रयोग करने की स्थिति में है। दुर्भाग्य से आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सिंचाई तथा बिजली के लिए आबंटन में कमी कर दी है यह बहुत बुरी बात है। मैं जानना चाहूगां कि क्या माननीय ऊर्जा मुख्य मंत्री को उर्जा के लिए आबंटन को कम न करने की सलाह देगें ऊर्जा मंत्रालय के पैट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (**श्री गार्गी शंकर मिश्र**) वह हमारी बात नहीं मानेंगे।

श्री एम राम गोपाल रेड्डी : महोदय पूरे देश की निगाह संसद तथा केन्द्रीय सरकार पर रहती है केन्द्र सरकार देश का अच्छा नाम बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री सलाह दें। हम भी अपने तरीके से उन्हें ऊर्जा के लिए आबंटन में कमी न करने के लिए कहेंगें।

महोदय जब डा० के० एल० राव इस मंत्रालय में थे और जब वे जब एक ताप बिजली घर का उदघाटन करने के लिए गये थे तो वे वहां पर बैठे हुए थे और वे तुरन्त उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पर कोयला पास किया जा रहा था। उन्होंने उस कोयले से दो पत्थर उठाये और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को फटकारा। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि कुछ पत्थर उसके अन्दर चले गये और फलकों को तोड़ दिया और यह एक या दो महीने तक रुका पड़ा रहा। इसीलिए रख-रखाव इन्जीनियरों को सावधान रहना चाहिए। बहम अपना खाना पकाते है तो हम बड़े सावधान रहते हैं और प्रत्येक बाहषी पदार्थ को चुनते हैं परन्तु ताप बिजली परियोजनाओं में जो भी उपलब्ध हो हम मिलाते रहते हैं। हमने बड़े प्रयासों से इन ताप बिजली स्थापना की है और यदि इनका कार्यकाल कम हो जाता है तो क्या फायदा ? अत: महोदय मैं चाहता हू कि माननीय मंत्री ताप बिजली सयत्रों का दौरा करे और उनके कार्यकरण का अध्ययन करें—

सम्बन्धित संसद सदस्यों को भी उनके साथ जाना चाहिए— ताकि ताप बिजली का उत्पादन कम न हो।

महोदय, माननीय मंत्री को राज्य सरकारों से सलाह लेनी चाहिए तथा ऐसी राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देनी चाहिए जिससे वहाँ नदियों में बहने वाला पानी बेकार न जाये।

श्री सी० डी० पटेल (सूरत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस मन्त्रालय का सम्बन्ध है। यह चतुर्दिक बिकास के मामले में अत्यन्त महत्वपूर्ण विभागो में से एक विभाग हैं। जहाँ तक कुछ विभागों का सम्बन्ध है, उनकी सराहना की गइ है किन्तु कुछ विभाग ऐसे हैं जहां अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है।

महोदय, जहाँ तक तेल के उत्पादन का सम्बन्ध है, इसमें 31 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसका उत्पादन पिछले वर्ष 131.20 लाख मीटरी टन था। अब यह बढ़कर 180 लाख मीटरी टन हो गया है और इसमें और वृद्धि होकर यह उत्पादन 230 लाख मीटरी टन होने जा रहा है। किन्तु जब हम घाटे तथा भुगतान सन्तुलन की स्थिति देखते हैं। तो हमें पता चलता है कि घाटे की स्थिति मुख्यत: तेल के आयात के कारण है। अत: हमें तेल की खोज सम्बन्धी कार्य में और तेजी लानी होगी।

महोदय जहाँतक कोयले का सम्बन्ध है, कोयला उत्पादन पिछले चार-पाँच वर्ष से 1000 लाख मीटरी टन पर जाकर स्थिर हो गया था अब यह बढ़कर 1120 लाख मीटरी टन हो गया है और इस वर्ष का लक्ष्ये 1230 लाख मीटरी टन है। मेरे विचार से इस वर्ष के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। जहां तक कोयले के उत्पादन का सम्बन्ध है, हम इस क्षेत्र में भी अभी बहुत पिछड़े हैं।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : हम 1300 लाख मीटरी टन तक पहुंच चुके हैं।

श्री सी० डी० पटेल : यह बड़े हर्ष की बात है कि हम लगभग लक्ष्य प्राप्ति कर चुके हैं। जहाँ तक बिजली का सम्बन्ध है, हम बहुत पिछड़ गए हैं। एक माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि हमारा लक्ष्य जो 20,000 मेगावाट का था। अब उसे कम करके 14,000 मेगावाट कर दिया गया है। अत: हमें गैर-परम्परा-गत स्रोतों जैसे सूर्य ऊर्जा ज्वारीय तरंगों तथा वायु ऊर्जा का विकास करना चाहिए। मेरा समझता हूं कि कच्छ के किनारे परिक्षण के तौर पर आपने गुजरात बिजली बोर्ड तथा केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के साथ मिलकर एक योजना आरम्भ की थी। उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर उसमें गति लानी होगी और यथाशीघ्र अन्तिम परिणाम प्राप्त करने होंगे। जहाँ तक सूर्य ऊर्जा का सम्बन्ध है। हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं। किन्तु जहाँ, बायो-गैस तक बायो-मास तथा अन्य बातों का सम्बन्ध है, हमें यथा शीघ्र उन परियोजपाओं को हाथ में लेना होगा ताकि हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन किया जा सके।

गुजरात में कुछ परियोजनाओं के बारे में कुछ कहने से पहले—चूंकि मैं गुजरात का हूं— मैं तेल क्षेत्र तथा रायलटी और तेल, जिसका मेरे सहयोगियों ने उल्लेख किया है, के बारे में कहना

चाहूंगा। मैं ऊर्जा मन्त्रियों के कुछ विचारों के बारे में जानता हूं। जहां तक रायलटी का सम्बन्ध है मैं केवल अपनी भावनाओं को सही अभिव्यक्त नहीं कर रहा हूं मैं समूचे गुजरात राज्य तथा असम राज्य की भावनाओं को भी अभिव्यक्त कर रहा हूं। जहाँ तक तेल के पहलुओं तथा रायलटी का सम्बन्ध है, सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार राज्यों में निहित है। केन्द्र को तेल निकालने का अधिकार है। तेल निकालने का अधिकार केन्द्र के पास है। केन्द्र इस बात का निर्णय करता हैं कि कितनी रायलटी दी जानी चाहिए। मेरा केवल इतना अनुरोध है कि उसे न्यायपूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिए। क्योंकि दोनों अधिकार एक ही प्राधिकरण में निहित हैं। अतः कुएं के मुहाने पर मूल्य में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और उसे बाजार भाव के बराबर लाना होगा। तेल क्षेत्र (विनिमन एवं विकास) अधिनियम के उपबन्धों का बहाना किया जा रहा है। किन्तु मेरे विचार से यह बहुत ही अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है। इस समय प्रति मीटरी टन मूल्य 1182 रुपये है। मूल्य में वृद्धि की गई, किन्तु, रायलटी में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मेरे विचार से यदि इस मामले पर यथाशीघ्र निर्णय कर लिया जाए तो गुजरात की जनता इसके लिए बहुत आभारी रहेगी। जहां तक गुजरात और विद्युत के इस पक्ष का सम्बन्ध है, अनेक परियोजनाएं हैं। मैं अपने सहयोगियों की यह भावना से कि इस मंत्रालय का कार्य, विशेश रूप से श्री शिवशंकर द्वारा बड़े उचित ढंग सेचलाया जा रहा है, सहमत हूं। वे बड़े ही कार्यकुशल व्यक्ति हैं और मुझे विश्वास है कि वे इस मामले पर गम्भीरता से विचार करेंगे और उसपर निर्णय लेंगे। मेरे विचार से वे एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो इस परियोजना का कार्य दक्षतापूर्ण कर सकेंगे। इन परियोजओं में से एक गैस-आधारित पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स परियोजना है। राज्यसरकार ने गैस-आधारित पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स स्थापित करने के लिए जलाई, 1979 में भारत सरकार को एक आवेदन पत्र दिया था। उसके सम्बन्ध मैं काफी प्रारम्भिक तैयारियां भी आरम्भ की गई हैं। परियोजना के कार्यान्वियन के लिए एक निगम स्थापित किया गया था। साथ ही वित्तीय कठिनाइयाँ भी हैं। मेरा विचार है कि केन्द्र सरकार इसे संयुक्त रूप से ले सकती है। मेरा अनुरोध यह है कि भारत सरकार को इसे यथाशीघ्र ही आरम्भ कर देना चाहिए। गुजरात कम्पलैक्स की व्यवहार्यता के अध्ययन के लिये एक कार्यकारी दल भी बनाया गया था। इसे यथाशीघ्र अन्तिम रूप देना होगा। इस पर यथा सम्भव शीघ्र ही कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए। एक मामला है।

महोदय, दूसरा मामला धुवकरन बिजली घर को सप्लाई किये जाये वाले परिशोधित भट्टी के तेल मूल्य-निर्धारण के बारे में है। मैंने मन्त्रालय को लिखा है कि शीघ्र ही इस मामले को अन्तिम रूप दिया जाये और इसे यथाशीघ्र आरम्भ किया जाए। जहां तक मन्त्रालय का सम्बन्ध है वे मेरे तर्क को समझेंगे, क्योंकि आरम्भ में धुवरन बिजली घर को कोयला आधारित संयन्त्र बनाया गया था। किन्तु तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात बिजली बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हल्की शराब के उत्पादन के बाद शेष बचे परिशोषित भट्टी तेल को इस विद्युत स्टेशन में इंधन के रूप में प्रयोग किया जाय क्योंकि इस शेष उत्पाद का निपटान रिफाइनरी के लिये एक बड़ी समस्या बनी हुई हैं। धुवरन में अब 140-मैगावाट के दो ओर सेट स्थापित किये गये हैं। जिस डिजाईन को अन्तिम रूप दिया गया था, वह यह था कि केवल परिशोधित भट्टी तेल का ही इंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ऐसा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कहने पर किया

गया था क्योंकि उनको सामने शेष बचे उत्पाद के निपटान की समस्या थी। अब परिशोधित भट्टी तेल के मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये गये हैं कि यह लाभकारी नहीं है और इसीलिए राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि उसे कोयले के मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। मेरे विचार से मूल्य निर्धारण के बारे में छोटे मोटे कोरे तैयार किये जाने हैं। यदि स्थिति ऐसी है तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिजली की कमी के कारण इस पर शीघ्रही निर्णय लिया जाए। अतः मन्त्री महोदय से मेरा केवल यही अनुरोध है कि सरकार को कोयले के मूल्यों के आधार पर ही इसका मूल्य-निर्धारित करना चाहिये।

महोदय, साथ ही यह मन्त्रालय यह कह सकता है कि यह मामला, विशेष पतली पाइप-लाईनो द्वारा कोयला ढोने से सम्बद्ध है। उस मामले में, अन्य विभाग भी सम्बद्ध हैं। यह बड़ी ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और सरकार के अध्ययनाधीन है किन्तु राज्य विशेष अर्थात् गुजरात भी आवश्यकताओं के बारे में वहां विद्युत स्टेशनों के लिए वार्षिक कोयले की आवश्यकता लगभग 45 लाख मीटरी टन है। यह वर्तमान आवश्यकता छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दुगनी हो जायेगी। इसलिए भविष्य में रेलवे परिवहन प्रणाली में प्रमुख बाधाएं उत्पन्न होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान वार्षिक भाग जो कि 45 लाख मीटरी टन है, की तुलना में वास्तव में उसे 70 और 75 प्रतिशत के बीच ही कोयला मिल रहा है। 5 से 6 वर्षों के दौरान यह मांग दुगनी हो जाएगी अर्थात 100 लाख मीटरी टन हो जाएगी। अतः कोयले के क्षेत्र में हमें भविष्य में एक विकट समस्या का सामना करना पड़ेगा। गुजरात बिजली बोर्ड में मैसर्स इन्जीनियर्स इंडिया लिमिटेड से अनुरोध किया था कि वे पूरे दूर दराज के बड़े बिजली घरों के लिये पतली पाईपलाईन के द्वारा कोयला के परिवहन की सम्भावना पर विचार करने के लिये एक प्रारम्भिक तकनीकी-आर्थिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करे। यह रिपोर्ट दिसम्बर, 1980 में योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी। राज्य द्वारा अपनी बिजली और औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला प्राप्त करने मेंआने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस अध्ययन को शीघ्र ही पूरा किया जाये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण है अर्थात वह मध्य प्रदेश में एक विशाल बिजली घर की स्थापना के बारे में है। अब गुजरात तथा मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश में एक बिजली घर की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव दिया है। उन्होंने सुपर तापीय बिजली संयन्त्रों की स्थापना के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस सन्दर्भ में, मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री को लिखा है कि इन सुपर थर्मल पावर स्टेशनों से गुजरात को बिजली का 50 प्रतिशत भाग दिया जाए। अब यह समझा जा रहा है कि यद्यपि समूचा प्रारम्भिक कार्य पूरा हो चुका है भारत सरकार ने उलिखित परियोजनाओं जैसी कुछ परि-योजनाओं की स्वीकृति इस आधार पर नहीं दी है कि इन परियोजनाओं के लिये कोयले की सप्लाई का सम्पर्क उपलब्ध नहीं है। अब केन्द्र सरकार के इस निर्णय के कारण दोनों राज्य सरकारों को कोयले के सम्पर्क लाइन सम्बन्ध में बहुत धक्का लगा है। अब जहां तक इन परि-योजनाओं का सम्बन्ध है, धनराशि का आबंठन इस प्रकार से किया जा सकता है कि इन दोनों

परियोजनाओं को पूरा कर दिया जाए।

यह सच है कि संगरौली कोयला सुरक्षित भंडार विश्व में बड़े भंडारों में से एक है। जहाँ तक इन बिजली स्टेशनों को जोड़ने का सम्बन्ध है, इसके बारे में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अत: मंत्री महोदय से मेरा नम्र निवेदन यह है कि वह इस परियोजना में रुचि लें ताकि इस परियोजना को राष्ट्रीय आधार पर हाथ में लिया जा सके।

जहां तक वानकबोरी विस्तार परियोजना के लिए बिजली उत्पादन खेतों का आयात करने का सम्बन्ध है, यह किसी प्रचार अथवा दबाव से नहीं किया गया है। गुजरात सरकार ने इन उपकरणों का आयात करने का अनुरोध किया था। केन्द्रीय सरकार ने अभी वानकबोरी विस्तार परियोजना के लिए इन उपकरणों का आयात करते की अनुमति नहीं दी है। मैं समझता हूं कि इन उपकरणों के आयात का मामला काफी समय से विचाराधीन है। हम जानते हैं कि भारत हैवी इलैकट्रीकल की मशीनरी घटिया नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक वानकबोरी विस्तार परियोजना का सम्बन्ध हैं।

इन उपकरणों का आयात करने हेतु आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसके कारण हम बिजली उत्पादन में पीछे रह रहे हैं। यदि सभी उपकरणों के लिए स्वीकृति सम्भव नही है तो कम से कम एक सेट के लिए तुरन्त स्वीकृति दी जाये ताकि वानकबोरा परियोजना की शीघ्र काम के लिए हाथ में लिया जा सके।

जहां तक वेधन तथा पुंच बिजली स्टेशनों से बिजली आबंटित करने का सम्बन्ध है, यह मामला काफी वर्षों से विचाराधीन है हैं। मैं सरकार से इस बारे में तुरन्त निर्णय लेने का अनुरोध करूंगा। विभिन्न राज्यों को बिजली आबंटित करने सम्बन्धी मापदण्ड अभी निश्चित किया जाना है। मेरा अनुरोध है कि जहां तक विभिन्न राज्यों को बिजली आबंटित करने का सम्बन्ध है, मापदंड यथाशीघ्र निश्चित किये जाये।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न का जिक्र भी करना चाहुंगा और वह गुजरात राज्य सरकार के बिजली उत्पादन के लिए बम्बई हाई से गैस लेने के अनुरोध के बारे में है। 1982 में राज्य सरकार ने केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री को एक प्रस्ताव भेजा था। वर्तमान संकेतों के अनुसार, बम्बई हाई में ऐसोसिएटिड गैस का उत्पादन 1984 तक 12 से 13 एम. सी. एम, डी. प्रतिदिन होने की सम्भावना है।

यदि इस मात्रा की गैस के उपयोगो को शीघ्र अंतिम रूप नही दिया जाता, तो सम्भव हैं कि लगभग 70 लाख क्यूबिक मीठर गैस को प्रतिदिन बेकार जलाना पड़ेगा। अत: मैं अनुरोध करूंगा कि मत्रालय इस मासले पर गम्भीरता से विचार करे। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस प्राकृतिक गैस के अस्थायी तौर पर बिजली उत्पादन हेतु आबंटित करने का अनुरोध किया है।

अब कई उर्वरक कारखानों द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग करने की योजना बनाई गई है लेकिन इनमें से कई संयंत्र 1995 से पहले चालू नहीं होंगे ; इसमें कई वर्ष लगेंगे। इसे ध्यान

में रखते हुए सम्बन्धित मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि उस समय तक इस प्राकृतिक गैस के राज्य सरकार को आवंटित किया जाये ।

यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि राज्य बिजली उत्पादन के लिए प्रायः पूर्णतः कोयले पर निर्भर करता है और कोयले की धुलाई एक बड़ी कठिनाई रही है ' कोयला कहां से आयेगा यह बिजली परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए एक बड़ी समस्या रही है । इन परिस्थितियों में गैस पर आधारित एक बिजली स्टेशन काफी सहायक रहेगा ।

यहां मैं कहना चाहुंगा कि मई 1979 में राज्य सरकार ने सतीश चन्द्र समिति के सामने बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस देने हेतु अभ्यावेदन दिया था । बहरहाल, इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र के अनुरोध पर तो विचार किया गया लेकिन गुजरात की मांग अभी भी स्वीकार नही की गई है । यद्यपि बम्बई हाई में गैस बहुत मात्रा में बेकार जलाई जा रही है ।

कहा जा सकता है कि दशक के आखिरी भाग में गैस उपलब्ध नही होगी । यदि ऐसा है तो कोई ऐसा तरीका अपनाया जाये जिससे गैस का उपयोग ठीक ढंग से हो सके ताकि यह 10 15 वर्षों तक काम में आ सके ।

हमने मंत्रालय के साथ कुछ अन्य मारले भी उठाये हैं । ऊर्जा मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह उन पर गम्भीरता से विचार करें और निर्णय लें ।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और मंत्रालय की अनुदान की मांगों का पूर्णतः समर्थन करता हूं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो ऐनर्जी की डिमान्ड यहां पर प्रस्तुत की गई है मैं उनका समर्थन करता हूं, मगर समर्थन के बाद यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो मंत्री जी, इनफ्रास्ट्रक्चर बड़ा जरूरी है । देश को इंडस्ट्रिलइज करने के लिए बिजली की पूरी पूर्ति होनी चाहिए । हमने छठी पंचवर्षीय योजना में 20,000 मेगावाट टारगेट रखा था, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि 14,000 मेगावाट पर भी नहीं पहुंच पायेंगे । नतीजा यह होगा कि जितनी कमी होगी उतना ही हमारा देश पीछे जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा । इसलिए नितांत आवश्यक है कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें कि बिजली ज्यादा किनरीसोवर्स जसे पैदा कर सकते हैं और कैसे लोगों के उचित तरीके से सप्लाई कर सकते हैं । ऐसी व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक नामाकूल तरीके से इस व्यवस्था को लागू नहीं कर सकेंगे ।

मंत्री जी आपके पास 3, 4 विभाग हैं । खासतौर से पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में मुझे यह कहना है कि आपका ओ० एन० जी० सी० तो बढ़िया काम कर रहा है, मगर जी डिस्ट्रिब्यूशन सप्लाई सेक्शन है, ऐजेन्सीज हैं वह बिल्कुल थर्ड क्लास है । उसका काम सबसे रद्दी है और व्यवस्था माकूल नहीं है । इसलिए उसकी तरफ पूरी तवज्जह देनी चाहिए । उसकी वजह से हमको बहुत बड़ा सैट-बैक है, हानि उठानी पड़ती है और गालियां सुननी पड़ती हैं ।

वहां ऐसे गलत तत्व बैठे हुए हैं, हमारी खिलाफ पार्टी के लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, पैसे लेकर गड़बड़ करते हैं और हर प्रकार के भयंकर घोटाले करते हैं।

इसी प्रकार से कोयले का महकमा है। इसमें भी हमारे भाई जी यहां बैठे हुए हैं, एक-आध इस समय यहां बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कोयले में किस प्रकार से गड़बड़ की है ? 50 लाख टन कोयला यहां के ट्रेड यूनियन के लोग, ठेकेदारों के लोग मिलकर समग्लिग करते हैं। ये हमारे साथी कोयला खा जाते हैं। हमारा 50 लाख टन कोयला ये लोग बर्बाद कर देते हैं। इनके बारे में तवज्जह देनी चाहिए। अगर लोग नेपाल, बंगलादेश को इस तरह से कोयले की समग्लिग करेंगे तो निश्चित तरीके से हमारा टारगैट पूरा नहीं होगा।

मेरा निवेदन है कि कोयले और बिजली के उत्पादन का टारगैट आप पूरा करें। पेट्रोलियम पदार्थ जिनका उत्पादन आप कर सकते हैं, वह भी करें और उसका डिस्ट्रक्यशन भी आप ठीक करें।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास : हमारे शास्त्री जी गलत बात करते हैं, इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस बारे में कुछ नहीं जानते तो आपको 50 लाख टन के आंकड़ों की जानकारी कैसे है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं इनका जिक्र यहां कई बार कर चुका हूं, इसके खिलाफ यह आरोप है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इनका सारा पार्टी कैडर कोयले की दलाली से चलता है।

श्री सत्य नारायण जाटिया : और काले हाथ इनके हो रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : वहाँ हालत बहुत खस्ता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी सरकार से कहिए कि यह 50 लाख टन कोयला जो

**पार्टी के लोग हैं वह यूनियन के तरीके से ठेकेदानों से मिलकर जी इस कोयले की गड़बड़ करते हैं, उसके रोकथाम करने की आवश्यकता है।

देश का पैसा देश के काम में आना चाहिए। जो विदेशों में विश्वास रखने लोग हैं, उनको अगर ताकत मिलती है तो इससे हमारा केस कमजोर होगा। इसलिए इस व्यवस्था को मजबूत बनाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री व्यास किसी विशेष पार्टी का नाम न लें, आप समान्यत: इसका जिक्र कर सकते हैं। किसी विशेष पार्टी का नाम न लें। यह उचित नहीं है।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मलित नहीं किया गया।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने कोई नाम नहीं लिया है। मैं आपकी पार्टी के बारे में बोल चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिये, चाहे पार्टी कोई भी हो।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने प्रश्न पर आता हूं।

राणस्थान में बिजली की बहुत भयंकर कमी है और इन मंत्री महोदय से कह-कहकर हम थक गये। 3 वरस से बराबर कहते आ रहे हैं, 2 साल और रह गये हैं वह भी यों ही निकल जायेंगे। उसके बाद जब जनता के पास जायेंगे तो वह कहेगी कि आपने पार्लियामेंट में क्या किया ? बिजली भी नही दिलवाई। हम इनको कहते हैं तो यह सुनते नही है। हमारे सारे कल-कारखाने आज बन्द पड़ें हैं, 4 हजार करोड़ सालाना का नुकसान हो रहा है बिजली न मिलने की वजह से।

आप इन मंत्री महोदय को कहें कि हमारे राजस्थान को पूरी बिजली दिलायें, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसको समझना चाहिये।

हमको भाखड़ा, सतपुड़ा, सिंगरौली से जितनी बिजली मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती है। हिमाचल प्रदेश में नये-नये प्रोजिक्टस लगे हैं, उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिए, वह भी हमें नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की हालत हमारे राजस्थान की कर रखी है।

माननीय मन्त्री जी ने कोटा के थर्मल पावर प्लान्ट के उद्घाटन के सम्बन्ध में स्टेटमेंट दिया है कि वह 1-8-82 को चालू हो गया। मेरा कहना है कि पूरा प्लान्ट चालू ही नहीं हुआ, कमीशन्ड ही नहीं हुआ। उसके बारे में इस प्रकार के गलत आंकड़े डिपार्टमेंट के लोग देते हैं।

ये गलत आंकड़े देने वाले लोग हामारे राज्य के लिए कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। कोटा के थर्मल प्लांट को कमीशन होने में अभी दो, चार, छः महीने लगेंगे, क्योंकि वहां सामान उपलब्ध नहीं हो रहा है। अगर वह प्लांट कमीशन हो गया है, तो बिजली कहां चली गई है और एग्री-कल्चरल तथा उद्योग क्यों ठप्प पड़े हुए हैं ? मंत्री महोदय को ऐसी गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि वे भविष्य में ऐसी गलत रिपोर्ट पार्लियामेंट को न दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री व्यास, आप रिपोर्ट से नहीं पढ़ रहे हैं। आपने उस परियोजना का जिक्र नहीं किया है जिसे चालू कर दिया गया कहा जाता है लेकिन अभी तक चालू नहीं है। कृपयः उसे पढ़े। फिर ही, मंत्री उत्तर पायेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसका जिक्र रिपोर्ट के पृष्ठ 5 पर है। इसमें "तात्पर्य" के "अन्तर्गत" कोटा एकक-I राजस्थान 17-1-83

अध्यक्ष महोदय : आपका विचार है कि इसे चालू नहीं किया गया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह सब लिखा हुआ है। मैं जबानी बता रहा था आपको विश्वास नहीं हो रहा था। मैं हाऊस में कभी गलत बात नहीं कहता। मंत्री महोदय सम्बद्ध अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लें कि उन्होंने पार्लियमेंट को यह रिपोर्ट क्यों दी हैं।

जिन प्राजेक्ट्स के नाम मैंने बताए हैं, हमें उनमें से हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है? बिजली के मामले में राजस्थान की हालत सब राज्यों से खस्ता है। राजस्थान सब से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, हम श्रीमती इंदिरा गांधी और मंत्री महोदय की जय बोलते हैं, लेकिन हमें बिजली नहीं मिलती है। मंत्री महोदय हमें पूरी बिजली उपलब्ध कराएं ताकि हमारे कल-कारखाने चलें, मजदूरों को रोजी-रोटी मिले और किसान अच्छी तरह खेती कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इस बारे में हमारी सिफारिश कीरिए।

आप मद्रास में पानी की कमी की बात करते हैं। हमारे यहां बीस-बीस किलोमीटर से पीने का पानी लाना पड़ता है। हमारे यहां हर परिवार को एक आदमी को बराबर पानी लाने के लिए रखना पड़ता है। अगर बिजली न मिलने के कारण वहां खाने और पानी की व्यवस्था न हो सकी, तो लोग भूख और प्यास से मरेंगे और उसके लिए भारत सरकार और मंत्री महोदय दोषी समझे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बिजली नही दिलवाई है। श्री राम सिह यादव ने ठीक कहा है कि हमें 2 करोड़ 20 लाख यूनिट बिजली चाहिए, जबकि हमें सिर्फ 80 लाख यूनिट बिजली मिलती है। हमारे साथ यह भयंकर अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को दूर करने के लिए सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए।

हमारे यहां लिगनाइट का बड़ा भंडार है। सारे देश में पलाना का लिगनाइट मशहूर है

अध्यक्ष महोदय : आपको और कितना समय चाहिए?

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं कल जारी रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 6 अप्रैल, 1933/16 चैत्र, 1905 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

प्रबन्धक, आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472 पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।